

क्रमांक /BCL/विक्रम कोयला खदान / 2024 34/19/24
प्रति,

बुद्धर दिनांक 19.11.2024

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी,
वन मंडल (दक्षिण) शहडोल
जिला - शहडोल (म.प्र.)

विषय :- वन मंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुद्धर के वन कक्ष RF - 827 & RF 828 के रकबा 142.075 हे. वन भूमि तथा विभिन्न खसरो की रकबा 9.020 हे. राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हे. वनभूमि में विक्रम कोल ब्लाक ओपन कास्ट /भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरि सतह उपयोग के मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड वन प्रत्यावर्तन (FP/MP/ MIN/49537/2020)

सन्दर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली पत्र क्रमांक / 8-34/2021-FC दिनांक 21.04.2022
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक /F1/529/10-11/1553/ दिनांक 02.05.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्यमें निवेदन है, कि मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विक्रम कोयला खदान ग्राम गोपालपुर एवं बरतरा तहसील- बुद्धर जिला शहडोल को भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी वेस्टिंग आर्डर NA-104/1/2019-NN दिनांक 10/02/2020 के माध्यम से खनन हेतु सतही एवं भूमिगत खदान का आवंटन किया गया है। कोयला खदान में निजी भूमि, वन भूमि, राजस्व भूमि निहित है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि रकबा 151.095 हे. के वन प्रत्यावर्तन (FP/MP / MIN/49537/2020) में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली पत्र क्रमांक / 8-34/2021-FC दिनांक 21.04.2022 से प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, संस्थान द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को पूर्ण कर दिया गया है जिसका विवरण बिंदुवार निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार है :-

-शर्त (A)

क्रमांक A(i) संस्थान द्वारा कैम्पा मद में जमा की राशि का विवरण-

क्रमांक	वन मंडल का नाम	मांग पत्र जारी दिनांक	रकबा हे.	चालान राशि रुपये में	राशि जमा दिनांक	चालान क्रमांक	आवेदन
1	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी, वन मंडल दक्षिण शहडोल	3924/01/06/2022	55.811	2,13,85,100/-	23/08/2023	5849537792	
2	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा	4405/19/05/2022	22.376	2,23,37,100/-	23/08/2023	5849537792	
3	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी, वन मंडल सतना	6523/ 20/08/2024	33.675	3,25,02,485/-	06/09/2024	5449537900	
4	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी, वन मंडल छिंदवाड़ा	971/22/05/2022	2.550	2,27,2,035/-	27/05/2024	12024052724984638	

A(ii). संस्थान द्वारा NPV (Net Present Value) की निर्धारित राशि 16,30,75,051/- (सोलह करोड़ तीस लाख पचहत्तर हजार इक्यावन रुपये) कैम्पा मद में चालान आवेदन क्रमांक 5849537689 दिनांक 30/06/2023 को जमा की जा चुकी है।

A(iii). संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गयी गैर वन भूमि जिसका पंजीयन, नामांतरण एवं राजपत्र में प्रकाशन किया जा चुका है विवरण इस प्रकार है



क्रमांक	वन मंडल का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे.	ग्राम का नाम	अधिसूचना प्रकाशन दिनांक	रिमार्क
1	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी, वन मंडल दक्षिण शहडोल	वन परिक्षेत्र केशवाही	55.811	छिनमार	14/11/2024	
2	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा	वन परिक्षेत्र सिरमौर	22.376	रोड़ीही	10/07/2023	
3	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी, वन मंडल सतना	वन परिक्षेत्र बरौधा	33.675	बरहा	27/09/2024	
4	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी, दक्षिणवन मंडल छिंदवाड़ा	वन परिक्षेत्र कन्हान	2.550	गोड़ीवाडोना	12/09/2024	

A 4. कलेक्टर शहडोल द्वारा दिया गया FRA 2006 का प्रमाण पत्र (जिसकी प्रति संलग्न है)

A 5. प्रस्तावित कोल् माईस की KML file जिसकी प्रति संलग्न है।

A 6. संस्थान द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की प्राक्कतित राशि का पर्यवेक्षण शुल्क की 10% राशि का भुगतान किया जा चुका है, प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

क्रमांक	वन मंडल का नाम	मांग पत्र जारी दिनांक	प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की प्राक्कतित राशि रुपये मे	पर्यवेक्षण शुल्क की 10% राशि रुपये मे	राशि जमा दिनांक	रिमार्क
1	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल दक्षिण शहडोल	3924/01/06/2022	2,13,85,10/-	2,13,8,510 /-	05/06/2024	
2	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल रीवा	4405/19/05/2022	2,23,37,100/-	2,56,3,410 /-	05/06/2023	
3	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी वन मंडल सतना	6861/29/08/2024	3,25,02,485/-	32,50,249 /-	06/09/2024	
4	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी, वन मंडल छिंदवाड़ा	971 /22/05/2024	2,27,2,035/-	2,27,203/-	25/05/2024	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित प्रतिवेदन को E पोर्टल में अपलोड करने की कृपा करें।



 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड

संलग्न ; पालन प्रतिवेदन चार प्रतियों में

1 श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू प्रबंध वन भवन भोपाल (मप्र.) की ओर सादर सूचनार्थ

Condition of FC Stage 1 Compliance

Sr. No.	Specific Condition	Compliance from BCL									
A: Conditions which need to be complied prior to handing over the forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:											
i.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years,	As per the letter issued by DFO Shahdol vide no 3924 on dated 01.06.2022, DFO Rewa vide no 4405 on dated 19.05.2022, DFO Satna vide no 6523 on dated 20.08.2024 & DFO Chhindwara South vide no 971 on dated 22.05.2022 against the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme is submitted as per challan issued vide no 5849537792 with amount Rs. 4,37,22,200 on dated 23.08.2023 for Shahdol & Rewa and vide no 051/9999999/0406/09/24/001338 on dated 06.09.2024 for Satna & vide no 12024052724984638 on dated 27.05.2024 for Chhindwara South State Forest Department in the account of CAMPA of the MP State through online portal. The payment details are enclosed as Annexure- A(i).									
ii.	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02. 2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into CAMPA account of the State Concerned.	As per the letter issued by DFO Shahdol, vide letter no 3924, dated 01.06.2022, the NPV amount of ₹16,30,75,051.00 (Rupees Sixteen Core thirty lakhs seventy-five thousand and fifty-one only) has been deposited in CAMPA through online portal vide challan no. issued by UBI 5849537689 dated 30.06.2023. The payment details are enclosed as Annexure- A(ii).									
iii.	The identified non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in the name of forest department and notified as Reserved Forest /Protected Forest prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act,1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to State-II approval.	<p>The identified non-forest land for raising compensatory afforestation was transferred and mutated in the name of forest department. The details of the same are as follows:</p> <table border="1" data-bbox="962 1771 1501 2130"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="962 1771 1501 1805">CA Land Details</th> </tr> <tr> <th data-bbox="962 1805 1193 1872">Location</th> <th data-bbox="1193 1805 1369 1872">Mutation date</th> <th data-bbox="1369 1805 1501 1872">Area (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="962 1872 1193 2130">1.Forest Range- Keshwahi, Village- Chhinmar, Forest Division:</td> <td data-bbox="1193 1872 1369 2130">23/06/2022</td> <td data-bbox="1369 1872 1501 2130">55.811</td> </tr> </tbody> </table>	CA Land Details			Location	Mutation date	Area (Ha)	1.Forest Range- Keshwahi, Village- Chhinmar, Forest Division:	23/06/2022	55.811
CA Land Details											
Location	Mutation date	Area (Ha)									
1.Forest Range- Keshwahi, Village- Chhinmar, Forest Division:	23/06/2022	55.811									

		South Shahdol, District: Shahdol., M. P.		
		2. Forest Range: - Sirmour, Village: - Rajhoni, Forest Division: Rewa, District: Rewa M.P.	29/08/2022	22.376
		3. Forest Range: - Sirmour, Village: - Barha, Forest Division: Satna, District: Satna M.P.	13/06/2024	33.675
		4. Forest Range: - Kanhan, Village: - Ghodiwadon a, Forest Division: Chhindwara South, District: Pandhurna M.P.	12/06/2024	2.55
			Total	114.412

The total 114.412 Ha of CA land mutated and handed over has been notified vide letter no मामला क्र. 307/अ-6/2021-22 on dated 23.06.2022 for Shahdol, vide letter no मामला क्रमांक 0180/अ-6/2022-23 on dated 29.08.2022 for Rewa, vide letter no मामला क्रमांक/113/अ-6/2024-25 on dated 12.06.2024 for Chhindwara South & vide letter no प्रकरण क्रमांक 640/अ-6/2023-25 on dated 13.06.2024 for Satna as per Section 29 of the Indian Forest ct,1927, by the State Government. The copy of

		mutated CA land is enclosed as Annexure- A(iii). Also, the copy of Gazette Notification is enclosed as Annexure- A(iii-a)
iv.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	FRA certificate in Form-II vide letter no. 7059, dated 26.09.2014 & RM/FRA/2020/792, dated 09.10.2020 for 151.095 Ha is enclosed as Annexure- A(iv).
v.	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency;	KML file is attached in form of soft copy pendrive .
vi.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	All the funds under the project has been transferred in CAMPA account through e-portal (https://parivesh.nic.in/) by BCL. This is enclosed as Annexure- A(v)
vii.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	The compliance report has been uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/). Copy of acknowledgement is enclosed as Annexure- A(vi)

B: Conditions which need to be complied on field after handing over the forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:

i.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	We undertake that the legal status of the forest land shall remain unchanged. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(i).
ii.	Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency.	We undertake that the forest land will be taken over only after handing over of non-forest land in the project obtained by the BCL. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(ii)
iii.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	We agree to pay the additional amount of NPV, if so determined in the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India. An undertaking with this effect has been submitted and enclosed as Annexure- B(iii)
iv.	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional	We hereby agree that the R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(iv)

	Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	
v.	Fencing, protection and regeneration of the safety zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease] shall be done at the project cost within three years and maintained thereafter as per approved working plan of the State Govt.	We confirm to comply the fencing, protection and regeneration of the safety zone area at the project cost within three years and to maintain thereafter as per approved working plan of the State Govt. The undertaking regarding the same is enclosed in Annexure- B(v).
vi.	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake afforestation on degraded forest land, at project cost, one and half time in extent to the area used for safety zone.	We hereby agree to abide by this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(vi).
vii.	The user agency shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area, and any other areas which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc.;	We undertake that, after ceasing mining operation we shall re-grass the mining area which may be disturbed due to mining activity and restore the land to a common condition which will be fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(vii).
viii.	<p>The following activities shall be undertaken by the User Agency under supervision of the State Forest Department at the project cost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams if available the vicinity of mining area shall be prepared and implemented. • Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion. • Construction of check dams, retention toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour. 	<p>We will implement the following activities under the supervision of the State Forest Department i.e.</p> <p>Report related to Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream is already prepared and it will be implemented. Report is enclosed as Annexure B(viii-a)</p> <p>Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion will be implemented as per the scheme. The detailed report is enclosed as Annexure B(viii-b)</p> <p>Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour will be undertaken in accordance with the approved scheme. The various schemes (detail reports) for the compliance of same is enclosed as Annexure B(viii-a)</p>
ix.	Period of diversion of the said forest land under	We confirm to comply the period of

	this approval shall be for a period coterminous with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there under.	diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of the mining lease granted under the Mines and Minerals. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(ix).
x.	The User Agency shall ensure that the dumping of Over Burden (OB) shall be carried out as per the approved phased Reclamation plan	We confirm to comply the condition as per approved mining plan. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(x).
xi.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	Environmental Clearance has been obtained as per EIA notification, 2006 and its subsequent amendments. Copy of EC is enclosed as Annexure- B(xi).
xii.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas	We hereby agree to abide by the condition that no labour camp shall be established on the forest land. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xii).
xiii.	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates	We hereby agree to abide by this and follow the directions, strictly. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xiii).
xiv.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	We hereby agree that the forest land proposed will not be diverted or transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xiv).
xv.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	We undertake that no damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xv).
xvi.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel	We hereby agree to abide by this and follow the directions, strictly. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xvi).
xvii.	The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	We confirm to abide by this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xvii).
xviii.	No additional or new path will be constructed	We confirm to abide by this condition.

	inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xviii).
xix.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project	We hereby agree to abide by this condition by providing nests made up of eco-friendly material, for birds whose nests are to be cleared, as per the estimation by the Forest Department. The schemes (the detailed report) regarding the same is enclosed here with as Annexure- B(xix).
xx.	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area;	We hereby agree to abide this condition.
xxi.	The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxi).
xxii.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxii).
xxiii.	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in be concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Dy. Director General (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, reclamation activities area satisfactorily executed;	Mining will be done as per the approved mining plan by MoC. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxiii).
xxiv.	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is

	conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	enclosed as Annexure- B(xxiv).
xxv.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project	We agree to submit self-compliance report of above stated conditions to State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxv).
xxvi.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxvi).
xxvii.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	We hereby agree to abide this condition. The undertaking regarding the same is enclosed as Annexure- B(xxvii).

Thanking you,

**Bhupendra
Singh
Chaudhary**

Digitally signed by
Bhupendra Singh Chaudhary
Date: 2024.11.19 15:01:16
+05'30'

**Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)**

Enclosed: All attachments a/a

Copy to: 1. PCCF (LM), Bhopal – For kind information and uploading the same in PARIVESH.
2. CCF, Shahdol – For kind information please.
3. IRO, MoEF&CC, Bhopal – for record purpose only.

AGENCY COPY	
	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 02-09-2024	
Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537900
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, KolkataKolkata
Amount(in Rs)	32502485/-
<p>Amount in Words :Three Crore Twenty-Five Lakh Two Thousand Four Hundred and Eighty-Five Rupees Only</p>	
<p>NEFT/RTGS to be made as per following details;</p>	
Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537900 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

BANK COPY	
	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 02-09-2024	
Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537900
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, Kolkata Kolkata
Amount(in Rs)	32502485/-
<p>Amount in Words :Three Crore Twenty-Five Lakh Two Thousand Four Hundred and Eighty-Five Rupees Only</p>	
<p>NEFT/RTGS to be made as per following details;</p>	
Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537900 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

TED (11902) [Know More](#)

You are here: / Reports / Query By Account

Query By Account

e-PayOrder Number CRG0589328**Debit Status** Success

27-05-2024

MADHYA PRADESH CAMPA

Twenty Two Lakhs Seventy Two Thousand Thirty 22,72,035.00

Five only

00000030015285306

CAG, KOLKATTA

PUJA JAIN

Nitesh Soni

SNEHA BOGHANI

Maker

Authorizer 1

Authorizer 2

"CRG0589328"

Actual Debit Amount 22,72,035.00**Commission** 0.00**Counterfoil Description** Bikram Coal**Transaction Type** RTGS Fund Transfer**GSTIN Number** --[Click here to view credit and debit account details](#)

You can only enquire the status of transactions through the 'Query by Account' and 'Query by echeque' option under Reports tab. For authorisation please use the 'View Inbox'/'Bulk e-cheque Inbox' under 'Manage Transactions'.

- If your corporate has opted for a separate commission transaction for Interbank Transactions, although the echeque displays the consolidated amount, the commission will be initiated as a separate transaction only (EOD or per Txn as per the mandate of your corporate)
- For NEFT multiple credit transactions, by default the echeque displays the consolidated amount. The commission will be initiated as a separate transaction for each NEFT debit by default or at EOD as per the mandate of your corporate.





Birla Corporation Limited

Corporate Office:
T. Shakespeare Sarani,
A.C. Market (2nd Flr), Kolkata 700 071
P. 033 6605 3300-02
F. +91 033 2268 4426
E. coordinator@birlacorp.com

BCL/Bikram/PCCF/23-24/02

29th August 2023

To

The Principal Chief Conservator of Forest,
(Land Management) and Nodal Office (FC ACT),
Satpura Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh

Reference:

1. DFO Shahdol Letter bearing no. मा.चि./2022/3924 dt.01.06.2022.
2. DFO Rewa Letter bearing no. मा.चि./4405 dt.19.05.2022.
3. Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023.

Sub: Payment of CA Scheme amount for Bikram Coal Mines.

Dear Sir,

We write with reference to letter bearing no. मा.चि./2022/3924 dt.01.06.2022 and मा.चि./4405 dt.19.05.2022 issued by respective DFO of Shahdol and Rewa for payment of INR 4,37,22,200/- i.e INR 2,13,85,100/- + INR 2,23,37,100/- toward CA scheme amount into the Madhya Pradesh CAMPA Account for Bikram Coal Mines.

We hereby submit the CA Scheme payment (RTGS) detail of **INR 4, 37,22,200/- (Indian Rupees Four Crore Thirty Seven Lac Twenty Two Thousand Two Hundred One only)** against the generated Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023 into the Madhya Pradesh CAMPA Account raised for Bikram Coal Mines.

Your Sincerely,

For Birla Corporation Limited

(Authorised Signatory)

Name: Bhupendra Singh Chaudhary

Designation: Vice President (Mines)

Enclosure:

1. Copy of Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023
2. CA Scheme Payment (RTGS) detail

CC:

1. DFO & CCF (South), Shahdol (MP)
2. DFO & CCF, Rewa (MP)

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-08-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537792
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, KolkataKolkata
Amount(in Rs)	43722200/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Seven Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537792 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-08-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537792
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, Kolkata Kolkata
Amount(in Rs)	43722200/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Seven Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537792 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



Birla Corporation Limited

Corporate Office:
1, Chaitanyanagar Sector,
A.C. Market II - 7th, Kolkata 700 071
Ph: 033 4001 2300-42
F: +91 33 2386 5126
E: corporate@birlacorp.com

BCL/Bikram/PCCF/23-24/01

04th July 2023

To
The Principal Chief Conservator of Forest,
(Land Management) and Nodal Office (FC ACT),
Satpura Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh

Reference:

1. DFO Shahdol Letter bearing no. मा.चि./2022/ 2924 dt.01.06.2022
2. Challan Application No. 5849537689 dt.30.06.2023 and MoEF File No. 8-34/2021-FC

Sub: Payment of NPV amount for Bikram Coal Mines.

Dear Sir,

We write with reference to letter bearing no. मा.चि./2022/ 2924 dt.01.06.2022 for payment of INR 16,30,75,051/- toward NPV amount into the Madhya Pradesh CAMPA Account for Bikram Coal Mines.

We hereby submit the NPV payment (RTGS) detail of INR 16,30,75,051/- (Indian Rupees Sixteen Crore Thirty Lac Seventy Five Thousand Fifty One only) against the generated Challan Application No. 5849537689 dt.30.06.2023 into the Madhya Pradesh CAMPA Account towards the NPV amount raised for Bikram Coal Mines.

Your Sincerely,
For Birla Corporation Limited

(Authorised Signatory)
Name: Bhupendra Singh Chaudhary
Designation: Vice President (Mines)

Enclosure:

1. Copy of Challan Application No. 5849537689 dt.30.06.2023
2. NPV Payment (RTGS) detail

CC:

1. DFO (South), Shahdol (MP)
2. CCF, Shahdol (MP)



o/c

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल
जिला-शहडोल 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या-240304) (निवास-241443) (फैक्स-240304) ई-मेल- dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/ २१२५

शहडोल, दिनांक : ०१/६ /2022

प्रति,

मे० बिरला कार्पोरेशन
लिमि० सतना, कैम्प बुद्धार
जिला-शहडोल (म०प्र०)

विषय :- वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुद्धार के वन कक्ष आर.एफ. 827 एवं आर.एफ. 828 के रकवा 142.075 हे० वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 9.020 हे० राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हे० वनभूमि में विक्रम कोल ब्लॉक ओपन काष्ठ/भूमिगत कोयला उत्खनन तथा अन्य उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का-मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक-FP/MP/MIN/49537/2020

संदर्भ :- 1-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-34 /2021-एफ.सी. दिनांक 21.04.2022
2-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022
3-आपका पत्र क्रमांक/13/22 दिनांक 23.05.2022

-☆☆☆-

निवेदन है कि विषयांकित संदर्भित पत्र क्रमांक-01 से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति शर्त प्रदान की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार भारत सरकार के शर्त क्रमांक A(i) के अनुपालन में वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत कुल 55.811 हे० गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 11 वर्षीय तैयार की गई योजना की कुल राशि 23523610.00 एवं एन.पी.व्ही. की राशि ओपन माईन्स रकवा 114.372 हे० की भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर 1292850.00 से 147865840.00 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5/16/2000 /10-03 दिनांक 12.09.2008 से जारी निर्देशों के तहत भूमिगत कोल माईन्स में 50 प्रतिशत छूट के उपरान्त रकवा 36.723 हे० राशि 23738665.00 कुल राशि 171604505.00 का मांग पत्र भेजा गया था।

//2//

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022 से लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश में ईको क्लास-III : Tropical Dry Deciduous Forest पाया जाता है प्रस्तावित वनक्षेत्र के ईको क्लास का पुनः परीक्षण/गणना कर एन पी व्ही. की राशि का निर्धारण कर आवेदक संस्थान को मांग पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः जारी निर्देशानुसार ईको क्लास-III के डेन्स अनुसार भारत सरकार के शर्त क्रमांक A(ii) के अनुपालन में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि कुल प्रभावित वनभूमि 151.095 हे० में से ओपन काष्ट माईन्स का रकवा 114.372 हे०, दर 1228590.00 से 140516296.00 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5/16/2000 /10-03 दिनांक 12.09.2008 से जारी निर्देशानुसार भूमिगत कोल माईन्स में 50 प्रतिशत छूट के उपरान्त रकवा 36.723 हे० राशि 22558755.00 कुल राशि 163075051.00 (रुपये सोलह करोड तीस लाख पचहत्तर हजार इक्यावन) एवं शर्त क्रमांक A(i) के अनुपालन में वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अन्तर्गत कुल 55.811 हे० गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना 11 वर्षीय की कुल राशि 23523610.00 की तैयार की गई जिसमें वृक्षारोपण राशि 21385100.00 (रुपये दो करोड तेरह लाख पचासी हजार एक सौ मात्र) ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करें एवं पर्येक्षण शुल्क की राशि 2138510.00 मध्यप्रदेश कोषालय एवं डी.डी. के माध्यम से जमा करें जो वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल के नाम देय हो राशि जमा उपरान्त जमा पर्ची एवं भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का मान्य करने बावत् वचन पत्र एवं पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में 5 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध करावें।

वनमण्डलधिकारी

दक्षिण वनमण्डल शहडोल

शहडोल, दिनांक : /2022

पृ०क्रमांक/मा.चि./2022/

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/F-1/829/2021/10-11/1871 दिनांक 26.05.2022 के पालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलधिकारी

दक्षिण वनमण्डल शहडोल

6/06/2022

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-06-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537689
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, KolkataKolkata
Amount(In Rs)	163075051/-

Amount in Words :Sixteen Crore Thirty Lakh Seventy-Five
Thousand and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537689 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-06-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537689
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, KolkataKolkata
Amount(In Rs)	163075051/-

Amount in Words :Sixteen Crore Thirty Lakh Seventy-Five
Thousand and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537689 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



Birla Corporation Limited

Corporate Office
1, Shakespeare Sarani,
K.C. Market 2nd Flr, Kolkata 700 071
P: 033 6603 3300-02
E: +91 033 2388 4416
E: corporate@birlacorp.com

Bikram Coal Mines – NPV Payment Detail

Debit Account Number	Credit Account Number	Beneficiary IFSC Code	Product Type	Amount	Beneficiary Name	Date	UTR no.
30015783306	150765849537680	UBIN0996335	RTGS	INR 16,30,75,051/-	Madhya Pradesh CAMPA	04.07.2023	SBIR012823370458890438

(Authorised Signatory)


Name: Bhupendra Singh Chaudhary

Designation: Vice President (Mines)


न्यायालय नायब तहसीलदार सौंसर राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

भागला क्रमांक / 113 / अ-6 / 2024-25

(अ)	(ब)
<p>12/06/2024</p>	<p>प्रकरण गैस।</p> <p>प्रकरण का दक्षिण विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक मध्यप्रदेश शासन दक्षिण वन मण्डल छिन्दवाड़ा विभाग की ओर से दीपक तिरपुड़े वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा मौजा-गौडीवाडोना, पट्टन-54/55, तहसील-सौंसर, जिला-पादुणा में स्थित भूमि खन 75 में से रकबा 2550 हे लगान 10.00 रुपये तक भूमिस्वामी की भूमि पर पंजीकृत दान पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रकरण दर्ज किया जाकर माम में ईस्तहार का प्रकाशन करवाया गया। समयावधि में कोई आपत्ति आक्षेप प्राप्त नहीं।</p> <p>हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जो कि प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1, एवं पचनामा प्रदर्श पी-2 है, जिस पर हल्का पटवारी के हस्ताक्षर अंकित है। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गौडीवाडोना, पट्टन-54/55, तहसील-सौंसर, जिला-पादुणा में स्थित भूमि खन 75 में से रकबा 2550 हे लगान 10.00 रुपये तक भूमिस्वामी की भूमि दानग्रहिता मध्यप्रदेश शासन दक्षिण वन मण्डल छिन्दवाड़ा विभाग की ओर से दीपक तिरपुड़े वन परिक्षेत्राधिकारी ने दानदाता बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड विक्रम कोल प्रोजेक्ट शहडोल म.प्र. की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भूपेन्द्र सिंह चौधरी पिता स्व. भूलाल सिंह निवासी अछनेरा रोड गीता कॉलोनी भरतपुर (राजस्थान) से पंजीकरण की तिथि 13/05/2024 ई-पंजीकरण सख्या MP078232024A1574015 के अनुसार दान ग्रहण किया है। दान की हुई भूमि पर दानग्रहिता का नाम दर्ज हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अतः पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 आवेदक के शपथ प्रकरण में लगे दरतावेजों के आधार पर म.प्र.मुरासहिता-1959 की धारा 109-110 के अध्याधीन रहते हुए प्रकरण में प्रस्तुत किये गये उक्त दान पत्र के आधार पर मौजा-गौडीवाडोना, पट्टन-54/55, तहसील-सौंसर, जिला-पादुणा में स्थित भूमि खन 75 में से रकबा 2550 हे लगान 10.00 रुपये दानग्रहिता वन विभाग वनमंडलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल छिन्दवाड़ा म.प्र. शासन की ओर से दीपक तिरपुड़े के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख हल्का पटवारी द्वारा दुरुस्त हो, तत्परचात प्रकरण नस्तोबद्ध कर दाखिल अभिलेखागार हो।</p>


 नायब तहसीलदार
 सौंसर
 सौंसर (म.प्र.)

प्रतिलिपी आ. पत्र क्रमांक 30981/2024
 न्यायालय का नाम न.ा. त.ह. सौंसर
 राजस्व/दा.प्र.क्रमांक 113/अ-6/2024-25
 पत्रकार का नाम म.प्र. शा. दत्ता. तिल म.प्र.
 दि. 26/6/24


 प्राधिकृत अधिकारी
 लोकसेवा केन्द्र सौंसर
 (समाधान 1 दिन)




न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त बरौधा तहसील मझगवां जिला सतना (म0प्र0)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

प्रकरण क्रमांक. 640/अ-6/2023-24

1	2	3
13/06/2024	<p>प्रकरण आदेशार्थ नियत । प्रकरणका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । आवेदक/दानगृहीता मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा म0प्र0 भू-रा0 संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मौजा बरहा पटवारी हल्का जवारिन की आ. नं. 10/1 रकवा 1.2860 हे. का अंश रकवा 1.2290 हे., आ.नं. 10/2 रकवा 1.9910 हे., आ.नं. 13 रकवा 0.0850 हे., आ.नं. 14 रकवा 0.1740 हे., आ.नं. 15/2 रकवा 3.7230 हे. का अंश रकवा 1.7290 हे., आ.नं. 69/2/2 रकवा 8.0930 हे., आ.नं. 16/2/2 रकवा 1.5090 हे., आ.नं. 16/2/1 रकवा 1.3240 हे., आ.नं. 23/1 रकवा 1.2140 हे., आ.नं. 23/2/1/1 रकवा 2.5630 हे., आ.नं. 23/2/1/2 रकवा 1.2150 हे., आ.नं. 23/2/1/3 रकवा 1.2150 हे., आ.नं. 23/2/2/2 रकवा 4.0500 हे., आ.नं. 28/1 रकवा 1.2140 हे., आ.नं. 67/1 रकवा 6.0700 हे. कुल कित्ता 15 कुल दान रकवा 33.6750 हे. जरिए रजिस्टर्ड दान विलेख क्रमांक MP348622024A1610054 दिनांक 20.05.2024 के आधार पर नामांतरण हेतु दावा प्रस्तुत किया गया ।</p> <p>प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इशतहार का प्रकाशन किया गया । कोई आक्षेप प्राप्त नहीं । तथा हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया ।</p> <p>प्रकरण में पेश तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा दावा, दान पत्र विलेख की प्रति, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नोटरीज्ड हलफनामा के साथ जवाबदाव प्रस्तुत किया गया । जिसमें आवेदित भूमि का अनावेदक/दानकर्ता भूमिस्वामी के द्वारा दान कर आवेदक/दानगृहीता म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री दान पत्र संपादित करा दिया है</p> <p>अतः म0प्र0 भू-रा0 संहिता 1959 की धारा 109, 110 के विहित प्रावधानों तहत मौजा बरहा पटवारी हल्का जवारिन की आ. नं. 10/1 रकवा 1.2860 हे. का अंश रकवा 1.2290 हे., आ.नं. 10/2 रकवा 1.9910 हे., आ.नं. 13 रकवा 0.0850 हे., आ.नं. 14 रकवा 0.1740 हे., आ.नं. 15/2 रकवा 3.7230 हे. का अंश रकवा 1.7290 हे., आ.नं. 69/2/2 रकवा 8.0930 हे., आ.नं. 16/2/2 रकवा 1.5090 हे., आ.नं. 16/2/1 रकवा 1.3240 हे., आ.नं. 23/1 रकवा 1.2140 हे., आ.नं. 23/2/1/1 रकवा 2.5630 हे., आ.नं. 23/2/1/2 रकवा 1.2150 हे., आ.नं. 23/2/1/3 रकवा 1.2150 हे., आ.नं. 23/2/2/2 रकवा 4.0500 हे., आ.नं. 28/1 रकवा 1.2140 हे., आ.नं. 67/1 रकवा 6.0700 हे. कुल कित्ता 15 कुल दान रकवा 33.6750 हे. जरिए रजिस्टर्ड दान विलेख क्रमांक MP348622024A1610054 दिनांक 20.05.2024 के आधार पर अनावेदक/दानकर्ता मेसर्स बिला कापोरेशन लिमिटेड यूनिट सतना सीमेन्ट वर्क्स जिला सतना (म0प्र0) के स्थान आवेदक/दानगृहीता मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के नाम स्वीकृत किया जाता है । रजिस्टर्ड दान विलेख प्रदर्श पी-1 एवं पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 आदेश का मुख्य अंग होगा । मुताबिक आदेश हल्का पटवारी अभिलेख दुरुस्त करें । प्रवाचक सर-भाग टीप करें । बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर संचित अभिलेखागार हो ।</p> <p>नायब तहसीलदार वृत्त बरौधा तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0</p>	

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र
सामला क्र. 307/अ-8/2021-22

(1)	(2)	(3)
<p>23/6/2022</p>	<p>प्रकल्प कार्यालय लिया गया।</p> <p>संश्लेष विवरण इस प्रकार है कि आदेशक वन विभाग माध्यम शासन की ओर से नरेन्द्र कुमार रवि शिवा खिलानी सार्वजनिक वन परिसर/अधिकारी केवासी, सहयोगी जयपुर, जिला-शहडोल माध्यम शासन के नाम पर 43 च.वि.म. संपत्ति, विभागाध्यक्ष बुधर, सहयोगी जयपुर, जिला-शहडोल माध्यम शासन के नाम पर क्रमांक 1 रकबा 3.076 हे. 2/2 रकबा 1.375 हे. 2/3/3 रकबा 1.059 हे. 2/3/4 रकबा 0.859 हे. 7/2/1 रकबा 0.364 हे. 7/2/2 रकबा 0.365 हे. 9/2 रकबा 3.998 हे. 10/1 रकबा 0.045 हे. 10/2 रकबा 0.190 हे. 11/2 रकबा 3.237 हे. 12 रकबा 0.648 हे. 39/1 रकबा 4.727 हे. 39/2 रकबा 4.047 हे. 40/1 रकबा 4.856 हे. 41/1 रकबा 4.345 हे. 41/2/2 रकबा 2.025 हे. 44 रकबा 0.433 हे. 45 रकबा 2.310 हे. 46 रकबा 0.849 हे. 49/1 रकबा 0.704 हे. 49/2 रकबा 1.610 हे. 56 रकबा 1.151 हे. 62/1 रकबा 4.452 हे. 62/2 रकबा 1.672 हे. 4/1 रकबा 0.547 हे. 4/2 रकबा 0.547 हे. 13 रकबा 0.599 हे. 14 रकबा 0.077 हे. 15 रकबा 0.514 हे. 16 रकबा 0.210 हे. 17 रकबा 0.522 हे. 18 रकबा 0.077 हे. 19 रकबा 0.129 हे. 20 रकबा 0.368 हे. 21 रकबा 0.142 हे. 22 रकबा 0.040 हे. 47 रकबा 0.324 हे. 53 रकबा 1.428 हे. 54 रकबा 0.251 हे. 55/2 रकबा 0.218 हे. कुल 40 किंवा कुल रकबा 55.811 हे. भूमि आदेशक/दादाका/मैसर्स मैसर्स बिना कार्यालय लिमिटेड रकबा सीमेंट नया विमान पोल प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भू-दे-विह-शेरी निवासी-अजमेरा रोड गीता कालोनी मन्सूर राजस्थान के बलाय माध्यम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1989 की धारा 109, 110 के तहत जारी ई-पंजीयन दान पर क्रमांक M11378582022A1547938 दिनांक 26/05/2022 के अधिनियम से दान ही नई भूमि का नामांकन आदेशक अपने नाम करने वाले हेतु यह आदेशक पर प्रस्तुत किया है।</p> <p>प्रकल्प पंजीयन किया जाऊँ उद्देश्य का प्रमाण कराया गया जिसमें किसी प्रकार की अप्रति या अप्रति प्राप्त नहीं हुई। प्रकल्प में आदेशक के द्वारा आदेशक के नाम नामांतरण किंवा जाने बाक्य हाथ पर निष्पादित कर कर नामांतरण किंवा जाने की सहमती व्यक्त की गई है।</p> <p>पटवारी हल्का से जाँच प्रतिवेदन लिया गया जो प्रकल्प में संतान है। पटवारी हल्का द्वारा अपने प्रतिवेदन में बाटे गये नामांतरण के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी गई है।</p> <p>दान पर सम्पत्त रूप से पंजीयन (4 मुद्रांकित है, दादाका/मैसर्स भूमि के खतरे में भूमिखाने के रूप में दर्ज है। पंजीयन दान पर के द्वारा भूमि का पंजीयन करवाया गया दादाका दादाका दादाका को सौंप देने के पश्चात् दादाका/मैसर्स को सारा संपत्ति हो जाती है, तथा दादाका/मैसर्स का अधिक रूप से स्वत्व भूमि में प्राप्त हो जाता है तथा दादाका/मैसर्स को नाम नामांतरण किंवा जाने की अधिकारिता इस आधार पर कि आदेशक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1989 की धारा 109/110 के अधिनियम प्राप्त हो जाती है।</p> <p>आ: माध्यम भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधिनियम के तहत आदेशक द्वारा प्रस्तुत आदेशक पर में प्राप्त पटवारी प्रतिवेदन, रजिस्टर्ड दान पर प्रकल्प में संतान संपत्ति दादाका/मैसर्स के आदेशक पर नाम निम्नार्थ पटवारी रकबा भू-दे-विह-शेरी नं. 43 च.वि.म. संपत्ति, विभागाध्यक्ष बुधर, सहयोगी जयपुर, जिला-शहडोल माध्यम शासन के नाम पर क्रमांक 1 रकबा 3.076 हे. 2/2 रकबा 1.375 हे. 2/3/3 रकबा 1.059 हे. 2/3/4 रकबा 0.859 हे. 7/2/1 रकबा 0.364 हे. 7/2/2 रकबा 0.365 हे. 9/2 रकबा 3.998 हे. 10/1 रकबा 0.045 हे. 10/2 रकबा 0.190 हे. 11/2 रकबा 3.237 हे. 12 रकबा 0.648 हे. 39/1 रकबा 4.727 हे. 39/2 रकबा 4.047 हे. 40/1 रकबा 4.856 हे. 41/1 रकबा 4.345 हे. 41/2/2 रकबा 2.025 हे. 44 रकबा 0.433 हे. 45 रकबा 2.310 हे. 46 रकबा 0.849 हे. 49/1 रकबा 0.704 हे. 49/2 रकबा 1.610 हे. 56 रकबा 1.151 हे. 62/1 रकबा 4.452 हे. 62/2 रकबा 1.672 हे. 4/1 रकबा 0.547 हे. 4/2 रकबा 0.547 हे. 13 रकबा 0.599 हे. 14 रकबा 0.077 हे. 15 रकबा 0.514 हे. 16 रकबा 0.210 हे. 17 रकबा 0.522 हे. 18 रकबा 0.077 हे. 19 रकबा 0.129 हे. 20 रकबा 0.368 हे. 21 रकबा 0.142 हे. 22 रकबा 0.040 हे. 47 रकबा 0.324 हे. 53 रकबा 1.428 हे. 54 रकबा 0.251 हे. 55/2 रकबा 0.218 हे. कुल 40 किंवा कुल रकबा 55.811 हे. भूमि के दादाका/मैसर्स- मैसर्स मैसर्स बिना कार्यालय लिमिटेड रकबा सीमेंट नया विमान पोल प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भू-दे-विह-शेरी निवासी-अजमेरा रोड गीता कालोनी मन्सूर राजस्थान के बलाय आदेशक/दादाका/मैसर्स - वन विभाग माध्यम शासन की ओर से नरेन्द्र कुमार रवि शिवा खिलानी सार्वजनिक वन परिसर/अधिकारी केवासी, सहयोगी जयपुर, जिला-शहडोल माध्यम शासन के नाम नामांतरण स्वीकार किया जाता है। आदेशक सुचित हो। पटवारी हल्का अधिकारियों में संशोधन कर फालत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बाद कार्यवाही प्रकल्प दादाका से वन अधिकार संपत्ति अधिकारिता पर हो।</p>	<p style="text-align: right;">  सहयोगी जयपुर जिला शहडोल (म.प्र.) </p>

Digitally signed by Chandis Kumar Wale
Date: 2022.06.29 19:24:05 +05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH

(1)

(2)

(3)

2/8/22

प्रकरण अवलोकनांत एत अवेदन हेतु किता गया प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि अवेदन मासिकेन प्रमाण, वन विभाग की ओर से जेठेन्द्र शिवाजी भोज समर्थक शिवाजी, वन पार्श्वोपाधिकारी, वन परिदेय सिखौर, किराडी रीवा द्वारा संजरेड वन पत्र क्रमांक MP326532022A1581324 दिनांक 21.08.2022 के आधार पर भाग शेडोरी, पटवारी तहका सरई, थकिम, लालगांव, तहसील सिंगौर, जिला रीवा की भूमि खसरा क्रमांक 44/2 रकबा 8.289 हे. ख.क्र. 45/2 रकबा 5.460 हे, ख.क्र. 47/2 रकबा 3.645 हे, ख.क्र. 48 रकबा 0.207 हे, ख.क्र. 49 रकबा 1.348 हे, ख.क्र. 50 रकबा 2.221 हे, ख.क्र. 51 रकबा 0.652 हे, ख.क्र. 52 रकबा 0.684, कुल 8 कित्ता, कुल रकबा 22.376 हे. वन अर्जांतरण हेतु अवेदन पत्र पेश किया गया है। इशतहार प्रकाशना में कोई अर्जांतरण पेश नहीं। विक्रेता/दाजदारा का सह्याति का जवाब टाका पेश है। प्रकरण अवेदनित है। अतएव अवेदनित भूमि का अर्जांतरण विक्रेता/दाजदारा मेसर्स विस्वा कारपेरेशंस लिमिटेड यूनिट सातवा सीरिजेंट तवर्स, विक्रम कोल प्रोबेपट श्राहडोल, म.प्र. की ओर से अधिकृत भूवेन्द्र सिंह चौधरी आ. भूतल सिंह चौधरी के बजाय अवेदक मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का नाम स्वीकार किया जाना है। तदनुसार सूचना पटवारी ऑनलाइन दुरुस्त करें। प्रकरण सादर तहसीलदारी तायश से कम होकर वापिस वापस रहे।

29/08/22

नाथब तहसीलदार
तहसील सिंगौर जिला-रीवा (म.प्र.)

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2024—आषाढ़ 21, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) राज दत्तन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत के अधिसूचनाएं, (7) डॉ. क. भागा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रकर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरस्कृत विधेयक, (ख) (1) अन्वेषण, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्राकृत नियम, (2) अतिरिक्त नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रीलय, अल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जू. 2024

क्र. एक/1 (२) 1/3 1997 व ७ दो.- राज्य शासन, राजधरा, श्री चंचल शेखर, भापुरे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 1 से 3 जुलाई 2024 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-30 जून व 5-7 जुलाई 2024 के विराम अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत इन्फो चान्ना अंतर्गत लेड जाते हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नांकित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री चंचल शेखर — पत्नी
2. श्रीमती अभिसरिका शेखर — पत्नी

3. सुश्री ख्याति शेखर — पुत्री

4. श्री अदुल्य शेखर — पुत्र

(2) श्री चंचल शेखर, भापुरे, के अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य ही आदर्श कॉलेज, भापुरे, अति. पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश में लौटने पर श्री चंचल शेखर, भापुरे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, रथनाथन अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर प्रा: पदस्थ किया जाना है.

(4) श्री चंचल शेखर, भापुरे, द्वारा अगला कार्यभार ग्रहण करते पर कनिष्ठक (7) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी व्यवस्था कार्यभार से मुक्त होंगे.

१३15

(5) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर, भापुरे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर, भापुरे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 25 जून 2024

क्र. एफ 1 (ए) 195-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विजय कटारिया, भापुरे, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 21 जून 2024 का (एक दिवस) आधिकारिक अवकाश एवं दिनांक 23 व 24 जून 2024 के (दो दिवस) ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 22-23 जून 2024 के विज्ञापन अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर चंडीगढ़ जाने हेतु अवकाश लाभ सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश ग्राहीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री विजय कटारिया — स्वयं
2. श्रीमती संगीता कटारिया — पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुरे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुरे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुरे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 26 जून 2024

क्र. एफ 1 (ए) 193-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुरे, उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड्स एसडीआईआरएफ को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 से 28 जून 2024 तक, पांच दिवस आधिकारिक अवकाश एवं 29-30 जून 2024 के विज्ञापन अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भगवा भ्रमा अंतर्गत बसन्त, शीतल, लोह, लतामूल जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री मनीष कुमार अग्रवाल — स्वयं
2. श्रीमती सुरभी अग्रवाल — पत्नी

3. सुखी निषदि अग्रवाल — पुत्री

4. श्री गगन अग्रवाल — पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुरे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड्स एसडीआईआरएफ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुरे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2024

क्र. एफ 1 1 9 01 2023 व 7 दो.—राज्य शासन, श्री नरेन्द्र रावत, भापुरे, सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुर, जोन-2, नारीय पुलिस, जिला इंदौर को प्रथम संतान प्राप्ति होने पर दिनांक 1 से 15 जुलाई 2024 तक, चन्द्र दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री नरेन्द्र रावत, भापुरे, के अवकाश अवधि में सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा, जोन-2, नारीय पुलिस, जिला इंदौर का चातु कार्य श्री कुन्दन मण्डलोई, भापुरे, सहायक पुलिस आयुक्त, यजमाना, जोन-2, नारीय पुलिस, जिला इंदौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र रावत, भापुरे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, जोन-4, नारीय पुलिस, जिला इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नरेन्द्र रावत, भापुरे, द्वारा अपनी कार्यभार ग्रहण करने पर अधिकांश (7) में अधिरिका कार्यभार हेतु निर्दिष्ट अधिकारी त्यागेय कार्यभार ले ली जायेगी।

(5) अवकाशकाल में श्री नरेन्द्र रावत, भापुरे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेन्द्र रावत, भापुरे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024

क्र. 167-2106371-2024-ब-2-दे.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री अमिता सांघी, भापुरी, जय पुलिस महाविद्यालय, विद्यमल (नध्यक्षेत्र), भोपाल को दिनांक 22 जुलाई से 5 अगस्त 2024 तक पन्द्रह दिवस अतिरिक्त अवकाश एवं दिनांक 20-21 जुलाई 2024 के विदाय अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में यूनाईटेड किंगडम की निजी विदेश यात्रा (Ex-Gratia Leave) निर्मातृलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का जंग राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जानेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आदिश्व स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री अमिता सांघी, भापुरी, के अवकाश अवधि में जय पुलिस महाविद्यालय, विद्यमल (नध्यक्षेत्र), भोपाल का कार्य प्रभार श्रीमती मीनिका शुक्ला, भापुरी, एवं पुलिस महाविद्यालय, विद्यमल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ साथ सम्पादित किया जाएगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमिता सांघी, भापुरी, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थापना रूप से जय पुलिस महाविद्यालय, विद्यमल (नध्यक्षेत्र), भोपाल के पद पर पुनः प्रस्थित किया जाता है।

(4) श्री अमिता सांघी, भापुरी, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर केंद्रिक-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्दिष्ट अधिकारी स्वयंसेवक कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अमिता सांघी, भापुरी, को अवकाश वेतन एवं भत्ता वस्तु प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमिता सांघी, भापुरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. 1672-2089836-2024-ब-2-दे.—राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती प्रज्ञा कृष्णा श्रीवास्तव, भापुरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5 से 16 अगस्त 2024 तक बारह दिवस अतिरिक्त अवकाश एवं दिनांक 3-4 व 17-18 अगस्त 2024 के विदाय अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में कोलंबिया (यू.एस.ए.) की निजी विदेश यात्रा (Ex-Gratia Leave) निर्मातृलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का जंग राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जानेगा।

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आदिश्व स्वीकार नहीं करेंगे।

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्रीमती प्रज्ञा कृष्णा श्रीवास्तव, भापुरी, के अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य प्रभार श्री राजेश गुप्ता, भापुरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अज्ञात), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाएगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा कृष्णा श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थापना रूप से, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः प्रस्थित किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रज्ञा कृष्णा श्रीवास्तव, भापुरी, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर केंद्रिक-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्दिष्ट अधिकारी स्वयंसेवक कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा कृष्णा श्रीवास्तव, भापुरी, को अवकाश वेतन एवं भत्ता वस्तु प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा कृष्णा श्रीवास्तव, भापुरी, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलाजी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जून 2024

क्र. 1701-2089836-2024-ब-2-दे.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के पूर्व आदेश क्र. 1033-2089836-2024-ब-2-दे, दिनांक 2 अप्रैल 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर-इंटीर-वालिअर में नियुक्त तथा 1256-2089836-2024-ब-2-दे, दिनांक 7 मई 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली में नियुक्त विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनांक 30 जून 2024 तक की अभिवृद्धि को नहीं है। उक्त समय विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनांक 30 जुलाई 2024 तक की अभिवृद्धि को नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल शिवाच, सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024

नंजी क्र. 1831-2024 इफलेस व (दो).—राज्य शासन, एनडीए, राहतोल कुसमी, जिला लोधी में विभागीय आदेश दिनांक 3 अगस्त 2016 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री लक्ष्मण प्रसाद शुक्ल को उनके द्वारा प्रेषित लागू-पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा मंथारित नोटरी पंजी से हटाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अपर सचिव,

महिला एवं बाल विकास विभाग

नंत्रालय, वल्लभ पवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024

क्र. 1449-1784165-2024-गन्नास-2.—राज्य शासन के विभागीय पत्र क्र. 664-1784165-2023-गन्नास-2, दिनांक 14 नवंबर 2024 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों को देख-रेख और संरक्षण) नियम, 2022 (मूल नियम 2016) के नियम 87 के तहत भारत राज्यस्तरीय जवन समिति की नामांकित सदस्य श्रीमती विजया रामकृष्ण, भोपाल के आकाशिक निधन होने से उनके स्थान पर श्री रवींद्र सक्सेना, जिला जतना क मनोनयन किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पाधवी नगेंद्र, उपसचिव,

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2024

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-1-4-25-र.स.-यू.ए.1-511.—नानाजी देवमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अम्बिकन्याम, 2009 (क्र. 16 सन् 2009) को धारा 11 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत नानाजी देवमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, बलरघु के नियमित कुलाधिपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4-25 त.य. यू.ए.: 582, दिनांक 16 मई 2024 के द्वारा डॉ. अतेंदर कुमार शुक्ला, कुलाधिपति, राजभवन विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मन्डलवार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में श्री गुरुशंकर चपर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, नंत्रालय, भोपाल एवं डॉ. ए.के. मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली तय है।

2. समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना है, परन्तु, किन्हीं कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह को समयबद्धि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करने में कठिनाई व्यक्त की गई है।

3. अतः, कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयबद्धि में छः सप्ताह की और बृद्धि की गई है।

कुलाधिपति, नानाजी देवमुख, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, बलरघु के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

नंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2024

क्र. एफ 11-29-2024-ठन्दीरा-2.—इस विभाग के उपसंरक्षक आदेश दिनांक 16 02-2024 एवं 07-05-2024 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड एफडीआरएल (डी) (ए) (डी), (ई) (एफ) द्वारा उद्घाटन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती स्मिता भारद्वाज, अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को कार्यभार ग्रहण के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

क्र. एफ 11-29-2024-ठन्दीरा-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड एफडीआरएल (डी) (ए) (डी), (ई) (एफ) के अंतर्गत उद्घाटन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती स्मिता भारद्वाज, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष का प्रभार सौंपता है।

2. यह आदेश कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री. के. चन्देल, उपसचिव,

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ नगर, भोपाल

नेपाल, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्रमांक / 1312 / आर-2134669 / 2024 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों के नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपमेंदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 22°16'55.822" से N 22°17'12.849" उत्तर अक्षांश तथा E 78°42'35.643" से E 78°42'57.574" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुराची

जिला :- छिन्दवाड़ा

तहसील :- तामिया

वनमण्डल :- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल

वन परिक्षेत्र :- तामिया

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मूदा	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	लहगडुआ (सीए-2)	लहगडुआ	शासकीय भूमि (मद पहाड़ चट्टान)	71/1/1/3	13.425	उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 18 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 31 से 33 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 33 से 44 एवं 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				कुल योग	13.425	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 0-एम.पी.आर.020/2022-बी.एच.ओ. दिनांक 12.05.2023 में अधिसूचित शर्तों के अनुसार म.प्र. रण्डक विजस निगम लिमिटेड की स्वीकृत परियोजना नीमढना-हिरदागढ़-नर्वेगाव-बिंदरई-बोरदेही मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) के निर्माण हेतु प्रभावित 13.425 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.425 हेक्टेयर राजस्व भूमि (मद पहाड़ चट्टान) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से वनमण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 003/अ-19(4)/2021-22 दिनांक 19.08.2021 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परास्मिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।
- अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024

क्र. 1317 आर-2134669-2024 दर-3.- नरस के संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (2) के अन्वयेण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1312-आर-2134669-2024-दर-3, दिनांक 10 जुलाई 2024 का श्रेणी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इस द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 10th July 2024

No./312/R-2134669/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government from time to time. This forest blocks lies between N 22°16'55.822" to N 22°17'12.849" North Latitude and E 78°42'35.643" to E 78°42'57.574" East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara

Tahsil - Tamia

Forest Division - West Division Chhindwara

Forest Range - Tamia

S.N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lehgadua (CA-2)	Lehgadua	Government (Pohad chattan)	71/1/1/3	13.425	North - Artificial forest block boundary from Pillar number 1 to 18 of Proposed forest block. East - Artificial forest block boundary 18 to 31 of Proposed forest block. South - Artificial forest block boundary from Pillar number 31 to 33 of Proposed forest block. West - Artificial forest block boundary from Pillar number 33 to 44 and 1 of Proposed forest block.
				Total	13.425	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's order No 6-MPR020/2022-BHC dated 12.05.2023 and in lieu of 13.425 hectare forest land affected in construction of Neemdhana- Hirdagadh-Nawagan-Bindrai-Bordchi Road of M.P. Road Development Corporation, the above mentioned Revenue Land of 13.425 hectare transferred/mutated in favour of DFO West Chhindwara Division, Forest Department by order No 003/A-19(4)/2021-22 dated 19.08.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Patasia, District Chhindwara are as under.

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024

क्रमांक/1318 /आर-2134627/2024/10-8 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/संबन्धों को नोटों की अनुसूची में एल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जाते तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/संशोधित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में भूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 24°52'56.0798" से N 24°53'21.5171" उत्तर अक्षांश तथा E 81°31'19.458" से E 81°31'40.230" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- रीवा
वनखण्ड :- रीवा

तहसील :- सिरमौर
वन परिक्षेत्र :- सिरमौर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान गठ	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	गोला पहाड़ (r)	सोदीही	निजी भूमि	44/2 45/2 47/2 48 49 50 51 52	1.2989 5.480 3.645 0.077 1.348 2.22 3.852 0.004	उत्तर - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 20 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 20 से 21 तक कृत्रिम वन सीमा तथा मुनारा क्रमांक 21 से 23 एवं 1 तक आर्किया वन खण्ड गोल पहाड़ के कक्ष क्रमांक 102 की सीमा।
			कुल योग	06	22.376	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- वनमण्डल रीवा अन्तर्गत विक्रम कोल ब्लॉक ओपन कास्ट/अप्टर ग्राउण्ड कोल माइनिंग परियोजना में प्रभावित वनभूमि रकबा 151.095 हेक्टेयर के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु 22.376 हेक्टेयर गैर वनभूमि (निजी भूमि) तहसीलदार सिरमौर के आदेश क्रमांक 0180/अ-6/2022-23 दिनांक 29.08.2022 से प्राप्त हुई है। जिसका प्रभावित रकबे अनुसार खसरा क्रमांक 44/2 रकबा 8.289 हेक्टेयर, 45/2 रकबा 5.460 हेक्टेयर, 47/2 रकबा 3.645 हेक्टेयर, 48 रकबा 0.077 हेक्टेयर, 49 रकबा 1.348 हेक्टेयर, 50 रकबा 2.221 हेक्टेयर, 51 रकबा 0.652 हेक्टेयर, 52 रकबा 0.684 हेक्टेयर कुल रकबा 22.376 हेक्टेयर में बटांकन कर वन विभाग को हस्तांतरित हुई है।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अनुविभाग सिरमौर जिला रीवा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा व देशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

नेपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024

क्र. 1318 आर 7134627 2024 दस्त-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुरोध में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1318 आर 7134627-2024 दस्त 3, दिनांक 10 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

Bhopal, the 10th July 2024

No./ 13187R-7134627/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition, that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that state Government from time to time. This forest block lies between N 24°52'56.0798" to N 24°53'21.5171" North Latitude and E. 81°31'19.458" to E 81°31'40.220" East Longitude.

SCHEDULE**District - Rewa****Forest Division - Rewa****Tahsil - Sirmour****Forest Range - Sirmour**

S.N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gonda Pahad (I)	Roujhoni	Personal Land	44/2 45/2 47/2 48 49 50 51 52	8.289 5.460 3.645 0.077 1.348 2.221 0.652 0.684	North - Proposed forest block Pillar number 1 to 7 Artificial forest block boundary. East - Proposed forest block pillar number 02 to 7 Artificial forest block boundary. South - Proposed forest block Pillar number 7 to 20 Artificial forest block boundary. West - Artificial forest boundary from Pillar no. 20 to 21 and boundary of Reserve Forest block Gonda Pahad compartment number 102 from Pillar number 21 to 23 and 1.
			Total:	08	22.376	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. Forest land affected by the construction of Bikram Coal Block/Open Cast underground Coal Mining Project in Forest Division for Diversion of 151.045 ha. To 22.376 ha. non forest land has been obtained from Tashildar Sirmour for compensatory afforestation by order no 0180/A 6/2022. 23 dated 29 08 2022 And Forest. Whose affected area Khasra No. 44/2 area 8.289 ha, 45/2 area 5.460 ha, 47/2 area 3.645, 48 area 0.077 ha, 49 area 1.348 ha, 50 area 2.221 ha, 51 area 0.652 ha, 52 area 0.684 ha Total 22.376 ha respectively

2. Detail of other Reasons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Sirmour District Rewa are as under.

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

कायोलख, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजरव विभाग

सतना, दिनांक 11 मर्च् 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र. 832-अ-82-23-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेख नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वासि 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित नागरिकों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ साथ ही उल्लेखित धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्राथमिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संशोधन नहीं करेगा. य कोई संशोधन नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समकाल तक भूमि पर कोई विस्तार न सुचित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. मे.) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बैरहोहनु	नयागांव	22.2635	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौर जिला सतना (म.प्र.)	बस्ती व्यवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौर शाखा तहसील की तेल विरियन निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 28 जून 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1203-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेख नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वासि 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित नागरिकों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ साथ ही उल्लेखित धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्राथमिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संशोधन नहीं करेगा. य कोई संशोधन नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समकाल तक भूमि पर कोई विस्तार न सुचित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. मे.) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	चाण्डू बांधेलान	चंद्रगढ़	3.0298	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मेहर, जिला मेहर (म.प्र.)	बस्ती व्यवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा तहसील की कक्षा विधायक की काशा गार्डन के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजपत्र, दिनांक 11 जूलाई 2024

सू-अर्जन-प्र.क्र. 1337-अ-82-22-24.- व्यक्ति, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में लक्ष्य के नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वात 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शर्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय उक्त भूमि का कोई विलगातम स्तित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौंद	डरना	0.807	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (म.प्र.)	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (सू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2024

सू-अर्जन-प्र.क्र. 1402-अ-82-24-25.- व्यक्ति, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में लक्ष्य के सामने नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वात 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शर्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय उक्त भूमि पर कोई विलगातम स्तित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रानपुर बाघोला	लखवा	3.1675	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका की काशा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (सू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1403-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुराची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुराची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्गठन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आदेश की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुराची के खाने (5) में उल्लेखित अति-कार्य को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उक्त भूमि पर कोई विलक्षण सृजित नहीं करेगा :-

अनुराची

भूमि का वर्णन			अर्जनीय रकबा (हे. मै.) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	गररामा	2.8083	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घड़ेरुआ माइनर के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1404-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इसके संलग्न अनुराची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुराची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्गठन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आदेश की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुराची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उक्त भूमि पर कोई विलक्षण सृजित नहीं करेगा :-

अनुराची

भूमि का वर्णन			अर्जनीय रकबा (हे. मै.) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	उडीरौ	1.7298	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घड़ेरुआ माइनर के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-24-25 मंत्र क्र. 1405-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सम्पत्ते दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वासि 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के तन्बंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस अधिनियम की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 8 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ साथ ही अधिनियम की धारा 11 (2) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संयवहार नहीं करेगा या कोई संयवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन जायंवाहियों के पूरे हो जाने के समय उस भूमि पर कोई वित्तीय सुविधा नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए नधिपूरा अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोई	करसरा	6.7575	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के बांधी माइनर के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के जायंवाह में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-24-25 मंत्र क्र. 1406-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सम्पत्ते दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः उक्त भूमि अधिग्रहण पुनर्वासि 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के तन्बंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस अधिनियम की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 8 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ साथ ही अधिनियम की धारा 11 (2) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संयवहार नहीं करेगा या कोई संयवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन जायंवाहियों के पूरे हो जाने के समय उस भूमि पर कोई वित्तीय सुविधा नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	सेमरिया	2.5700	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत बांधी माइनर तथा सेमरिया माइनर के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के जायंवाह में देखा जा सकता है।

शु अर्जन क्र.अ. 82-24-25-प्र.क्र. 1414 शु अर्जन 24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके लानने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमे अधिग्रहण सुनवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमे का कोई संशोधन नहीं करेगा या कोई संशोधन नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विवक्षित सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमे का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रपुराजनगर	बर्धे	5.5223	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागोद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागोद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहाबल उप शाखा नहर की घडेरुआ माइनर के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (शु-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शु-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-24-25-प्र.क्र. 1415-शु-अर्जन-24- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उल्लेखित लानने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमे अधिग्रहण सुनवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमे के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमे का कोई संशोधन नहीं करेगा या कोई संशोधन नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विवक्षित सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमे का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रपुराजनगर	ओडकी कला	5.8163	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, नागोद, जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागोद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत ओडकी माइनर एवं मसनहा सब-माइनर के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (शु-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 9 जुलाई 2024

शु अर्जन प्र.सं. 14689 अ 27 24 25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे लंजान अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुरावी के खाने (6) में उराके रागाने दिये गये शार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, उधवा अवश्यकता पड़ने की सम्भवन है. अतः भूमि अधिग्रहण नुनर्नास 2013 की धारा 11 को लज्जारा (1) के लपत्रनों के अनुशास लपत्रके द्वारा रागी संबोधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनेयम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारम्भिक अधिलुचना में बेनिविष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा उधवा ऐसी अधिलुचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंनन स्थित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी		शार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सतना	उंचेहरा	घोली	3.46'8	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की समरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (दू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शु अर्जन प्र.सं. 14700 अ 27 24 25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे लंजान अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुरावी के खाने (6) में उराके रागाने दिये गये शार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, उधवा अवश्यकता पड़ने की सम्भवन है. अतः भूमि अधिग्रहण नुनर्नास 2013 की धारा 11 को लज्जारा (1) के लपत्रनों के अनुशास लपत्रके द्वारा रागी संबोधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनेयम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारम्भिक अधिलुचना में बेनिविष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा उधवा ऐसी अधिलुचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंनन स्थित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी		शार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सतना	उंचेहरा	बेहता	14.1036	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवा वितरिका एवं कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नीगवा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (दू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सू. अर्जन प्र.क्र. 1471-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एचके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित करता हूँ साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा व. कोई संव्यवहार नहीं कराना अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विकल्पगत सूचित नहीं करेगा :

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	एरहेतर	सोनवर्षा	3.9592	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है

राजना, दिनांक 10 जुलाई 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1483-अ-82-24-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि द्वारा संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित करता हूँ साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराना अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विकल्पगत सूचित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	एरहेतर	पिपरीकला	1.3284	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना जिला सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवा वितरिका की कोनिया सबमाइनर के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) राजना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं मदन उपसचिव, मध्यप्रदेश शारान, राजस्व विभाग,

तोले, दिनांक 3 जून 2024

पत्र क्र. 562-पु-अर्जन-2024- सूक्ति, राज्य शासन को यह अतिवृत्त होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खानों (5) में उल्लेखित प्रयोगों के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता नहीं होने की संभावना है, अतः पुनर्जनन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस राज्य की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन आवेदन पत्रों को भेजने के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का कोई संबंधित नहीं करेगा या कोई संबंधित नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, यह परियोजना व्यक्तियों के हित से संबंध है, जहां पर कोई मृदा स्तर का वैश्व मानक है पर महान (गुलाब सगर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रभावित है, यह प्रयोग/परियोजना शासन एवं शासन के व्यापक हित में होने के कारण सामाजिक उत्पन्न के पूर्ण मूलांकन/आकलन को अपेक्षित नहीं है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खानों (4) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संघ में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण :-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) ग्राम का नाम	-	सदला
(घ) गैर-कृषि भूमि का वर्गीकृत क्षेत्रफल	-	0.2030 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. मै.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	संबन्धित प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	95	0.0130	कार्यपालन यंत्री महान	मह - (गुलाब सगर) परियोजना
2	145	0.1100	नहर, संभाग सीधी,	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	146	0.0600	जिला-सीधी (म.प्र.)	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	147	0.0300		निर्माण हेतु
		योग	0.2030	

- (2) भूमि का नक्शा (खान) कार्यालय, राजस्व अधिकारी, बहरी में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिसरों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए उपर कलेक्टर, सीधी को न्यासक नियुक्त किया जाता है, अतः हेतु कार्य कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 80 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 80 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- (5) यह सूचना एवं संबंधितों को जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं मदन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 28 जून 2024

क्र. 1302-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, रा. 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को अका प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) दहसील—नागौर
- (ग) नगर/ग्राम—बन्दोबस्त
- (घ) क्षेत्रफल—0.1780 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
549	0.0450
550	0.0010
504	0.0020
548	0.0630
551	0.0470
546	0.0200
योग	0.1780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है. कार्यालय सत्री, नन्दा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगो व्ययर्जन परियोजना में बरगो व्ययर्जन परियोजना अंतर्गत नागौर (सतना), शाया नहर के अंतर्गत बन्दोबस्त गादन नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के लक्ष्य (प्लान) का निरीक्षण. कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1304-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, रा. 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को अका प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) दहसील—नागौर
- (ग) नगर/ग्राम—छिन्दा
- (घ) क्षेत्रफल—2.2650 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
803	0.0400
804	0.0170
805	0.0130
806	0.0120
807	0.0190
808/1	0.0100
809/1	0.1400
809/2	0.0850
814/2	0.0140
821/3	0.1070
822/3	0.0120
823/1	0.0370
824/2/1	0.1800
823/2/2	0.2100
823/2/3	0.1180
824/2	0.0130
825/1/2	0.1760
639/2	0.0110
640/1	0.1350
640/2	0.0730
608	0.2470
609	0.0170
610/1/1	0.1180
610/1/4	0.1150
600/1	0.0030
599	0.1410
598	0.0040
148/2	0.0420
148/3/1	0.0920
148/4	0.0150
149/2	0.0060
149/3	0.0050
योग	2.2650

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्गपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (न. प्र.) द्वारा बरगी व्यापवर्तन परियोजना में बरगी व्यापवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), रायवा नहर के अंतर्गत मीठारी विहारिका के छिन्दा गाइर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)
137	0.0600
136	0.0550
135	0.0660
47	0.0320
43	0.0620
45	0.0400
40/1	0.2300
44	0.0080
235	0.0130
181/1/23	0.1400
182/2	0.0350
140	0.0090
39	0.0150
233	0.0120
योग . . .	2.8240

क्र. 1308-भू-अर्जन 2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 9 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/विजी सदा)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) गाव/ग्राम—बरकीनिया कोठार
(घ) क्षेत्रफल—2.8240 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
230	0.5460
229	0.0150
232	0.1800
234	0.0750
176	0.1420
175/1	0.0850
174	0.0120
165/1	0.7130
165/2	0.0370
164/2	0.0130
163/1	0.2330
162/1	0.0190
109	0.0900
110	0.0020
131/1	0.0190
158/1	0.1120
113	0.0030
139	0.0250
138	0.0570

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्गपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सतना (न. प्र.) द्वारा बरगी व्यापवर्तन परियोजना में बरगी व्यापवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), रायवा नहर के अंतर्गत उमरहाट विहारिका के कवनार खण्ड-1, नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1309 भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 9 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/विजी सदा)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) गाव/ग्राम—रेस्त्रा खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—0.2510 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
651	0.0400
655/2	0.2510

(1)	(2)	(1)	(2)
554/1/1/2	0.1200	1317/2	0.248
655	0.1190	1318/2	0.012
656	0.0370	683/2	0.251
657	0.2630	682/3	0.014
661	0.0130	681/3	0.055
	<u>0.5430</u>	681/4	0.091
		680/7	0.009
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, चर्मद विकास संधन क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), शांभू नहर के अंतर्गत उन्नरहाट वितारिका के अर्कीना खुर्द माइनर 2, नहर के निर्माण हेतु.	679/2	0.154
		678	0.003
		677/1	0.023
		677/2	0.028
		676	0.004
		675	0.077
		674/1	0.061
		660	0.049
		668/2	0.002
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.	661	0.070
		667	0.005
		666	0.009
		662	0.012
		663	0.011
		656	0.057
		657/1	0.002
		630	0.011
		631	0.051
		629/2	0.057
		628	0.008
		627	0.100
		626	0.084
		350/1	0.103
		559/1	0.009
		558/1	0.061
		219/2	0.010
		218/2	0.247
		217/2	0.090
		216/1	0.016
		216/2/1	0.085
		216/2/2	0.018
		225/2/2	0.111
		214/2	0.031
		<u>चोग</u>	<u>2.960</u>

क्र. 1310-पू-अर्जन-2024. —चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नौ नई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः पू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) को धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जात है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का नक्शा—(म. प्र. शारणांगिनो खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगरपालिका—शाहपुर
(घ) क्षेत्रफल—2.960 हेक्टेयर.

खसरा नं.	वर्णित एकाई (हे. में)
(1)	(2)
1437/1	0.039
1430	0.076
1429	0.087
1428	0.007
1324	0.086
1323	0.091
1322/2	0.013
1321/2	0.083
1325	0.020
1326	0.145
1316/2	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, चर्मद विकास संधन क्रमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), शांभू नहर के अंतर्गत उन्नरहाट वितारिका के अर्कीना खुर्द माइनर 2, नहर के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1311-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सामंजसिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निर्जो. खाता)

- (क) जिला सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) नगर/ग्राम—हलौवाडम्बुक
(घ) क्षेत्रफल—1.5860 हेक्टेयर

खसरा नं.	आंशित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
204	0.1460
205	0.0070
207	0.1260
201	0.0360
189/1	0.1100
189/2	0.1030
190/2	0.0100
133	0.1600
182/1	0.0220
191/2	0.0070
192/2	0.0080
181	0.0550
175/1/2	0.1020
175/2/2	0.0070
176/1	0.0050
174/2	0.0130
173/1	0.0730
173/2	0.0090
173/3	0.1730
172/2	0.0200
149	0.1200
140	0.1050
139/1/1/2	0.0610
139/2/2	0.0460
142/1	0.0620

(1)	(2)
142/2	0.0080
योग	1.5860

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन वित्तके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यालय नजो, नगौर, विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी व्यापार/वर्धन परियोजना में बरगी व्यापार/वर्धन परियोजना अंतर्गत नागौर (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट निदर्शिका के सलैय-उत्पन्न माहल नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1312-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सामंजसिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निर्जो. खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) नगर/ग्राम—अरह
(घ) क्षेत्रफल—1.137 हेक्टेयर

खसरा नं.	आंशित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
292	0.067
296	0.017
297	0.009
298	0.006
299	0.035
301	0.036
302	0.033
303	0.070
332	0.031
333	0.014
334	0.036
335	0.103
336/1	0.014
336/2	0.050

(1)	(2)	(1)	(2)
384/1	0.006	762/1	0.002
383	0.028	600/2	0.085
381	0.102	631/1	0.009
380	0.007	631/7	0.021
378/1	0.046	602/1	0.048
378/2	0.040	602/2	0.038
376	0.029	612/1	0.002
375	0.018	611/1	0.097
371		641	0.040
	0.018	643	0.169
369/7	0.196	670	0.050
368/2	0.012	671	0.034
366/2	0.031	622	0.016
367	0.015	625	0.027
योग	1.132	623	0.002
		624	0.069

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन ज़िम्मे के लिये अर्जन अथवा आवश्यक है— कार्यालय नंगी, नगदा बिकारा चंभन क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरनी व्यापारिक परिवोजना में बरनी व्यापारिक परिवोजना अंतर्गत नागौद (रातना), शाखा नहर के अंतर्गत गेहरी बितरिका के बसुर्हिया पाइपर व हनुदुया मञ्जोल सतनाइतर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पू. अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1313-भू-अर्जन 2024.— बुकि, राज्य शासन को इस बात का रामाभावा हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अध: पू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. 4-क, सं. 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 8-13 भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का अर्जन (म. प्र. शासन-निजी खरा)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—नागौद
- (ग) नगर/ग्राम—मझावा खुर्द
- (घ) क्षेत्रफल—3.190 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकम (रु. में)
(1)	(2)
764/1	0.225
764/3	0.420
763	0.025

358	0.048
358	0.048
363	0.007
364	0.045
365	0.050
368	0.044
367	0.003
373	0.207
374	0.010
376/1/1	0.054
376/1/2	0.009
376/3	0.006
377/1/1	0.015
378/1/1	0.035
378/3	0.010
188	0.047
189	0.036
193	0.017
197	0.002
777	0.021
194	0.005
226	0.042
775	0.010

(1)	(2)	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. ई.)
		(1)	(2)
201	0.007	420/1	0.035
202	0.003	470/2	0.063
203	0.043	421	0.028
204	0.052	425	0.033
76	0.027	419	0.007
75	0.029	252/2	0.041
85	0.001	253/2	0.030
33	0.018	253/3	0.021
74	0.043	75	0.061
72	0.031	250/1	0.010
73	0.009	250/2	0.028
71	0.134	243/1	0.088
70	0.024	242/1/1	0.007
69	0.011	240	0.040
32/1	0.003	233	0.074
36	0.143	229/1	0.020
33	0.012	229/2	0.063
839	0.057	228	0.018
28	0.090	221	0.093
योग	3.190	220	0.008
(2)	सर्वजनिक प्रयोजन जिराके लिये अर्जन आवश्यक है— कारवाला बंत्रों, तर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी त्वपवर्ती परियोजना में बरगी अपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट विचारिका के पक्षवर्ती खुद माइनर नहर के निर्माण हेतु.	219	0.041
		213	0.079
		200/1	0.040
		199	0.053
		198	0.008
(3)	भूमि के नष्टे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	196	0.060
		195	0.033
		191	0.005
		192	0.036
		193	0.022
		188	0.002
		186	0.012
		182	0.027
		185	0.041
		184	0.028
		187	0.036
		174	0.014
		173	0.034
		177	0.006
		171	0.021
		170	0.011
		163	0.025
(1)	भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी याता)		
(क)	जिला—सतना.		
(ख)	तहसील—नागौद		
(ग)	संख्या—गुहार		
(घ)	शेखर 2.3.1 हेक्टेयर.		

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—रहिकवरा	(घ) क्षेत्रफल—2.562 हेक्टेयर.
162/1	0.056	असरा नं.	वर्जित (क.बी.)
162/2	0.018		(रे. नं.)
158	0.100	(1)	(2)
157	0.048	684	0.084
155	0.055	687	0.035
148	0.062	688	0.104
147	0.046	689	0.074
146	0.007	695/1	
145	0.087	695/2	0.046
144	0.019	697/1/1	
143	0.056	697/1/2	0.031
142	0.004	697/2	
141	0.038	692	0.006
150	0.003	699	0.023
454/1/2	0.070	701/1	0.022
454/1/3	0.064	700	0.023
454/1/4	0.007	649	0.062
453/1/2	0.009	648/1	0.057
453/1/3	0.008	648/2	
453/1/4	0.001	647	0.072
431	0.028	633	0.008
432	0.026	634	0.026
426	0.017	635	0.002
योग	2.311	619	0.087
		620	0.053
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्ज आवश्यक है— कार्वागलन नगरी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा द्रवी जगवर्तन परिशोधना में द्रवी जगवर्तन परिशोधना अंतर्गत नागौर (सतना), शाख नहर के अंतर्गत चन्दकुइया नहरमास्तर 1, 2 नहर के निर्माण हेतु	621	0.017
		606	0.008
		622	0.070
		623	0.002
		589	0.018
(3)	भूमि के नब्बो (प्लान) का निर्माण, कलेक्टर (पु-अर्जन), जिला रावठा के न्यायालय में किया जा सकता है.	588/1	0.039
		588/2	0.031
		586/2	0.022
		593	0.020
		595	0.011
		733	0.025
		784	0.009
		785	0.063
		345/1	0.059
		345/2	0.002
		344/1	0.001
		342/1	0.009
		342/2	0.070
		343/1	0.042
		343/2	0.003

*. 1515-पु-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः पु अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(न. प्र. शासन, निजी क्षेत्र)

(क) जिला—सतना

(ख) नदी/नहर—नागौर

(1)	(2)
340	0.048
339	0.047
356	0.072
334	0.077
332	0.048
291	0.065
792	0.026
281	0.001
333	0.001
335	0.001
779	0.065
280	0.025
282	0.057
277	0.023
276	0.062
764	0.055
271	0.020
266	0.003
267/1	0.015
267/2	0.050
237	0.052
236	0.057
235	0.027
277	0.008
228	0.041
279	0.003
200	0.051
204	0.030
205/1/1	0.016
199	0.001
197	0.156
196	0.009
194	0.001
193	0.053
192	0.017
योग	2.567

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्रों, नगदी विकास संभाग, क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) की नए नवपर्वत परियोजना में अरणी जागवर्तन परियोजना अंतर्गत नगदी (सतना), शाया नहर के अंतर्गत चन्द्रकुहरा माइनर नहर के निर्माण हेतु
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1317-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में उल्लिखित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) नगर/ग्राम—चन्द्रवाला खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—2.1230 हेक्टेक्टर

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. गै.)
(1)	(2)
1263	0.0080
1266/1/1	0.1150
1266/1/2	0.1150
1267/1/2	0.0200
990/1	0.0430
990/2	0.0520
989/1	0.2300
989/2	0.2460
979	0.0910
975/1	0.1360
975/2	0.0100
976/1	0.0090
945	0.0250
951	0.0810
946	0.0200
950	0.0670
949/1	0.0660
949/2	0.0350
948	0.0870
947	0.0040
672	0.1480
675	0.0640
673/1/2	0.0350
675	0.0130
674	0.0560
665	0.0040
661	0.0700
663	0.0510
664	0.0130
662	0.0370

(1)	(2)
618/1	0.0240
618/2	0.0170
617/3	0.0730
617/4/1	0.0210
617/1/2	0.3420
617/5	0.0320
614	0.0100
613	0.0080
योग . . .	2.1230

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सतना (ग. प्र.) द्वारा बरगी व्यपखर्तन परियोजना में बरगी व्यपखर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), श्यावा नहर के अंतर्गत डमरो नाहर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1319-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का संनाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(ग. प्र. शासनांगीनी खाता)

(क)	जिला—सतना
(ख)	तहसील—नागौद
(ग)	नगर/ग्राम—कटनरिया
(घ)	क्षेत्रफल—0.9590 हेक्टेयर.
खसरा नं.	अर्जित एकड़ (हे. में)
(1)	(2)
414/1	0.0260
416/1	0.0130
412/1	0.1170
412/2/1	0.1600
412/2/2	0.0330
412/2/3	0.2540
409/1/1	
409/1/2	
409/1/3	
409/1/4	
409/2/1/1	
409/2/1/2	0.3060

(1)	(2)
409/2/1/1	
409/2/2/1/2	
409/1/2/2	
409/2/3/1	
409/1/3/1/7	
योग . . .	0.9590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (ग. प्र.) द्वारा बरगी व्यपखर्तन परियोजना में बरगी व्यपखर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), श्यावा नहर के अंतर्गत नागौद नाहर के अंतर्गत डमरो नाहर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1319-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का संनाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(ग. प्र. शासनांगीनी खाता)

(क)	जिला—सतना
(ख)	तहसील—नागौद
(ग)	नगर/ग्राम—गजना गवाण
(घ)	क्षेत्रफल—1.012 हेक्टेयर.
खसरा नं.	अर्जित एकड़ (हे. में)
(1)	(2)
13/	0.144
145/1/1	0.025
145/1/2	0.026
145/1/3	0.028
145/2/1	0.035
145/2/2	0.024
146/1	0.045
146/2	0.031
146/3	0.027
147/2	0.025
147/3	0.030
176/1	
176/2	0.340
176/3	

(1)	(2)	(1)	(2)
175	0.137	236/2	0.0100
योग	1.012	327	0.0070
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिराके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन चंभ्री, गन्दा विकास संघन क्रमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी जनसर्वन परियोजना में बरगी जनसर्वन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), हाथा नहर के अंतर्गत हादपुर माझार नहर के निर्माण हेतु	328	0.0510
(3)	भूमि के नशे (खान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पु-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	335	0.0040
		331	0.0340
		343	0.0160
		333	0.0010
		346	0.0680
		347	0.0490
		389	0.0040
		348	0.0310
		349	0.0050
		385	0.0010
		384	0.0470
		359	0.0050
		380	0.0520
		381	0.0190
		378	0.0430
		444	0.0150
		377	0.0040
		445	0.0740
		450	0.0050
		446	0.0130
		448	0.0630
		452	0.0050
		465	0.0680
		466	0.0210
		468/679	0.0080
		468/678	0.0770
		476	0.0110
		475	0.0550
		488	0.0580
		489	0.0580
		490	0.0210
		योग	1.9430
		(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिराके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन चंभ्री, गन्दा विकास संघन क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी जनसर्वन परियोजना में बरगी जनसर्वन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), हाथा नहर के अंतर्गत हादपुर माझार नहर के निर्माण हेतु.
		(3)	भूमि के नशे (खान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पु-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
32	0.1240		
33	0.0550		
36	0.0760		
31	0.0750		
255	0.0730		
254	0.0420		
246	0.0250		
245	0.0500		
240	0.0070		
262	0.0350		
263	0.0060		
241/1	0.0350		
241/2	0.0370		
240/1	0.0110		
239/1	0.1180		
239/2	0.1740		
235	0.1680		
236/1	0.0010		

क्र. 1321-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. 28, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) गांव/ग्राम—माझापोला
(घ) क्षेत्रफल—0.427 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
668/2/1	0.170
666	0.101
665	0.135
664	0.001
योग	0.427

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्योपालन चंड़ी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगो ब्यावर्तन परियोजना में बरगो ब्यावर्तन परियोजना अंतर्गत नागौर (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत चन्द्रकोआ माइनर के माझापोला सबमाइनर 1, नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1322-भू-अर्जन 2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) गांव/ग्राम—कोनी मण्डापोली
(घ) क्षेत्रफल—0.890 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
67	0.1160
66	0.0620
69	0.0040
58	0.0330
57	0.0930
56	0.1490
55	0.0070
54/1	0.0600
83	0.0020
84	0.0020
49	0.0480
85/1	0.0700
85/2	0.0060
86/1	0.0100
86/2	0.0440
87/2	0.0020
89	0.1580
46/1	0.0020
योग	0.8190

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्योपालन चंड़ी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगो ब्यावर्तन परियोजना में बरगो ब्यावर्तन परियोजना अंतर्गत नागौर (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1323-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) गांव/ग्राम—गौरा
(घ) क्षेत्रफल—0.6600 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	(2)	
(1)	(2)		
169/1	0.0620	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन चंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा वरगी व्यववर्तन परियोजना में वरगी व्यववर्तन परियोजना अंतर्गत नगौर (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत चन्द्रकोव माइनर के तटरेखा संवसाइनर-2 नहर के निर्माण हेतु.	
172	0.0110		
171	0.0390		
162/1	0.0670		
173	0.0700		
174/1	0.0240		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
174/2	0.0740		
178/1	0.0080		
178/2	0.0950		
177/265/1	0.0400		
177/265/2	0.0630		
177/1	0.0410		
177/2	0.0600		
183/2	0.0030		
योग . . .	0.6600		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन चंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा वरगी व्यववर्तन परियोजना में वरगी व्यववर्तन परियोजना अंतर्गत नगौर (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1327-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(न. प्र. शासन/निजी खात)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नगौर
(ग) नगर/ग्राम—शाहपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.0980 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
218/2	0.0910
219/2	0.0070
योग . . .	0.0980

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नगौर
(ग) नगर/ग्राम—कटरिया
(घ) क्षेत्रफल—2.3690 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
68	0.2510
67	0.0070
66	0.0530
65/1	0.0550
64	0.1760
63/1/1	0.0350
63/1/2	
61	0.0750
62/1	0.2960
62/2	
60	0.0000
59	0.1110
52/1	0.1120
52/2	
50	0.3200
45	0.0780
47	0.1530
46/1	0.0740
176/2/1	0.1360
176/2/2	0.1120
176/2/3	0.0060
182/1	0.0000

- | | |
|-----------|---------------|
| (1) | (2) |
| 187/1/1 | 0.1100 |
| 187/2 | 0.0080 |
| 186/1 | 0.0590 |
| 186/2 | 0.1290 |
| 186/3 | 0.0590 |
| 185/2 | 0.0260 |
| योग . . . | <u>2.3690</u> |
- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन मंजरी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरागी व्यापवर्तन परियोजना में बरागी व्यापवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत शाहपुर पार्श्व नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1332-भू-अर्जन-2024.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, रा. 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना.
- (ख) तहसील—नागौद
- (ग) गांव/ग्राम—रहिकुआरा
- (घ) क्षेत्रफल—1.4550 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. मं.)
(1)	(2)
165/2	0.0500
88	0.0180
159/1	0.0160
158	0.0700
90	0.1270
89	0.0100
95	0.2350
96	0.0100
97	0.1190
98	0.1370
99/1	0.1110
94	0.0300
60/1	0.0150

- | | |
|-----------|---------------|
| (1) | (2) |
| 60/2 | 0.0250 |
| 68 | 0.0120 |
| 69 | 0.0100 |
| 62/1 | 0.0290 |
| 62/2 | 0.0340 |
| 32 | 0.0320 |
| 53 | 0.0540 |
| 54 | 0.0150 |
| 7/1 | 0.1500 |
| 7/2 | 0.0320 |
| 5 | 0.0320 |
| 34/1 | 0.1180 |
| योग . . . | <u>1.4550</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन मंजरी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरागी व्यापवर्तन परियोजना में बरागी व्यापवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत चन्द्रकोय पार्श्व नहर के अंतर्गत शाहपुर पार्श्व नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1333-भू-अर्जन-2024.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, रा. 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—नागौद
- (ग) गांव/ग्राम—रहिकुआ पड़ोस
- (घ) क्षेत्रफल—0.7780 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. मं.)
(1)	(2)
150/1/1/1/1	
150/1/1/1/2	
150/1/1/2/1	
150/1/1/2/2	
150/1/1/3/1	
150/1/1/3/2	
150/1/1/4/1	

(1)	(2)	(1)	(2)
150/1/1/4/7		153/2	0.0130
150/1/1/4/3			योग . . . 0.7780
150/1/1/5			
150/1/1/6	0.4270	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिल्लके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्रो, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (ग. प्र.) द्वारा बरगी व्यापवर्तन परियोजना में बरगी व्यापवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी इतिहासिक के बसुरहिया सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
150/1/1/7		(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पू. अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
150/1/2/1/1			
150/1/2/1/2			
150/1/2/2			
150/1/3/1/1			
150/1/3/1/2			
150/1/3/2			
150/2/1/1/1			
150/2/1/1/2			
150/2/2/1			
150/2/2/2			
150/2/3/1/1			
150/2/3/1/2			
150/2/3/2			
151/1/1/1/1			
151/1/1/1/2			
151/1/1/2/1			
151/1/1/2/2			
151/1/1/3/1			
151/1/1/3/2			
151/1/1/4/1			
151/1/1/4/2			
151/1/1/4/3			
151/1/1/5			
151/1/1/6			
151/1/1/7			
151/1/2/1/1			
151/1/2/1/2	0.0100		
151/1/2/2			
151/1/3/1/1			
151/1/3/1/2			
151/1/3/2			
151/2/1/1/1			
151/2/1/1/2			
151/2/1/2			
151/2/2/1/1			
151/2/2/1/2			
151/2/2/2			
151/2/3/1/1			
151/2/3/1/2			
151/2/3/2			
163/1	C.1610		
163/2	C.1640		

क्र. 1335 भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(ग. अ. शासन/मिजो खजान)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगरपालिका—कवशीहवा
(घ) क्षेत्रफल—2.5190 हेक्टेयर

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. गै.)

(1) (2)

587 0.066

536 0.014

590/1/1

590/1/2

590/1/3 0.061

590/1/4

593/2

591 0.016

594 0.068

595 0.136

596 0.012

598 0.007

597 0.002

603 0.188

640 0.013

642 0.024

643 0.042

(1)	(2)	(1)	(2)
651	0.019	169	0.044
650	0.019	171	
652	0.074	170	0.021
649	0.001	165	0.020
648	0.017	164	0.013
653	0.042	163	0.005
654	0.021	147	0.061
656	0.025	148	0.037
655	0.011	162	0.017
657	0.036	149	0.033
665	0.022	157	0.060
659	0.025	155	0.051
663	0.011	158	0.003
660	0.017	153	0.068
667	0.018	12471	0.002
460	0.012	24871	0.050
461	0.042		
462	0.001		
463	0.085		
465	0.015		
466	0.038		
469	0.037		
471	0.028		
472/1	0.011		
472/2	0.020		
472/3	0.020		
472/4	0.020		
479/2	0.084		
435	0.034		
434	0.041		
428	0.005		
427	0.016		
429	0.037		
420/833	0.042		
418	0.016		
419	0.042		
399	0.018		
393	0.040		
401	0.002		
392	0.019		
403	0.005		
391	0.037		
404	0.009		
389	0.006		
170	0.014		
169	0.127		
175	0.007		
174	0.078		
173	0.051		
		योग	2.519
		(2)	सांख्यिक प्रयोजन जिसके लिये धार्य आवश्यक है— कार्यालय यंत्रों, नगरीय विकास संधन क्रमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत कच्छावाड़ा सबमॉडर नहर के निर्माण हेतु.
		(3)	भूमि के नक्शों (प्लान) का संशोधन, कलेक्टर (पू. धार्य), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
		क्र. 1336-पू-अर्जा-2024.—	चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सांख्यिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. धार्य: पू-अर्जा अर्जाविषय, 2013 संशोधन (क्र. द.क. सं. 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
			अनुसूची
		(1)	भूमि का वर्णन—(म. प्र. शारा/पिनी खाना)
		(क)	जिला—सतना
		(ख)	वर्गीकरण—नागौद
		(ग)	नगरपालिका—बरकोनिया मार्ग
		(घ)	क्षेत्रफल—0.7510 हेक्टेयर.
		संसार नं.	अर्जा संख्या
			(हे. गै.)
		(1)	(2)
		148	0.3320
		144	0.0240
		143	0.2900

(1)	(2)	(1)	(2)
142	0.0260	1096	0.0040
141	0.0720	1087	0.0350
140	0.0570	1088	0.0700
योग . . .	0.7510	1089/2	0.0020
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन विस्तार के लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन चंकी, नगरी विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी व्यवस्थापन परिगोजना में बरगी व्यवस्थापन परिगोजना अंतर्गत नगौद (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट किराया के टिकुरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.	1085/2/1	0.0260
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के व्यावहारीक में किया जा सकता है.	1085/2/2	0.0440
		1084/2	0.0120
		1083	0.1920
		1082	0.0200
		1086	0.0010
		1085	0.0660
		1080	0.1320
		1059	0.0100
		1058	0.0450
		1057	0.0230
		1049	0.0450
		1050	0.0960
		1052	0.0430
		1053	0.0490
		1054	0.0090
		1047	0.0100
		1045	0.0670
		1043	0.0730
		586	0.0150
		1044	0.0560
		587/1	0.0330
		587/2	0.0210
		388	0.0790
		589	0.0510
		593/1/1/1	0.1770
		593/2/2	0.1090
		593/2/3	0.0930
		593/2/5	0.0240
		594/7/1	0.0060
		596/2/3	0.0010
		515	0.0610
		516	0.0010
		514	0.0040
		512	0.2170
		511	0.0070
		510	0.0430
		509/1	0.0750
		506	0.0020
		507	0.0840
		475/1	0.2000
		474/1	0.0100
		466	0.0070
		430/1/2	0.0250
		431/1	0.0050
घसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)		
(1)	(2)		
1131	0.0930		
1130	0.0780		
1133	0.0050		
1129	0.1150		
1128	0.0140		
1106/1	0.0800		
1106/2	0.0920		
1106/3	0.0380		
1105/3	0.0160		
1104	0.0080		
1103	0.0010		
1102	0.0700		
1097	0.0750		
1095	0.0340		
1095	0.0180		

(1)	(2)
435	0.0810
436/2	0.0630
437	0.0260
440/1	0.0150
440/3	0.1230
441/3	0.0210
460/2	0.0070
459/2/2	0.0210
446/7	0.0350
447	0.0600
450	0.0400
451	0.0410
453/2	0.0090
35/1/1/1	0.2200
35/1/7/1	0.2100
33/2	0.7760
1140/1/1/1/1	
1140/1/1/1/2/1	
1140/1/1/1/2/2	
1140/1/1/1/3	
1140/1/1/1/4/1	
1140/1/1/1/4/2	
1140/1/1/2/1	
1140/1/1/2/2	
1140/1/1/2/3	
1140/1/1/3/1	
1140/1/1/3/2	0.5620
1140/1/1/3/3	
1140/1/1/3/4	
1140/2	
1140/2/1	
1140/2/2/1	
1140/2/2/2	
1140/2/3	
1140/3/1	
1140/3/2	
1140/3/3	
योग	5.024

क्र. 1358-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बंट का सामाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के तहत (1) में निर्दिष्ट भूमि की, अनुसूची के तहत (2) में उल्लिखित सामंजसिक प्रयोजना के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एच. एनू 20:3) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासनांगीनी राज)

- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील—उन्हेहरा
- (ग) नगर/ग्राम—बैरगल
- (घ) क्षेत्रफल -2.7960 हेक्टेयर.

खसत. नं.	अर्जित शकती (हे. में)
(1)	(2)
118/1/1/1/1/1/1	0.0840
118/1/1/1/1/1/2	0.1080
118/1/1/1/1/1/3	0.0030
118/1/1/1/3/1	0.0320
118/1/1/1/3/2	0.0380
118/2	0.0320
119/2/2	0.2400
119/2/1	0.0360
119/1/3	0.0150
113	0.0330
101/1/1	0.2140
97/4/1	0.0540
97/5/2	0.0540
97/5/3	0.0570
95/1/1/2	0.1100
98/1/2	0.0290
98/1/3	0.1130
98/2/1/2	0.0650
69/2/1/1	0.0040
69/2/1/2/1	0.0350
69/2/1/2/3	0.0630
69/2/2/1	0.1420
47	0.1230
49/2	0.2190
49/3	0.1020
50	0.0080
51/1	0.0140
52/1/1/1	0.0070
52/1/2	0.0470
52/2/1	0.0120
52/2/2	0.0430
53/1	0.0010

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिन्हे लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन धरती, तमटा क्रि.स. संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा चर्गी जमखर्चन परिसीलना में चर्गी खयनर्दी परियोजना अंतर्गत नागीद (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुरिया नहर के चन्दकुरिया सवमाइतर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के तल्लो (जनन) का निरीक्षण, फ्लेक्चर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकत है.

(1)	(2)	(1)	(2)
53/2	0.0030	214/2	0.1750
357/2	0.0090	225/1	0.0480
247/1	0.1400	225/2/1/1	0.0210
247/2	0.1700	225/2/1/2	0.0290
24/3	0.0280	775/2/1/3	0.0290
237/1	0.0020	275/2/2	0.0750
237/2	0.0020	223/1/1	0.0160
73/3	0.0040	223/1/2	
757/1	0.0040	223/2	
257/2	0.0040	227/1	0.0030
25/3	0.0070	229/1	0.0580
21/2	0.1910	229/2	0.0240
18/2	0.0900	731	0.0400
योग	2.7960	553	0.0010
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन किराके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्रों, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्जन परियोजना में बरगी व्यपवर्जन परियोजना अंतर्गत नागीट (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.	552/1	0.0020
(3)	भूमि के नक्के (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	552/2	0.0360
		551	0.0310
		550/1	0.0010
		550/2	0.0300
		567/1	0.0010
		572	0.0210
		577/1	0.0330
		577/2	0.0120
		570/1	0.0170
		570/2	0.0050
		574	0.0010
		575/1	0.0070
		575/2	0.0150
		594	0.0060
		580	0.0150
		592	0.0590
		582	0.0020
		591	0.0360
		587	0.0080
		588	0.0370
		589	0.0230
		735	0.0010
		739	0.0260
		757/1	0.0330
		757/2	0.0100
		738/1	0.0050
		738/2	0.0260
		743	0.0460
		744	0.0270
		763/1	0.0010
		767/1	0.0870
		768/1/1	0.0540
		770/1/1	0.0600
		770/2/1	0.0950
खसत नं.	अर्जित रकम (हे. में)		
(1)	(2)		
704	0.0200		
205	0.0900		
207	0.1020		
210	0.0020		
212/1	0.0420		
212/2/1	0.0070		

क्र. 1339 गू-अर्जन-2024.—चूंकि, राजपत्र हासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि बर्गी, अनुसूची के पद (2) में अर्जित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः गू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि बर्गी उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(न. प्र. हासन/निर्जो खाना)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागीट
(ग) नागीट—शाहपुर
(घ) हेक्टेयर—3.9310 हेक्टेयर

खसत नं.	अर्जित रकम (हे. में)
(1)	(2)
704	0.0200
205	0.0900
207	0.1020
210	0.0020
212/1	0.0420
212/2/1	0.0070

(1)	(2)	(1)	(2)
771/1	0.0076	1367	0.1360
782/1	0.0650	1368	0.0070
781	0.0120	योग . . . 3.9310	
780	0.1250		
774	0.0210	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन निश्चित करने के लिए अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्रों, नर्मदा विकास संभाग क्रमंक 1, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी स्वपवर्तन परियोजना में बरगी स्वपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौड़ (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत बन्दकोट माइनर नहर के निर्माण हेतु.
778	0.0370	(3)	भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
117	0.0030		
801	0.0360		
799	0.0180		
800	0.0500		
802	0.0980		
808	0.0450		
807	0.0010		
806	0.0610		
805	0.0150		
1185	0.0110		
1186	0.0560		
1188	0.0180		
1187	0.0460		
1192	0.0330		
1296	0.0120		
1295	0.0170		
1193	0.0320		
1200	0.0040		
1297	0.0560		
1201	0.0040		
1291	0.0470		
1288	0.0160		
1289	0.0810		
1286	0.0170		
1284/1	0.0260		
1284/2	0.0590		
1283	0.0310		
1314/1	0.0290		
1313/3	0.0160		
1287	0.0020		
1281	0.1830		
1280	0.0120		
1226/1	0.0250		
1226/2	0.0240		
1237	0.0500		
1341	0.0620		
1340	0.0010		
1342	0.0370		
1342	0.0080		
1359	0.2640		
1358	0.2270		
1356	0.0010		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निर्वा. खात)

(क) जिला—रातना

(ख) तहसील—नागौड़

(ग) नगर/ग्राम—खन्हरिया बला

(घ) क्षेत्रफल—0.5830 हेक्टेयर,

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
288/4	0.0350
287/1/1	0.2000
286/1/1	0.0060
285	0.1300
284	0.0120
योग . . .	0.3830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन निश्चित करने के लिए अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्रों, नर्मदा विकास संभाग क्रमंक-2, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी स्वपवर्तन परियोजना में बरगी स्वपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौड़ (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत मौदारी विचारीक के मौदारी माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू अर्जन), जिला रातना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1341-भू-अर्जन-2024. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को ऊक्त श्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन (प. प्र. शासन/निजी खात)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) नगरग्राम—गाहाडोला
(घ) क्षेत्रफल—1.3110 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित एका (हे. में)
(1)	(2)
659	0.0090
658/1	0.0020
619/2	0.0090
654/2	0.0100
652/1/1/1	0.0640
652/1/1/2	0.0950
652/2	0.1490
651/1	0.0290
621/2	0.0420
623/2	0.1650
540/3	0.0110
539/1	0.1060
539/2	0.1020
539/3	0.1040
520	0.0190
519	0.1930
518	0.0560
517	0.0930
516/2	0.0510
योग	1.3110

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कारवंगलान बंत्री, नर्मदा विकास संगम क्रमांक-7, जिला सतना (प. प्र.) द्वारा बरगो व्यपवर्तन परियोजना में बरगो व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौर (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत माहाडोला मबमडन: 2 नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1342-भू-अर्जन-2024. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खात)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) नगरग्राम—फुरताल कलां
(घ) क्षेत्रफल—0.3230 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित एका (हे. में)
(1)	(2)
202	0.0860
20/1	0.0100
19	0.1400
8	0.0090
18	0.0010
17	0.0040
16/1	0.0430
योग	0.3230

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कारवंगलान बंत्री, नर्मदा विकास संगम क्रमांक-7, जिला सतना (प. प्र.) द्वारा बरगो व्यपवर्तन परियोजना में बरगो व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौर (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वित्तारिका के महागारा खुद नानार नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1343-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खात)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) न.न.ग्राम—रुतवाट
(घ) क्षेत्रफल 3.320 हे-हेक्.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (रु. में)	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, क्लेयरिंग (यू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	
(1)	(2)		
335/1	0.030		
335/2	0.032		
336	0.149		
337/1	0.100		
338/2	0.002		
331/2/2	0.118		
330/2/2	0.005		
345	0.009		
346/1/1	0.15		
346/1/2	0.060		
346/2	0.154		
350/2	0.014		
351	0.196		
352	0.025		
375/1/2	0.107		
374/2	0.010		
376	0.732		
375	0.071		
374	0.256		
373	0.008		
372/2	0.037		
310/3	0.077		
296/1/1	0.088		
296/1/2	0.795		
297/1/3	0.011		
303/2/2	0.024		
293/2	0.343		
799/2	0.027		
300/1	0.014		
300/2	0.011		
290/1/2	0.184		
290/2	0.700		
289/3	0.013		
288/2	0.209		
787/1	0.042		
787/2	0.069		
294/1	0.010		
चंग . . .	3.520		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जा आवश्यक है— कार्यवाला यंत्रों, नन्दा विकास संघान क्रमांक 1, जिला सतना (न. प्र.) द्वारा बरगो व्यवहृत परिशोधन में बरगो व्यवहृत परिशोधन अंतर्गत भागौद (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत मोहारी जिलारिका के मोहारी भागन नहर के निर्माण हेतु.			
		क्र. 1344 यू अर्जन 2024.— चूंकि, राज्य सतना को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के तद (1) में खणित भूमि की, अनुसूची के तद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक. सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
		अनुसूची	
		(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)	
		(क) जिला—सतना	
		(ख) तहसील—भागौद	
		(ग) नगर/ग्राम—खन्दिता मुर्द	
		(घ) क्षेत्रफल—3.2660 हेक्टेयर	
		खसरा नं.	
		अर्जित रकमा (रु. में)	
		(1)	
		(2)	
		264/1/1	0.1000
		264/1/2	0.0090
		264/2/1	0.0500
		264/2/2	0.0600
		264/3	0.1100
		264/4	0.1100
		264/5	0.1100
		265/1/1	0.0150
		260	0.1820
		256	0.1180
		255	0.1920
		247/1	0.1920
		246/1	0.0430
		246/2	0.0430
		246/3/1	0.0720
		246/3/2	0.0160
		244	0.0360
		243	0.0210
		242	0.0200
		241	0.0090
		237	0.2040
		236	0.0870
		197/1	0.0110
		197/2	0.0110
		197/3/1	0.0020
		196/1	0.0520
		196/2	0.0370
		196/3/2/1	0.0050
		188/2/1	0.0020

(1)	(2)	(3)		
192	0.0940	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, फ्लैट्स (भू-अर्जन), जिला मतना के न्यायालय में लिया जा सकता है।		
193	0.0060			
189	0.0050			
190	0.0160			
172/1	0.0070			
173/1	0.0350			
173/2	0.0420			
174	0.0030			
175	0.0390			
176	0.0200			
137	0.0150			
177	0.0070			
136	0.0490			
135/1	0.0050			
132	0.0080			
133	0.0810			
114	0.0380			
131	0.0310			
130	0.0530			
129	0.0130			
26	0.0410			
27	0.0470			
25/2/2	0.0020			
85/1/2	0.2480			
46	0.0210			
45	0.0030			
47/1/1	0.0300			
17/1/2	0.0050			
47/2	0.0050			
48/2	0.0010			
49/2	0.0470			
53/1	0.0300			
53/2	0.0300			
53/3	0.0520			
54	0.0050			
65	0.0100			
82/1	0.0600			
82/2	0.0100			
81	0.0640			
80	0.0120			
79	0.0360			
74/2/1/1/2	0.0410			
74/2/1/2	0.0440			
योग	3.2860			
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिल्लेकें लिये अर्जन आवश्यक है। कार्यपालन बोर्ड, नगरीय विकास संभल क्रमांक 7, जिला मतना (प. प्र.) द्वारा कर्मी व्यवहर्तन परिमोजन में कर्मी व्यवहर्तन परिमोजन अंतर्गत नगरीय (मतना), राजा नहर के अंतर्गत मुरहिया माइनर नहर के निर्माण हेतु।			
		क्र. 1345 भू अर्जन 2024.—सूक्ति, राज्य धरान को इन बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इनके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
		अनुसूची		
		(1) भूमि का वर्णन (प. प्र. अधिनियम की धारा 19)		
		(क) जिला—मतना		
		(ख) तहसील—नागौर		
		(ग) नगर/ग्राम—मौहारी		
		(घ) क्षेत्रफल—1.2530 हेक्टेयर		
		घन्सरा नं.	अर्जित रकमा	
			(रु. में)	
		(1)	(2)	
		001/1/1	0.0080	
		002/1/1	0.0760	
		002/1/2	0.0940	
		1002/2	0.0100	
		1003/1/1	0.0060	
		1003/1/2	0.0120	
		1003/2	0.0300	
		936/2	0.0640	
		937	0.0100	
		940	0.0150	
		935/2	0.0350	
		941	0.0370	
		934/2	0.0160	
		944	0.0540	
		933	0.0050	
		943	0.0570	
		946	0.0510	
		947	0.0220	
		877	0.0110	
		876	0.0540	
		878	0.0010	
		879	0.0890	
		872	0.0070	
		871	0.0080	
		887	0.0490	
		870	0.0050	
		833	0.0530	
		योग	1.2530	

(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्रों, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी व्यापवर्तन परियोजना में बरगी व्यापवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौर (सतना), शाखा नहर के अंतर्गत महाराी जिलेरिवा के इरमा पाइजर नहर के निर्माण हेतु.	(1)	(2)
		307	0.0240
		787	0.0180
		239	0.1170
		238	0.0590
		291/1	0.0910
		291/2	0.2050
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पू. अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	292/2	0.0080
		261	0.1790
		280	0.0650
		759	0.0110
		258	0.0120
		257	0.0480
		143	0.0050
		242	0.0770
		241	0.0680
		240	0.0570
		146	0.0070
		147	0.0700
		145	0.0050

क्र. 1348 पू. अर्जन-2024.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि बगी, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः पू. अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, रा. 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसको द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निर्वाी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—नागौर
- (ग) गाव/ग्राम—नीलस्ता
- (घ) क्षेत्रफल—3.5100 हेक्टेयर.

खरारा नं.	अर्जित रकमा (रु. में)		
(1)	(2)		
369	0.0410		
370	0.0540		
371	0.0650		
436	0.0340		
373	0.1260		
375	0.0970		
376/1	0.0120		
376/2	0.2250		
377/2	0.0170		
401	0.0950		
407	0.0320		
403	0.0420		
404	0.0780		
406	0.0100		
405	0.0460		
416	0.0720		
415	0.0090		
335	0.0310		
333	0.0990		
319	0.0940		
323	0.0720		
320	0.0790		
322	0.0720		
321	0.0320		
		146/1	0.0970
		146/2	0.0660
		236	0.0660
		235	0.0080
		234	0.0730
		226	0.1150
		214/1/23	0.0600
		213	0.0730
		163	0.0050
		164	0.1290
		169	0.0920
		213	0.0030
		212	0.0750
		172/1	0.0490
		172/2	0.0250
		173	0.0600
		130	0.0950
		131	0.0640
		182	0.0640
		183	0.0130
		184	0.1510
		योग . . .	3.5400

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्रों, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी व्यापवर्तन परियोजना में बरगी व्यापवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौर (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत महाराी जिलेरिवा के नीलस्ता पाइजर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पू. अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1347-भू-अर्जन-2024. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. २४, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला सतना
(ख) रहसौल-चर्गाद
(ग) नारग्राम—राजामाफो
(घ) क्षेत्रफल 0.8540 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. में)
(1)	(2)
11/1	0.1690
12	0.1390
14/1/4	0.2680
14/2	0.0040
15/3	0.0130
16	0.2450
5	0.0060
7	0.0100
योग . . .	0.8540

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन कंपनी, नन्दा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र.) द्वारा बरगी व्यवर्तन परियोजना में बरगी व्यवर्तन परियोजना अंतर्गत चर्गाद (सतना), शशा नहर के अंतर्गत उमरहाट विस्तारित के संशोधन माइल नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1347 भू अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. २४, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) रहसौल—बिरामिंहपुर
(ग) नारग्राम—अगिरिया
(घ) क्षेत्रफल—0.1060 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. में)
(1)	(2)
2/3	0.1060
योग . . .	0.1060

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यवर्तन परियोजना अंतर्गत चर्गाद सतना, शशा नहर को टेल विस्तारित के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1399 भू अर्जन 2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. २४, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) रहसौल—रानपुर बाघेतान
(ग) नारग्राम—संहरुआ नं. 1
(घ) क्षेत्रफल 0.7710 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. में)
(1)	(2)
14/1/1	0.1300
14/1/2	0.0990
14/5	0.0020
योग . . .	0.2710

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यवर्तन परियोजना अंतर्गत टेल शाखा नहर के अंतर्गत संहरुआ सभागान्तर 2 के निर्माण हेतु।

(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पू. अर्जने), जिला रातना के न्यायालय में किया जा सकता है.	(1)	(2)
	रातना, दिनांक 28 जून 2024	83/2	0.0730
	क्र. 1368-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात को समाधान हो गया है कि गौंचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सामंजसिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-	77/1	0.0510
		77/2	0.0360
		77/3	0.0360
		77/4	0.0370
		77/5	0.0360
		77/6	0.0480
		77/7	0.0360
		77/8	
		77/9	0.0590
		77/10	0.0230
		57	0.1090
		58	0.3780
		65/1	
		65/2	
		65/3/1	0.3040
		65/3/2	
		65/3/3	
		60/1	
		60/2/1	
		60/2/2	0.7550
		60/3/1	
		60/3/2	
		60/3/3	
		64/1	
		64/2	
		64/3/1	0.7380
		64/3/2	
		64/3/3	
		50/1	0.2070
		50/2	0.2720
		50/3/2	0.0130
		50/3/2	0.1050
		49/1	0.0960
		93/1	0.0610
		93/3	0.1460
		56	0.0040
		76	0.0750
		112/2/2	0.0050
		योग	5.9480
		(2)	सामंजसिक प्रयोजन के लिये अर्जन आवश्यक है—बसोंी व्यवर्तन बसिर्ोजना अंतर्गत नगौद-सतन शाख नहर के निर्माण हेतु.
		(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पू. अर्जने), जिला रातना के न्यायालय में किया जा सकता है.
		83/1/1/1	0.0570
		83/1/2	0.0290

सतना दिनांक - जुलाई 2024

क्र. 1394-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, वानुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) गाव/ग्राम—अकौती कोटार
(घ) क्षेत्रफल—1.9750 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित (क.ब. (हे. में))
(1)	(2)
213/1/1	0.0990
213/1/2	0.0990
209	0.0260
205	0.0800
202/1	0.0240
202/2	0.0160
202/3	0.0870
196/1	0.0830
196/2	0.0130
108	0.0070
105/1/1	0.0170
108/1	0.0450
108/2	0.0060
106/3	0.0050
106/4	0.1090
107/1	0.0750
107/2	0.0050
114	0.0580
96	0.0640
115	0.1000
95	0.0420
118	0.0350
120	0.0710
94	0.0130
122/1	0.0170
122/2	0.0770
122/239/1/1	0.0160
122/239/1/2	0.0160
122/239/2/1	0.0160
122/239/2/2	0.0160

(1)	(2)
174/1/1	0.0150
2/1/1/1	0.0500
2/1/1/2	0.3600
2/1/2	0.0100
2/2	0.0800
योग . . .	1.9750

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— वरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रेली शाखा नहर की सौनीरा वितरिका एवं लेव्हास राव पाइन्स 1 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1395 भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) गाव/ग्राम—ओवरो कोटार
(घ) क्षेत्रफल—4.7310 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित (क.ब. (हे. में))
(1)	(2)
143/1	0.2150
144/1/1	3.1740
144/2	0.0840
145/1	0.0220
148/1/2	0.0570
148/2/1	0.0610
148/2/1	0.0250
149/1/1	0.0690
149/2/2	0.0080
114	0.1620
102/1/1	0.0740
107/1/2	0.1230
102/1/3	0.1050
107/682/1	0.0400

(1)	(2)
101/682/2	0.0600
107/7	0.2430
46/2	0.0370
46/3	0.0140
46/4/1	0.0320
46/5/1	0.0910
46/5/2	0.0910
30/3	0.0610
31/3	0.0080
41/2	0.0500
44/1	0.0120
44/7	0.0450
44/3	0.0700
79/1	0.0100
29/2	0.0400
124/1/1	0.0610
124/2	0.1070
125/2	0.0300
126/1/1/1	0.0410
126/2	0.2800
86/1	0.0950
86/3	0.0950
87/3	0.0160
89/1/1	0.1350
89/1/2	0.1000
89/2	0.0150
115/1	0.1250
116/1	0.7500
104/2	0.0090
97/1	0.5000
97/2	0.3820
121/1	0.0120
121/2	0.0200
121/677	0.0240
121/678	0.0080
122/1/1	0.0480
योग . . .	4.2310

- (2) सार्वजनिक प्रयोजना जिसके लिये अर्जन आवश्यक है बरगी व्यवस्था-परियोजना अंतर्गत रोवा हाथा नहर अत्याही निर्माणा एवं खेरिव गैसवर माइलर के निर्माण हेतु
- (3) भूमि के नर्स (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सदन के न्यायलय में विंगा जा सकता है.

क्र. 1396 भू अर्जन 2024.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजना के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क. एक, सं. 2013) को धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यक है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(ग. प्र. शरणागिती खाता)

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—रानपुर बजेलान
 (ग) नगरपालिका—छेहकथा नं. 1
 (घ) क्षेत्रफल—1.7830 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
66/1/2	0.147
66/2/1	0.048
66/2/2	0.048
66/2/3	0.048
70	0.007
69	0.120
74/1	0.015
74/2	0.015
74/3	0.015
26/1	0.106
759	0.001
260	0.058
756	0.003
258	0.061
25/1	0.041
89	0.001
90/1	0.032
90/2	0.019
91	0.005
93	0.003
94/1	0.015
85/1	0.003
95/1	0.010
95/2	0.069
84/1/1	0.048
84/1/2/1	0.018
84/2/2	0.087
21/1/1	0.054
21/2/2	0.004
19	0.062

(1)	(2)	(1)	(2)
18/2	0.024	401/2	0.0370
17	0.055	401/3	0.0390
115/2	0.005	401/4	0.0800
16	0.003	402/1/2/2	0.2570
116/1	0.033	402/1/5/1/1	0.0960
117/1	0.030	402/1/1/2	0.0570
147/1	0.096	402/1/8/1/1	0.0010
12	0.081	402/1/8/2	0.0580
11	0.016	403/1	0.1890
10/1	0.010	403/2	0.0390
10/2	0.121	404	0.0500
8/1	0.064	407/1/1	0.0430
8/2	0.014	407/1/3	0.0380
8/3	0.068	407/1/8/2	0.0840
योग	1.783	407/2	0.0260
(2) सार्वजनिक प्रयोजन विराके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगो व्यपतर्तन परियोजना अंतगत रीवा शाखा नहर के अन्तगत लेहका माह्तर के निर्माण हेतु.		331/1	0.0890
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		331/2/1	0.1140
		329	0.0130
		337	0.0800
		337/1/1	0.0390
		337/1/2	0.0590
		314/1	0.0670
		314/2	0.0080
		313	0.0400
		310/1	0.0900
		311/1/1	0.1030
		317/2/1	0.1110
		479	0.0010
		480/2	0.0010
		480/3	0.0100
		473/2/1	0.0830
		477	0.0280
		475	0.0160
		472/2	0.0640
		473	0.0370
		494	0.0260
		493/1	0.0540
		496/1/1	0.0220
		496/1/2	0.0770
		499/2	0.0490
		500/1/1	0.0520
		500/1/3	0.0750
		165/1	0.0260
		165/2/2	0.0260
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. गै.)		
(1)	(2)		
383/1	0.1640		
385/2	0.0780		
383/3	0.0780		
390/2	0.0490		
390/3	0.0490		
722	0.1080		

क्र. 1397-पू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि गाँवों की गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अतः पू-अर्जन अधिनियम, 2013 (संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को इस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) बिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बरपेड़ा
(ग) नगर/ग्राम—कल्ल
(घ) क्षेत्रफल—5.0140 हेक्टेयर.

(1)	(2)	अनुसूची	
781/2	0.0660	(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निर्णय आता)	
183	0.0720	(क) जिला—सतर	
182/1	0.1510	(ख) तहसील—सगपुर बापेलान	
182/2	0.0400	(ग) नगर/ग्राम—लंदरा	
178/3/1	0.0580	(घ) क्षेत्रफल—5.4640 हेक्टेयर	
78/4/1	0.1040	खसरा नं.	आंकित रकबा (हे. मं.)
177/1	0.0500	(1)	(2)
177/2	0.0500	13/1	0.0020
177/4	0.0750	12/1/1/1	0.0750
177/5	0.0250	12/1/2	0.0150
1/5	0.0700	2/	0.0070
174/2/1	0.1270	11/2	0.0200
164	0.0850	163/2	0.0760
161/1	0.0240	231	0.0160
160/1	0.0110	216	0.0750
90/1	0.1070	249/1	0.0040
90/2	0.0810	250	0.0070
91/1	0.0040	448	0.0290
91/2	0.0050	453	0.0620
95/1	0.1910	454	0.0160
95/3	0.0020	454	0.0320
101	0.1870	470	0.0250
100	0.0120	423/2	0.0020
40/1	0.0470	363	0.0440
40/2	0.2310	358/1	
3/	0.0090	358/2	
38	0.1380	358/3	0.0500
39/2	0.0020	358/4/1	
योग . . .	3.0140	358/4/2	
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरनी अपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीप शाब्दी नहर के कस्बा सभ माइनर के निर्माण हेतु	258/5	
(3)	भूमि के नशे (प्लान) का निर्देशन, फ्लेक्टर (पू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है	352/1	0.1680
		352/2	
		9/1	0.0320
		10/2	0.1850
		11/1/1	0.0450
		11/2	0.0170
		27	0.1650
		24/1	0.0910
		24/2	0.0560
		25/1	0.1320
		12/1/1/1	
		12/1/1/2	
		12/1/2	
		12/1/3	0.2350

क्र. 1398 थू अर्जन-2024.—चूंकि, उच्च शाना को इस बात का आश्वासन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में आंकित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. आतः पू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (अ. प्रक. सं. 2013) के धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1)	(2)	(1)	(2)
121/2/1		719/1	0.0640
121/2/2		219/2	0.0170
121/2/3/1		248	0.0070
121/2/3/2		251	0.0180
123/1/1/1		753	0.0400
123/1/1/2		254/1	0.0790
123/1/2		755	0.0190
123/1/3	0.0820	256	0.0020
123/2/1		257	0.0020
123/2/2/1		258	0.0020
123/2/2/2		767	0.0280
126	0.1150	260	0.0060
128/2	0.1070	409	0.0400
129/1	0.2850	455	0.0870
136/1	0.1640	459/2	0.0100
136/3	0.7750	439/3	0.0150
136/5	0.0600	459/4	0.0150
146/1	0.0320	439/32/1	0.0700
146/2	0.0320	439/32/2	0.0050
146/3	0.0120	460	0.0700
146/4	0.0610	468/1	0.0330
147/1	0.0400	471/1	0.0080
147/2	0.0160	471/2	0.0770
147/3	0.0400	472	0.0060
147/4	0.0400	477/1	0.0200
165	0.0050	477/2	0.0040
164/1	0.2200	477/3	0.0040
164/2	0.0200	477/4	0.0010
200/2	0.0020	477/5	0.0040
201	0.0580	477/6	0.0200
204	0.1750	478	0.0750
198/1		479	0.0280
198/2	0.0020	480	0.0060
198/3		481	0.0300
205/1/1	0.0190	365/1	0.0080
205/1/2	0.0020	365/2	0.0080
207/1	0.0090	366/1	0.0840
207/2	0.0480	366/2	0.0840
207/3	0.0480	367/1	0.0200
193	0.0400	362/2	0.0080
194	0.0560	360	0.0320
218	0.0520	359	0.0450
220	0.0150	354/1	0.0200
229	0.0300	354/2	0.0440
230	0.0360	353/1/1/1	0.0020
		353/1/1/2	0.0070

(1)	(2)	(1)	(2)
353/1/2	0.0060	460/6	0.0120
492/2	0.1250	460/7	0.0120
450/1	0.0500	460/8	0.0120
26	0.0550	460/9	0.0110
योग	5.4640	योग	0.9710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— वर्गीकृत जनपदों परियोजना अंतर्गत रोवा शाखा नगर के सौतौर वितारिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निर्देशन, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतत के न्यायालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— वर्गीकृत जनपदों परियोजना अंतर्गत रोवा शाखा नगर के सेहसूआ माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निर्देशन, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतत के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1400 भू अर्जन 2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. 24, अन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/विजो खाता)

- (क) जिला—सतत
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—सिलपरी
(घ) क्षेत्रफल—0.9710 हेक्टेयर.

अवकाश नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
461	0.0140
465	0.0280
466	0.0240
464/2	0.0610
464/3	0.0670
470/3	0.7170
463	0.0340
459/1/1	0.0450
459/1/2	0.0510
459/2	0.1180
460/1	0.0460
460/2	0.0450
460/3	0.0460
460/4	0.0460
460/5	0.0010

क्र. 1401-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, अन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/विजो खाता)

- (क) जिला—सतत
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—छटपरी
(घ) क्षेत्रफल 5.9060 हेक्टेयर.

अवकाश नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
359	0.1710
362	0.0110
360	0.1540
364	0.0280
365	0.1560
367	0.3790
368	0.0470
366	0.0190
337	0.0990
486/7	0.0050
486/4	0.2770
388/2	0.0160
494/1	0.1250
484/2	0.2320
485/1	0.1460

(1)	(2)	अनुसूची	
485/2	0.0040	(1) भूमि का वर्णन -- (म. प्र. शासन-निजी खाता)	
511	0.0320	(क) बिछा-सड़वा	
483/1	0.0050	(ख) तहसील-कोली	
483/2	0.0840	(ग) नगर/ग्राम--धंवर	
512/1	0.0680	(घ) क्षेत्रफल--8.1240 हेक्टेयर	
512/2	0.2100	घनरा नं.	संश्लेषित एकता
513/1	0.0420	(1)	(2)
464/2	0.4370	525/2	0.5030
515	0.3520	522/1	0.1010
516/1/1	0.1700	522/25/1	0.0500
516/2	0.2190	577/73/2	0.0500
516/3/1	0.1040	522/23/3	0.0500
519/1/2/2	0.0150	520	0.9610
519/1/2/3	0.1380	681	0.0220
519/1/4	0.1690	680	0.2870
519/1/6	0.0810	682	0.6470
519/2/2	0.1720	695/1/1	
561	0.2590	695/1/2	
558	0.2470	695/2/1	0.3880
556/1	0.1100	695/2/2	
556/2	0.0240	696/1/2	0.0580
555/1	0.0240	374/1/2	0.0140
555/2	0.1120	697/1/2	0.0120
573/1	0.0010	699	0.0370
387/593	0.0890	698/1	0.0300
572/1	0.0960	761/1	0.3250
577/2	0.4900	281/2	0.1850
562	0.0190	780	0.0150
योग	5.9060	279/1	0.2300
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन निराके लिये अर्जन आवश्यक है चर्चा व्यपन्न परियोजना अर्जित सेवा हाथा नहर के पड़रिखा निवारिका के निर्माण हेतु.	275	0.0180
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	276/2	0.0040
		276/3	0.0050
		276/4	0.0170
		270/1/2	0.1790
		270/1/3	
		275/1	0.0740
		275/2	
		271/1/1	0.0470
		271/1/2	0.0740
		271/2	
		273/1	0.0720
		272/1/1	0.0330
		272/1/2	0.0700
		272/2	

क्र. 1407-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन के इस आदेश का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के गट (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के गट (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, यातः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1)	(2)
269/1	0.0120
269/2	0.0100
268/1	0.1060
268/2	
267/1/1	
267/1/2	0.0460
267/1/3	
265	0.2120
266/1	0.0720
266/2	0.0450
266/3	0.0190
256/2	0.0780
246/1/1	0.0230
246/1/2	0.0700
246/1/3	0.0200
246/2/1	
249/2/1	0.1460
250/2/1	
246/3/2	
249/2/1	0.1460
250/2/2	
246/3/3	
249/2/3	0.1460
250/2/3	
246/3/4	
249/2/4	0.1460
250/2/4	
250/1	0.0200
248/1	0.0770
248/2	0.0570
293/3	0.0040
293/1	0.0160
277	0.2010
381	0.0010
521	0.0020
523/1	0.0100
499/1	0.0110
499/2	0.0050
499/3	0.0050
योग	6.1240

- (2) शार्वजनिक प्रयोजन बिनके लिये अर्जन आवश्यक है— कृषी व्यवस्था परिवर्तन अंतर्गत नागौर-सदरना शहर नगर के विभांग सेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निर्माण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला मजरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1408-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित शार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सं 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/वि. नो. खाता)

- (क) जिला—सतरा
(ख) तहसील—कोठी
(ग) नगर/ग्राम—दीकर
(घ) क्षेत्रफल—6.9800 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
11/2	0.1730
11/3	0.1230
12/1	0.3040
12/2	0.3030
14	0.0490
27/1	0.1200
27/2	0.1370
27/3	0.1200
28	0.2400
26	0.2850
25	0.1640
24	0.1260
12	0.0930
73	0.2870
74/1/1/1	0.0080
74/1/1/2	0.0080
74/1/2	0.0120
74/1/3	0.0120
74/1/4	0.0120
74/2	0.0090
75	0.1660
76	0.0950
77/1	0.0670
81/1	0.1060
84/2	0.0420
76/1	0.0290
76/2	0.0290
198	0.0410
199	0.0810
200	0.0930

(1)	(2)
209	0.0200
201/2/1	0.0120
201/2/2	0.0120
201/2/3	0.0120
201/2/4	0.0120
203	0.1900
707/1	0.1120
207/2/1	0.0420
207/2/2	0.0420
206/1	0.0420
206/2/1	0.0310
206/2/2	0.0310
496/2/2/1	0.4280
496/2/2/2	0.4280
232/1	0.1700
232/2	0.0000
235	0.0370
74	0.0690
75	0.1050
236	0.1620
257/2	0.1450
251	0.1120
250	0.0570
251/1	0.0120
251/2	0.0120
257	0.0200
244/1/2	0.0280
246	0.0770
242/1	0.0370
242/2	0.0320
248/1	0.0460
248/2	0.0450
249	0.0400
264/1	0.0060
264/2	0.0060
265	0.0070
31/1	0.0160
32/1	0.1000
32/2	0.1450
32/3	0.1150
32/4	0.0680
79	0.0700
80	0.0250
81	0.0520
82	0.0360
83/1	0.1120

(1)	(2)
13/7	0.1210
72	0.0650
73	0.0610
123/1/1/1	0.0400
योग . . .	6.8800
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगो व्यपचर्जन परियोजना अंतर्गत नागौद-सवन शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (पू-अर्जन), जिला सतना के आयालय में किया जा सकता है.

क्र. 409-पू-अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः पू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(ग. प्र. शासन-निजी खात)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोंजे
(ग) नगरपालिका—चोरहाटी
(घ) क्षेत्रफल—6.5720 हेक्टेयर.

समा नं.	वर्णित क्षेत्र (इ. ई.)
(1)	(2)
64/1	0.4740
61/2	0.1830
66/1	0.1150
66/5	
66/4	
66/2/1	0.0620
66/2/2	
66/5	
67/1	0.1070
67/3	
67/4	
67/2/2	0.0590
67/2/1	
67/5	
67/2/3	0.1120
67/2/4	

(1)	(2)	(1)	(2)
289/3/1		206/2	0.0200
289/3/2		206/3	0.0900
289/3/3	3.0810	703	0.0100
289/3/4		798	0.0210
289/3/5		707/1	
297/1/1	0.1550	707/1/1/1	
297/1/3	0.0680	707/2/1/2	0.3900
297/2	0.0680	707/2/23	
290/1	0.0930	707/3	
290/4	0.0910	707/4	
283/1/1	0.1450	708/1	0.1000
291/3/2	0.0290	708/2	
291/3/3	0.0290	197/1	0.0280
291/3/4	0.0300	197/2	0.0170
292/1	0.0900	197/3	0.0280
293	0.1730	197/4	0.0090
344/7	0.0050	193/2	0.0160
345/1	0.0050	196/2	0.0050
277	0.0010	709/1	0.0080
263/1	0.0040	709/2	0.0080
269/2	0.0020	716/2	0.0320
685/1	0.0720	296/1	0.0120
685/2	0.0720	296/2	0.0210
686/1	0.0130	298	0.0050
686/2	0.0120	295	0.0100
686/3	0.0170	294	0.1290
686/4	0.0120	280	0.0490
268/2	0.0430	671/1	0.1220
266/1/1	0.3040	671/2	
266/1/2	0.0850	671/3	
266/2	0.1190	672/1	0.0530
287/2	0.0810	673/1	0.1700
687/1/1	0.0650	673/2	0.1050
687/1/2	0.0310	279	0.0100
687/2	0.0210	274/1	0.1860
694	0.2140	274/2	
695/1/1/3	0.0850	715/2	0.3070
695/1/2	0.0350	684/1/2	0.0650
695/3	0.2180	684/2/1	0.2300
701	0.0200		
702/1	0.1240		
702/2	0.1200		
702/3/1	0.1200		
207/1	0.0500		
707/1/1	0.0100		
207/2/2	0.0450		

योग . . . 6.5720

- (2) सर्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— वरगी जगजनेन गाँवजना अंतर्गत नागीर-सतना ज़ाया नहर के निर्माण हेतु.
- (3) ग्राम के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (धु अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किय जा सकता है.

क्र. 1410 भू अर्जन 2024.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि गाँवों दो गई अनुसूची के पद (1) में निर्दिष्ट भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित आर्थिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की प्रा. 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खातः)

- (क) जिला—रातना
(ख) तहसील—कोटी
(ग) नगर/ग्राम घड़ेरुवा
(घ) क्षेत्रफल—4.0320 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
78	0.6120
89	0.2780
90	0.6200
91/1/1/1	0.5380
91/1/1/2	0.1180
91/1/2	0.2380
91/2/1/2	0.0800
91/2/2	0.3710
99/1/1	0.1360
99/1/2	0.1580
99/1/3	0.1470
99/2/1	0.6370
97/3/1	0.0990
97/3/2	
योग	4.0320

- (2) आर्थिक प्रयोजन विराम के लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यववर्तन परियोजना अंतर्गत नागौर-सतना शाखा नहर के मोहानल वनशाखा नहर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निर्माण, कलंकर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1411 भू अर्जन 2024.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि गाँवों दो गई अनुसूची के पद (1) में निर्दिष्ट भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित आर्थिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की प्रा. 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खातः)

- (क) जिला—रातना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) नगर/ग्राम—गुरुश्रीचमपुर
(घ) क्षेत्रफल—2.8990 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
76/1	0.2700
79/1	
78/1/1	0.0120
78/1/2	0.4560
84/1/1/1/1	0.1820
84/1/1/2	0.0580
84/1/1/3	0.1580
84/1/4	0.0110
83/2/2	0.0300
68/1/1	0.0020
68/1/2/1	0.0260
68/1/2/2	0.0470
66/1/2	0.4150
66/2/2	0.0200
88/2	0.0120
88/3	0.0120
88/4	0.0120
88/5	0.0040
91/1	0.0040
91/2	0.0510
91/3	0.0080
91/4	0.0160
90/1	0.1400
90/2	0.1700
90/3	0.1360
91/2/2	0.0070
92/1	0.0170
89/3/2/1	0.4310
67/1	0.0360
67/2	0.0430
योग	2.8990

- (2) आर्थिक प्रयोजन विराम के लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यववर्तन परियोजना अंतर्गत नागौर-रातना शाखा नहर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निर्माण, कलंकर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1412-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौर
(ग) नगर/ग्राम—गनार
(घ) क्षेत्रफल—2.0/50 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
41/9/1	0.1610
41/10/3	0.0810
41/11/1	0.2100
41/5/2/1	0.0520
41/6	0.0320
74/7/6	0.1350
87	0.0450
75/1/1	0.0950
75/1/2	0.1750
75/1/3	0.1050
75/2/1	0.0300
75/2/2	0.0570
34/1	0.0360
34/2	0.0400
35/1/1	0.0360
76/1	0.1770
76/2	0.1730
76/3	0.1730
35	0.0210
77/1	0.0590
77/2	0.0650
77/3	0.0650
78/1	0.0580
78/2/1/1	0.0190
78/2/1/2	0.0160
79/1	0.0380
78/3/1/1	0.0080
योग . . .	2.0750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगो जयपर्वत परियोजना अंतर्गत नागौर-सतना शाख नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1413 भू अर्जन 2024.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—रामपुर चौरासी
(घ) क्षेत्रफल—3.5170 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
557/1/7	0.0740
553/2/7	0.0480
79	0.9440
80	0.0020
712/1/4	0.1090
712/1/1	0.1090
563/3	0.1660
917/7/1	0.1010
947	0.0130
105/2/6	0.1300
565/2	0.2110
917/1/2	0.1210
552/1/2	0.1150
563/1	0.3650
619	0.0250
565/3	0.1210

(1)	(7)	554/1526/2/1	0.109
424/1/2	0.0120	554/1526/2/2	0.274
712/2	0.1090	554/1526/2/3	0.1090
773/2	0.0160	554/1	0.3630
757/3	0.0160	32/3	0.2200
837/1	0.0080	योग	8.5170
92/1/2	0.0400	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये वर्जन आवश्यक है - बरगो व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नगौर सतना शाखा नहर के सोहरावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
583/7	0.0080	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-वर्जन), जिला राजना के न्यायालय में किया जा सकता है.
710	0.1020	क. 7115 भू वर्जन 2021.— भूमि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दो नई अनुराती के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-वर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क. एक, सन. 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है.—	
554/1526/3	0.2170		
562/2/2	0.1190		
561/7/1/7	0.0740		
91/2	0.5180		
93/3	0.3210		
712/1/3	0.1090		
712/3	0.1100		
713/3	0.0760		
70/1/1/3	0.0980		
830/1	0.0350		
551/1	0.1580		
837/1	0.4220		
817/1	0.0900		
822/1	0.0610		
712/1/7	0.1090		
118/3/3	0.0250		
583/1/1	0.0080		
835	0.2200		
835/2	0.2650		
832/2	0.0080		
540	0.1180		
539	0.0860		
562/1/1/2	0.1730		
92/2	0.2200		
554/1526/1	0.3370		
827	0.0600		
70/1/1/2	0.0980		
562/1/3	0.1140		
418/3/2	0.0250		
554/2	0.0170		
583/1/2	0.0080		
		खसरा नं.	अर्जित रुकबा (हे. में)
		(1)	(2)
		238	0.0120
		737/1/1	0.0170
		737/1/7	0.3710
		737/1/3	0.0440
		737/2/2	0.1540
		737/7/3	0.0380
		237/2/7	0.1570
		247/2/2	0.0570

(1)	(2)
247/6/3/2	0.2640
232/1/1	0.2760
232/2	0.2820
232/3	0.2700
232/4	0.2700
226	0.3350
216	0.0280
217	
218/1	0.0900
218/2	
219	0.0140
193	0.1540
191/2	0.0150
192	0.0460
190	0.0570
189	0.0530
184	0.0160
185	0.0400
186	0.1010
187/1	0.1770
187/2	0.0570
183	0.0200
231	0.0250
215/1	0.0080
194	0.0310
195	0.0070
196	0.0070
197	
217/1/1	0.0880
183	0.0020

योग . . . 3.0570

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है अर्थात् जनसंचरण परियोजना अंतर्गत नगरपालिका शाखा नहर के निर्माण हेतु
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सदन के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1326-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में जर्जित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में अल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) को धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सदर
(ख) तहसील—उमपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—डुडहा
(घ) क्षेत्रफल—6.8820 हेक्टेयर.

खसरा नं.	जर्जित रकबा (हे. गै.)
(1)	(2)
417/3	0.7430
401	0.0120
289/1	0.0560
289/2	0.0700
204	0.0060
200	0.0070
199/1	0.0010
192	0.0020
191	0.0010
190/1	0.0320
186/1	0.0250
186/2	0.0670
420/1	0.0960
424/2/1	0.0310
424/2/2	0.0370
424/2/3	0.0370
424/2/4	0.0310
424/3/3	0.0100
424/3/4/1	0.0760
424/3/5	0.0100
420/5	0.7100
201/2/1	0.4800

(1)	(2)	(1)	(2)
201/2/2	0.480	185/1	0.0690
201/2/3	0.480	185/7	0.0450
202/2	0.110	187/2	0.0020
703/1	0.1020	286	0.1140
203/2	0.0870	787	0.1070
372	0.0230	290	0.0380
373	0.5100	358	0.0250
374	0.0780	291/1/1	0.0410
251	0.1460	291/1/2	0.0930
253/3	0.0020	365	0.0020
382	0.1080	366/1	0.0210
383	0.3550	366/2	0.1150
384/4	0.0910	367	0.0120
414/1	0.1220	368	0.1060
114/2	0.1600	423/1	0.0360
414/431/2	0.0190	423/6	0.1770
415/1	0.0080	426/1/1/1/1/3	0.0810
415/2	0.0080	426/1/1/1/2/2	0.1030
416	0.2030	426/1/1/6/2	0.0060
189/2/2	0.0460	426/2/1	0.1030
193/1	0.0680	426/1/1/3/1	0.0810
196/2	0.0760	426/2/1/1/1	0.0580
196/3	0.0700	426/2/2	0.0710
409	0.3050	426/3	0.1670
410	0.0130	369	0.0020
393	0.1350	285	0.1460
391	0.0020	381	0.0070
396	0.0740	338/1/2	0.0010
299/1	0.0040		
299/2	0.1070		
300	0.0570		
218/2	0.0020		
749	0.0700		
134/1	0.3700		
184-2/1	0.0100		
134/3	0.6000		
		योग	6.8820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिले के लिए ध्वस्त आवश्यक है— बरनी व्यापवर्तन परियोजना अंतर्गत राजा शाखा नहर बीजनाहा विस्तारिका एवं इटमा माइनर तथा तुम्हा माइनर के निर्माण हेतु,

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, (पू. अर्जन), जिला: रातन: के न्यायालय में किया जा सकता है.

नं. 1348-मु-उर्जन-2024

भूमि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में उल्लिखित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः मु-उर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (अ-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

अनुसूची

(1) भूमि का उर्जन: (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला: -सतना

(ख) तहसील: -नागौद

(ग) गाँव / ग्राम - चकाला

(घ) क्षेत्रफल- 2.014 हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकम
1	110	0.094
2	109	0.003
3	108	0.093
4	107	3.008
5	106/2	0.117
6	125	0.055
7	128	0.055
8	129	0.047
9	142	0.081
10	148	3.067
11	159/201	0.069
12	157	0.052
13	156/1/53	0.051
14	93/210	0.128
15	92	0.120
16	85	0.071
17	85/1/83	0.037
18	86	0.029
19	84	0.076
20	76/1	0.060
21	76/2	0.030
22	64	0.073
23	25	0.542
24	24	3.177
25	11	0.227
26	21	0.090
27	12	0.023
योग-		2.014

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन बंगी, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के तिघरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि को नवरी (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (मु-उर्जन) जिला सतना को न्यायालय में किया जा सकता है।

ल.-1349-भू-अर्जन-2024

भूमि राज्य सरकार को दान वार का समझान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची को पद (2) में वर्णित/विवृत सामंजसिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। आ: भू अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (अ-एक) का 2013) की धारा 9 के अन्तर्गत इनके दायर यह घोषित किया जाता है कि इन भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन- (सबू रसन/निजी धार):

(क) जिला-सतना

(ख) गढ़वाल- भागीरथ

(ग) नगर/पंच दुर्गडिया

(घ) क्षेत्र- 224770:

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकम (₹ में)
1	501- 1	0.080
2	503-1	0.151
3	525	0.072
4	520	0.024
5	512	0.071
6	53	0.014
7	518	0.031
8	517	0.016
9	522	0.007
10	243	0.160
11	246	0.075
12	247	0.095
13	249	0.023
14	253	0.074
15	251	0.033
16	252	0.013
17	263	0.006
18	261	0.040
19	262	0.032
20	260	0.043
21	256	0.016
22	254	0.105
23	89	0.047
24	87	0.140
25	702	0.072
26	717	0.099
27	72	0.004
28	742-1/2	0.011
29	737-1/1	0.065
30	751-1/3	0.024
31	750-1/2	0.058
32	742	0.010
33	22-1	0.109
34	22/2	0.255
35	7	0.009
36	20	0.49
कुल योग--		2.247

- (2) सामंजसिक प्रयोजन के लिये अर्जन 5 25270 ₹-कार्यपालन में, 4-वां बिकान नम्बर 2-जिला-सतना (सबू) द्वारा करणी व्यवहारेण परिपालन में करणी व्यवहारेण परिपालन-अर्जित भागीरथ (सतना) बांधा नगर को अर्जित दुर्गडिया एवं साइबर नगर को निर्माण हेतु।
 (3) भूमि को नयेसे (पलन) का निर्माण कारोबदार (सु-अर्जन) जिला सतना को म्यादाकार में देना जा सकता है।

क्र. 1350-मू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः मू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इलाके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - चन्दकोवा

(घ) क्षेत्रफल- 1.0680 हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्पित रकबा (व.मै.)
1	439/29/3/1	0.1000
2	439/29/3/2	0.1000
3	439/29/3/3	0.0500
4	411/27	0.0820
5	410/28	0.2490
6	409/30/2	0.0720
7	413/26/1	0.1200
8	414/20/3	0.0140
9	415/19/3	0.0800
10	415/19/4	0.0030
11	415/19/5/1	0.1510
12	415/19/5/2	0.0470
कुल योग-		1.0680

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सभाग कर्मक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यवस्थापन परिषद्ना में बरगी कर्पदतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा भाइर के चन्दकोवा सवमइतर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (मू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

फ.135/ यू अर्जन 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का सम्मान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः यू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (अ-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची:

(1) भू-के का वर्णन- (स.प्र. शासन/निजी आवा)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौर

(ग) नगर /ग्राम - अमकुई

(घ) क्षेत्रफल- 2.7630हे।

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे.मै.)
1	244/1/1/2	0.1910
2	244/1/2	0.0100
3	243/1	0.0790
4	243/2	0.0750
5	243/3	0.0803
6	243/4	0.1010
7	245/1	0.0120
8	240	0.1130
9	239/1	0.0920
10	237/1	0.0450
11	237/2	0.0500
12	228/2	0.1030
13	236/1	0.0320
14	236/5	0.1090
15	220/1	0.2260
16	221/1	0.0150
17	222	0.2350
18	224	0.2720
19	21/1/1	0.0790
20	21/1/2	0.0550
21	21/1/3/1	0.0270
22	21/1/3/2	0.0270
23	21/1/3/3	0.0270
24	21/1/3/4	0.0270
25	21/1/4	0.0590
26	21/2	0.0630
27	13/1	0.1210
28	13/2/1/1	0.0410
29	13/2/1/2	0.0510
30	13/2/1/3	0.0440
31	13/2/2	0.0290
32	12/2	0.2830
33	9	0.0100
कुल योग-		2.7530

- 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन श्रेणी, नर्मदा विकास संभल क्रमांक-7 जिला-सतना (स.प्र.) द्वारा करणी व्यपकृतन परियोजना में करणी व्यपकृतन परियोजना अंतर्गत नागौर (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के फावार मइनर नहर के निर्माण हेतु।
- 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का मिलेकण कलेक्टर (यू-अर्जन) जिला सतना के आयालय में किया जा सकता है।

प्र.-1352-पू.-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि पीएनटीआई अनुसूची के पद (1) में वर्गीकृत भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के तहत आवंटन किया है। जहाँ भू-अभिलेख 2013, संशोधन क्र.-एक, चक्र 20/3 की धारा 18 में उल्लिखित इसके द्वारा पद (1) में उल्लिखित भूमि को उक्त प्रयोजन के तहत आवंटन के लिए अनुमति है-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्गीकरण (1/2, सार्वजनिक/निजी धारा)

(क) विज्ञान - सतना

(ख) एडमोबिलिटी - नागौर

(ग) भवन / वाहन - गुरुद्वारा

(घ) क्षेत्रफल - 2.0000 हे.के.

क्र.	खसरा न.	अंशित क्षेत्र (हे.के.)
1	219/2/1	0.1120
2	219/2/2	0.0170
3	219/4	0.0280
4	214/2	0.0150
5	213/1	0.0490
6	213/2	0.0380
7	212/1	0.0670
8	203	0.0310
9	206	0.0710
10	207	0.0180
11	203	0.0990
12	230	0.0450
13	49	0.0340
14	50	0.0780
15	45	0.0140
16	51	0.0840
17	52/1	0.0370
18	52/2	0.0040
19	64	0.0200
20	412/63/1	0.0160
21	412/63/2	0.0250
22	65	0.0150
23	66	0.0320
24	196	0.0530
25	195	0.0250
26	70/1	0.0180
27	73/1	0.1450
28	74/2	0.1640
29	72	0.0050
30	74/4	0.0190
31	81/2	0.0070
32	84	0.0280
33	31	0.0210
34	23/1	0.2160
35	28/2	0.0380
36	27/1	0.0860
37	27/2	0.0640
38	69	0.0150
39	26/2	0.0030
40	25/2	0.0050
कुल योग-		2.0080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन विकास विभाग द्वारा अर्जन 2024-25 में कार्यवाही की जायेगी, जहाँ विकास विभाग द्वारा कक्षा-7, बिल्डिंग-सतना (वि.प्र.) द्वारा जारी की जायेगी। अधिकृत अधिकारी को सभी जर्नल परियोजना अर्जन नॉटिस (1 व 2) जारी करके उक्त भूमि के अर्जन की विधियों के तहत आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए कहा जायेगा।

(3) भूमि की मालिक (जहाँ) को निर्देशित की जायेगी कि वे भूमि सतना के न्यायालय में लिखित या मौखिक रूप से सूचित करें।

क्र.-1353-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागीद

(ग) नगर /ग्राम -कटवरिया

(घ) क्षेत्रफल- 2.2860 हे०

क्र.	अंश नं.	अर्जित रकम (हे०)
1	380/1	0.0480
2	379/1	0.0800
3	378/1	0.0270
4	375/1	0.3170
5	374	0.0140
6	373	0.2150
7	304	0.0090
8	301/1	0.0190
9	301/2	0.1600
10	300/2	0.0150
11	298/2	0.1660
12	294	0.2190
13	295	0.0190
14	296/1	0.1640
15	296/2	0.4120
16	338/2	0.1910
17	337	0.0080
18	335	0.0160
19	334	0.0420
20	333	0.0740
21	331	0.0100
22	332	0.0230
23	340	0.0100
24	341	0.0080
कुल योग-		2.2660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागीद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्द्रकोटा साइनर के दुबहियान सक्माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का रीट्रिक्व फ्लेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मू-अर्जन प्रक्रिया अ 82/23-24 पत्र क्र. 1355/मू-अर्जन/2024 दि. 28/06/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे सलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुरनका 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 6 में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के समूह में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रतिकूल करता है। राज्य ही अधिनियम की धारा 11 (2) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्राथमिक अधिसूचना से विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करारगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के दूरा हो जाने के समय उक्त भूमि पर कोई विस्तारण सुचित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए संबंधित अधिकार	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जा नंबर तथा क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6
सतना	उधेहरा	बरगीरा	3357 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग को-OP नगौद जिला सतना (2024)	नगौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्द्रपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का वर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालक कलेक्टर (मू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1355 मू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः मू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन- (म.प्र. शासन/निजी खात)
- (क) जिला -सतना
 - (ख) तहसील -नगौद
 - (ग) नगर /ग्राम - गुनहर
 - (घ) क्षेत्रफल- 0.3400हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्चित रकबा (हे.मं.)
1	403/1	0.0420
2	403/2	0.1070
3	398/1	0.0090
4	399/2	0.0530
5	399/3	0.0720
6	393/2	0.0080
7	393/3	0.0130
8	395	0.0360
कुल योग-		0.3400

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नगौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्द्रकुइया माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (मू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

सं.-1356-सू-उर्जन-2024

शुद्धि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित/सिद्ध सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवंटित है। अतः सू-उर्जन अधिनियम 2013, सार्वजनिक (अ-एन, सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवंटित है-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन: (1) अ, ब, स, र/दि. आता।

- (क) जिला-सतना
- (ख) तहसील-सर्गौद
- (ग) गाँव/ग्राम-मुन्नाजपुर
- (घ) क्षेत्रफल- 0.665 हे.

क्र.	खतबे नं०	क्षेत्रफल (हे.)
1	171	0.19
2	172	0.14
3	18	0.037
4	20171	0.030
5	202	0.084
6	21	0.053
7	2011	0.001
8	22	0.028
9	24	0.014
10	222	0.025
11	23	0.150
कुल योग-		0.665

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन अंतर्गत है-कार्यपालन वही नगर विकास समिति कार्यालय-7 जिला-सतना (स.स) द्वारा बरती व्यवस्था परिशोधन में बरती व्यवस्था परिशोधन अंतर्गत सतना-सतना हाइला नहर के अंतर्गत व्यवस्था के लिये।
- (3) भूमि के पदों (स.स) का निर्धारण कलेक्टर (सू-उर्जन) जिला-सतना के माध्यम से किया जा सकता है।

सं.-1357-सू-उर्जन-2024

शुद्धि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में वर्णित/सिद्ध सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवंटित है। अतः सू-उर्जन अधिनियम 2013, सार्वजनिक (अ-एन, सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवंटित है-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन: (1) अ, ब, स, र/दि. आता।

- (क) जिला-सतना
- (ख) तहसील-सर्गौद
- (ग) गाँव/ग्राम-कवठिया
- (घ) क्षेत्रफल- 0.954 हे.

क्र.	खतबे नं०	क्षेत्रफल (हे.)
1	62	0.038
2	62	0.030
3	1017	0.01
4	14	0.020
5	11	0.016
6	12	0.02
7	11	0.02
8	5	0.045
9	4	0.027
10	61	0.019
11	62	0.012
12	31	0.022
13	32	0.037
14	10172	0.001
15	132	0.038
16	154	0.026
कुल योग-		0.954

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन अंतर्गत है-कार्यपालन वही नगर विकास समिति कार्यालय-7 जिला-सतना (स.स) द्वारा बरती व्यवस्था परिशोधन में बरती व्यवस्था परिशोधन अंतर्गत सतना-सतना हाइला नहर के अंतर्गत व्यवस्था के लिये।
- (3) भूमि के पदों (स.स) का निर्धारण कलेक्टर (सू-उर्जन) जिला-सतना के माध्यम से किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्रक्रिया अ 82/23-24 पर क्र. 1359 भू-अर्जन/2024 दि. 28/6/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भवा है। अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुरांव 2013 की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस उद्देश्य को सूचना दी जाती है; राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में एल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रद्विस्त करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 17 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ज़रमिज अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संयोजन नहीं करेगा या कोई संयोजन नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के अन्वय में धारा 17 से इतना अध्याय के अर्थात् कार्यवाहियों से पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विप्लवगर्भक गति नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्रतिष्ठित अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा (हे. मे. मीटर)		
1	2	3	4	5	6
सतना	उधेहरा	बैरागल	0.430 हे.	जयमाल वर्मा नगर विकास स्थान क्र. 27 नगौर जिला सतना (70940)	नगौर (सतना) तालुका नहर के अंतर्गत कानपुर रूठ मइन्टर नहर के निर्माण हेतु निम्न भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-1359-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समझाना पड़ा है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, अधिनियम क्र.-एफ. सं. 2013) की धारा 17 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन- (न.प्र. शासन/मि.सी. खाना)
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील - नगौर
(ग) नगर / ग्राम - इटमा
(घ) क्षेत्रफल - 3.109 हे.

क्र.	खसरा नं०	अर्जित रकबा (हे० मे०)
1	67	0.021
2	69	0.024
3	65	0.025
4	65	0.051
5	52	0.051
6	52	0.008
7	55	0.060
8	51	0.025
9	44	0.035
10	42	0.078
11	45	0.016
12	191 2	0.077
3	192 2	0.030
11	193	0.052
15	191	0.032
16	195	0.022

17	703/2	0.010
18	201	0.099
19	202/2	0.013
20	205/2/2	0.104
21	206/2	0.013
22	212	0.027
23	213/1/2	0.052
24	212/2/2	0.249
25	211/2	0.011
26	130	0.078
27	32-1/1	0.070
28	321-1/2	0.050
29	321/2	0.027
30	322/2	0.008
31	327-1/2	0.008

क्र. 1360-भू-अर्जन-2024

भूमि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (स.प्र. शासन/निजी स्वतः)
 (क) जिला -भारतवा
 (ख) तहसील-- नागोद
 (ग) नगर / ग्राम - इटमा
 (घ) क्षेत्रफल- 3.109 हे०

क्र.	व्यसथा -10	अर्जित रकमा (₹0 नै)
1	63.1	0.047
2	86	0.041
3	67	0.225
4	85	0.351
5	54	0.891
6	52	0.308
7	93	0.060
8	51	0.925
9	15	0.553
10	43	0.078
11	45	0.216
12	191.2	0.277
13	192.2	0.250
14	190	0.332
15	194	0.057
16	195	0.277
17	203/2	0.010
18	204	0.099
19	202/2	0.013
20	205/2/2	0.104
21	206/2	0.013
22	212	0.027
23	213/1/2	0.052
24	212/2/2	0.249
25	211/2	0.011
26	130	0.078
27	32-1	0.070
28	321-1/2	0.050
29	321/2	0.027
30	322/2	0.008
31	327-1/2	0.008

32	324/1/1	0.053
33	324	0.099
34	315/1	0.080
35	315/2	0.080
36	315/3/1	0.074
37	314/1	0.073
38	342	0.100
39	343	0.094
40	344	0.091
41	350/2	0.114
42	353	0.086
43	354/1/1	0.115
44	351/2	0.180
45	355/1/1/1	0.002
46	353/1/2	0.007
47	370/7	0.363
48	368/1	0.085
49	368/2	0.060
योग		3.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास समग्र कम्पक-7 जिला-सतना (ग.प्र.) द्वारा बरगो ज्यूपन/परियोजना में बरगी ज्यूपन परियोजना अंतर्गत गौरीद-स्तना शाला नहर को अंतर्गत गौरा नइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (रू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1361-मु-अर्जन 2024

छूटे चण्य मान्ना को हस्तगत का सम्बन्ध हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन में लिये आवश्यकता है। अतः मु. अर्जन अधिनियम 2013, अनुच्छेद 38-एक, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इससे प्राप्त हुए यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन में लिये आवश्यकता है-

(1) भूमि का वर्णन- (स.प्र. सामान्य/पैली चाल) अर्जुन
 (2) जिला- नरसरा
 (3) तहसील- एरंडोला
 (4) गांव / ग्राम - एरंडोला
 (5) क्षेत्रफल- 343490

क्र.	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल (घ. मी.)
1	192	0.220
2	194	0.765
3	18285	0.17
4	15	0.767
5	15	0.016
6	11	0.209
7	567	0.084
8	667	0.125
9	57701	0.032
10	87	0.084
11	8671	0.015
12	85	0.197
13	84	0.210
14	83	0.016
15	110	0.265
16	109	0.978
17	1052	0.704
18	10471	0.998
19	103	0.042
20	102	0.091
21	230	0.005
22	229	0.005
23	231	0.198
24	232	0.027
25	264787	0.157
26	263	0.015
27	262	0.057
28	264	0.194
29	274201	0.051
30	2721361	0.026
31	2721362	0.043
32	273108	0.021
33	2747	0.184
34	27427	0.147
35	274202	0.043
36	274202	0.084
37	2767	0.078
38	277771	0.010
39	507	0.084
40	259	0.081
	योग	3.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसमें लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन गाँव, नरसरा विकास समिति, क्रमांक-7 जिला-नरसरा (म.प्र.) द्वारा जारी सार्वजनिक परिशिष्टना में जारी सार्वजनिक परिशिष्टना अंतर्गत नरसरा-सागरा गाँव की अंतर्गत नरसरा विकास क्षेत्र के निम्नलिखित गाँवों में लिये लिये जा सकेंगे।

(3) भूमि के माली (माली) का निरीक्षण कलेक्टर (मु-अर्जन) जिला सागरा की कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1262-भू-अर्जन-2024

भूमि राज्य हासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (अ.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (स.प. शासक/निजी स्वामि)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौर

(ग) नम्बर /घर - मुगहर

(घ) क्षेत्रफल- 3.5740 हे०

#.	खतर नं.	खर्चा रु० (रु.मै.)
1	1110/1	0.0390
2	1099	0.0790
3	1097	0.0210
4	1058	0.0050
5	1093	0.0379
6	1094	0.0140
7	1092	0.0020
8	1045	0.0010
9	7346	0.0520
10	1047/1	0.0493
11	1047/2	0.0170
12	1048	0.0460
13	1025	0.0500
14	1023	0.0540
15	1013	0.0010
16	1014	0.0320
17	1016/1	0.1260
18	1016/2	0.0610
19	1015	0.0010
20	1017/1	0.0170
21	1005/1	0.0580
22	1004/1	0.0150
23	1003	0.0280

24	389	0.1750
25	390	0.0170
26	391	0.0120
27	397	0.0200
28	396	0.0120
29	398	0.0230
30	395	0.0080
31	394/1	0.0060
32	399	0.0340
33	370/1	0.0560
34	369/1	0.0160
35	369/2	0.0490
36	372/1	0.0040
37	372/2	0.0200
38	368	0.0100
39	367	0.0280
40	1182/367	0.0440
41	366	0.0150
42	1181/366	0.0440
43	365	0.0090
44	1180/365	0.0440
45	364/2	0.0070
46	358/2/1	0.1080
47	357/2/1	0.0080
48	354/3/1	0.0330
49	354/3/2	0.0900
50	352/1/1/1/1	0.0040
51	352/1/1/1/3	0.0710
52	355/1/1	0.0030
53	355/1/2	0.0400
54	355/2/1	0.0100
55	356/1/2	0.0910
56	356/2/1	0.0060
57	175	0.0150
58	173	0.0230
59	168	0.1690
60	172	0.0190
61	171	0.0300
62	170	0.0140

63	169	0.0040
64	167/1	0.0270
65	167/2/1	0.0090
66	167/2/2	0.0480
67	162/2	0.0790
68	47	0.0440
69	49	0.0280
70	48	0.0170
71	43/1	0.0090
72	43/2	0.0800
73	63	0.0710
74	64	0.0700
75	42	0.0020
76	65	0.0230
77	66	0.0480
78	67	0.0820
79	68	0.0890
80	70	0.0050
81	17	0.0310
82	19	0.0840
83	18	0.1030
84	6	0.0940
85	7	0.1280
86	8	0.1970
87	9	0.0160
कुल योग-		3.5740

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कम्पक-7 जिला-सतना (म.प्र.) हाथ बरगी व्यपर्वतन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत धन्डकुइया माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र- 1264 मू अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का सनाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः मू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इरुके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (ग.प्र. शासन/निजी ख.ता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - चन्दकुइया

(घ) क्षेत्रफल- 0.7100हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्जित एकता (हे.में.)
1	1060	0.0230
2	1059	0.0470
3	1061	0.0690
4	1062	0.0530
5	1049	0.0020
6	1048	0.0390
7	558/2	0.0680
8	561	0.0720
9	563	0.0760
10	562	0.0020
11	564	0.0450
12	565	0.0240
13	546/3	0.0100
14	545/1	0.0230
15	545/2	0.0290
16	545/3	0.0290
17	544/1	0.0310
18	544/2	0.0310
19	544/3	0.0310
20	544/4	0.0060
कुल योग-		0.7100

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (न.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परिच्छेजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर के कचरोहा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (मू-अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1365-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इन बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में दर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एच, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत ड्रॉफ्ट द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निली खाता)
 (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील- चागीद
 (ग) नगर /ग्राम - चन्दकोवा
 (घ) क्षेत्रफल- 1.0700हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. मी)
1	444/53/1/2	0.0800
2	344/48	0.0740
3	347	0.1010
4	346	0.0030
5	365	0.0050
6	366	0.0200
7	380	0.0170
8	379	0.0180
9	378	0.0200
10	374	0.0250
11	375	0.0220
12	373	0.0010
13	372	0.0420
14	371	0.0320
15	265/2	0.0060
16	264	0.0020
17	116/1	0.0130
18	115/1	0.1800
19	114/1	0.0120
20	113/1	0.0930
21	113/5	0.0840
22	113/6	0.0840
23	111	0.0130
24	110	0.1000
25	1/2	0.0230
योग		1.0700

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन कित्तके लिये अर्जन आवश्यक है-कारोपालन यंत्री, नर्मदा विकास संगम कर्मक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत चागीद (सतना) शाखा अन्तर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर नहर के माडाटोला सभमाइनर - 2 नहर के निर्माण हेतु।
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का गिरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.- 368-भू-अर्जन-2024

चूक राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - फुरताल खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 0.1900हे०

क्र.	खतबे नं.	अर्जित रकबा (हे.गे.)
1	17/2	0.0180
2	16/1	0.0390
3	16/2/1	0.0210
4	16/2/2	0.0110
5	12	0.0020
6	9/1	0.0030
7	9/2	0.0870
8	10	0.0090
योग		0.1900

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास समूह कॉम्प-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यू-अर्जन परियोजना में बरगी ध्वस्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत उमरघाट वितरिका के मझगावा खुर्द नाइन नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1417-नू-अर्ज-2024

सतन, दिनांक 1 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः नू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धार 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भूधिस किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागीद

(ग) नगर /ग्राम - बघवई

(घ) क्षेत्रफल- 3.0270हे॰

क्र.	खसरा नं.	वर्जित रकवा (हे॰)
1	285/1	0.1440
2	285/2	0.0140
3	284/1	0.0130
4	119	0.1510
5	120	0.0100
6	117/1	0.3010
7	116/1	0.0120
8	115/1	0.1680
9	114/1	0.0100
10	106/1	0.1410
11	106/2/1	0.0250
12	106/2/2	0.0850
13	106/2/3	0.0900
14	105	0.0130
15	104/1	0.0600
16	104/2	0.0350
17	104/3	0.1150
18	103/1	0.0220
19	103/2	0.0180
20	36	0.0130
21	37	0.0630
22	38	0.0470

23	32	0.0430
24	35	0.0350
25	30	0.0610
26	29	0.0010
27	27	0.0700
28	28	0.0340
29	16	0.0220
30	15	0.0580
31	2	0.0340
32	3/2	0.0320
33	286	0.0030
34	306	0.0580
35	287/1	0.0900
36	287/2	0.0400
37	305	0.0310
38	305	0.0140
39	304	0.0040
40	302	0.0030
41	288	0.0560
42	283/1	0.0130
43	273/1	0.0670
44	275/2	0.0650
45	272/1	0.0240
46	272/2	0.0520
47	271	0.0016
48	270	0.0030
49	398	0.0260
50	397	0.0200
51	399	0.0150
52	396	0.0090
53	400	0.0430
54	401/3	0.0010
55	403	0.0020
56	395/1	0.0410
57	404	0.0340
58	425/1	0.0650
59	425/2	0.0330
60	426	0.0040
61	427/1	0.0010
62	424	0.0190
63	419	0.0280
64	420	0.0410
65	423	0.0030
66	421/1	0.0360
67	422	0.1450
योग		3.0770

- (1) सर्वज्ञानिक प्रयोजन निराके लिये अर्जन 3-कशमः है-आर्यगलन यंत्र, नर्मद विकास संघः।
कमाल-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरणी व्यपवर्तन परिचोचन में बरणी व्यपवर्तन परियोजना
अंतर्गत नागौर (सतना) शाख नहर के अंतर्गत मौहारी विभाजित कि अनुसंधान साइगर व हरदुआ
सञ्जाल समन्वयनर 2 नहर के निर्माण हेतु।
- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (न-अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा
सकता है।

क्र.-1418-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन- (म.प्र. शासन/निजी स्वता);

(ख) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागाँव

(ग) गाँव / ग्राम - कौनी

(घ) क्षेत्रफल- 9.0740हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकम (हे.मै)
1	450	0.0450
2	451	0.0300
3	452	0.0360
4	449	0.0390
5	453	0.0290
6	448	0.0330
7	447	0.0310
8	454	0.0220
9	439	0.0380
10	446	0.0010
11	440	0.0620
12	442	0.0210
13	443	0.0320
14	435	0.0750
15	408	0.0250
16	409	0.0330
17	410	0.0040
18	406	0.0580
19	405	0.0090
20	403	0.0330
21	404	0.0600
22	401	0.0150
23	418	0.0760
24	417	0.0370

25	419	0.0030
26	422/1	0.0150
27	422/2	0.0210
28	423/1	0.0180
29	423/2	
30	421/2	0.0040
31	424/1	0.0610
32	424/2	
33	424/3	
34	305/2	0.1160
35	303	0.1760
36	303	0.0250
37	282	0.0130
38	283	0.0490
39	292	0.0350
40	291	0.0640
41	290	0.0130
42	288	0.0650
43	259	0.0240
44	258	0.0150
45	236	0.0360
46	237	0.0670
47	238	0.0230
48	230/1	0.0360
49	230/2	0.0360
50	229/1	0.0040
51	206/1	0.0820
52	205	0.0150
53	207	0.0430
54	211/2	0.1320
55	121/2	0.0010
56	121/3	0.1600
57	121/4	0.0760
58	122/1	0.0030
59	124	0.0760
60	112	0.0920

61	110/10/1	0.0490
62	110/10/2	
63	110/10/3	
64	110/23	
65	111/1	0.1750
66	111/2	
67	111/3	
68	102/2	0.0780
69	101	0.0200
70	99	0.0680
71	100	0.0740
72	91/1	0.1780
योग		3.0740

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कर्मांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कोनी माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1102-भू-अर्ज- 2024

सतना, दिनांक 19 जू, 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- मझगवां
(ग) नगर / ग्राम - पिण्डरा
(घ) क्षेत्रफल- 2.0230 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
(1)	(2)	(3)
1	3665/1/2	2.0230
कुल योग रकबा-		2.0230

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जलसंसाधन रांभाग सतना के अंतर्गत बौरी सागर बांध के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1183-सू-अर्जन-2024

चूंकि राज्‍य शास्‍न के इस्‍त इस्‍त का समामल हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अतः सू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (अ-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि चयन भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का दर्भ-1- (म.प्र. शासन/विजी के.ता)

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील - मछमवा

(ग) नगर / ग्राम - विलीचिहा वी

(घ) क्षेत्रफल - 13.5930 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकम
(1)	(2)	(3)
1	5/1/1	0.4070
2	5/1/2	0.4060
3	5/2	0.8130
4	5/3	0.8130
5	2	0.8130
6	6/1/1/1	0.6780
7	6/1/1/2	0.5930
8	6/1/2	1.0700
9	6/1/3	1.0880
10	6/2/1/1	0.6480
11	6/2/1/2	0.6480
12	6/2/1/3	0.6480
13	6/2/2	0.5480
14	6/2/3	0.6480
15	6/2/4	0.5480
16	7	1.6430
17	8	0.3320
18	9	0.0200
19	10	0.6980
20	11	1.5380
21	12	0.4500
22	13/1	0.6740
23	13/2	0.6740
24	13/3	0.6760
25	14/1	0.0340
26	14/2	0.0340
27	14/3	0.0330
28	15/1/1/1	0.6680
29	15/1/1/2	0.6680
30	15/2/1	1.0320
31	15/1/1	0.6680
	कुल योग रकम:-	13.5930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन विस्तार के लिये अर्जन आवश्यक है- जलसंसाधन संशोधन सतना के अंतर्गत दोरी सागर बांध के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) या निरीक्षण कलेक्टर (भू अर्जन) द्वारा सतना के ज.प.क. में किया जा सकता है।

क्र. 1194-सू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (न.प्र. शासन/निजो खाता)

(क) जिला - सेतना

(ख) तहसील- मझगावां

(ग) नगर / ग्राम - देवलहा

(घ) क्षेत्रफल- 80.8123 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकमा
1	20/2/2/1/5	10.9811
2	20/2/2/1/4	
3	20/2/2/1/3	
4	20/2/2/1/2	
5	20/2/2/1/1	
6	20/1/6	
7	20/1/5	
8	20/1/4	
9	20/1/3	
10	20/1/2	
11	20/1/1	
12	20/2/2/2	
13	20/2/1	
14	53	0.4130
15	52/2	0.4540
16	52/1	
17	51/1/1/1	1.1508
18	51/2/3	
19	51/2/2	
20	51/2/1	
21	51/1/1/2	
22	325	0.1800
23	324/2	
24	324/1	
25	319/3	0.3110
26	319/2/2	
27	319/2/1	
28	319/1/4	
29	319/1/3	
30	319/1/2	
31	319/1/1	

32	318	0.1740
33	317	0.0890
34	316	0.0020
35	315	1.4960
36	314	0.0490
37	312/2	0.1650
38	312/1	0.1660
39	76	0.3120
40	75/1	0.3440
	75/2	
41	74	0.1660
42	73	0.8210
43	72	0.2060
44	70	0.2180
45	69	0.4780
46	68	0.4380
47	67	0.8060
48	66	0.2830
49	64	0.1420
50	63	0.2430
51	62/2	0.1460
52	62/1	
53	61	0.4146
54	60	0.2429
55	57/2	0.0234
56	57/1	
57	55/2	0.2490
58	55/1	
59	54	0.2864
60	24/2	
61	24/1/3	
62	24/1/2	3.5000
63	24/1/1/2	
64	24/1/1/1	
65	23/1/1/1	
66	23/3	
67	23/2	
68	23/1/2/2	
69	23/1/2/1	
70	23/1/1/4	8.2872
71	23/1/1/3/3	
72	23/1/1/3/2	
73	23/1/1/3/1	
74	23/1/1/2	

75	21/3/7	
76	21/3/1	
77	21/7/2	7.7246
78	21/2/1	
79	21/1	
80	77	0.3040
81	78/1	
82	78/2	0.2020
83	79/1	
84	79/2	2.8618
85	81/1	
86	81/2	2.0934
87	82	2.4280
88	83	0.5870
89	85	1.3560
90	86	0.1500
91	87	0.0400
92	88	0.3560
93	89	0.5830
94	90	0.4250
95	91	0.1380
96	92	0.1620
97	93/1	
98	93/2	0.4130
99	94	0.2230
100	95	0.1290
101	96	0.1620
102	97	0.6400
103	98	0.1971
104	99	0.0810
105	100	0.0880
106	101	0.0572
107	102	0.2430
108	103	0.1290
109	134	0.0400
110	135	0.0530
111	137	0.1660
112	138	0.2190
113	136	0.1380
114	139	0.1090
115	140	0.0320
116	141	0.1460
117	142/1	
118	142/2	0.1487
119	143	0.1302
120	144	0.0930
121	145	0.0400

122	145/1	0.1110
123	147	0.2880
124	148	0.1100
125	149	0.0910
126	150	0.1770
127	151	0.2830
128	152	0.3720
129	153	0.2140
130	154	0.2310
131	155	0.1250
132	156	0.1010
133	157/1	0.0410
134	157/2	0.0200
135	158/1	0.1090
136	158/2/1	0.2200
137	158/2/2	0.1090
138	158/3	0.1130
139	159	0.5430
140	162	0.5720
141	163/1	0.0240
142	163/2/1	0.0540
143	163/2/2	0.0270
144	163/3	0.0240
145	164	1.0230
146	165	0.0400
147	166/1	0.0610
148	166/2/1	0.0040
149	166/2/2	0.0410
150	166/3	0.0610
151	167	0.0340
152	365/1	0.2740
153	365/2	
154	366/1	1.5940
155	366/2/1/1	
156	366/2/1/2	
157	365/2/1/3	
158	366/2/1/4/1	
159	366/2/1/4/2	

160	366/2/1/4/3	
161	366/2/1/4/4	
162	356/2/2/1	
163	366/2/2/2/1	
164	366/2/2/2/2	
165	367	0.1460
166	176	0.1550
167	178	0.2240
168	179	0.2950
169	180	0.0650
170	181	0.0530
171	182/1	0.0480
172	189/1	
173	189/2/1	
174	189/2/2	0.0430
175	189/3	
176	190	0.0200
177	191	1.5080
178	192	0.1380
179	193	0.4040
180	196	0.0320
181	198	0.1170
182	199	0.1180
183	203	0.0290
184	204	0.0640
185	205	0.1210
186	206	0.0690
187	207	0.0770
188	208	0.1540
189	209	0.0670
190	275	0.0040
191	274	0.0030
192	229	0.0020

193	223	0.0050
194	222/2	0.0470
195	222/1	0.0950
196	221	0.2620
197	220/1	2.2870
198	220/2	
199	219	0.3070
200	217	0.2430
201	216	0.2870
202	215	0.1980
203	214	0.2430
204	213	0.1610
205	212	0.3400
206	211	0.1950
207	210	0.3680
208	287/1/1	1.1549
209	287/1/2	
210	287/1/3	
211	287/1/4	
212	287/1/5	
213	287/1/6	
214	287/2	0.0670
215	288/1	
216	288/2	0.7000
217	289/1	
218	289/2	0.3160
219	290/1	
220	290/2	0.3120
221	291	
222	293/1	0.2020
223	293/2	0.0210
224	295/1	0.3600
225	295/2	0.3600

226	296	0.1090
227	297	0.1010
228	298	0.1500
229	299	0.1660
230	300	0.0280
231	301	0.0770
232	302	0.1010
233	303	0.0890
234	304	0.4578
235	305	1.3330
236	306	0.0240
237	307	0.5670
238	309/1	0.1860
239	303/2	0.1860
240	310/1	0.0210
241	310/2	0.0210
242	311/1	0.3880
243	311/2	0.3890
244	326/1	0.1320
245	325/2	
246	326/3	
247	326/4	
योग -		80.8123

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कारोपारसन धरती, जलसंसाधन सभाग सतना, जिला सतना (गोप्रग) में दोरी सगर मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्याल के नाग से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-40-अ-82-भू-अर्जन-2023-24

कटनी, दिनांक 12 जून 2024

बुँके राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की अनुरूपी के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 18 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1-	:: अनुसूची ::		
भूमि का वर्णन :-			
क. जिला	:	कटनी	
ख. तहसील	:	स्लीमनाबाद	
ग. शगा	:	स्लीमनाबाद(मोहदापुरा बस्ती)	प.ह. न. 81
घ. अर्जित क्षेत्रफल	:	0.110 हेक्टेयर	

शगा का विवरण	खसरा नम्बर	अर्जित रकमा(हे०)
शगा- स्लीमनाबाद(मोहदापुरा बस्ती) प.ह.न.- 81	364	0.080
	365	0.010
	366	0.020
कुलयोग :-		0.110

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बरगी स्वपट्टन परियोजना के निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू अर्जन अधिकारी, बरगी स्वपट्टन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 11 तथा 111 के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।
- (5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का विन्हांकन, मापमान एवं रेखांकन की कार्यवाही की जावेगी एवं शरतव प्रशासित रकवा एवं खसरा अनुसार अवाई का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यापल के नाम से तथा आवेदानुसार,
अवि प्रसाद, कलेक्टर एवं पदेन सहायक सचिव

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी बड़वाह,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

प्रकरण "ख"
[नियम 5 का उप-नियम (2)]

पत्र सं. 1256-सी-1-2024-प्र.क्र.-0029 वी 121 2023-24

बड़वाह, दि. 03 अगस्त 2024

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपरोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक- 5 सन 2013) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक- 2225/रीडर-1/2023, बड़वाह, दिनांक 16.06.2023 का मद्रा राजपत्र में दिनांक 14.07.2023 व समाचार पत्र स्वतंत्र समाचार समय में दिनांक 28.06.2023 एवं समाचार पत्र नई दुनिया में दिनांक 27.06.2023 में खसरा नम्बर 106/1 व 106/2 का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है । जिसे निम्नानुसार पढ़ा जावे ।

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ					संशोधित सही प्रविष्टियाँ				
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम :- जूनापानी, प.ह.नं. 48	106/1	0.180	खरगोन	सनावद	ग्राम :- जूनापानी, प.ह.नं. 48	106/2	0.180
			106/2	0.010				106/1	0.010

☺ रोध अधिसूचना यथावत् रहेगी ।

प्रताप कुमार अगास्या, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(प्रारूप क)
नियम 04

क्र.-1117-भू. अ.-2024

सिवनी, दिनांक: 19 जून 2024

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राज्य स्तर पर ग्राम स्थिति संबंधित ग्राम रनवेल्स तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.(भ/स) सिवनी
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
3	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधान निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी 2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण कृषि विभाग सिवनी 4 नायब तहसीलदार, पूर्व बंडोल जिला सिवनी 5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी 6 वन परिमेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी 7 संरक्षक एवं सचिव ग्राम पंचायत मारवाडी
4	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	सिवनी
ग	ग्राम / नगर	रनवेल्स
घ	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.23 हे.
ङ	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.23 हे.
6	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु
6	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 1.26 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.23 हे.
7	ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है	नहीं
8	सामाजिक समाधान निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से 30: नाह के भीतर

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि. वि.(भ/स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

(प्रारूप क)
नियम 04

क्र- 4142 मू. अ.-2024

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम ठरका तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्गठन और पुनर्व्यवस्थापन में संघित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विस्तारक का नाम	लाभ/प्राप्त वंत्रे, लो.नि.वि.(#/स) सिवनी
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन के प्रयोजन	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
3	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधान निर्धारण दल के सदस्यों का निर्णय	1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं मू-अर्जन अधिकारी सिवनी 2 कार्यपालन इंजी. जलसंधारण विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी 4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी 5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी 6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी 7 संरक्षण एवं संचित ग्राम संवर्धन मंडल
4	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	सिवनी
ग	ग्राम / नगर	ठरका
घ	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.44 हे. 0 क. 11407 882 वर्गमी.
ङ	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.44 हे.
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु
6	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 126 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.44 हे.
7	क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक को सहमति अपेक्षित है	नहीं
8	सामाजिक समाधान निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना उक्त शान से 12 ग्राह के भीतर

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (र) एवं मू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कर्णोपलन वंत्रे लो.नि. वि.(#/स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

(प्रारूप क)
नियम 04

क्र. 4149 गू. २।-2024

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम मारबोडी तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक सन्नाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्गठन और पुनर्बावस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 64 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.

1	परियोजना विकाराक का नाम	कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि.(म/रा) सिवनी
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
3	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक सन्नाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं मू. अर्जन अधिकारी सिवनी 2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभ. ग. क्रमंक 1 सिवनी 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामोप यांत्रिकी विभाग सिवनी 4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी 5 सहायक कृषि दिस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी 6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी 7 संपन्न रूट सचिव ग्राम पंचायत मारबोडी
4	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	सिवनी
ग	ग्राम / नगर	मारबोडी
घ	कुल प्रस्तावित क्षेत्र	0.48 हे., 2 क.मकांन 89 वर्गमी.
ड	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.48 हे.
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु
6	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 1.20 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.48 हे.
7	क्या ग्राम रागा और यह भूमि धरक परी राहगति अपेक्षित है	नहीं
8	सामाजिक सन्नाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं मू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि. वि.(म/रा) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-4100-1/2024

सितारा, दिनांक 25 जून 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्राक्कानित समय सीमा 60 दिवस को 30 दिनों में छोड़ें अप्रति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आदेमित है :-

अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - मटाम(मुंडरई) जलाशय परियोजना
 2 - भूमि का विवरण :-
 (क) जिला - शिवनी
 (ख) तहसील - लखनादौग
 (ग) नगर/ग्राम - गुंगवारा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.44 हेक्टेयर

प.ह.न.- 103

स. क्र.	सर्वेक्षण सं. 2	स्वास्थ्य का प्रकार 3	भूमि का प्रकार 4	अर्जन से अधिक क्षेत्रफल (हे. म.) 5	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता 6	राज्य 7-10				पुश्ता 11-12		संरचना 13-14	
						उत्तर 7	राज्य 8	नं. 9	परिवर्त 10	प्राप्ति क्रम 11	संख्या 12	प्रकार 13	विशेष परिणाम 14
1	212	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	बैनाबाई बेबा सुरजसिंह संतोषसिंह दुर्गाबाई पिता सुरजसिंह जाति राजपूत नि.श. भूमिस्वामी	राज्य 7	राज्य 8	नं. 9	परिवर्त 10	प्राप्ति क्रम 11	संख्या 12	प्रकार 13	विशेष परिणाम 14
2	211	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	सत्येंद्रसिंह पिता नोखेसिंह जाति राजपूत नि.श. भूमिस्वामी	राज्य 7	राज्य 8	नं. 9	परिवर्त 10	प्राप्ति क्रम 11	संख्या 12	प्रकार 13	विशेष परिणाम 14
3	213	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	इंद्रकुमारी पत्नी श्रीकमसिंह यशवंतसिंह मुठ श्रीकमसिंह जाति राजपूत नि.श. भूमिस्वामी	राज्य 7	राज्य 8	नं. 9	परिवर्त 10	प्राप्ति क्रम 11	संख्या 12	प्रकार 13	विशेष परिणाम 14
4	210	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	बिसराम पिता नोखेसिंह जाति राजपूत नि.श. भूमिस्वामी.	राज्य 7	राज्य 8	नं. 9	परिवर्त 10	प्राप्ति क्रम 11	संख्या 12	प्रकार 13	विशेष परिणाम 14
5	204	भूमिस्वामी	कृषि	0.21	बिसराम पिता नोखेसिंह जाति राजपूत नि.श. भूमिस्वामी.	राज्य 7	राज्य 8	नं. 9	परिवर्त 10	प्राप्ति क्रम 11	संख्या 12	प्रकार 13	विशेष परिणाम 14

6	209/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रत्नजी पिता बुढानी जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	राकेशकुमार पिता नरेशकुमार की भूमि	जितराम पिता नरेशकुमार की भूमि	गोविंद बेटा गजुसिंह बगैरह की भूमि	रत्नजी पिता बुढानी की भूमि				
7	209/ 4	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	राकेशकुमार पिता महेशसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	इश्वर पिता पुरुषोत्तम की भूमि	रामजी पिता बुढानी की भूमि	गोरीशंकर पिता गजुसिंह बगैरह की भूमि	राकेशकुमार पिता बुढानी की भूमि				
8	215/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	मंगोबाई देवा बाबूसिंह रामनाथ पूर्णिमाबाई पिता बाबूसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गोरीशंकर पिता कुन्नासिंह की भूमि	इन्द्रकुमार पिता मीकनासिंह बगैरह की भूमि	गोविंद बेटा बाबूसिंह बगैरह की भूमि	जितराम पिता गोरीशंकर की भूमि				
9	215/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	ओमकुमारी देवा गोरीशंकर दिनेशसिंह अशोकसिंह रामगोपाल पिता गोरीशंकर जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रामनाथ पिता कुन्नासिंह की भूमि	मंगोबाई देवा बाबूसिंह बगैरह की भूमि	ओमकुमारी देवा गोरीशंकर बगैरह की भूमि	राकेशकुमार पिता महेशसिंह की भूमि				
10	206/ 7	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	इश्वरसिंह पिता पुरुषोत्तमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासनराज रास्ता	इश्वरसिंह पिता पुरुषोत्तमसिंह की भूमि	गोरीशंकर पिता कुन्नासिंह की भूमि	इश्वरसिंह पिता पुरुषोत्तमसिंह की भूमि				
11	206/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	पुरुषोत्तम पिता जैलसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासनराज रास्ता	पुरुषोत्तम पिता जैलसिंह की भूमि	जितराम पिता गोरीशंकर की भूमि	शासनराज रास्ता				
12	207	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	महेश दुर्गा देवी गीता राजो दुलारी पिता लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बिरामा पिता गोरीशंकर की भूमि	महेश दुर्गा देवी गीता राजो दुलारी पिता लालसिंह की भूमि	जितराम पिता गोरीशंकर की भूमि	शासनराज रास्ता				
13	206/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पकुमार पिता पुरुषोत्तमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बिरामा पिता नरेशकुमार की भूमि	पुष्पेन्द्र पिता पुरुषोत्तमसिंह की भूमि	पुरुषोत्तम पिता जैलसिंह की भूमि	महेश गीता देवी पिता जलसिंह की भूमि				
14	202/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	राजयकुमार पिता अमरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	राजबाई पति हुल्करसिंह की भूमि	राजयकुमार पिता अमरसिंह की भूमि	राजय पिता अमरसिंह की भूमि	अमरसिंह पिता जैलसिंह की भूमि				
15	202/ 4	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	राजबाई पति हुल्करसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	राजबाई पति हुल्करसिंह की भूमि	राजयकुमार पिता अमरसिंह की भूमि	राजय पिता अमरसिंह की भूमि	गुनराबाई पति हुल्करसिंह बगैरह की भूमि				
16	201/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	सुब्बाबाई देवा देवा देवी ताराबाई निर्मलाबाई पिता हुल्करसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुब्बाबाई पति हुल्करसिंह की भूमि	अमरसिंह उर्फ अमरकुमार पिता अमरसिंह की भूमि	राजय पिता अमरसिंह की भूमि	अमरसिंह पिता जैलसिंह की भूमि				
17	201/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	अमरसिंह उर्फ रामकुमार पिता अमरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सुब्बाबाई पति हुल्करसिंह बगैरह की भूमि	अमरसिंह उर्फ रामकुमार पिता अमरसिंह की भूमि	राजयकुमार पिता अमरसिंह की भूमि	अमरसिंह पिता जैलसिंह की भूमि				

28	217/ 1 /2	भूमिस्वामी	कॉम्प	0.16	सूर्यकांत नारायण शिवाजी बली मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	सोहनसिंह पिता मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	दिनेशसिंह पिता मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	सुरजसिंह पिता मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	रामपाल पिता मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी				
29	218/ 1	भूमिस्वामी	कॉम्प	0.16	मुकुंशसिंह पिता सुरजसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	सोहनसिंह पिता मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	मुकुंशसिंह पिता सुरजसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	पवन सोना	गंगाबाई पति हरिओमसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी				
30	217/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	गंगाबाई पति हरिओमसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	हरिओमसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	गंगाबाई पति हरिओमसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	मुकुंशसिंह पिता सुरजसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	सुरजसिंह पिता मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी				
31	133	भूमिस्वामी	शुग	0.12	संत.प. सिंह पिता सुरजसिंह राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	सोहनसिंह पिता मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	मुकुंशसिंह पिता सुरजसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	पवन सोना	रामपाल पिता मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी				
32	134	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	दिगपालसिंह पुत्र वेतनसिंह जिनेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	दिगपाल पिता वेतनसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	मुकुंशसिंह पिता सुरजसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	गंगाबाई पति हरिओमसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	हरिओमसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी				
33	135/ 1	भूमिस्वामी	कॉम्प	0.12	हरिओमसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	हरिओमसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	गंगाबाई पति हरिओमसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	दिगपालसिंह पिता वेतनसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी	सुरजसिंह पिता मुकुंशसिंह जाति राजपूत नि.या. भूमिस्वामी				
योग	34			3.44									

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जलसंधन एवं परिवहन अधिकारी (राजपूत) एवं नगरपालिका अधिकारी जलसंधन विभाग, जिला, जेजुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यालय नहीं, जल संधन संग्रह कक्षांक 1 जेजुरी जिला जेजुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के कार्यालयिक प्रयोजन का निर्धारण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है -
म.दा.म. (मु.उ.ई.) जलसंधन परिवहन की कार्ययोजना एवं गुंवार नहर एवं गुंवार नहर निर्माण कार्य हेतु जिले
भूमि के उद्देश्य के तहत है।

गुजरात के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीतिज सिंघल, कलेक्टर एवं सचिव, उपरमि.

कार्यालय, कलेक्टर, (पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र. 7723 यू. अर्ज. 2024

धार, दिनांक 25 जून 2024

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013))

चुंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम गुणावद तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। प्रकरण में सोशल इम्पैक्ट अरोरामेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:

अनुसूचि (1)

ग्राम:- गुणावद ;

तहसील:- धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल लाईन परियोजना	0.421	0.000	0.421
	योग	0.421	0.000	0.421

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम गुणावद की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)			रिमांक
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गुणावद बंसा मेहरबानसिंह, महेंद्र पिता मेहरबानसिंह, राखी, पिता पिता मेहरबानसिंह जाति राजपूत निवासी गुणावद तह व जिला धार	558/1	1.280	0.000	1.280	0.421	0.000	0.421	
	कुल	1	1.280	0.000	1.280	0.421	0.000	0.421	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश नुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर (पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

म-03-ड-82-2023-24 - टहली-5788

बैतूल, दिनांक 03 जून, 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 रा.स. 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	टाहली	0.272	गढ़ा मध्यम परियोजना हेतु निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	कमलनयन व. कृष्णाचंद अग्रवाल जाति जैन भूमिस्वामी	348/2	2.023	0.272

(2) चूंकि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

पं. 11-अ 52 2025 24 3831 - 4 5857

बैतूल दिनांक 04 जुलाई 2024

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	संग्रह्य क्षेत्रफल(हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (न.प्र.)	मुलताई	उहुआ तथा	1.282	नहिलावाडी तपु जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	अर्जन की भूमि का रकबा हे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	261	4.090	0.068	पतीराम व. इट्टु, चमन बेवा कन्हैया, राजेश, बाबूलाल, सतीश पिता कन्हैया, ललिता पिता कन्हैया, गधु, पुन्यधन पिता इट्टु, नन्हा पुत्री इट्टु, रुखनई बेवा इट्टु, जाति पंवार सा.देह
2	278/1	0.769	0.202	श्रीराम, रामू पिता रामजी, लिनता, रेखा पिता रामजी, नान्ही बेवारागजी, सुशीता बेक हरीराम, रोशनी, दुर्गा पिता हरीराम जाति पंवार, सा.देह

3	278/2	0.769	0.202	फागूलाल, प्यारेलाल, बसंत, कैलाश पिता गजमल, उषा, इमला पिता गजमल जाति पंवार, सा.देह
4	278/3	0.770	0.203	लक्ष्मण पुत्र तेजी, सा.देह मुलताई
5	281	3.238	0.057	निर्गला भेवा विनोदीर जाति पंवार सा.देह
6	282	0.550	0.550	यशवंत पिता नत्थू संजय पिता गुलाबराव, संध्या, शिंदरा पिता मुल्ताराव, शांता बेवा गुलाबराव, जिर्मला देवा विनोदी, सुरेश, रमेश, दिनेश पिता विनोदी, सरोज, शाबदा, लीला, बेबी, लता पिता नत्थू जाति पंवार सा.देह
योग		10.186	1.282	

- (2) चूंकि महिलावादी लघु जलाशय के इस क्षेत्र में आने वाले हिराबड़ व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार रजिस्ट्रार का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं अ-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) सगुचित सरकार की वेबसाइट www.bndulnic.in पर भी अगलोट किया गया है।

मध्यप्रदेश के राजपत्र के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं अनुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्रमांक **315/बू-अर्जन/2024** हुंके राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न रूपों के खान (ब) में उचित भूमि की अनुसूची के खान (क) में उचित सामने दिखे गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है उम्मीद आवश्यकता बढ़ने की संभव है।

प्रकरण क्रमांक **08/अ-82/2025-24** मुक्ति राज्य शासन को इस बात का संतुष्ट हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची क्रमांक 1 में गोहनपुरा ग्रहण सिंचाई परियोजना तहसील खंजौर जिला राजगढ़ हेतु ग्राम झुमका की प्रस्तावित वर्णित भूमि जिल्ला कृषकता नई कम्पार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन सुनवाई और सुलभताभ्यास में उचित प्रतिकर और फायदशिल का अधिकार आदेशनियम 2013 (फ 50 रू 2013) की धारा-1 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में उचित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। मुक्ति गोहनपुरा ग्रहण सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है (एत इस हेतु अधिकाल भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-1(3) के तहत सामाजिक समता निर्वहण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची (1) :-

गोहनपुरा ग्रहण सिंचाई परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जन हेतु रकमा (हे.मै)
(1)	(2)	(3)
1	झुमका	2.576
कुलयोग :-		2.576

-: अनुसूची (2) :-

गोहनपुरा ग्रहण सिंचाई परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि :- ग्राम झुमका

स.क्र.	प्रस्तावित कृषक का नाम	असरा नंबर	कुल रकमा (हे.मै)	उचित रकमा (हे.मै)
1	2	3	4	5
1	राजबंदू पिता गणेशलाल जाति रुवात नि.ग्राम भूमि स्वामी	167	0.302	0.302
		101/1	0.658	0.658
	योग :-	2	0.960	0.960
2	सोयनाशरण पिता धनराज जाति रुवात नि.ग्राम भूमि स्वामी	279	0.291	0.291
	योग :-	1	0.291	0.291
3	रमेश पिता रुवायाम जाति रुवात पिता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	114/1	0.765	0.765
	योग :	1	0.765	0.765
4	करण सिंह दुवायरीर कुमर सिंह पिता गन्नालाल जाति रुवात पिता निवासी ग्राम नि.ग्राम भूमि स्वामी	155/2	0.133	0.133
	योग :-	1	0.133	0.133
5	सदीलाल पिता शंकरलाल जाति रुवात नि.ग्राम भूमि स्वामी	122/1/2/1	0.114	0.006
	योग :	1	0.114	0.006
6	रामू पिता कनीराम जाति रुवात नि.ग्राम भूमि स्वामी	293/3	0.051	0.051
	योग :	1	0.051	0.051
7	प्रभू लाल पिता शंकरलाल जाति रुवात नि.ग्राम भूमि स्वामी	437/1	0.590	0.037
	योग :-	1	0.590	0.037
8	कैलाश लाल शंकरलाल जाति रुवात नि.ग्राम भूमि स्वामी	457/2	0.590	0.037
	योग :-	1	0.590	0.037
9	नाथूलाल पिता शंकरलाल जाति रुवात नि.ग्राम भूमि स्वामी	457/3	0.590	0.036
	योग :-	1	0.590	0.036

10	दधीतात पिता कवीराम जाति कलावा नि.शम ग्राम भूमि स्वामी	170/1	0.043	0.036
	योग :-	1	0.043	0.030
11	भागुलाल पिता कवीराम जाति कलावा नि.शम ग्राम भूमि स्वामी	170/2	0.043	0.029
	योग :-	1	0.043	0.029
12	भारतसिंह पिता कवीराम जाति कलावा नि.शम ग्राम भूमि स्वामी	170/3	0.043	0.028
	योग :-	1	0.043	0.028
13	केलसिंह पिता कवीराम जाति कलावा नि.शम ग्राम भूमि स्वामी	170/4	0.043	0.027
	योग :-	1	0.043	0.027
14	गणेश पिता कवीराम जाति कलावा नि.शम ग्राम भूमि स्वामी	170/5	0.043	0.018
	योग :-	1	0.043	0.018
15	गण प्रेम सरकार दुग्धन पुत्री ब्याराम जाति कलावा नि.शम ग्राम भूमि स्वामी	171/1	0.284	0.134
	योग :-	1	0.284	0.134
16	देवश्याम, पत्निराम, शिवाजी नित्त जालगाँव, नानुवाई देवा जालगाँव जाति कलावा नि.शम भूमि स्वामी	220/1/1	0.012	0.006
	योग :-	1	0.012	0.006
	महायोग :-	17	4.495	2.576

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुत्तरिणीय अधिकारी, एक भू-उपजर्न अधिकारी (सफ़्तस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर

न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)

प्ररूप - ख

[नियम 6 के उपनियम (2) देखिए]

दिनांक 12 जून 2021

क्रमांक /02/बी-121/2022-23, अताएव, राज्य सरकार की लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विस परिवहन डेटू, ग्राम सोनवर्षा, पटवारी हल्का- छाटा, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मैसर्स रिलायस इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड, सी.बी.एन. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अताएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिरूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अताएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिर्मा को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उक्त उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हिस्सदार है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिरूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। उक्त दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में रचना प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	सोनवर्षा / छाटा	190/1/1, 190/1/2, 190/2, 190/3/1, 190/3/2	0.130
			188/2	0.291
			187	0.165
			184/1, 184/7	0.114
			182	0.082
			181	0.007
			236/1, 236/2	0.184
			235/1, 235/7	0.421
			229/1/1, 229/1/2, 229/1/3, 229/2	0.011
			97/1, 97/2, 97/3	0.011
			94	0.045
			96	0.075

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)

प्रारूप - ख
[[नियम 6 का उपनिधम (2) देखिए]

क्रमांक /03/बी-121/2022-23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पिपरतरा, पटवारी हल्का- छाता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डरट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में दर्जित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में डितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, तत्प्रायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	पिपरतरा / छाता	19	0.098
			20/2	0.205
			49	0.072

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)

प्रकरण - ख
[नियम 6 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक /04/बी-121/2022-23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छांता, पटवारी हल्का- छांता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एन. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में निवसक है, उस तारीख से जिसके उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	छांता / छांता	55	0.035
			57	0.027

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिनीषा भगवती पाण्डेय, सहाय्यक अधिष्ठाता उपायुक्त (राजस्व),

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 71 १/ अर्जन 2024

मैहर, दिनांक 18 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) को धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी स्वता)

(क) जिला - मैहर

(ख) तहसील- अमरपाट-1

(ग) नगर / ग्राम - सेमरी

(घ) क्षेत्रफल- 5.895 हे०

स.क्र.	नाराजगी क्र.	अर्जित रकम
1	223/272	0.030
2	773/1/3/1/2	0.544
3	223/2/2/1	0.208
4	777	0.043
5	221	0.476
6	220	0.020
7	719	0.325
8	216	0.066
9	215	0.674
10	714	0.084
11	213	0.067
12	212	0.046
13	211	0.456
14	99	0.493
15	98	0.023
16	97	0.493
17	100/1	0.055
18	100/2	0.02
19	87	0.298
20	101	0.178
21	86/3	4.012
22	80	0.500
23	79	0.678
24	77/1	0.21
25	77/2	0.442
26	75/1	0.067
27	85/3	0.025

निजी स्वता भूमि योग रकम - 5.895

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यवर्तन परियोजना अंतर्गत, शिव: शाखा नहर अंतर्गत पड़रिया वितारिका नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, (भू-अर्जन), जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
रानी बाटड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(प्रारूप क)

नियम 04

प्र. 4395 पु.अ. 2024

सिवनी, दिनांक 5 जुलाई 2024

राज्य सरकार, समुचित भस्कर प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम कन्डरगांव तहसील सिवनी प्रमर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक सन्घात निर्धारण अद्ययन करना चाहती है, अध्यायन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्जनन और पुनर्बन्यायन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिग्रहण अधिनियम 2013 का धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विकासक का नाम	कार्यालयन यंत्री लो.नि.वि.प/र) सिवनी
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
3	अद्ययन का कार्य तथा में लेने वाले सामाजिक सन्घात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी 2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग, संय.ग. कमा. 1 सिवनी 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्राचीन यांत्रिकी विभाग सिवनी 4 नायब तहसीलदार, कृषि बंडोल जिला सिवनी 5 जहायज कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी 6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी 7 संस्था 24 सचिव प्राग पंचायत गारखोटी
4	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	सिवनी
ग	ग्राम / ग्राम	कन्डरगांव
घ	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.11 हे. 1 प. गलान 23.22 वर्गमी. 1 क. गलान 79.43 वर्गमी.
ङ	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.11 हे.
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु
6	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 1.26 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.11 हे.
7	स्था ग्राम तथा और ये भूमि धारक की सहमति अभिहित है	नही
8	सामाजिक सन्घात निर्धारण पूर्ण किन्ते जाने को तारखे	अधिसूचना प्रकाशन से छ. माह के भीतर

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का भवना (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी को कार्यालय में किया जा सकता है
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का भवना (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यालयन यंत्री लो.नि. वि.प/र) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्याल के नाम से तथा आदेशानुसार
संस्कृति जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, पांडुरंगा मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 197 यू अर्जन 2024

पांडुरंगा, दिनांक 05 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अभिप्रेरक अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित उचित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (ए)/381/2019/एनपीएस/31/221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है।

3. एतद् उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदन विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत रिचार्ज नरियोजनाओं की बाबत जहाँ उत्साह प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। अतः अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-12(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

1	2	3	4	5	6
जिला	राजसैन	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन
पांडुरंगा	पांडुरंगा	ग्राम खडक (ए.एन. 37 व. नं. 17 ए.मि.नं. विभाग)	क्षेत्रफल - 220,000 हेक्टेयर एत. धारा 15 के अंतर्गत प्राधिकृत किया।	भूमि अर्जन अधिकारी राजसैन पांडुरंगा जिला पांडुरंगा	बैरिंग रिजर्वेशन (पांडुरंगा ग्राम) परियोजना के अंतर्गत लूट क्षेत्र प्रभावित ग्राम को निर्वाह भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

क. 195 यू अर्जन- 2024

दुईके राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्गीकृत भूमि के अनुरूप खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा स्वी संबन्धित हितग्राह्य व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी जो उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (ए)/391/2019/ए+पीएस्/31/221 पोपल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 8 (2) के अन्तर्गत सिंचई परियोजनाओं को बाधक जहां तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य लिखित उपबंधों के अन्तर्गत पर्याप्त समाप्त निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के लागू लागू सामाजिक न्याय निवारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। अतः अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सामाजिक न्याय निवारण अधिनियम से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक न्याय निवारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

जिला	तहसील	गांव/ग्राम	अर्जन की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग संकूल डिपेंडेंस में	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जन की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन
1	2	3	4	5	6
पाटणा	पाटणा	गांव-भू.पि.प.ड. न. अ. 4.1 209 रा.नि.पि. विमान	एकमात्र - 125.1188 हेक्टर एवं तत्समय भूमि पर खाने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील पाटणा जिला पाटणा	बैलेंसिंग रिजर्वेशन (पाटणा बांध) परियोजना के अंतर्गत खुद क्षेत्र प्रस्तावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

क्र.-198-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य सरकार को यह ज्ञात होता है कि राज्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा (1) से (4) में उल्लिखित अर्जित भूमि के अनुसूची खाने (द) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और नारदशिता का अधिकार अधिनियम 2013 के धारा -11 को उपपरा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितमय व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकार और नारदशिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, गंगालय, ग्वालियर, भोजपुर के आदेश पत्र क्र.-22 (द)/361/2019/एनपीएन/21/22 मंगल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना को प्रस्तावित की गई थी।

3. अनुपव उपरोक्त के दृष्टिगत आदेशक वेधन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकार और नारदशिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत सिविल इंजीनियरों की समन्त जहाँ तत्काल न्यून किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन पर्यावरणीय समाप्त निर्धारण की प्रक्रिया की अवेद्य की जाती है, इस अधिनियम के राज्याधिकार निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। अतः अधिनियम को धारा-8 के अंतर्गत राज्याधिकार निर्धारण अधिनियम के धारा-1(3) के अंतर्गत राज्याधिकार निर्धारण रिपोर्ट का सार सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि एतदोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकार और नारदशिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकार और नारदशिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन
1	2	3	4	5	6
पाटणा	पाटणा	श.म. व.वडी/ग्राम: न.ह.न. 52 ब.न. 203 र.नि.न. पाटणा	एकका - 232.000 हेक्टेयर एवं उगाएया भूमि पर जाने वाली परिसर-तिथा।	भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत पाटणा जिला पाटणा	बैलरिंग सिर्जकार (पाटणा वाद्य) परियोजना के के अंतर्गत सब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

क्र. 200 गृ. अ.जेन 2024

भूमि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (8) में उससे सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजना के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय कलक गटन, पोपाल के आदेश सं. 22 (1)/381/2019/एनपीएस/31/221 मीनल. दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्ति है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिकोण आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-8 (2) के अन्तर्गत सिंगल परियोजनाओं की शर्त जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अभाव की जाती है, इस अधिनियम के राजाजिज समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। अतः अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत राजाजिज समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत राजाजिज समाघात निर्धारण रिपोर्ट का तारिख प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के अन्तर्गत उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	उचित को जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
1	2	3	4	5	6
पाटुर्णा	पाटुर्णा	ग्राम-सुगाई न. इ.नं. 32 सन 287 राजीव चौगांव	सकल - 52.500 हेक्टेयर (एवं उपरोक्त भूमि पर शाने वाले परिसर/खेतियाँ।	सू-अर्जन अधिकारी तहसील पाटुर्णा जिला पाटुर्णा	दिलीप राजवापर (पाटुर्णा नगर) परियोजना के अन्तर्गत सूत्र क्षेत्र प्राणित ग्राम की निचो भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

क्र. 2019/सू अर्जन 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सानने दिये गये शार्वजनिक प्रयोजनों के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित उचित व्यक्ति को इत असाय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसले द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, पंच संसाधन विभाग, मंत्रालय गल्लम मदन, बीनल के आदेश नं क्र.-22 (ए)/381/2019/एम्पीएस/31/221 मीमात, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आदेशक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-8 (2) के अन्तर्गत रिचार्ज परियोजनाओं की बाबत जहाँ रात्मगय प्रकृत किररी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इत अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. अतः अधिनियम की धारा-0 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से दूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश ज्वाराहित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

जिला	तहसील	नाम/जान	संलग्न की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जन की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के शार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन
1	2	3	4	5	6
पाटन	पाटुर्णा	राम नारदोगरी प.स.नं. 82 अ नं. 324 ध.नं. 4. पाटुर्णा	एकटा 78.000 हेक्टेयर एव उपरोक्त भूमि पर आने वाली धारेसंबलितिया।	सू. अर्जन 3 विभाग पाटुर्णा जिला पाटुर्णा	रेलोसिंग रिजर्वेशन (पाटुर्णा जय) परियोजना के अंतर्गत दूट क्षेत्र उगाणित आग की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

क. 202 गू-उत्पन्न-2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित उचित भूमि के अनुसूची खाने (8) में उसके सन्ताने दिये गये सार्वजनिक उपयोगों के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सूचना द्वारा सभी सम्बंधित हितवद्ध व्यक्तियों को इस अर्थ की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (8) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारों को उचित भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 में दी गई शर्तों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, जल ससाधन विभाग, मंत्रालय, पल्लव भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (6)/381/2019/एनपीएस/31/221 मोनाज, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रसारणार्थ स्वीकृत बात है।

3. अत्युच्च उत्प्रेषण के दृष्टिकोण आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-8 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत उहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य चर्चे के उपबन्धों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। अतः अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अयम्वन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा सके है।

4. इतत संकेत में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का नाम (श्रेण्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारों	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक उपयोग का वर्णन
1	2	3	4	5	6
पांडुरंग	पांडुरंग	मान खंडीधन पोस्ट-4, ट.नं. 33 ब.नं. 33 ट.नि.नं. विगाव	उत्पन्न - 1.5000 हेक्टेयर एवं उपर्युक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू-अ.नं.1 अर्जितगरी तहसील पांडुरंग जिला पांडुरंग	संकेतित सितवायर (पांडुरंग नगर) परियोजना के अन्तर्गत सूत्र क्षेत्र प्रभावित जमीन की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

स. 2023 यू. अ. 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अगुतुची के खंड (1) से (4) में उल्लेखित पंजित भूमि के अनुसूची खान (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितमग्न व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसका द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के लंबाई में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 को धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय यल्ला शरण गोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (र)/381/2018/एनपीएस/31/221 नो.प्रा.दि, दिनांक 02.03.2018 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है।

3. अत्युपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की दायत जहाँ तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन सार्वजनिक समावादा निर्धारण की प्रक्रिया की अंशों की जाती है। इस अधिनियम के सामाजिक समावादा निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होने उक्त अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत सामाजिक समावादा निर्धारण उपकरण से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अंतर्गत सामाजिक समावादा निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. उक्त संकेत में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का नाम क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
पादुणा	पादुणा	ग्राम-नीलकांठ प.सं. 82 व नं. 215 स.नि. नं. पादुणा	रकबा -- 3.000 हेक्टेयर एव उपरोक्त भूमि पर आने वाली गरिबितायें।	भूमि अर्जन अधिनियम तहसील पादुणा जिला पादुणा	बैले मंग रिजनाकर (पादुणा) शोध परियोजना के अंतर्गत इस क्षेत्र प्रभावित ग्राम के निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय देव शर्मा, फलेक्टर एवं पतेन अवर सचिव

इसे वेबसाइट www.gvtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2024—भाद्र 22, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राजस्व कानून के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिनियमनारे,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचना आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक भाषा परिषद

भाग 2.—स्थानीय निकायों की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विश्वान और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर मंत्रिणिका के प्रतिनिधित्व
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, अल्पम धवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. ई-1-121-2024 5 एक.—भारत सरकार, संस्थागत आधिकारों,
कार्यक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिणत क्रमांक 33 07-
2024 F.O (SM-1) 14, दिनांक 7 अगस्त 2024 के अनुक्रम में,
ई. पवन कुमार शर्मा, भाद्रसे (1999), कामेश्वर, भोपाल संभाग,
भोपाल की सेवाएं भारत सरकार के अंतगत संयुक्त अधिन, रक्षा विभाग,
नई दिल्ली के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्षों को
अनुधि अथवा अन्य आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए
नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्याक, लोक शिकायत एवं रेशन मंत्रालय,
कार्यक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरा राणा, मुख्य अधिन. 4288

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र. एफ-5-03-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति (पदोदय,
श्री जी. एच. अहलुवालिया, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की
डी.आर.-कम-जी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव
क्र. सी-5359-(ए-1 व 2018) दिनांक 25 जुलाई 2024 के अनुक्रम
में, दिनांक 9 से 17 जुलाई 2024 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा
पत्तों सहित वायव्य की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में
दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ
उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तों)
अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यागत के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उपसंचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024

क्र. एफ 1-4-20 व. स. यू. ए. 1 10/9.—राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश क्रमांक एफ-1-4-20- व. स.-यू. ए. 1-357, दिनांक 7 मार्च 2024 के द्वारा डॉ. लखन गुप्ता, सहायक कुलाधिपति, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, यू. टी. डी., राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति की नियुक्ति होने तक कुलाधिपति के पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम-निर्देशित किया गया था।

2 चूंकि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है और चूंकि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) में वर्णित छः माह की कालावधि दिनांक 6 सितम्बर 2024 को समाप्त हो रही है, अतः उक्त धारा 13 की उपधारा (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल एतद्वारा डॉ. लखन गुप्ता, सहायक कुलाधिपति, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, यू. टी. डी., राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को दिनांक 7 सितम्बर 2024 से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत नए कुलाधिपति की नियुक्ति होने तक कुलाधिपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नाम-निर्देशित करता हूँ,

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

पर्यावरण नर्सरी, ई 5, अरेर कालोनी, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2024

इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3260-वि. नो. इंदौर-उपांतरण नमूने 2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारंभ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहसहित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है, जिसकी जमीन निर्देशन के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिका निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

1. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय 3 की केंद्रीक क्रमांक 3.25.2 की सरणी 3.6 के सरल क्रमांक 39 के अन्तर्गत सरल क्रमांक 41 निम्नानुसार अंतः स्थगित किया जाता प्रस्तावित है :

3.25.2

क्रमांक (1)	मार्ग का नाम (2)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) (3)	मार्गों 3.6 की संख्या
41	ए. बी. रोड बायपास (उत्तर में रू. खेड़ी जंक्शन से दक्षिण में राउ जंक्शन तक).	105	105

2. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय 6 की केंद्रीक क्रमांक 6.10.13 के अन्तर्गत नवीन केंद्रीक क्रमांक 6.10.14 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता प्रस्तावित है :—

6.10.14. इंदौर वायनम के कट्टेल एरिया में आने वाले खेतों की भूमियों को मर्ग एवं मिश्रित उपयोग के संबंध में

ए. बी. रोड बायपास में (उत्तर में रू. खेड़ी जंक्शन से दक्षिण में राउ जंक्शन तक) आने वाले ग्रामों के खेतों में ए. बी. रोड बायपास के वर्तमान राइट ऑफ वे (R.O.W.) लाइन से दोनों ओर 22.50 मीटर तक (22.50 मीटर की पट्टी) (दोनों ओर अतिरिक्त 22.50 मीटर R.O.W. अन्तर्गत R.O.W.- कुल 105.00 मीटर) तक मार्ग प्रस्तावित एवं प्रस्तावित 105 मीटर मार्ग के दोनों ओर 22.50 मीटर तक मिश्रित भूमि उपयोग* किया जाना प्रस्तावित है.

1. मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र की 22.50 मीटर की पट्टी (ए. बी. रोड बायपास के अन्तर्गत R.O.W.- लाइन से दोनों ओर 22.50 मीटर तक स्थित भूमि) या उसके किसी भी भाग में, किसी भी उपयोग / प्रयोजन के ले आउट अनुमोदन के समय, भूमि स्वामी के लिए मिश्रित भूमि उपयोग अन्तर्गत शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है. मिश्रित भूमि उपयोग अन्तर्गत शुल्क, केवल एक मुश्त व एक बार ही देय होगा.

वा. —

*भूमि उपयोग में प्रस्तावित अंतरण अंतः स्थगित भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक तथा ग्राम निवेश, इंदौर से ले आउट पत्र के अन्तर्गत के माध्यम से निर्धारित जमाव स्थानीय विकास को भुगतान करने के लिये किया जायेगा। अंतरण अंतः स्थगित भूमि के भूस्वामी को अंतः स्थगित भूमि के अन्तर्गत शुल्क का भुगतान करने के लिये देय होना होगा।

- मिश्रित भूमि उपयोग के लिये देय मिश्रित भूमि उपयोग उपांतरण सुक्त, उक्त भूमि के क्षेत्र के आसपास प्रचलित Collector Guideline में आवासीय भूखंड के मूल्यांकन के दरों के अनुसार उक्त भूमि के मूल्य का 10% होगा.
- उपान्वित मिश्रित भूमि उपयोग में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग में इंदौर विकास योजना 2021 के अनुसार सभी स्वीकार्य गतिविधियाँ / उपयोग परिसर पूर्ण रूप से अनुत्प्रेय होंगे.
- मध्यप्रदेश इस्तांतरणीय विकास अधिचार नियम, 2018 (MP TDR Rules 2018) के अनुसार (Development Rights Certificate एवं Additional Buildable Area प्रीमियम) का उपयोग नियमानुसार कर सकेंगे.
- एनो रोड वायपाम के उपान्वित ROW लाइन से दोनों ओर उपांतरित मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र में आने वाली भूमि पर भूखण्डीय विकास (स्वीकृत अभिन्यास में विक्रय हेतु आरक्षित भूखण्डीय क्षेत्र × कलेक्टर गाईडलाईन का 3%) उन्नयन विकास प्रभार राशि तथा बहु-इकाई भवनों को निर्मित किये जाने पर स्वीकृत फर्शी क्षेत्र अनुपात के आधार पर भूमि स्वामी को उन्नयन विकास प्रभार राशि, [स्वीकृत फर्शी क्षेत्र अनुपात (1 : 2.0 तक) × कलेक्टर गाईडलाईन का 3%] राशि देय होगी. 1 : 2.0 से अधिक 1 : 4.0 तक फर्शी क्षेत्र अनुपात का लाभ प्राप्त किये जाने पर उपरोक्त केंडिका क्र. 4 के प्रावधान लागू होंगे.
- मिश्रित भूमि उपयोग के लिए ग्रांडेड क्लोजेड भूखंड क्षेत्र का अधिकतम 40% मान्य होगा, और अन्य उपयोग के भूमियों के लिए नियोजन ग्राण्डेड इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुसार होगा.

प्रस्तावित उपांतरण के खीरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम-जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3864-वि. यो.-इंदौर-उपांतरण-नगरनि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपरित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

- आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश.
- कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश.
- अयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश.
- संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

2 इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय 3 की केंडिका क्रमांक 3.25.2 की सारणी 3.6 के सरल क्रमांक 39 के प्रस्तावित धारा क्रमांक 40 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

3.25.2

क्रमांक (1)	मार्ग का नाम (2)	सारणी 3.6 प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) (3)
40	टिगरिया बादशह मेन रोड से कुरुवाह नगर होते हुये उज्जैन नाका बाण गंगा तक.	30

प्रस्तावित उपांतरण के खीरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम-जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

शुद्धि पत्र

क्र. 3009 वि.यो.-जी. डी. नगर (प्रांति क्षेत्र)-22-नगरनि-2024, भोपाल दिनांक 9 अगस्त 2024 के द्वारा प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना, जिसका प्रकाशन राजपत्र राजपत्र भाग 1 में दिनांक 23 अगस्त 2024 को किया गया है.

उक्त सूचना के पैर. 1 में बुटिका इंदौर निवेश क्षेत्र के स्थान पर जयकापुर निवेश क्षेत्र प्रकाशित हो गया है, जिसे जयकापुर निवेश क्षेत्र के स्थान पर इंदौर निवेश क्षेत्र पढ़ा जावे. शेष बचावत रहेगा.

श्रीकांत बनोट, वि.क.अ. सर आयुक्त लह-संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 27 अगस्त 2024

(पारित दिनांक 27 अगस्त 2024)

क्र. 3-सल.राज-विधि-2024-15224.- मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपत्र अनुसार जिले के भीतर थानों / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी को समिति को दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 03 1770880-2023-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देशानुसार जिला ग्वालियर के थानों / चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्तर पर तथा जिला दण्डाधिकारी स्तर पर बैठकें आयोजित कर जनप्रतिनिधियों एवं सनातनिक संगठनों से सुझाव प्राप्त किये गए।

उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर (म. प्र.) का पत्र क्रमांक-पुअ-ग्वा.-एसीप्रथम-पी-399-ए-23-24, ग्वालियर, दिनांक 11 जनवरी 2024 एवं पत्र क्रमांक-पुअ-ग्वा.-एसीप्रथम-पी-399-सी-23-24, ग्वालियर, दिनांक 15 जनवरी 2024 के द्वारा जिला ग्वालियर के 15 थानों क्रमशः (1) नहराकपुरा, (2) पतिहा, (3) पिछोर, (4) गिजौरा, (5) आंतरी, (6) पित्तवार, (7) बिलौली, (8) गिरवाई, (9) झांसोरोड, (10) चीनौर, (11) बिलौली, (12) डबरा देहात, (13) बहोडापुर, (14) चीफे बड़ागांव थाना मुजर एवं (15) ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों / ग्रामों की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या एवं सुरक्षा की दृष्टि से आधार पाने हुए तथा प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रस्ताव को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2, खण्ड एस के अनुसार अधिमूचना का दिनांक 26 जनवरी 2024 को मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित किया गया है। तथा उक्त संबंध में अधिमूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियां आमंत्रित की गईं।

उक्तानुसार अधिमूचना के अनुक्रम में, श्रीमती मंजू राजू खटोक, सभापति संचार संकर्म समिति सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र वार्ड 09, जिला ग्वालियर (म. प्र.) द्वारा ग्राम सूखापटा, थाना पिछोर एवं ग्राम गढ़ी, थाना पिछोर की सीमा को थाना बिलौली की सीमा में नहीं रखने तथा पूर्ववत् थाना पिछोर में रखने के संबंध में दिनांक 27 फरवरी 2024 को आपत्ति प्रस्तुत की गई है। उक्त आपत्ति निराकरण हेतु मुलाज: पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर को भेजे गईं।

उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर (म. प्र.) का पत्र क्रमांक-पुअ-ग्वा.-एसीप्रथम-पी-160-24, ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च 2024 के द्वारा ग्राम सूखापटा एवं गढ़ी को थाना पिछोर की सीमा में ही पूर्ववत् रखे जाने को अनुशांसा संहिता अधिनत प्राप्त हुआ है।

जिला ग्वालियर की सीमांतर्गत आने वाले थानों / मोहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, सुरक्षा तथा पिछे गांव वणों के अपराधों की समीक्षा के आधार पर लिखित आर्जुची के अतिरिक्त नं. (2) में अंकित थानों की सीमा के कॉलम नं. (3) में अंकित आने वाले ग्रामों / मोहल्लों को कॉलम नं. (4) में अंकित थाना में सम्मिलित करते हुए थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है।

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02, खण्ड एस के अनुसार)

क्र.-3-सल.राज-विधि-2024-15224.- जिला ग्वालियर (म. प्र.) / शहरी थानों के अंतर्गत आने वाले थानों / मोहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से संबंध समय की दृष्टि से न करन रहें तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित थानों की दृष्टि तथा जिला 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीक्षा उपरोक्त 15 थानों की संख्या में परिवर्तन किया जाव है :-

स. क्र.	शरीरान्तरण का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित शाना
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	महाराजपुर	पूलपुरा	बिजौली
02.	पनिहार	बजरंगपुरा खैरिया कडाई इतुनान टेकरी	गिरवाई झांसीरोड चीनौर
03.	पिछोर	ईकोना आदिवासी दफाई बंजारा का पुरा शंकरपुर, शंकरपुर कॉलोनी	बिलौथा.
04.	गिर्जाती	हिडायाल नोइना	
05.	आंतरी	बडोर मकोडा टीसीपी बीएसएक एकेडमी (आंतरी शाना क्षेत्र) पट.	
06.	भितरघर	ग्राम गंतयत बिजकपुर (बैजनाथ का डेरा, इन्ला का डेरा) ग्राम पंतयत भैसनारी (अजीतपुरा, शक्तिपुरा, लडैवापुरा, चूना घाट का डेरा). सिमरिया भैसनारी (सिमरिया दफतरे)	दबरा देहात
07.	बिजौली	सिंहरपुरा ग्राम बरनयां खैरियामांदी उदयपुर गणेशपुरा सुनारपुरा खलरा	शौकी बहागांन शाना मुरार
08.	बहोडापुर	भार निगम क्षेत्र का चार्ज क्र. 10 गृहरी महल, सरस्वती शिशु भंडिर एवं बावलगाढ़.	ग्यासिमर

रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं जिला दफ्तराधिकारी.

Gwalior, the 27th August, 2024

(Passed date 27th August 2024)

No.-3-Sali.Raj-Miscellaneous-2024-13224.—According to the circular of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department Ministry, Vallabh Bhawan, Bhopal, letter No F-3(a)-9-08-B-3-2, date 30th July 2010. The authority for assessment has been given to the committee of Collector, Superintendent of Police and District Public Prosecution Officer at the district level. In accordance with the above instructions, as per the instructions given in the letter number -03-1770880-2023 B 3/2, Bhopal dated 4 January 2024, of the Ministry of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department, Vallabh Bhawan, Bhopal, the boundaries of the police stations / outposts of Gwalior district, For rescheduling, meetings were organized at the sub-divisional magistrate level and at the district magistrate level and suggestions were received from public representatives and social organizations.

In pursuance of the above instructions, Superintendent of Police, District Gwalior (M.P) letter number No. PA-GWA-ACPratnam-P-399-A-23-24, Gwalior, dated 11 January 2024 and letter number PA-GWA-ACPratnam-P-3991-C-23-24, Gwalior, dated 15 January 2024 by 15 police stations of district Gwalior respectively (1) Maharajpura, (2) Paruber, (3) Pichor, (4) Gajura, (5) Antri, (6) Bhatwar, (7) Geographical position of the mohallas/villages falling under Bijauli, (8) Gurwa, (9) Jauri Road, (10) Chinzur, (11) Bilua, (12) Dabra Dehar, (13) Baladapur, (14) Chowki Badagan police station Murar, and (15) Gwalior, Geographical location/villages under Gwalior, public facilities And considering the distance of safety as the basis and based on the analysis of crimes committed in the last 05 years, a proposal has been received with recommendations regarding change in the boundaries of a total of 15 police stations. According to Section-02, clause 5 of the Code of Criminal Procedure, the presented proposal has been published by the Madhya Pradesh Gazette Authority on 26 January 2024 and in this regard, comments were invited within a period of 30 days from the date of publication of the notification.

In continuation of the above notification, Shri. Manoj Raju Khark, Chairman, Communication Works Committee, Member, District Panchayat Area, Ward 09, District Gwalior (M.P) has ordered that the boundaries of village Sukhpatha police station Pichor and village Gatu police station Pichor should not be kept in the limits of police station Bilua and the same police station should be kept as before. Objection regarding keeping it in Pichor has been submitted on 27.02.2024. The said objection was originally sent to the Superintendent of Police, District Gwalior for resolution.

In confirmation of the above objections, the Superintendent of Police, District Gwalior (M.P) vide letter No. PA-GWA-ACFusl-P-160-24, Gwalior dated 29.03.2024, has been transferred to village Sukhpatha and Gatu within the limits of police station Pichor. Opinion has been received recommending that it be kept as is.

On the basis of review of the geographical location, public facilities, security and crimes of the last five years of the villages/localities falling under the boundaries of Gwalior district, column no. of the following schedule in the list of police stations mentioned in column no. (2) villages/localities mentioned in column (3) should be given column no. (4). The boundaries of the police stations including the police stations mentioned in Rescheduling is done.

(ACCORDING TO SECTION 02, CLAUSE 5 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE)

No-3 Sali.Raj-Miscellaneous-2024-13224. Keeping in view the geographical location of the villages/localities falling under the rural/urban areas of district Gwalior, public facilities and safety, one should not have to travel long distances and the facilities to solve the problems of the common people in a fast procedure. Changes are made in the limits of 15 police stations after reviewing the distance and crimes committed in the last 05 years :-

S.N.	Name of current police station.	Name of village.	proposed police station
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Maharajpura	Faujpur	Bijet

(1)	(2)	(3)	(4)
02.	Panihar	Rajrangpura Kheria Kuchhai Hanuman Takeri	Girwai Jhansi Road Chaber
03.	Pichore	Bkong Adiwasi Dafai Baujara's Pura Shaukaapur, Shankar Colony	Bilua
04.	Gijorra	Hidayat Molua	
05.	Antri	Bajhera Masoda T.C.P BSF Academy (Area of antri police Station) Pithe	
06.	Bhatwar	Gram Parbhayat Vijaipur (Vajnaah Ka Camp, Inla Ka Camp). Gram Penchayat Bhainari (Ajitpura, Shaktipura, Lakshyapura, Chana Ghat camp). Sumaria Bhainari (Sumaria Dafai)	Dabra Dehat
07.	Bijauli	Sigarpura Village Kargawan Kherimodi Ujainpur Ganeshpura Sunarpura Khalsa	Chewki Badagan Police Station Murar.
08.	Balaxlepur	Ward no. 10 of municipal corporation, Gopi Mahal, Saraswati Shiksha Mandir, Bodalgah.	Gwalior

RUCHIKA CHAUHAN, Collector and District Magistrate.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024

क्र. 1/-6-0020-2023-सात शा. 1.—मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 रा. 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला गुना की तहसील गुन की सीमाओं को परिवर्तित करने, एवं वहीं बमोरी उपखण्ड सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अट्टार इसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवकाश होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवकाश होने के पूर्व राखित, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अर्पित किए जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्र.	विद्यमान उपखण्ड का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के (विद्यमान उपखण्ड सतह से अपवर्तित किए जाने वाले क्षेत्र का विवरण).	प्रस्तावित परिवर्तनों के उपखण्ड एवं उनके मुख्यालयों के नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखण्ड में अंतर्विष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गुना, मुख्यालय, गुना.	1. तहसील संख्या-01 नाम-बमोरी. 2. राजस्व निरीक्षक मण्डल संख्या 07. नाम-फतेहगढ़, बमोरी. 3. पटवारी इत्कों की संख्या-80. 4. राजस्व ग्रामों की संख्या-254.	गुना, मुख्यालय, गुना.	1. तहसील संख्या-02 नाम-गुना नगर, गुना. 2. राजस्व निरीक्षक मण्डल संख्या 03 नाम-ज्याना, ऊमरी, गुना. 3. पटवारी इत्कों की संख्या-87. 4. राजस्व ग्रामों की संख्या-307.	पूर्व दिशा— जिला अशोकनगर. पश्चिम दिशा— तहसील बमोरी. उत्तर दिशा— जिला शिवपुरी. दक्षिण दिशा— तहसील आरोन एवं तहसील राधौगढ़.
2	—	—	बमोरी, मुख्यालय, बमोरी.	1. तहसील संख्या-01 नाम-बमोरी. 2. राजस्व निरीक्षक मण्डल संख्या-02 नाम-फतेहगढ़, बमोरी. 3. पटवारी इत्कों की संख्या 80. 4. राजस्व ग्रामों की संख्या-254.	पूर्व में— तहसील गुना. पश्चिम में— राजस्थान सीमा. उत्तर में— राजस्थान सीमा एवं जिला शिवपुरी. दक्षिण में— तहसील राधौगढ़.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशस्त समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कील, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 30 अगस्त 2024

क्र. एल-भू-अर्जन-30-अ-82-2022-23-5611.—राज्य मार्ग क्रमांक 57 रोना-झौहारी देवता मोड़ में नेत्र शिल्डर के साथ 2 लेन के पुनर्वास और बनाने कार्य (वैनेज 0.000 से 18.550 किमी तक बचलार नहर पुल निर्माण, चौड़ा 33.000 कि मी और 40.450 से 111.500 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 80.000 कि मी) हेतु शहडोल झौहारी अंचलिक प्रभावित ग्राम भमरला द्वितीय, क्षेत्रफल 0.880 हेक्टर हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी, अधिनियम 2013" के तहत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, समाचार-पत्रों, स्थानीय स्तर पर विज्ञानुसार प्रकाशित कराई गई थी :-

अनुसूची

अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि				प्रकाशित अधिसूचनाओं का विवरण	
क्र.	ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल (हेक्टर में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	भमरला द्वितीय	झौहारी	0.880	राजपत्र, दिनांक भाग 1	पृष्ठ क्रमांक 6513, दिनांक 16 जून 2023
				समाचार-पत्र	(1) दैनिक शहडोल, दिनांक 25 जून 2023 (2) दैनिक कोरत ज्ञानि डेली शहडोल, दिनांक 25 जून 2023.
				स्थानीय प्रकाशन तहसील/ग्राम पंचायत.	दिनांक 22-7-2023

उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विधानसभा निर्वाचन 2023, सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आवरण संज्ञित प्रभावशील होने तथा उस दौरान अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता / व्यवस्तता होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है. धारा 19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन के विधि से भू अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय-सीमा दिनांक 22 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई है, चूंकि इस योजना से लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी तथा योजना दूरगामी हितों से सम्बद्ध है, भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किंवा जान आवश्यक लागोचिंत प्रतीत होता है.

अतः, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपरोक्त में लाते हुए धारा 19 के तहत कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. दस-भू-अर्जन 79 अ 82 2022-23-5612.—राज्य मार्ग क्रमांक 57 रोना-ब्यूहारी-टटका नोड में फेड रोडर के साथ 2 लेन के पुनर्बांधा और उन्नयन कार्य (चौनेज 0.000 से 3.550 कि.मी तक रखवा नहर पुल निर्माण, चौनेज 33,000 कि. मी. और 40.150 से 111.500 कि.मी. तक, डिवाइड लम्बाई 90.000 कि.मी.) हेतु तहसील ब्यूहारी अंतर्गत प्रभाषित ग्राम जामल, क्षेत्रफल 0.669 हेक्टर हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में तन्त्रित प्रतिकर और प्रारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013" के तहत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, समाचार पत्रों, स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार प्रकाशित करे गई थी :-

अधिसूचना

अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि				प्रकाशित अधिसूचनाओं की विवरण	
क्र.	ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	जामल	ब्यूहारी	0.669	राजपत्र, दिनांक भाग -	गृह क्रमांक 6374, दिनांक 16 जून, 2023
				समाचार-पत्र	(1) विजय त शहरोड, दिनांक 26 जून 2023 (2) दैनिक वीरार्ति क्रांति डेली शहरोड, दिनांक 25 जून 2023.
				स्थानीय प्रकाशन तहसील/ग्राम पंचायत,	दिनांक 27 7 2023

उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विभाग सभ निर्वाचन 2023, सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श धारण राहिका प्रभावशील होने तथा दूर राहिका अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता / जामल होने के कारण भू-अर्जन की अधिसूचना कार्यवाही रानव-सौना में पूर्ण नहीं हो सकी है. धारा 19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय-सीमा दिनांक 22 जुलाई 2024 को खण्ट हो गई है, चूंकि इस योजना से लोगों को आनागमन की सुविधा प्राप्त होगी तथा योजना दूसरों की हितों से सम्बद्ध है. भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू अर्जन की अधिसूचना कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है.

अतः, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में तन्त्रित प्रतिकर और प्रारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार सिंह, फ्लेकर एवं पटेल उपाधीक्षक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिलकनी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
मिनावनो, दिनांक 3 जून 2024

प्र. क्र. 001-अ-82-23-24-रीडर-भू-अर्जन 2024.—अंतराधरण को सूचित किया जाता है कि शासन की "आपसी सहमति से क्रय नोडि" के तहत लोक निर्माण विभाग हेतु निर्माण संभाग पेशवा द्वारा राजसेन जिले में एकहज़ार-सिवरनऊ मार्ग के कि. मी. 18.4 में नहरिया नदी पर जल-निच पूरा मय गह्वर मार्ग निर्माण के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करते हेतु विचार किया जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति / व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई अपवाद हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों की अवधि में परिभाषण प्रस्तुत कर सकता है. निर्याद अवधि के पश्चात् कोई अपवाद माल्य नहीं होगी एवं भूमि को (म. ग.) लोक निर्माण विभाग हेतु निर्माण के पक्ष में क्रय करने हेतु अधिसूचना कार्यवाही की जाएगी :-

क्र.	प्राग का नं.	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (राज/अभिलिखित/आरक)	खसरा नं.	क्षेत्र के लिए प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	विनयरा	लिलयानी	रायसेन	नरेश निहा जवाहर सिंह जाति गौड़ निवासी विनयरा.	363/1/2/2	0.04 हेक्टेयर

प्र. क्र. 2 या B2 23 24 शीट 10 अर्जन 2024.—प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0.04 हेक्टेयर है। इस भूमि को "आवृत्ति से क्षेत्र नैति" के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा रायसेन जिले में ककरुआ-रांगे मार्ग पर जकटी नदी पर नलमणीय पुल मय पडुंच नग्न निर्माण के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों की अवधि में राष्ट्रपति प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा के तत्वात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को (म. प्र.) लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण के तहत में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी :-

क्र.	प्राग का नाम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (राज/अभिलिखित/आरक)	खसरा नं.	क्षेत्र के लिए प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	होरपुर	सिलयानी	रायसेन	दशोदराई पत्नी गोरिलाल जाति गौड़ ग्राम होरपुर.	4	0.061 हेक्टेयर

प्रकाश नायक, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं
सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 22 अगस्त 2024

प्र. क्र. 23-1-20-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का
सनाधान है: यथा है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि
की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 13 में वर्णित प्रावधान के
गोप्रेक्ष्य में इस प्रकार में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं
किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्वासन स्तोप की
आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन
में उचित प्राधिकार और नगरपालिका का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित
किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—खरगोन
(ग) ग्राम—बेडला
(घ) खसरा क्षेत्रफल—14.732 हे.म.

खसरा नं.	क्षेत्र (हे. में)
(1)	(2)
273	2.575
307/2/3	0.110
309/2	0.750
303/3	0.350
369/1	0.075
369/2	0.080

(1)	(2)
369/3	0.243
369/4	0.475
369/5	0.075
369/6	0.025
389	0.970
392/1	2.365
392/2	0.850
394/2	0.110
396/1/1	0.225
398/1/1	0.225
397	0.440
399	0.505
400/1	0.466
400/2	1.550
400/3/1	0.809
400/3/2	0.571
400/4	1.330
401/1	0.040
401/2	0.335
कुल योग	14.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि को
आवश्यकता है—“बेडला बालाच शिव काव में
आने वाली निजी भूमि”.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, गोकर्णान,
नगरपालिका नगर, जल संसाधन संभाग, खरगोन
कार्यालय में उपलब्ध किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		(1)	(2)
सतना, दिनांक 1 सितम्बर 2024		528/1	
क्र. 1986-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बट्टा का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 45 (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के गट (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (अ. सं. 14, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—		528/2	
अनुसूची		528/3	
(1) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)		528/4	0.1420
(क) जिला—सतना		528/5	
(ख) तहसील—उंचेहथ		528/6	
(ग) ग्राह्यप्राप्त—सोमरी दुबे		536	0.1270
(घ) क्षेत्रफल—5.5991 हेक्टेयर.		535	0.1550
खसरा नं.	अंजित ख.ब.	534/1	0.0750
	(हे. मं.)	534/2	
(1)	(2)	474	0.1210
436/1	0.0130	552	0.0070
436/2	0.0080	554	0.0300
491/1	0.1150	555	0.0310
491/2	0.1020	473	0.1420
491/3	0.0900	472	0.0100
488/1	0.1250	565/1/1	0.0060
481/1	0.0100	565/1/2	0.0360
548	0.7850	564/1	0.0920
547	0.0120	564/2	0.0730
546	0.0100	562	0.1570
545	0.1120	709	0.0330
110/513	0.1260	710	0.0110
541/1	0.0100	711	0.0210
541/2	0.0520	1124/1/1	0.0840
538	0.0370	714	0.0130
527/1		715/2	0.1540
527/2		716/2	0.0100
527/3		734	0.0210
527/4	0.1310	733	0.0250
527/5		752	0.0120
527/6		731	0.0080
		721	0.0060
		722	0.0090
		717	0.0850
		718	0.0260
		770/1	0.1050
		913/1	0.0100
		911/1	
		911/2	
		911/3	0.2100
		911/4	
		911/5	

(1)	(2)	(1)	(2)
912/1		1039/1	0.0020
912/2		1039/2	
912/3	0.0100	1042/1/1	
912/4		1042/1/2	0.1480
912/5		1042/2	
930/1		1044/1/1	
930/2		1044/1/2	0.0460
930/3/1	0.1330	1044/2	
930/3/2		1046/1/1	
929/1		1046/1/2	0.0420
929/2	0.210	1046/2	
933/1		22/1	0.0520
933/2/1	0.0500	22/2	
933/2/2		21/1	0.0020
928/1		21/2	
928/2	0.1700	23/1	0.0830
928/3		23/2	
927/1		24/1	0.0020
927/2/1	0.0120	24/2	
927/2/2		20	0.1310
1106/109/1	0.0520	30	0.0250
1091	0.0280	47/1	0.0400
1092	0.0110	18	0.0500
1094/1	0.0620	31	0.0140
1094/2	0.0510	39/1	0.0041
1004/2	0.0180	40	0.1100
1005	0.0190	59	0.0020
1006	0.1340	60	0.0150
1007	0.0090	61	0.0210
1008	0.2510	62	0.0230
1009	0.0520	63	0.0280
1010	0.0050		
1011/1	0.0100		
1011/2			
1030	0.0210		
1031	0.0350		
1036/1			
1036/1/2			
1036/2			
1036/3/1	0.2200		
1036/3/2			
1036/4			
1036/5			
1038	0.1000		
1043	0.0350		
		योग	5.5891

(2) प्राविधिक प्रयोजन लिसें लिखे कला आवश्यक है— यहाँ आवश्यकता संशोधन अंतर्गत राष्ट्रीय-मदना-शाखा नहर को नहरों लिखिका को गोचरण कला पाठ-र सैन्री दुबे पाठन एवं सवनाहन के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम के नल्ले (खान) का निर्माण कलेक्टर (पू. जिला), जिला राहता के माध्यम से किया जा सकता है.

क्र. 1997-भू अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बंद का सामाधान हो गया है कि गाँवों की गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सर्वाधिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(प. प्र. शासन/निजी जाला)

- (क) जिले—सतना
(ख) तहसील—इंजुहरा
(ग) नगर/ग्राम—गडरी पत्तौर
(घ) क्षेत्रफल—5.2330 हेक्टेयर,

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
451/1	0.0090	317/2	0.0740
150/1	0.0750	317/3	0.0370
449/1	0.0120	251/2	0.0460
444	0.0960	250/1	0.0200
443	0.0900	250/2	0.0200
446/2	0.0040	96	0.0100
447/2	0.0450	90	0.0040
442	0.0670	95	0.1170
441	0.0080	93	0.0830
276/3	0.0160	94/1	0.0670
273/3	0.0120	73	0.1070
440	0.0270	72	0.0360
439	0.0020	71	0.1510
438	0.0090	50/2	0.1100
437	0.0160	48/1/2	0.1370
452/1	0.0110	68/2/1	0.0580
422	0.0320	43/2/2	0.0580
423	0.0380	43/2/3	0.0580
413	0.0670	33	0.0070
231/2	0.0930	37	0.0150
407	0.0100	35	0.1700
319	0.1150	34/2	0.1260
318	0.0730	35	0.0120
		11	0.1760
		13	0.0920
		8	0.2760
		654	0.0540
		646/1	0.0060
		646/2	0.0070
		651	0.0030
		652	0.0020
		589	0.1800
		502	0.0330
		445	0.0030
		74/1/1	0.0040
		792	0.0620

(1)	(2)	(1)	(2)
295	0.0300	294/2	0.0400
296	0.1060	293/1	0.0050
321/1	0.0370	299	0.0200
321/2	0.0560	306	0.0120
321/3	0.0290	93	0.0640
252	0.0910	300	0.0170
249	0.1420	301	0.0710
103/1	0.0620	305	0.0530
103/2	0.1640	302	0.0120
323/1	0.0310		
323/2	0.0370		
101/1	0.0290	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अज्ञात आवश्यक है— नरगाँव व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नारायण-सतन-शाही नहर की लागूगर्त, विवरिका को सेमरी बुर्मेडाई माइनर के निर्माण हेतु.
101/2	0.1400	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जा), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
100	0.1050		
309/1	0.0580		
309/2	0.0580		
309/3	0.0460		
309/4	0.0720		

योग . . . 5.2330

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्र. 5436-भू-अर्जा-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित बांणित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके तामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हिस्सेदार व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मन्दाय, नवलप रावन, गोंयाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 581-2019-एन.पी.एस.-31-221, गोंयाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 के द्वारा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव इनकेका के दृष्टिगत असेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "विभाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ दसमय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समझात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सार्वजनिक समझात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." धारा अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सार्वजनिक समझात निर्धारण अद्ययन से कुछ प्रदेन की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सार्वजनिक समझात निर्धारण रिपोर्ट के आदेश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निरीक्ष देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिकरण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	गांव/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और गारंटीकृत का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-नौलाझिर प.ह.नं. 37 ब.न.- 146 रा.नि.नं.- चांद	रकबा-01.950 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, इंदौर- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई कार्यक्रम संख्या 2, चांद परियोजना के अंतर्गत पंच हाउस क्रमांक 9 निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई जांचित अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http://www.mpprevention.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय नंत्री, जल संसाधन विभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपविभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू अर्जन किये जाने के संबंध में वास्तु लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के उद्देश्य प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 5437-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता गढ़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और गारंटीकृत का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उद्घाटन, सभी संबंधित हितवद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और गारंटीकृत का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश नं. क्रमांक 22 (ए) 381-2019 एम.पी.एन.-31-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च, 2019 के द्वारा परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिकोण अर्थात् विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और गारंटीकृत का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अंतर्गत "सिंचाई परियोजनाओं को बावत जहां तत्काल प्रवृत्त किन्तु अन्य विधि के उपबंधों के अंतर्गत पर्याप्त गमायात निर्धारण की प्रक्रिया को अंश की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समायात निर्धारण के संबंध जानू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत समायात निर्धारण अव्ययन ले कूट प्रदान की अर्थात् अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समायात निर्धारण निर्देश का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और गारंटीकृत का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में अर्जित अधिकार और परदांशिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-नीलवंशीकला प.ह.नं.-52 व.नं.-151 रा.नि.पं.-चांद.	रकबा-C2,000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर खाने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, इन्चार्ज, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई कामप्लेक्स संगम 2, बांध परियोजना के अन्तर्गत पंप हाउस क्रमांक 9 में चांद-परसगंव मुख्य नाली रो पंप हाउस तक पहुंचाने के लिये निर्जल भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.e-hindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http://www.mprovenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यलयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रकबा), तहसील-चौरस, जिला-छिन्दवाड़ा (उ. प्र.) के कार्यालय में कार्यलयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय सचिव, जल संसाधन संगम, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यलयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन वृक्षसंभाल समिति, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यलयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 सितम्बर 2024

क्र. 5309-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह ज्ञात है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामन दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता नष्ट की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित अधिकार और परदांशिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितवद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकृत अधिकारी, को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित अधिकार और परदांशिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

2. चूंकि, राष्ट्रीय बांध संरक्षण अधिनियम, 1975 के अधिनियम संख्या 2021 एवं राज्य शासन मंत्रालय, कल्याण मवन भवन का पत्र क्रमांक F 3-5 07 10 2 2 29 दिनांक 30 अक्टूबर 2008 की अध्यादेश संख्या किया गया जिसमें राष्ट्रीय बांध संरक्षण अधिनियम में से धारा 6 के पुनर्बंध हेतु रुपये 10.00 लाख प्रति परिवार की दर से अनुदान राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में जारी आदेशों के अन्तर्गत से निकाल दिये गये जिसमें से निकाल्य रूप में हितग्राही व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु राशि प्राप्त किया जाना है तथा उन्हें कोई भूमि नहीं दी जावेगी जबकि दूसरे विकल्प में हितग्राहियों को दो हेक्टेयर भूमि तथा बाकी राशि दिये जाने हैं.

अतएव, उत्तरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देवता बफर से प्राप्त हुई भूखेती की जागीरों का विस्थापन जो कि, मध्यप्रदेश शासक, वन विभाग मंत्रालय की महलकांक्षी योजना के अन्तर् में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समानता निर्धारण अधिनियम से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समानता निर्धारण रिपोर्ट का तारंश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है,

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि तदुपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अंतर्गत उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नं./प्र.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लाभान क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	तानिया	ग्राम हुंडी भाजोपानी T.इ.नं.-16 ब.नं. 15 ख, रा.नि.मं.- देलाखारी. उपरील तानिया.	कतवा 03.343 हेक्टेयर एवं उत्तरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुनारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देवता बफर से विस्थापितों को निजी भूमि का अधिग्रहण बाबर.

- (2) अर्जित की जाने वाली इलेक्ट्रिक प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन को जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mpravenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली इलेक्ट्रिक प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन 2/खा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली इलेक्ट्रिक प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुनारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली इलेक्ट्रिक प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, उन संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम (म. प्र.) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली इलेक्ट्रिक प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, महा संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म. प्र.) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली इलेक्ट्रिक प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं परदेन उपासचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 जून 2024

प्र. क्र. -अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे चलन अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगरग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पुरैना	निजी भूमि रकबा 0.84 हे. एवं शसकीय भूमि रकबा 0.10 हे. कुल रकबा 0.94 हे.	कार्यपालन यंत्र, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.	पन्ना-अमानगंज-शिवरिया मार्ग के के. मी. 56/8 में केन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्र, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 18 जुलाई 2024

प्र. क्र. 12 अ 82 वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे चलन अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगरग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	सिमरौडा	विंधरा	निजी भूमि रकबा 0.09 हे. एवं शसकीय भूमि रकबा 0.60 हे. कुल रकबा 0.69 हे.	कार्यपालन यंत्र, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.	पन्ना-अमानगंज-शिवरिया मार्ग के के. मी. 56/8 में केन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्र, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 13 अगस्त 2024

रा. प्र. क्र. 0002 व 82 वर्ष 2024-2025.—राज्य शासन की सार्वजनिक हित की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमत से भूमि क्रय नीति 2014 के तहत अनुसूची के कॉलम नंबर (1) से (5) में वर्णित भू-धारक / भू-धारकों की भूमि कॉलम नंबर (7) में वर्णित प्रयोजन हेतु आवश्यक है, जिसके लिए भू-धारकों / धारक द्वारा प्रारूप "ख" में क्रयवृत्ति के तहत प्रस्तावित प्रतिफल एवं समतुल्य पुनर्वास अनुदान प्राप्त कर राज्य शासन के पक्ष में विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है :—

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम / नगर का नाम	ख. नं. / रकबा (हे. में)	भू-धारक का नाम	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दमोह	हटा	गैसाबाद	294 रकबा 0.25 में से 0.25 हे.	टीकाराम पिता सुन्दर कुर्मी निवासी गैसाबाद तहसील हटा जिला दमोह.	कार्यपालन बन्नी लोक निर्माण विभाग	हटा-सिमरिया मार्ग के कि.मी. 66 / 8
दमोह	हटा	गैसाबाद	295 रकबा 0.15 में से 0.15 हे.	गोपी पिता जल्लो कुर्मी निवासी गैसाबाद तहसील हटा जिला दमोह.	शेतु निर्माण संभाग जबलपुर.	ग्यासा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

उपरोक्त भूमि आरक्ष तथा परियोजना के लिए संबंधित विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया न रहा है. अतः भूमि में हितवद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस में अपना आक्षेप लिखित रूप से अवरोहस्त्राक्षरी अथवा अतिविभागीय अधिकारी एवं भू-वर्धन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

सुधीर कुमार कोजर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क्र. 12244-भू-अर्जन-2024

नर्मदापुरम, दिनांक 23 अगस्त 2024

(म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधीनसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12/02/2014/साह/ए, दिनांक 12/11/2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14/11/2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/समूह योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एन.डी.बी. योजनांतर्गत निर्माणाधीन सेमरीहरबंद, पालादेवरी, बोरना मिट्टा, तेलसिर, महुआखेडा, गूजरखेडी, सांकला मार्ग निर्माण में काम महुआखेडा में निर्माणाधीन बाकल पुल के महुआखेडा तरफ के पहुंच मार्ग में लगभग 150 मीटर में आ रही निजी भूमि की आवश्यकता है। जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया है। उक्त भूमि के भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" की कठिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप-8 में सहमति भय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कठिका-11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधीनसंरचना/भरपूरता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है; नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

-: आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/भूकन का विवरण :-

जिला-नर्मदापुरम, अनुविभाग-सोहावापुर, तहसील-सोहावापुर, प.ह.नं.-07, बाग महुआखेडा खुर्द, रा.नि.मंडल-धनझकला, कुल रकबा= 0.310 हेक्टेयर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम	ख.नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	सिंचित रकबा हेक्टेयर में	असिंचित रकबा हेक्टेयर में	अन्य संघति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	अजय पिता जसदेव सिंह	49/1	0.372	0.020	निरंक	0.020	
02	छोटी गई नत्ति जगदीश मीना	49/2	1.821	0.290	0.290	निरंक	
	कुल योग	दो	1.893	0.310	0.290	0.020	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिधा मीना, कलेक्टर

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला-झाबुआ,
जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र. 2807-सी-1-भू-अर्जन-2024 रा.प्र.प्र. 184-ब-121-2022-23

झाबुआ दिनांक 24 नई 2024

प्रकार- घ

(गिरम 6 देखिए)

अरण मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 6 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 812/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-नेटलागव-धांदला सरदपुर माईको उद्वहन रैलाई परियोजना के अर्जन आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. 2 तक निम्नलिखित जाने वाली डी.ए. -2 माईन गहर में खल परिवहन हेतु ग्राम- सन्दला, प.ह.नं.-89, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को रखने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपरोक्त के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सहाय अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोडल ऑफिस के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभा के स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी निम्नलिखित में मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा .

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- सन्दला, प.ह.नं.-89,	568	0.020
			567	0.035
			563	0.010
			560	0.040
			552	0.008

1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- सन्दला, प.ह.नं.-89,	565	0.043
			564/2	0.013
			554/2	0.028
			564/1	0.030
			554/1	0.020
			551/5	0.010
			546/5	0.010
			551/4	0.002
			551/3	0.010
			547	0.020
			548/1/1	0.005
			542/2	0.010
			540/5	0.010
			540/10	0.015
			540/7	0.010
			540/6	0.010
			538/1	0.013
			540/2	0.005
			540/4	0.010
			540/3	0.010
			535/3	0.010
			535/2	0.015
			536	0.020
			534	0.020
			532	0.005
452/2	0.015			
452/1	0.015			
451/2	0.020			
451/1	0.014			
450/1	0.008			
कुल योग			35	0.539

पत्र क्र. 2809-सी-1-10 अर्जा-2024-रा.प्र.प्र. 152-ब-121-2022 23

प्रस्ताव ध
(निम्न 6 देखिए)

भारत न्याय सेवा भूमिगत पाइपलाइन, गैरज. एवं ऊपर भूमि के उपयोग के अधीन (कानून) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 त्तु 2012) (जिसे इन्होंने इच्छा के बाद, एक अधिनियम के नाम से विहित किया गया है); की प्राव. 3 को लागू (1) के अधीन जारी पत्रा. प.के.के. की अधिसूचना क्र. क्रमांक- 102/सी-1/सू-अर्जा/2023 कायम. दिनांक 02.03.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नई झाबुआ में 2.8 हेक्टेयर क्षेत्र में 1000 मीटर लंबाई का पाइपलाइन सिंचन प्रोजेक्ट के अर्जा क्र.सी.सी-1 के 3 (सी.सी.सी-2) तक विस्तार करने वाले शी.अम-2 पाईप लाइन को लेन-देन नई न. 102 क्रमांक-15 में जल अधिनियम, 1987 ग्राम-फुटिया, प.ह.न.-83, रा.नि.मं.-02, फाल्गुनापुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ के भूमिगत पाइपलाइन, केना एवं ऊपर की ज़ेमने के उपयोग हेतु अधिनियम को लागू अनुसूची में 2 निर्दिष्ट भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जा की इस व.स. की देखभाल की है।

और यह अधिसूचना राज्य में दिनांक 17.04.2023 को ज्ञापित की गई तथा कानून द्वारा अधिकांश, तहसीलवार कानून के अधीन क्षेत्र के साथ व.स. के अर्जा एवं अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दफ्तरी सूचना सूचिकाओं/अधिसूचनाओं में भी की गई है।

इसके अलावा अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, लेन-देन के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी जिलों में के मुदा प्रदेश, राज्य सरकार ने विहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	श्रीम / पटवारी संस्था संकेत	खसरा नं.-रक	उपयोग के अंतर्गत के लिये अर्जा की जाने वाली भूमि क्षेत्रफल (घे)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-फुटिया, प.ह.न.-83,	354	0.030
			402/1	0.019
			401/3	0.033
			403/2	0.019
			403/1	0.039
			374	0.035
			255	0.018
			256	0.010
			216	0.040
			371	0.020
			254	0.020
			215	0.020
			214	0.070
			212/3	0.035
			203	0.018
			158/3	0.010
			158/2	0.010
			158/1	0.010
			155/3	0.020
			154/3	0.005
			155	0.008
			142/1	0.050
			155/4	0.010
			154/2	0.015
			154/1	0.015
			153/2	0.060
			142/2	0.030
			142/1	0.030
कुल योग			28	0.649

नर क्र. 2811-सी-1-भू-अर्जन-2024-रा प्र क्र.-131 & 121 2022-23

अनुष-घ
(निधम-8 देखिए)

उत्तर मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट (भूमि) के उपयोग के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 एन 2012) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 को उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम अधिकारी को अधिभूचना पत्र क्रमांक- 747/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धादला-सरदारपुर पाईपलाइन उपयोग सिवाई त्रियोजना के अंतर्गत आई.टी.टी.- 1 से आई.टी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 माइल नहर को लेवट साईंर माई- नहर क्रमांक-23 में जल परिवहन हेतु ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट को बिछाने के त्रियोजना हेतु अधिभूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन को इस आशय की घोषणा की है।

और यह अधिभूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नॉटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिभूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना सूचितगामी/अभिगोपी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विस्तारमें से मुक्त हैकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88,	417	0.063
			416	0.045
			415/1	0.045
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88,	415/2	0.035
			385	0.015
			376	0.010
कुल योग			06	0.211

पत्र क्र. 2813-डी 1-सू-अर्जन-2024-रा.प्र.अ-160 ं-121-2022-23

प्रकार- २

(नियम-6 देखिए)

राज्य सरकार, भू-मि.न.आई.लाइन, केवल एक जगह भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जन अधिनियम 2012 (कमाल- 8 का 2013) (विशेष 2-1) द्वारा प्रस्तावित राज. अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी किए जा सकने वाली जो अधिसूचना पत्र क्रमांक- 742/डी-1/सू-अर्जन/2023 आबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा राज्य सरकार ने भू-मि.न.-आबुआ/केलापड़/नवीन-पहलपुर भाईको 05452, विनाई परिवर्तना के अंतर्गत आई.सी.पी.-1 के भाई.सी.पी.-2 का विनाई जाने वाली टी.एन.-2 भाई.न. 23 में जल परिवहन हेतु ग्राम-नवापाड़ा नवीन, पहल-82, सवि.मं.-82, कल्याणपुरा, लक्ष्मी-आबुआ, विनाई-आबुआ में भूमिगत पाइपलाइन, केवल एक जगह का विद्युत के प्रयोजन हेतु अधिसूचना के अंतर्गत अनुपूर्वी में निर्दिष्ट भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस अंतर्गत ही घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, स्थान अधिकारी, महसूलदार कार्यालय के नोटिस बोर्डों के साथ ग्राम संभावित एवं निर्दिष्ट नाम के लोग समाप्त स्थल पर अधिसूचना अंतर्गत जारी हुए सूचना/अधिसूचना को भी दे रखे हैं।

राज्य, केवल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, आई.लाइन, विद्युत के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार करने के लिए से प्राप्त होकर राज्य सरकार में निर्दिष्ट होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टा नं. हस्त. क्रमांक	संभावित क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जन को माने वाली भूमि क्षेत्रफल (घ.मी.)
1	2	3	4	5
आबुआ	आबुआ	ग्राम- नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82	530	0.015
			529	0.016
			494	0.013
			495	0.013
			493	0.018
			489/2	0.025
			490	0.043
			485/1	0.073
			444	0.023
			442/4	0.005
			442/3	0.022
			442/2	0.005
			451	0.018
			452	0.008
			436/3	0.033
			436/2	0.038
			236/2	0.005
			436/1	0.021
			435/1	0.038
			435/2	0.038
			24	0.013
			23	0.025
			9	0.009
			22	0.028
कुल योग			24	0.527

पत्र क्र. 2015 वी 1-सू-अर्जन-2024 रा.प्र.सं.-149 व 121-2022-23

रूप- व
(निधम-8 देखिए)

उत्पन्न मध्य प्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कॅन्ट 1 व 318 (भूमि के उपयोग के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन 2012) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी स्थल प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 737/सी-1/सू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने जर्मरा-झाबुआ-देवलादद धाबला-सरदारपुर गाईको उद्योग सिन्हाई निर्गोचना के अंतर्गत आई.पी.सी.-1 से आई.पी.सी.-7 तक बिल्ड जाने वाली ली.इन.-> राईप नहर श्री जे-0 मारिनर पहाड़ नहर क्रमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सातबिल्ली, प.ह.नं.- 71, रा. नि.भं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत गाई-लाईन केवल एक कन्ट को रिजने के प्रयाजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में दिनिदिश्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस करण को घोषणा की है ।

और तह अधिनूचना संलग्न में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की 33 तथा कलेक्टर, स्थल अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के चेटील बोर्ड के साथ यान संवाका एवं संबधित ग्राम के लोक संलग्न स्थल पर अधिसूचना कर इसकी सूचना भूमिजामो/अधिकारी को भी दी गई है :

उत्पन्न, उक्त अधिनियम को धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईपलाईन, रिजने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी निरलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टाका हलका क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित हो जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- सातबिल्ली, प.ह.नं.- 71,	139	0.030
			138/2	0.060
			135	0.032
			129	0.023
			127	0.070
			30	0.035
			29	0.020
			27	0.010
			12	0.010
			11	0.020
			10	0.060
			3	0.050
कुल योग			12	0.420

पत्र क्र. 2817 सी-1-सू-अज- 2024-रा.प्र.स. -15/-प- 121-2022-23

अज्ञात - प
(निगा 8 देखिए)

अज्ञात सम्प्राप्त, भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं टचर (सू. नि. से सम्बन्धित) के अधिगार से का अज्ञात अधिगार, 2012 (समांक- 5 भाग 2013) (विशेष 8 में इसके पश्चात् उक्त अधिगार के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी राक्ष्य प्रक्रिया की अधिसूचना पत्र क्रमांक - 777/सी-1/सू-अज/2023 साबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नामका-साबुआ-गेदलाकर-बांदवा-राजपुर भाईजी जयपुरा सिंचाई निगम के अंतर्गत आई.पी.पी.टी.-1 से आई.पी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली 0.1 एम. 2 माप में नहर की लेव पाईप लाइन नहर क्रमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम-नरवालिया, प.ह.न.-72, शा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, राहसील-साबुआ, जिला-साबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं टचर को विकल्प के प्रयोजन हेतु अधिसूचना नो सतान अज्ञात के निम्नलिखित भूमि में सम्बन्धित के अधिगार को अज्ञात की हज़ अज्ञात की घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना कक्षा में दिनांक 17.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कल्याणपुरा, राक्ष्य अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ज्ञात पत्र एवं अधिगार का जो लोक सभागार स्थल पर अधिसूचना कक्षा की सूचना भूमिगत/अधिगार को भी दी गई है ।

अतः, जल अधिगार की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, सर्वपदाईन, विकल्प के लिए भूमि में सम्बन्धित का अधिगार सती विभागों से ज्ञात होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी दस्ता क्रमांक	अज्ञात क्रमांक	अज्ञात के अधिकार के लिये अधिगार की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
साबुआ	साबुआ	ग्राम- नरवालिया, प.ह.न.-72,	367/3	0.018
			365/5	0.033
			365/3	0.026
			365/2	0.024
			365/1	0.021
			361/2	0.010
			334/6	0.010
			334/5	0.025
			334/7	0.004
			334/8	0.022
			255	0.033
			250	0.080
			121/1	0.018
			121/2	0.010
			124	0.040
			123	0.004
			125	0.010
			126	0.010
			129	0.009
			153	0.020
			130	0.008
			152	0.015
			151/2	0.025
कुल योग			23	0.455

क्र. 2819-ई-1 भू-उर्जन 2021-रा.प्र.उ. - 36 ई-21 2022-23

प्रकार - थ
(वि.सं-6 देखिए)

अतः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, सेबल एन लफ्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों के उर्जन) अधिनियम, 2012 (क्यांज 5 तन् 2015) (जिसे इसमें द्वाराके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 को समक्ष (1) के अधीन जारी, उक्त प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 772/शे-1/भू-उर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.08.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नन्दा-झाबुआ-पेटलावध-धंदला ररवारपुर पाईपलाइन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.पी.सी.-1 से आई.पी.सी.-2 तक दिखाई जाने वाली ली.एन. 2 पाईप नहर की लंबाई पाईपलाइन नहर क्रमांक-23 में जल परिवहन हेतु ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87, रा.नि.सं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, सेबल एन लफ्ट को शिथिली के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगता के अधिकार के उर्जन की द्वा आगम की घोषणा की है

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सलन अधिकारी, सटरीलफर कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभाम स्थल पर अधिसूचना चला कर इसकी सूचना भूमिदाता/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, शिथिली के लिए भूमि में उपयोगता के अधिकार सभी दिशाओं से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी इल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अधिभोगी को जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87,	652	0.055
			650/1	0.011
			644/1	0.019
			647	0.017
			646	0.029
			635	0.030
			640	0.020
			638	0.010
			624	0.028
			622	0.038
			616	0.063
			615	0.015
			567	0.056
कुल योग			13	0.391

पत्र क्र. 2821 शी-1-भू-अर्जन-2024 श.उ.क्र.-155-ब-17/ 2022-23

प्रकार- घ

(नेटा ए डेवेलप) ;

उत्तर प्रदेश सरकार भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं सड़क (भूमि के उपयोग) के अधिकारों का अंश) अधिनियम, 2012 (कमांक- 3 रा. 2012) (जिसे दूरदर्शन अधिनियम, 2023 अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) से अधीन जारी प्रथम प्रधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 787/शी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नईवा-झाबुआ-गैटलाचप थाना-सरदापुर नईको उपखण्ड जिला परिषद, के अंतर्गत आई.पी.सी.-1 से आई.पी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली सी.एम.-2 पाईप नहर की लेवेल पाईपलाइन नहर क्रमांक-31 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गुंदीपाड़ा, प.उ.नं.- 79, रा.नि. सं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ में भूधरत पाईपलाइन, केबल एवं सड़क को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ;

धारा 24 अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, प्रथम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस, बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागार स्थल पर अधिसूचना प्रकाश कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिकारी को भी दी गई है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल/भागों से हुता हुता, राज्य सरकार में निर्दिष्ट होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / फटलारी हस्ता क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंशित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- गुंदीपाड़ा, प.उ.नं.- 79,	914/2	0.015
			915/4	0.003
			915/3	0.020
			916/3	0.020
			915/2	0.010
			829/1	0.010
			826	0.024
			825	0.020
			824/1	0.015
			735	0.003
			736/8	0.020
			736/5	0.030
			736/2	0.030
			594/2	0.028
			725/2	0.010
			723	0.010
			722	0.005
			593/2	0.018
			594/3	0.020
			595	0.054
			600/5	0.040
			623/2	0.060
			621	0.010
627	0.020			
617	0.090			
कुल योग			25	0.587

पत्र क्र. 2823-सी 1-मू-अर्जन-2024-र.प्र.क्र.-154-ब-121-2022-23

प्रक. नं. घ
(निर्माण-8 देखिए)

मध्य प्रदेश अधिनियम नूमेरल पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी राक्षन प्राधिकारों की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 782/सी-1/मू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेठलवद-थांदल-रारदारपुर माईलो उद्बहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक दिखाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर नै जल परिवहन हेतु ग्राम-कल्याणपुरा, प.ह.न.-83, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में नूमेरल पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को विद्यमाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को लागू अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में लागू के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, राक्षन अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ जन पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाश कर हल्की सूचना नूमेरल/अभिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, विद्यमाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- कल्याणपुरा, प.ह.न.-83,	564	0.060
			565	0.070
			586	0.068
			619/1	0.020
			619/2	0.030

1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— कल्याणपुरा, प.ह.न.—83,	632	0.003
			631	0.035
			636	0.020
			635	0.005
			637	0.043
			638	0.010
			646/2	0.058
			646/1	0.080
			694	0.030
			696	0.015
			783/2/1	0.010
			783/4	0.005
			767/1	0.008
			766/4	0.010
			762/1	0.010
			766/5	0.005
			762/3	0.008
			766/3	0.010
			762/2	0.005
			766/2	0.005
			769/2	0.005
			762/5	0.008
			769/1	0.005
			770	0.015
			765	0.003
			762/6	0.008
			762/4	0.008
			757	0.075
			744/5	0.010
			744/8/1	0.010
			744/7	0.040
			749	0.005
			266/1	0.020
			244	0.040
			245/1	0.035
			246/1	0.034
			247/2	0.060
			175/2/2	0.017
			170/1	0.014
			170/2	0.050
			160/2	0.054
			152/2	0.030
			152/1	0.018
			151	0.030
		कुल योग	49	1.247

पत्र सं. 2825-सी-1 भू अर्जन-2024 राज.क.- '53-ब-12' 2022-23

प्रकार- घ

(नियम 8 देखिए)

अ.एन. मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग) के अधिकारों का आदेश) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 अक्टूबर 2012) (जिसे इसने इसके तहत उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम अधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 757/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाड़ुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा राज्य सरकार ने चम्पदा-झाड़ुआ-वेदल:वद-थावल-तरवारपुर नईको 39701 सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.सी.सी.-1 से आई.सी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली ली.एन.-2 पाइप नहर में छाड़ुआ परिवहन हेतु ग्राम-भरमरदा, प.ड.न.-84, रा.नि.म.-02, कल्याणपुरा, राहसील-झाड़ुआ, जिला-झाड़ुआ में भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट का बिछाने का प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सक्षम अग्रतुर्की में निर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, राहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ साथ राजपत्र एवं संदर्भित आदेश के लोक सागमर, स्थल पर अधिसूचना बतला कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिनोमी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी दिल्लंगनी से मुक्त होगा, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला:	राहसील	ग्राम / पटवारी हल्का: क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अधिष्ठित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाड़ुआ	झाड़ुआ	ग्राम-भरमरदा, प.ड.न.-84,	512/1	0.005
			513	0.028
			514/1	0.023
			489	0.040
			493	0.005
			494	0.025
			495	0.026
			393	0.030
			389	0.010
			390/3	0.025
			387/3	0.025
			385	0.010
			384	0.005
			383	0.020
			380/2	0.003
कुल योग			15	0.280

म.प्र.अ. 2827 ई-1-5; अर्जन-2024-रा.प्र.अ. 151-म 121-2022 22

अनुसूची
(नियम-8 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 एन 2012) (जिसे इसने इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी तक्षम प्राधिकारों की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 797/ई-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मन्दा-झाबुआ-पेटलावद-शंभला भरदरपुर पाईपलाइन परियोजना के अंतर्गत आई.पी.पी.टी.-1 से आई.पी.पी.टी.-2 तक दिखाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप लाइन की लेवल्स, भाईनर पाईप लाइन क्रमांक 18 एवं उसकी सब ग्राइंडर पाईप लाइन क्रमांक एल.एम.एम.-5 में जल परिवहन हेतु ग्राम- देबर, प.ह.नं.- 71, रा.नि.गं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस राशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना सलग्न में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, राज्य अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम में लोक सभागा स्थल पर अधिसूचना प्रकाश कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विस्तराओं से प्राप्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- देबर, प.ह.नं.- 71,	1560	0.056
			1540	0.011
			1535/1	0.022
			1534	0.020
			1533	0.044
			1526	0.020
			1527	0.033
			1519/1	0.043
			1480	0.030
			1479	0.005
			1476	0.011
कुल योग			11	0.275

पत्र क्र. 2820-डी 1 भू-अर्जन-2024-रा.प्र.अ.-160-न-171 2022-23

झाबुआ-प

(नियम 5 देखिए)

अतएव राज्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कंस्ट्रक्शन् एण्ड डेव्लपमेंट (भूमि एवं उपभोग) के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सं., 2012) (जिसे इसमें इन्होंने मरकाट, अर्ज अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिनियमों के अधिसूचना पत्र क्रमांक- 752/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.08.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने कर्नाड-झाबुआ-गैटलाद थ वटा-सरदारपुर गाईको उपखण्ड में चाई परिवहन के अंतगत आइ.पी.टी. 1 से आइ.पी.टी.-2 तक रिहाई जमीन वाली डी.एन.-2 पाइप लाइन की लेफ्ट गाईन्डर गाईन्डर नंबर 401/2-31 में जल परिवहन हेतु ग्राम- एजनपुरा, प.ह.नं.- 79, रा.निं.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, लेनआ एवं लैंड के विधान के प्रयोजन हेतु अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपरोक्त के अधिकार के अर्जन को हस्त आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा जलेश्वर, सदन आदिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संसदीय धाम के लोक सभागार स्थल पर अधिसूचना चरना कर इसकी सूचना भूनेस्वाधी/अधिकारी को भी दी गई है।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, विधान के लिए भूमि में उपरोक्त का अधिकार जमीन मालिकों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी टुकड़ा क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- एजनपुरा, प.ह.नं.- 79,	46	0.008
			54	0.042
			55	0.023
			56	0.010
			74	0.029
			76/2	0.090
			96	0.016
			84/2	0.016
			83/4	0.010
			83/9	0.010
			83/8	0.003
			83/10	0.005
			83/7	0.020
			83/6	0.018
			83/5	0.014
83/1	0.005			
कुल योग			16	0.319

पत्र क्र. 2831-सौ-1-भू-अर्जन- 2024 रा.प्र.अ. 159-ब-121-2022-23

प्रारूप- घ
(निष्प-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग) के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2012) (जिसे इसने इसके परिचय उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 787/सौ-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलादप-थापेला-शरदारपुर पाईपलाइन उद्घहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - खेरमाल प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के अर्थोद्देश्य हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इरा आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ द्राग पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना कम्प. कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुफ्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - खेरमाल प.ह.न. 92	250	0.025
			249	0.005
			242/2	0.030
			242/1	0.048
कुल योग			04	0.108

क्र.अ. 2833 पी-1-ए 2 जून-2024-रा.प्र.प्र. 158-ब 121-2072-23

प्रस्ताव घ

(नियम-6 देखिए)

उत्तर प्रदेश गणप्रदेश: भूमिगत पाईपलाइन, सेक्टर एवं ब्लॉक भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्थ-1 अधिनियम 2012 (क्रमांक- 5 एच 2012) (जिसे इसमें इसका संशोधन तथा अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी रकन प्राधिकारी की अधिसूचना घ अ क्रमांक- 782/पी-1/भू-राजिन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.02.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नया झाबुआ-नेटलाहद-खानला सरदारपुर पाईपलाइन सहित सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आइ.बी.पी.टी.-1 सं. आई.पी.डी.-2 तथा सिंचाई जाने वाली बी.एम.-2 जमीन नहर की लंबाई माईल पाईल नहर क्रमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम-झरनिया, प.ह.न.-72, शा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, सेक्टर एवं ब्लॉक को सिंचाई के उपयोग हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि के उपयोग के अंतर्गत की इस अग्रदा को घोषणा की है।

जोड यह अधिसूचना संलग्न में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा एलेक्टर एवं अधिकांश तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभासभ सभत पर अधिसूचना प्रका. एवं इसकी भूमि मूल्यांकन/अधिकारों को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईपलाइन, सिंचाई के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी दिखने में संलग्न होकर राज्य सरकार में निर्दिष्ट होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी इलाहा क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- झरनिया, प.ह.न.-72,	247/1	0.051
			166	0.038
			162	0.018
			161/2	0.010
			173/1	0.050
			161/1	0.010
			172	0.030
			160/1	0.010
			175	0.025
			121/6	0.014
			121/8	0.008
			121/7	0.008
			121/9	0.019
			121/5	0.004
			122/3	0.016
			122/4	0.012
			123	0.025
			115	0.008
			77	0.015
			76	0.083
कुल योग			20	0.434

पत्र क्र. 2635 ई-1-सू-अर्जन-2024 ए.प्र.क्र.-163-क 121-2022-23

प्रक-घ
(निधन-क देखिए)

अल्पसंख्यक प्रदेश भूमिगत पार्सलाईज- केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग का अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 ए-1 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के अर्थानुसार राक्षस प्रवि.क.री की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 807/ए-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थापला-सखारपुर नईले सदर तालीका रीवाई परिधोजना के अंतर्गत आई.टी.पी.टी.-1 से आई.टी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एन. 2 पाइन नहर की अंतर्गत पार्सल पाइन नहर क्रमांक-29 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बरोड़, प.ह.नं.- 88, रा.निं.नं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ में भूमिगत पार्सलाईज, लेवज एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सजग अदरूपी में निर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, राक्षस अधिकारी, तहसीलदार कल्याणपुरा के नोटिस बोर्ड से सजग आम जनमत एवं संबंधित धर्म के लोक जगमम सहित उक्त अधिसूचना पत्र कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिनियम के गी में गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा पार्सलाईज, शिक्षा के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार लगे विस्तरों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- बरोड़, प.ह.नं.- 88,	330	0.023
			333/1	0.020
			329	0.010
			336	0.025
			337	0.030
			348	0.105
			355/5	0.020
			356	0.008
			452/1	0.038
			451	0.047
			450/1	0.090
			448	0.040
			447	0.030
			446/2	0.018
			446/1	0.018
कुल योग			15	0.522

नं. क्र. 2237-सं-1-मु-अर्जन-2024-रा.क्र. 162 व 121-2022-23

रूप- C

(विधम-8 देखिए)

आर्य मध्य प्रदेश एग्रीकल्चरल कॉलेज एवं एग्रीकल्चरल रिसर्च केंद्र के उपयोग के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 तन् 2012) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ज्ञात अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जारी शर्त प्रविष्टियों की अधिसूचना सं. क्रमांक- 802/ए-1/मु-अर्जन/2025 झाबुआ, दिनांक 02.03.2025 ए.ए. राज्य सरकार ने सर्वदा-झाबुआ-पेटलावद-सांदल-सुतारपुर मंडल के एग्रीकल्चरल रिसर्च केंद्र परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिक्री करने वाली डी.एन.-2 गार्डन एंड एग्रीकल्चरल टोन्ड गार्डन परिसर क्रमांक-3 में जल परिवहन हेतु ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-81, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में प्रस्तावित पाइपलाइन, डैम एवं एग्रीकल्चरल रिसर्च केंद्र के उपयोग हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इच्छा आरप की घोषणा की है।

उपर्युक्त अधिसूचना संख्या में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा जलेश्वर, सहायक अधिकारी, तहसीलपाल कार्यालय से नॉटिस बोर्ड के साथ यम नमस्त एव संश्लेषित नाम के तालिका असाधारण रूप में अधिसूचना संख्या क्र. 22 के सूचना प्रसारण/संश्लेषण का भी की गई है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा पाइपलाइन, बिल्डिंग के लिए शर्तों में उपयोग का अधिकार वाली स्थितियों से पुत्रा अंतर, राज्य सरकार ने निर्दिष्ट होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टा संख्या / पट्टा क्रमांक	समस्या संख्या	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली शर्तें (डिक्टेट में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-81,	150/6	0.018
			27	0.013
			21/1	0.010
			21/2/2	0.041
			22	0.027
			23	0.028
			18	0.017
			150/3	0.025
			150/2	0.025
			135/1	0.018
			136/1/1	0.005
			132/1	0.015
			132/2	0.015
			132/3	0.005
			45/4/1	0.010
			45/4/2	0.013
			45/4/3	0.008
			126	0.042
			50	0.060
			9/1	0.040
कुल योग			20	0.435

पत्र क्र. 2839-सी-1-गू, अर्जन 2022-रा.प्र.क्र.-160-प-186 2022-23

प्रकार- घ

(निम्न 6 देखिए)

अंतर्गत मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि) को उपभोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की लगावारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 823/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धांजला-रूपारपुर पाईपलाइन सवहन सिंचाई परिवहन के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. 1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - तलावनी प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02 कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपभोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाश कर इसको सूचना भूमिस्वामी/आधिभोगी को ज्ञे दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपभोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार ने निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी सर्व्वा क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - तलावनी प.ह.न. 92	432/2	0.010
			428/1	0.060
			432/1	0.038
			433	0.030
			425	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	ससरा क्रमांक	खपदोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाये वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - सलावनी प.स.न. 92	429	0.003			
			339/6	0.003			
			338/3	0.025			
			331/2	0.026			
			330/4	0.024			
			275	0.010			
			276/5	0.020			
			276/3	0.005			
			276/6	0.010			
			276/2	0.018			
			284	0.046			
			229/4	0.019			
			229/1	0.018			
			231/2	0.036			
			229/3	0.003			
			231/1	0.020			
			230/1	0.008			
			234	0.025			
			227	0.019			
			223/1	0.033			
			222/1	0.017			
			221/4	0.060			
			219	0.021			
			58/2	0.003			
			364	0.023			
			55	0.045			
			53	0.026			
			58/1	0.035			
			76	0.025			
			87/2	0.004			
			38/3	0.020			
			38/2	0.013			
			38/1	0.020			
			27	0.023			
			26	0.019			
			25	0.013			
			23	0.055			
			15/2	0.040			
						17	0.030
						6/4	0.027
						6/2	0.053
						6/5	0.019
						6/6	0.023
			6/3	0.026			
कुल योग			49	1.149			

पत्र क्र. 2841-सी-1-मू-अर्जन-2024-रा.प्र.ज.-105-म-121-2022 23

प्रकार-म

(निम्नलिखित देखिए)

इतरव मध्यप्रदेश भूमिगत नईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्थान) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 रा.प. 2012) (जिसे इतरव इतरके पश्चात् इतरा अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्जित जमीन राक्षम प्रतिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 818/सी-1/मू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने गन्ना-झाबुआ-पैटलावड-थंडला-रुखपुर भाईवरी उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक दिखाई जाने वाली डी.एन.-2 नईम नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - आमलीपठार प.ह.न. 85 रा.नि.म. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के उपयोग हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोगता के अधिकार के अर्जन की इस धारा की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागार स्थल पर अधिसूचना प्रकाश कर इतरके सूचना भूमिधारी/अधिसूचना के भी दी गई है।

इतरव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, नईपलाईन, बिछाने के लिए नूने में उपयोग का अधिकार सभी दिक्कतों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - आमलीपठार प.ह.न. 85	420/5	0.013
			420/4	0.011
			406	0.013
			408	0.050
			403	0.030
			402	0.033
			393	0.050
			394	0.020
			397	0.003
			396	0.008
			कुल योग	

पत्र क्र. 2843-सी-1 भू रजि.नं-2024-रा.प्र.प्र. 0011-ड-21-2023 24

प्रस्ताव ध
(नियम-8 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1288/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थावला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं.-50 तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोरीखरडू, प.ड.नं. 35, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) तक दिखाई जाने वाली डी.एन.-1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है :

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा फलेफले, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिफर बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना चलाने पर इसकी सूचना सूचिसूची/अधिसूची को भी दी गई है

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार सभी विलगमो से मुक्त लेकर, राज्य सरकार ने निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टहारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61,	120	0.020
			119	0.058
		कुल योग	02	0.078

नं० क्र. 2845-सी-1-भू-अर्जन-2024-ए.ड.क्र. 0009-ब-121-2023-24

प्रकार- ८

(गैरलभ-6 देखिए)

अन्वय मध्यप्रदेश भूमिगत पंपइंफ्लैश ई-1, खेवरा एवं डकट (भूमि ले उपयोक्ता के अधिकारों का रज्जना) अधिनियम, 2017 (क्रमांक- 5 सन्, 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की राणधान (1) के अधीन जारी रुजना प्राधिकारी को अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1278/सी-1/भू-अर्जन/2023 आहुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने कर्नाट-झाबुआ-पेटलावद-शाहवा-तरव र्मुष माईको उदघटन: सिन्हाई र्शिथीला के अंतर्गत खी.सी.-1 से पी.एन.-5 तक निम्नाई जाने वाली खी.एन.-2 भूमिगत माईनल इन में कुल पस्तिहन हेतु ग्राम-बांकी, प.ह.न.-45, श.नि.मं.-03, पारा, तहसील-शमा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पंपइंफ्लैश, जेवरा एवं डकट को विज्ञाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस अशय की घोषणा की है

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, रुजन अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नाटिका बोर्ड के राज्य ग्राम पंचायत एवं संबन्धित ग्राम के लोक सभासभ स्थल पर अधिसूचना प्रका कर इसको सूचना भूमिस्वामी/अधिगामी को भी पं गई है ।

अन्वय, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की राधारा (2) द्वारा, पंपइंफ्लैश विज्ञाने के सिद्ध भूमि में उपयोग का अधिकार सभी दिव्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होना ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टासी हंका क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के सिधे अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	शमा	ग्राम-बांकी, प.ह.न.-45	208	0.008
			204	0.010
			203	0.034
			201/2	0.023
			202	0.014
			41	0.028
			45/2/1	0.059
			48/2	0.058
			45/1	0.060
			48/3	0.040
			47/2	0.015
			31/1	0.019
			24/1	0.045
कुल योग			13	0.413

पत्र सं. 2847-सी-1-पू-अर्जन 2024-र.प्र.क्र.-0008 & 121-2023-24

प्रकार- 8

(विभाग-3 देखिए)

भारत गवर्नमेंट ग्रामिण पाईपलाइन केबल एवं कना (ग्रामों के उपयोग के अधीन) का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 एच, 2012) जिसके अन्तर्गत इसका अर्थोपयोग से नाम से निर्दिष्ट किया गया है) के द्वारा उक्त कना (1) के अधीन जारी तहसील प्रतिकरों की अधिसूचना एन क्रमांक- 1273/सी-1/पू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने तहसील-झाबुआ-रेडलायन-दरभंगा सहायक पाईपलाइन केबल एवं कना (2) के अंतर्गत (सी.एन.-3 से सी.एन.-5 तक बिक्री जाने वाली डी.एम.- 2 ग्रामिण पाईपलाइन एवं कना) के नीचे उक्त कना पर पाईपलाइन लगाए जायेंगे **:: कुल परिवहन हेतु ग्राम-खेड़ली, प.ह.न.-21, रा.नि.मं.-01,रामा, राहसील-रामा, जिला-झाबुआ में कुल 19 पाईपलाइन कना एवं कना को विभाजित कर प्रयोजन हेतु अर्जित करने के अंतर्गत अनुसूची में निर्दिष्ट ग्रामों के अधीन के अर्जन के इस अधिनियम की धारा 3 की है।**

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, तहसील अधिकारी, राहसीलदार कार्यालय के निर्दिष्ट बोर्ड के द्वारा ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक जनमानस से अर्जित अर्जन कर इसकी सूचना ग्रामिण/राहसील के गोपनीय है।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 4 की, धारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, कना के लिए सूची में उपरोक्त का अधिकार तभी "केवल" से मुख्य जेकर, राज्य सरकार में देखा होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी उत्तम क्रमांक	सहायक क्रमांक	उपयोग के अर्जित कर के लिये अर्जित की जाने वाली ग्रामिण (कि.मी. में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-खेड़ली, प.ह.न.-21	53	0.036
			55/2	0.055
			55/1	0.048
			99	0.079
			19	0.010
			98	0.075
			94	0.004
			86	0.018
			89	0.014
			88	0.014
			24	0.044
			23	0.023
			21	0.028
			141/15	0.013
			108	0.032
			116/7	0.014
			116/1	0.028
			117/6	0.040
			158	0.022
कुल योग			19	0.613

पत्र क्र. 2849-ई. 1-यू-अर्जन-2024-रा.प.क्र.-0007 ब-121-2023 24

प्रकार- 4
(निर्माण-8 पैकेज)

राज्य नक्षत्रों में भूमिगत पाइपलाइन, लेबल एवं डक्ट (गुंने के उपयोग के आवेगों के हवा में) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 का 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी कक्ष अधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1288/सी-1/यू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नया-जाबुआ-पैटलावन-थागत-सुरदासपुरा-आईको एप्लेन सिमेंट में परिवर्तन के अंतर्गत नीचे 1 से 17 तक विस्तृत की गयी थी. 2 भूमिगत पाइपलाइन में पत्र प्रिक्शन हेतु ग्राम-श्यामपुरा, प.ह.न.-45, शानि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाइपलाइन, लेबल एवं डक्ट को दिखाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को राज्य अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन को 31 अगस्त की घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड को साथ साथ पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाश कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिकारी को भी दी गई है ।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, विद्युत के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार सभी जिलों से प्राप्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टा/उत्का क्रमांक	खसत क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-श्यामपुरा, प.ह.न.-45	375/3	0.011
			375/2	0.015
			358/1	0.005
			350/2	0.039
			350/1	0.015
			358/2	0.004
			358/3	0.006
			360/2	0.006
			361	0.025
			353	0.014
			241	0.083
			242	0.014
			239	0.008
			241	0.044
			223	0.008
			225	0.023
			276	0.032
कुल योग			17	0.352

पत्र क्र. 2861 सी-1-सू-अर्जन-2024 रा.प्र.प्र.-0008 & 121-2023-24

प्रकरण- ४
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी शक्ति प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1263/सी-1/सू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-धांधलपुर, प.ह.नं.-34, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न शनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सहाय अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम मंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभा स्थल पर अधिसूचना चरना कर श्रमणी सूचना भूमिस्वामी/आधेभोगी को दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-धांधलपुर, प.ह.नं.-34	625/2	0.105
			511	0.009
			502	0.034
			503	0.006
			498/2	0.024
कुल योग			05	0.178

पत्र क्र. 2963-री-1 भू अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0055 व-121-2023-74

प्ररूप- व
(निर्दिष्ट-6 देखिए)

अन्वय मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम अधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1258/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा झाबुआ पेट्रोलियम थांबला-रुद्रापुर मार्गको उपमहान सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एन.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपरोक्त के अधिकार के अर्जन की इस अशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को पेट्रिस बोर्ड के साथ ग्राम गंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक रामगम स्थल पर अपेक्षित नक्शा का इतकी सूचना भूमिस्वामी/अपेक्षितों को भी दी गई है।

अन्वय, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सन्निहितों से युक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34,	742	0.040
			741	0.015
			585	0.020
			586	0.016
			587	0.010

1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34,	588	0.017
			580	0.035
			573	0.014
			563/2	0.028
			559/2	0.033
			561/2	0.008
			561/3	0.003
			540	0.054
			544	0.025
			526/2	0.014
			526/1	0.016
			527	0.005
			528	0.005
			532/1	0.015
			530/1	0.025
			488	0.020
			497	0.015
			424	0.045
			427	0.025
			425	0.020
			238	0.065
			242	0.050
			246	0.020
			280	0.015
247	0.030			
248	0.005			
279	0.020			
292	0.030			
277	0.050			
कुल योग			34	0.808

एन नं 2055-सी-1-गू-अर्जन-2024-रा.म.सं.-004-ब 121-2023-24

प्रकृ-म
(निष्प-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के जगचोक्ता के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 रा.मं. 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1253/सी-1/मू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलागढ़-शंभल-सत्तारपुर पाईको चटपहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक ब्रेण्ड जाने वाली डी.एन.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिजाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपरोक्त के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, प्राथम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिफ बोर्ड के साथ ग्राम गचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभानम स्थल पर अधिसूचना प्रकाश कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिकारी को दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिजाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार सौंपे दिल्वाकर, राजपत्र में निहित होगी।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30,	81/1	0.064
			74/6	0.009
			61/2	0.009
			74/5	0.023
			61/1	0.009

1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30,	73	0.028
			72	0.005
			60	0.028
			58	0.020
			56	0.011
			61/3	0.005
			62	0.045
			57	0.014
			32	0.004
			33/5	0.005
			33/1	0.010
			33/2	0.015
			33/3	0.008
			24/1	0.019
			23	0.004
			21	0.033
			20	0.014
			19	0.021
			13	0.034
			221/3	0.035
221/4	0.060			
223	0.015			
कुल योग			27	0.547

पञ्च क्र. 2857-सी-1 भू-अर्जन-2024-रा.ज.क.-0003-र-171 2023-24

प्रकार 4
(नियम-6 देखिए)

मध्य प्रदेश राजपत्र पार्सलार्डिंग, केंबल एवं ब्लॉक (भूमि के उपयोग के अधिनियम के अर्जनों अधिनियम, 2012 (नम्बर- 5 रा.ज. 2012) (जिसे इसमें इससे पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सदन प्राधिकारी की अधिसूचना पञ्च क्र.क - 1248/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा राज्य सरकार से नर्मदा-झाबुआ-पंचतारा गांवला-संरक्षण गांवला संरक्षण विभागीय परिषद के अंतर्गत ओ.पी.-1 से ओ.पी.-5 तक विभागीय जमीन वाली ओ.पी. 2 स्थित नर्मदासैन में पट्टा परिवर्तन हेतु प्राग-नवापाड़ा, प.ह.न.-27, रा.नि.गं.-01, रा.मा, तहसील-रा.मा, जिला-झाबुआ के भूजमा पार्सलार्डिंग, केंबल एवं ब्लॉक को खिलाने के प्रयोजन हेतु अधिनियम को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि के समग्रता से अधिकार के अर्जन की हवा आरम्भ की घोषणा की है।

और यह अधिनियम राज्य में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सदन अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम सभागत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभाग सभत पर अधिनियम बरथा कर इसकी सूचना भूमिदाता/अधिकारी को भी दी गई है।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा पार्सलार्डिंग, खिलाने के लिए भूमि में उपरोक्त का अन्तर्गत सभी चेतनाओं से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची :-

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टा/ओ.पी.का क्रमांक	उत्तरा क्रमांक	समग्रता के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रा.मा	ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-27,	190/1	0.030
			189	0.015
			190/2	0.030
			190/3	0.030
			185	0.015
			68	0.040
			188	0.020
			187	0.040
			226	0.010
			67	0.035
			62/3	0.030
			62/2	0.025
			78	0.040
			76	0.025
			80	0.020
			85/1	0.016
			97/2	0.013
			3/1	0.013
			85/2	0.016
			07/3	0.013
			85/3	0.017
			97/1	0.013
			85/1	0.017
			98	0.030
कुल योग			24	0.553

पत्र क्र. 2859-ई-1-पू-अर्जन-2024 रा.प्र.क्र.-0002-ब-121-2023-74

अर्जन- 1
(निधम- 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश मूलेत गाही साईन, सेक्टर एंड बकट (दुगे के उपयोगता के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 6 राज 2012) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, एक अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) के धारा 3 की धारा 3 (1) के अधिनियम की धारा अधिनियम के अधिनियमता पत्र क्रमांक- 1243/सी-1/पू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.05.2023 का. राज्य सरकार ने नमंदा झाबुआ मेटलाइड अर्जन सहायपुर गाईजे सहायपुर सिविल पंचायतना के अंतर्गत टी.सी.-1 के प्लॉट. 2 तक लेखाई करने वाली प्लॉट-2 भूमिगत पार्किंगलाइन में प्लॉट प्रविष्टन हेतु ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-26, रा.वि.सं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पार्किंग इन. फेसल एवं सेक्टर को दिग्गने के प्रयोजन हेतु अधिनियम को सलम अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस आशय को घोषण की है.

और यह अधिनियम राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, रामा अधिकारी, तहसीलदार के प्रत्यय के निर्देश बोर्ड के साथ साथ पत्र एंड अधिनियम आन के जॉय सनायन सभ्य पर अधिनियम प्रत्या यह इसको सूचना भूमिस्वामी/अधिनियमों को भी दी गई है।

अतएव, सल अधिनियम की धारा- 4 को उपनात (1) हत, पार्किंगलाइन, बिछने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी कैलंगमें से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निर्देश होगा.

अनुसूची :-

जिला	तहसील	ग्राम / प्लॉटवासी दस्ता क्रमांक	खतर क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अधिनियम की धारा 3(1) भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-26,	324	0.009
			325	0.025
			327	0.037
			301	0.040
			300	0.032
			392	0.025
			393	0.020
			290/1	0.011
			263/3	0.035
			269	0.008
			271	0.011
			268	0.011
			275	0.005
			274	0.022
			279/1	0.032
			279/2	0.015
			279/4	0.021
			248	0.021
			246/1	0.090
			246/5	0.041
			246/6	0.038
			25	0.013
			21/410	0.070
कुल योग			23	0.617

पत्र क्र. 2261-सी-1-मू-अर्जन-2024-र.5.क्र. 0001 व 121-2023-24

प्रकार - 5
(निम्न-8 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत गार्डनलार्डन, कंबल एवं डगट (भूमि) के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सं. 2012) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संवत् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की राज्यांत (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1238/सी-1/मू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा झाबुआ गेजलावद अंपला सरकरपुर गार्डनो उपयोग लेंगई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिकवाई जाने वाली डी.एन.-3 गार्डन नगर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25, रा.नि.म.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत गार्डनलार्डन, कंबल एवं डगट को बिकराने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना के तलान अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोगता के अधिकार के अर्जन की इत आशर की घोषण की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथ कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ राम गंघाएत एवं संबधित ग्राम के लोक सभागत स्तर पर अधिसूचना तस्थ कर इसकी सूचना भूमिदानी/अधेनोगों को भी दी गई है ।

अतएव, संवत् अधिनियम की धारा- 4 की राज्यांत (1) द्वारा, गार्डनलार्डन, बिकराने के लिए भूमि में उपयोगता के अधिकार सभी बिकरानों में मुक्त होकर, राजा सरकर में निठेत होंग ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी दस्ता क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25,	12/1	0.014
			13	0.028
			43/2	0.048
			40/1	0.017
			28/5	0.015
			28/4	0.010
			32	0.025
			93/1	0.036
			99/17	0.019
			93/2	0.011
			93/3	0.022
			99/18	0.023
			99/1	0.018
			99/19	0.029
			114/1	0.016
कुल योग			15	0.321

प.अ.अ. 2663-ई 1-नू-अर्जन- 2024-रा.प.अ.-0023 व 121-2023 24

प्रारूप- ८
(निधम 6 वैधियु)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग का अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सद्यः प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1348/री-1/नू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्गदा-झाबुआ-पेटलावद-खांदला-सरदारपुर माईक्री उद्वहन रिंजई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. 1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं सतफरी धौंगी आंर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम-कागलखों, प. ह.न.-03, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोडलि बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिनोनी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-कागलखों, प.ह.न.-03,	272	0.030
			273	0.026
			274/1	0.005
			251	0.045
			250	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम— कागलखों, प.ह.न.—03,	238	0.023
			134	0.016
			133	0.035
			249/11	0.013
			249/10	0.010
			249/9	0.005
			249/8	0.003
			240/2	0.007
			240/1	0.014
			43/2	0.020
			42	0.024
			44	0.014
			49	0.050
			48/1	0.009
			48/2	0.020
			152/2	0.047
			58/2	0.097
			58/1	0.053
			131	0.025
			130	0.033
			128/6	0.005
			128/7	0.048
			77/1	0.021
79/1	0.018			
81/1	0.025			
कुल योग			30	0.770

पत्र क्र: 2885 ई 1-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.प्र.-5027 व 121-2023-24

प्रल- 14
(निगम-8 देखिए)

महाराष्ट्र राज्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट भूमि से उपयोग के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 एन 2012) (जिसे इतने हल्के नरणाह उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) को धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थों जहाँ राजम प्राधिकारी को अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1943/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 06.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धांदला संधारण नईको राहतन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक सिंचाई जाने वाली डी.एम.-7 पाईप नहर की राईट गार्डनर पाईप नहर क्रमांक -11 में जल परिवहन हेतु ग्राम-रामा, प.ह.न.-22, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ ने भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिलाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की एक आवेदन की घोषणा की है .

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नेटिव बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक जनमन स्थल पर अधिसूचना संबंध कर इसकी सूचना भूमिदागी/अधिकारी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिधियों के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार सभी विलक्षणों से मुक्त होकर, राज्य सरकार ने निम्न होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जन की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-रामा, प.ह.न.-22,	196/1	0.026
			194	0.024
			167	0.024
			181/1	0.025
			166	0.009
झाबुआ	रामा	ग्राम-रामा, प.ह.न.-22,	165	0.013
			164/1	0.009
			163	0.008
			162	0.008
			61	0.040
			62	0.048
			133/1	0.025
			133/3	0.011
कुल योग			14	0.275

पत्र क्र. 2867-सी-1-भू-अर्जन-2024 राज.क्र.-0023-ब-121-2023 24

रूप- द
(विध-8 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 रा. 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् लफ्फा अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1333/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेलावत-सांदला-सरदारपुर भाईशो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. 1 (ग्राम-दीजतपुरा प.ह.न.-30 तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) से आई.पी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरदु, प.ह.न.-35, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अट्रसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ शग पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना करवा कर इसकी सूचना नृगिस्वाधी/अधिगोपी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (2) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी पिल्लिंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम - छापरी प.ह.न. 37	310	0.025
			311/4	0.038
			338/4	0.014
			338/2	0.015
			311/3	0.070

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम - छापरी प.ह.न. 37,	338/1	0.010
			338/3	0.020
			286	0.093
			92	0.055
			349/12	0.010
			349/11	0.016
			349/10	0.002
			349/2	0.029
			90/2	0.017
			90/3	0.005
			90/1	0.030
			82	0.079
			66/6	0.037
			66/2	0.031
			66/3	0.022
			66/1	0.037
			59/1	0.020
			59/2	0.028
			58/2	0.030
			57	0.015
60	0.029			
55	0.002			
49/7	0.029			
53	0.034			
कुल योग			29	0.842

पत्र क्र. 2889-सी-1-सू-अर्जन-2024-रा.प्र.प्र. 0018-ब-121 2023-24

प्रकार- 4
(गिटम्-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट (भूमि के उपयोग) के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् चर्चा अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1328/सी-1/सू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गार्डरूओ उद्बहन सिंथाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एल. 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में खल परिवहन हेतु ग्राम-झुमका, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोडिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना वस्था कर इसकी सूचना ग्रामिणस्वामी/अधिमोती को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी जिल्लागों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-झुमका, प.ह.न.-45,	181	0.028
			139	0.005
			182	0.015
			143	0.044
			185	0.005

दिनांक 13/09/2024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-झुमका, प.ह.न.-45,	189	0.018
			147	0.017
			177/1	0.003
			176/1	0.065
			191/3	0.008
			191/2	0.006
			134/2	0.033
			197/4	0.003
			197/3	0.014
			197/2	0.013
			197/1	0.010
			194	0.035
			145	0.02
			149	0.005
			137/2	0.049
			118/2	0.018
			118/1	0.028
			116	0.007
			114/2	0.007
			114/3	0.006
6/2	0.005			
7	0.034			
9	0.04			
11	0.015			
कुल योग			29	0.556

पत्र सं: 2871-री-1-भू-अर्जन-2024 श.प्र.अ.-0017 व-121-2023-24

प्रकार- 3
(निर्णय-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डाट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इरागं इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 को उपपत्र (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1318/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 06.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-रावदरगुर माईकलो उद्भवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली सी.एच. 2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर नहर नहर क्रमांक- 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम - देवझरी पण्डा प.ह.न. 46 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डाट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपरोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागार स्थल पर अधिसूचना चस्पा यह इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिन्नी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी दिवसगमों से गुप्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - देवझरी पण्डा प.ह.न. 46	21	0.009
			20	0.025
			19	0.005
			90/1/2/1	0.015
			90/2	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - देवझरी पण्डा प.ह.न. 46,	90/3	0.011
			91	0.035
			147/1	0.022
			147/2	0.011
			147/3	0.011
			146/1	0.012
			155/6	0.012
			155/11	0.011
			170/3	0.014
			146/4	0.007
			155/4	0.002
			155/8	0.008
			155/10	0.005
			170/2	0.020
			146/5	0.007
			155/5	0.006
			155/7	0.005
			155/9	0.006
			170/1	0.006
			163/3	0.042
			163/4	0.015
			165	0.025
			168	0.003
			166	0.021
			194/1	0.005
			185/4	0.016
185/6	0.015			
185/7	0.012			
184/3	0.010			
184/4	0.003			
कुल योग			35	0.442

पत्र क्र. 2873-सी-1-पू. सं.नं. 2024-रा.प्र.क्र.-0015-प-17-2025-24

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)

अतएव सचिवराज, भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट (जमीन को उपरोक्त को उपरोक्त का अर्थों) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2012) (जिसे इनमें दूसरे परमाणु तथा अधिनियम के नाम से विभिन्न नाम दिए गये हैं) की मारा 3 की उपधारा (1) के अधिन जये तथा पधोक्तये को अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1308/सी-1/पू-उर्जन/2023 आबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने समस्ता-आबुआ-पेटलावत-धौदला-सरदारपुर पाईको पदरुडन सिविल इंजीनियरिंग के अर्जा की थी. 1 र् आई.टी.पी.टी. 1 तल बेगई जये 200' की.ए.ए. भूमिगत पाईप लाइन एवं एवकी लेट पाईप लाइन पदरुडन नहर क्रमांक-6 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोला, छोटी, प.द.न. 68, रा.नि.मं.-01, आबुआ, तहसील- आबुआ, जिला आबुआ में भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डकट को बिजली के प्रयोग हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में अधिसूचना के अधिकार के अर्जा को प्रस आशय की घोषणा की है ;

और यह अधिसूचना सारफर में दिनांक 05.05.2023 को जल विभाग की सूची तल फलेफर में तल अधिकारी, तहसीलवार कार्यालय के ऑफिस बाई के प्रथम तल प्रेषित एवं सम्बंधित तल को तलक तलनाम तल पर अधिसूचना तलक जल इनमें सूचना भूमिन्वाणी/अधिकारी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) तल, पाईपलाइन, बिजली के लिए भूमि में अधिसूचना के अधिकार तल विभागों में मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित तल।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पदरुडन केबल क्रमांक	खण्ड क्रमांक	उपरोक्त के अधिकार के लिये अर्जित की शान्ति वाली भूमि हेक्टेयर में,
1	2	3	4	5
आबुआ	आबुआ	ग्राम- गोला छोटी, प.द.न. 68,	502	0.038
			487	0.003
			485	0.041
			464	0.018
			453/2	0.060
			487	0.020
			408	0.010
			486	0.013
			484	0.014
			488	0.032
			417	0.004
			416	0.035
			415	0.042
			137	0.005
			136	0.025
			133	0.012
			140	0.008
			145	0.002
			151	0.076
			150	0.055
			160	0.059
			27	0.007
कुल योग			22	0.595

पत्र क्र. 2875-सी-1/सू-अर्जन-2024-र.प्र.प्र. 0016-म-121 2023-24

**प्रकरण- 7
(निर्देश-6 देखिए);**

उत्तराखण्ड मध्यप्रदेश भूमिगत वाईपल.इंन, केबल एवं डकट (भूमि के उपयोग का अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 रा.प्र. 2012) (जिसे इसमें इसमें संशोधन उत्तराखण्ड अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 के उपधारा (1) के अर्जन जारी राक्षम प्राविलनी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1313/सी-1/सू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मरवा-झाबुआ-पेटलावद-कोदल-मरवापुर गाईको रक्षण विचार्य नरियोजना के अंतर्गत अर्ज.सी.टी.-1 से विचार्य जाने वाली डी.एन. 1 पर्यय नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-घारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59, रा.नि.म.-01, झाबुआ, राहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत वाईपल.इंन, केबल एवं डकट को विचार्य के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निनिर्देश भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस आरथ को घोषणा की है

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, राक्षम अधिकारी, राहसील दार कार्यालय के नोटिफ बोर्ड के अथ गान संघागत एवं संरिगि-याम के लोक संघागत स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसको सूचना भूमिस्वामी/अधियोगी को भी दी गई है।

उत्तराखण्ड, राजपत्र अधिनियम की धारा - 4 के उपधारा (1) द्वारा, पर्ययलाईन, विचार्य के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विचलंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निर्दिष्ट होगा :

:: अनुसूची ::

जिला	राहसील	ग्राम / परवासी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित को जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-घारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59,	249/2	0.012
			249/1/2/1	0.020
			249/1/2/2	0.008
			249/1/1	0.034
			246	0.002
			225	0.058
			224	0.036
			187	0.074
			165	0.006
			166	0.025
			113	0.080
			111	0.017
			118	0.013
			112	0.012
			119	0.046
			121	0.074
कुल योग			16	0.517

पत्र क्र. 2879-सी-1 सू-अर्जन- 2023-रा.प्र.क्र. 0018-अ- 121-2023-24

प्रकार - ट
(निम्न 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग का अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (अमल- 5 सन् 2013) (जिसे इन्हें इसके परचा, उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1323/सी-1/सू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 06.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-श्यामला-सरदारपुर गाईको सड़कन सिंहाई परियोजना के अंतर्गत डी.पी.-1 से 3.1इ.वी.पी.टी-1 तक डिजाई जाने वाली डी.एफ.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट गाईनर माईप नहर क्रमांक 5 में जल परिवहन हेतु ग्राम - छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पार। तहसील- रामा जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिजाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस अर्थ की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित एन के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिजाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलक्षणों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निर्दिष्ट होगा ।

= अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम - छापरी प.ह.न. 37,	58/2	0.004
			57	0.023
			60	0.017
			50	0.017
			17	0.052
			49/6	0.071
			51	0.005
			49/4	0.015
			15/1	0.018
			15/2	0.020
			15/3	0.016
कुल योग			11	0.258

नं.क. 2881- सी /-सू-अर्जन 2021-रा.प्र.प. 0013-सू-171 2023-24

प्रकार ध
(निताम-8 देखिए)

सरकार महाराष्ट्र शासन ग्रामीण पाईपलाइन फेजल एवं कन्ट (भूमि के उपयोग का उपयोग के अंतर्गत) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2012) (जिसे इसमें इससे सम्बन्धित उच्च अतिरिक्त के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी सभ्य प्रविष्टि की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1298/सी-1/सू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने अमरावती-झाबुआ-पेटलाघर-धाराजा-सरदारपुर नईको उद्देश्य रिवाइ परिशिष्टना के अंतर्गत आई.पी.सी.-1 से आई.पी.सी.-2 तक विद्यमान होने वाली डी.एन. 2 पार्श्व नहर की लेवट पाइन्ड पार्श्व नहर क्रमांक-12 में जल परिषद् द्वारा ग्राम-डूंगरालाल, प.ह.न.-50, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में श्रमिक पाईपलाइन फेजल एवं कन्ट को बिलाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न सूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अन्तर्गत के अन्तर्गत की इस आरथ की योजना की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.08.2023 को प्रकाशित की गई तथा जलकन्ट्रोल, जल, अधिकारी तहसीलदार कार्यालय के अतिरिक्त बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सम्मान स्थल पर अधिसूचना प्रकाश कर इसकी सूचना सूचिकाओं/अधिसूचनाओं को भी दी गई है।

अनुसूची, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिलाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विभागों के मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी इलाका क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- डूंगरालाल, प.ह.न.-50	226	0.004
			224	0.003
			221	0.010
			718	0.036
			189	0.010
			211	0.020
			210/1	0.006
			200	0.015
			101	0.002
			100	0.030
			99	0.030
			105	0.003
			107	0.026
			119/2	0.034
			111	0.030
			117/2	0.020
			117/1	0.022
कुल योग			17	0.301

पत्र क्र. 2877 शी 1-भू-अर्जन-2024-रा.भ.सं.-001-1-5-121 2023-24

प्रारूप- ग
(निर्दिष्ट-6 देखिए)

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी राक्षम प्राधिनयनों की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1303/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेपट नईगर पाईप नहर क्रमांक-5 में जल परिवहन हेतु ग्राम - बड़लिया प.ह.न. 69 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इत्त आराय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक शासक स्थल पर अधिसूचना चस्का कर इराकी सूचना भूगिरवागी/अधिगोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्त्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवाशे हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - बड़लिया प.ह.न. 69	155	0.005
			156	0.027
			151	0.074
			146	0.065
कुल योग			04	0.171

पत्र क्र. 2883-रो-1-भू-अर्जन, 2024 ए.म.प्र.-0012-ब-121-2023 24

प्ररूप- ८
(नियम-६ देखिए);

भारत मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं इनर (भूमि के सम्बन्धित) के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (कृमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसले परन्तु एक अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थों में तबत तक अधिकारी की अधिगुवना पत्र क्रमांक- 1293/ख-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार से निर्देश झाबुआ वेदलायद थारला सखारपुर साईको अर्द्ध-सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 'डी.सी.-' से आई.सी.पी.सी. 1 स/० सिंचाई जाने वाली 'डी.एम.-' भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेट गाईनर गाईनर नहर क्रमांक 5 में जल परिवहन हेतु ग्राम - मेलपाडा प.ह.न. 68 यानि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं इनर को निरूपण के प्रयोजन हेतु अधिगुवना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और ०६ अधिगुवना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा फलेक्टर, राक्षम अधिकारी, तहसीलवार कार्यालय के निर्दिष्ट बोर्ड के स.स. ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभासद स्थल पर अधिगुवना दस्तावेज इसकी सूचना भूनिर्देशन/अधिसूची को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, दिखने के लिए भूने में उपयोग का अधिकार सभी किल्लिंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी इत्यादि क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - मेलपाडा प.ह.न. 68	348	0.025
			301	0.008
			343	0.054
			311	0.018
			312	0.061
			164	0.020
			184	0.018
			183	0.045
			177/2	0.062
			177/1	0.030
			148	0.045
			70	0.030
			149	0.008
			115	0.020
कुल योग			14	0.434

पत्र क्र 2065-ई-1-1-भू अर्जन-2024-रा.प्र.प्र. 0030-म 121-2023 24

प्रथम-घ
(नियम 6 देखिए)

सत्य मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 रा.प्र. 2013) (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1223/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राजा सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांवल-सरदारपुर भाईको उदरहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.सी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दीवारों और की मईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 (आर.एम.-11) में जल परिवहन हेतु ग्राम-मुण्डल, प.ह. न.-02, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट के बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिरूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस आशा की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागत स्थल पर अधिसूचना दरपा कर इसकी सूचना नूनिस्वामी/अधिगोभी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राजा सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.-02,	1056/1	0.090
			1018/6	0.008
			1018/3	0.020
			701/5	0.023
			953/5	0.025

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी / हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.-02,	953/3	0.028
			1018/5	0.029
			1018/2	0.024
			953/4	0.008
			1015/1	0.023
			1014	0.008
			998	0.033
			1012/4	0.008
			950	0.017
			710	0.032
			713/2	0.035
			723	0.008
			722	0.015
			724/2	0.015
			721	0.024
			748/6	0.011
			800/1	0.034
			800/2	0.031
			89/1	0.010
			805/2	0.023
			805/1	0.028
809/7	0.018			
809/6	0.014			
809/5	0.014			
809/1	0.043			
67	0.048			
कुल योग			31	0.747

नं. क्र. 2807 शी-1-मू-अर्जन-2024-रा.ज.क्र.-0028 ९-121-2023-24

प्रकल्प- घ
(नि.५.६-६ देखिए)

उत्तएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1213/शी-1/मू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नमंदा-झाबुआ-पेलावद-धांपला सरदारपुर माईको उद्वहन सिंघाई परियोजना के अंतर्गत डी.टी.-1 से पी.एस. 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-कालीदेवी, प.ह.नं.-21, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुरोध में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के गेटिज बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सनागग स्थल पर अधिसूचना बसा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिनिगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी बिलिंगनी से मुफ्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-कालीदेवी, प.ह.नं.-21,	201	0.015
			200	0.020
			199	0.030
			179	0.018
			175	0.010

जिला	तहसील	ग्राम-पट्टावासी कलम क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम- कालीदेवी, प.ह.नं.-21,,	178	0.015
			177/1	0.023
			205	0.040
			180/3	0.010
			177/2	0.023
			158	0.013
			157	0.049
			156	0.035
			78/2	0.017
			154	0.005
			91	0.001
			92	0.003
			148	0.008
			147/3	0.015
			144/1	0.020
			143	0.013
			142	0.007
			105/2	0.008
			104/2	0.011
			103/1/1/1/1/1	0.030
			105/1/1/1	0.008
			107	0.019
			24/1/1/1/1/1	0.017
			261/3	0.054
			24/1/1/1/1/2	0.0034
			24/1/1/1/2	0.0034
			24/1/1/2	0.0034
24/1/2	0.0034			
24/2	0.0034			
46/1	0.038			
45/1	0.018			
18/1/1	0.005			
कुल योग			37	0.621

सं. क्र. 2589 ई-1-मू-अर्जन 2024-रा.प्र.क्र. 0024-न-121 2023-24

प्रकरण- 4
(निष्प-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, धोबल एवं जवट (मृगी के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 6 सन् 2013) (जिसे द्वारा इसके पश्चात् जक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम अधिकारों की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1183/री-1/मू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावग-धोबला सरदारपुर पाईपलाइन तदवगत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक सिंचाई जाने वाली सी.एन. 2 पाईप नहर एवं उसकी दाहिनी ओर का नार्थीर पाईप नहर क्रमांक- 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम-दुधी, प.ह.न.-04, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं जवट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अतिरिक्त के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन को इस आशय से घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा फ्लेक्टर, सक्षम अधिकारी, सहायक सचिव कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इत्येवो सूचना भूमिस्वामी/अधिकारी को भी दी गई है ।

अतएव जक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन दिखाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विवरणों से मुक्त होकर, राज्य सरकार ने निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी इल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-दुधी, प.ह.न.-04	695/2	0.025
			695/3	0.023
			674/3	0.024
			649/1	0.018
			649/2	0.050
			649/4	0.007
			601/3	0.019
			601/1	0.012
			649/3	0.009
			601/2	0.024
			651	0.013
कुल योग			11	0.224

राजपत्र सं. 2809 ई-1-1/अर्जन-2024-रा.सं.क-0025 द-12/ 2023-24

अनुसूची
(निर्दिष्ट-8 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 एवं 2013) (जिसमें इसके पर्याप्त उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऊपर सूची में सूचीबद्ध अधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1199/री-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 06.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-रसदारपुर माईको उद्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक गिराई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं सतली हॉपी ओर की माईकर पाईप नहर क्रमांक- 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को विद्यमान के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोगता के अधिकारों के अर्जन की इतनी आशय की घोषणा की है ।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इतकी सूचना भूमिस्वामी/अधिकारियों को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, विद्यमान के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विद्वानों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होना ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01,	1119/1	0.033
			1119/2	0.040
			1125	0.103
			1127	0.028
			1151	0.027

जिला	सदरतील	ग्राम / पट्टकोशी + (हल्का क्रमांक)	खसरा क्रमांक	सम्पत्तियों के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2		4	5
झाबुआ	शमा	शाम-खंडा, प.स.न.-01,	770	0.020
			772/2	0.015
			767	0.008
			764/2	0.049
			783	0.087
			781/1	0.020
			785	0.064
			794	0.033
			787	0.027
			823	0.049
			822	0.023
			824	0.031
			825	0.003
			826	0.029
			604	0.024
			603	0.045
			585/2	0.053
			585/1	0.010
			853/2	0.014
			853/6	0.015
			853/5	0.017
			574/2	0.045
			853/1	0.018
			570	0.053
			290	0.013
			195	0.019
			196	0.036
			314/3	0.018
			314/1	0.016
			293/1	0.020
			292/1	0.010
			293/2	0.035
			199/4	0.005
199/3	0.030			
200/3	0.005			
199/2	0.005			
200/2	0.010			
205	0.014			
204	0.023			
कुल योग			44	1.227

पत्र क्र. 2893-सी 1 भू-अर्जन-2024 राज.क्र.-0026 व 121-2023-24

प्रत्य 5
(नियम 6 देखिए);

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, कोयल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग का अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके गश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी राक्ष्य प्राप्तेकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1203/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धांदला-सरदारपुर माईको उदयहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली सी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-धामन्दा, प.ह.न.-03, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाइन, कोयल एवं डक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोडल बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सामाजिक स्थल पर अधिसूचना चरण-द्वारा इसकी सूचना सूचिसूचियों/अभिप्रेतों के मा. भी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, विछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार राक्ष्य विच्छंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-धामन्दा, प.ह.न.-03,	580	0.017
कुल योग			01	0.017

पत्र क्र. 2886-सी-1-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0027-स-12-2023-24

प्रतिप-घ
(निर्देश-6 देखिए)

राज्य मध्यप्रदेश भूनिगत पार्सलार्डन, केबल एवं डकट (भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1208/सी-1/भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलवाड़-खांजला-सरदारपुर गाईको उद्योग सिंचाई परियोजना के अर्जात आई.बी.सी.टी.-1 से आई.बी.सी.टी. 2 तक दिखाई जाने वाली डी.एम.- 2 पार्सल नदर एवं उसकी दौरी बॉर की माईनर पार्सल नदर क्रमांक- 04 में जल परिवहन हेतु ग्राम-छापरी, प.ह.न.-24, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ में भूनिगत पार्सलार्डन, केबल एवं डकट को विधान के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुरूपी में निर्दिष्ट भूमि में उपरोक्त के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के गोदरे नोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक जनान स्थल पर अधिसूचना पत्ता कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिनोरी को भी दी गई है।

उत्प्रेय, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पार्सलार्डन, विधान के लिए भू में उपयोग का अधिकार सभी दिवंगमों से नुक होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-छापरी, प.ह.न.-24	350	0.016
			351/1	0.018
			352	0.035
			354	0.004
			358/3	0.024
			362/1	0.015
			362/2	0.015
			365/2	0.003
			365/3	0.015
			365/4	0.029
			374/2	0.009
कुल योग			11	0.183

एच.एस. विश्वकर्मा, अनुकेतानाग अमेकरी

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील मनावर,
जिला धार, मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-1/90-भू-अर्जन-री-1-2024-राप्रक्र.-0014-अ-02 2022 23

मनावर, दिनांक 24 जून 2024

प्रस्ताव नं
(नियम: 8 देखिए)

आन्ध्र मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं जल (भूमि से उपयोग) के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के 7.4 से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-163/भू-अर्जन/री-1/2023, मनावर, दिनांक 25.01.2023 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-देवलाघट-भंडला-एस्वासपुर मार्गको सदृश बिछाई परिधोजना के अर्जात पत्र क्रमांक-4 से डी.सी. 2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत वाइरिंगमेंट पाइपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कैलीकलां, प.ह.न.-02, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार में भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं जल को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिस्तरना को सत्यान अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपरोक्ता के अधिकार ले अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा जलकर राशम अधिष्ठात्री, तहसीलदार कार्यालय के ओपिस बोर्ड के साथ ग्राम मनावर, एवं संबंधित ग्राम के लोक सभासम सभार पर अधिस्तरना बसा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिकारी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 को उपधारा (1) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपरोक्त का अधिकार सभी विस्तारों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्ला क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-कैलीकलां, प.ह.न.-02	44/3	0.035
			107/13	0.012
			107/7	0.053
			107/6	0.036
			109/1/8	0.050
			109/17	0.061
			109/14	0.054
			178/21/1/1	0.030
कुल योग			08	0.333

पत्र क्र. 1785-मू-अजी-सौ-1-2024 रा.प्र.क्र.-0013-अ-02-2022-23

प्रस्ताव घ
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

संश्लेषित अधिसूचना

अतएव, राज्या सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बमदा-रानुअ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईको उदयहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक-4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21, रा.नि.मं.-01, गंधदानी, तहसील-गंधदानी, जिला-घार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्रों, गर्मवा विकसक संभाग क्रमांक-80, मन्दावर, जिला-घार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्या सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में दर्ज है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सं. 2013) की धारा - 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाने हेतु, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अरथ की घोषणा करता है।

किसी व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के लिये पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुदेहागीय अधिकारी (रजवर), मन्दावर, जिला- घार मध्यप्रदेश को लिखित में संक्षेप भेज सकता है।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्ला क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
घार	गंधदानी	ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21,	631/3	0.104
			646	0.042
			647/1	0.014
			649	0.070
			666	0.024

जिला	सहरील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21,	667	0.010
			671/1	0.042
			600	0.056
			599	0.090
			610/1/1	0.010
			709	0.060
			710	0.032
			713	0.034
			715	0.040
			740	0.045
			716	0.035
			719/1	0.093
			718	0.050
			741	0.038
			739	0.024
			918	0.020
			733	0.036
			732	0.017
			919	0.031
			948	0.049
			946/1/1	0.015
			949/1	0.013
			946/1/2	0.013
			1042	0.017
945	0.038			
946/1/3	0.045			
943/2	0.024			
457/2/2	0.021			

पत्र क्र.-1795-भू-अर्जन-सं-1-2024-रा.प्र.क्र.-0014-अ-82-2022-23

प्ररूप- घ
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

संशोधित अधिसूचना

अतएव, राजा सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-शामुआ-पेटलावद-धांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्यमन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पन्ना हाउस क्रमांक-3 से पन्ना हाऊस क्रमांक-4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (रा.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाई जाए ।

और अतएव राजा सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमें में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट (भूमि के उपयोग) के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2017 (क्रमांक- 5 सन् 2017) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्ता शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आदेश को बंधना करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21,	631/3	0.104
			646	0.042
			647/1	0.014
			649	0.070
			660	0.024

जिला	तहसील	गाव / पटवारी हस्ता क्रमांक	खशरा क्रमंक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
धार	गंधवानी	ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21,	667	0.010
			671/1	0.042
			600	0.055
			599	0.090
			610/1/1	0.010
			709	0.060
			710	0.032
			713	0.034
			715	0.040
			740	0.045
			716	0.035
			719/1	0.093
			718	0.050
			741	0.038
			739	0.024
			918	0.020
			733	0.036
			752	0.017
			919	0.031
			948	0.049
			946/1/1	0.015
			949/1	0.013
			946/1/2	0.013
			1042	0.017
			945	0.038
			946/1/3	0.045
943/2	0.024			
457/2/2	0.021			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी एलाग क्रमांक	खपरा क्रमांक	समयोग के अधिकार के लिये अधिसूचना की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धर	गंधवानी	ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21,	456/1	0.010
			456/2	0.036
			371/1/2	0.019
			371/1/1	0.029
			371/1/3	0.020
			416/2	0.033
			415	0.051
			410	0.077
			409	0.167
			149	0.006
			1041/3/1	0.031
			1041/3/2	0.007
			1041/3/3	0.011
			1039/6	0.010
			1041/2	0.025
			1040/1	0.010
			457/2/1	0.015
			1048/6	0.026
			1048/7	0.013
			1048/3	0.011
			1048/5	0.006
			1048/4	0.005
			1048/1	0.103
कुल योग			56	1.973

राहुल गुप्ता, रक्षा अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-0009-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-बदनूरदाना-7548

बैतूल, दिनांक 21 अगस्त 2024

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	खसम क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल नगर	बदनूरदाना	0.040	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल, बैतूल @ नागपुर	इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाइन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ.क्र.	ख.नं.	कुल रकबा हे.नें	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में	मौके की स्थिति / परिसंपत्ति	वर्तमान में भूमि के कब्जेदार / उपयोग की स्थिति
1	107/2	0.013	0.009	14.56mx7.55m पर दो मंजिला पक्का मकान	शांता पति गणेश प्रसाद वामनकर
2	107		0.006	लोहे का इलेक्ट्रिक पोल तथा डायर रोड	सार्वजनिक उपयोग हो रहा है।
3	106		0.008	5.20mx17.4m क्षेत्रफल का (0.001हे.) पर तीन शेड बना है	चन्द्रभागा के कब्जे में है, परन्तु अभिलेख में चन्द्रभागा के नान ख.नं. 113/3 रकबा 0.008 हे. दर्ज है।

			0.005	2.7m x 4.8m (0.001 हे.) पर टिन शेड बना है	चन्द्रभाग के कब्जे में है।
				1.6m x 0.38m (0.001 हे.) पक्की कम्पाउंड बाल	निर्मला दुबे के स्वामित्व की
				(0.003 हे.) मौके पर रिक्त है, जिसपर 1 पपीता, 1 आम, 1 जाम, 1 नींबू, 1 कटहल, 1 केला पेड़ है।	मूल ख.नं. के भूमिस्वामी की शेष बची भूमि
4	95		0.012	मौके पर रिक्त	अधिकार अभिलेख 1968-89 में हरिलाल, श्यामलाल पिता छेटीलाल के नाम दर्ज है। मूल भूमिस्वामी का नाम वर्तमान अभिलेख के ख.नं. 95 के बटांकन में दर्ज नहीं है।
	योग		0.040	-	-

1 - चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नावापुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का त्वक्षा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे होने वाले के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूगो का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-2001-अ-82-2024-25-भू-अर्जन-खेड़ीरामोसी-7B41

बैतूल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	प्रभात पट्टन	खेड़ी रामोसी	20.159	खेरी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा(हे.में)
1	2	3	4	5
1	अभरलाल व. टेनू जाति मेहरा भूमिस्वामी	304/1	0.402	0.402
2	ईश्वर घ. ठग्गू जाति मेहरा भूमिस्वामी	304/2	0.746	0.746
3	संजु व. गोकुल, उषा व. गोकुल जाति मेहरा भूमिस्वामी	304/3	0.566	0.566
4	लुडडी घ. कुंजीलाल, आशाराम व. कुंजीलाल, कौतिक, मुसी ऊर्फ देवकी व. कुंजीलाल जाति मेहरा भूमिस्वामी	305/3	0.077	0.077
5	सुर्यभान व.फुसल्या जाति मेहरा भूमिस्वामी	305/2	0.530	0.200

6	बिसरी, बिरजू व. मिरूचंद, गोवर्धन, मुन्ना, शिवपाल, बलीराम व. गोविंदा, ग्यारसी बेवा गोविंदा, अप्पू, कबीरचंद व. चिरौजी, रखिया बेवा बिहारी, भून्था, सुखराम व. बिहारी, गजरू, मीरा व. बिहारी जाति मेहरा भूमिस्वामी	302	1.756	0.809
7	सया बेवा गोमा, रामजी, प्रहलाद, धनराज व. गोमा, पंचफला, संगीता व. गोमा, लक्ष्मी व. आशारान जाति मेहरा भूमिस्वामी	298	2.222	2.222
8	पंजाबराव व. रंगलाल, जाति मेहरा सा. देह	299	1.064	1.000
9	देवीसिंह, भुन्नासिंह, रामदयालसिंह व. घुडूसिंह, सुमन, रामकली व. घुडूसिंह, समोती व. ठाकुरसिंह, रहुल, कमलेश नावा. व. ठाकुरसिंह बली मा समोती रोशनी व. ठाकुरसिंह, सुमन बेवा घुडूसिंह, जाति राजपूत सा. देह	300/1	0.108	0.108
10	अल्का पत्नि रामजी, जाति मेहरा सा. देह	300/2	0.600	0.600
11	शिवम, सत्यम नादा. व. तुधीर संरक्षक, सुधीर व. रामदीन जाति मेहरा सा. देह	313/1	0.700	0.270
12	मयाबंती बेवा लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत सा. देह	315/1	1.994	0.650
13	अनुसया पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत सा. देह	315/7	0.405	0.150
14	रखिया बेवा बिजलाल, बाबराम, शाबन्था, प्रकाश व. बिरजलाल, रुमला बेवा इंदल करन व. इंदल, गायत्री व. इंदल जाति मेहरा सा. देह	317/1	1.518	0.578
15	फत्था व. भगुत्था, जाति मेहरा सा. देह	318/1	1.206	1.206
		296	0.041	0.041
		297	1.630	1.630
16	नत्थू, सुरेन्द्र, सुभाष व. शिवजी, कांता बेवा गंगाराम, राजो, आंधल व. गंगाराम, महादेव व. मीया, राजू व. देवजी, शीला, ममता व. देवजी, नरेश, राजेश व. विष्णु, सुरन बेवा विष्णु, जाति मेहरा सा. देह	318/2	1.918	1.318
17	मुन्नी पत्नि हरीभाऊ. जाति बिराड सा. देह	325/1	0.947	0.300
18	विनोद व. चतरू, सुरेन्द्र, किरण व. चतरू, कला बेवा चतरू जाति मेहरा सा. देह	326	2.351	0.750
19	नधु व. फत्था जाति मेहरा सा. देह	275/4/2	0.922	0.922
20	कालूराम, अश्विन व. तेजी जाति मेहरा सा. देह	275/4/1	0.221	0.221
21	रामबाई व. शिवलाल, जाति मेहरा सा. देह	275/1/2	0.202	0.030
22	शंकर व. शिवलाल, जाति मेहरा सा. देह	275/1/1	0.941	0.110
23	कमलु, किशोरी व. विमल, हंरी व. किसन, शागरती बेवा मधु, शिवम व. मधु, सोनम, पूतम व. मधु जाति मेहरा सा. देह	275/5	1.142	1.142
24	फुला बेवा गौड़, लक्ष्मण. गणपति व. गौड़, नान्ही व. गौड़ जाति मेहरा सा. देह	295/3	1.608	1.608

25	पारबती व. अन्नू जाति मेहरा सा.देह	295/1	0.780	0.030
26	रामराव, डोमा, शिवरतन, मनोहर, श्यामराव व. रतन,	294	0.121	0.121
	सोमा व. मन्नू जाति गोंड सा.देह			
27	रामलाल, गुलाब व. भूता, सुकलू, कातूराम व. मोहनू जाति गोंड सा.देह	293	0.259	0.230
28	सक्कू, बाबुराम व. मोहनू, रामप्यारी व. मोहनू, फलमा बेवा मोहनू जाति गोंड सा.देह	292	0.109	0.059
29	पंचम, जगगू, झामसिंग, धनसिंग, भंगी व. रामधार, मनका व. रामसा जाति गोंड सा.देह	291	0.077	0.040
30	रामलाल, गुलाब व. भूता सा.देह	289	0.097	0.010
31	रज्जोबाई बेवा डेहू, हीरावंती, रामकली व. डेहू जाति गोंड सा.देह	281/1	1.530	0.560
32	कान्तीबाई बेवा सुखदेव, राजेश व. सुखदेव, रानी, प्रीति, मोनू, सोनू, रोशनी व. सुखदेव जाति मेहरा सा.देह	305/1	0.607	0.060
33	गन्नू व. डोमा जाति कुन्बी सा.देह	306/1	1.362	0.450
34	इरू व. डोमा जाति कुन्बी सा.देह	306/3	1.362	0.390
35	पंजू, बासुदेव, सुखदेव, जगदेव, सुखराम, सरवन व. गोरेलाल जाति गोंड सा.देह	290/2	0.053	0.053
36	धनराज व. सीताराम, जाति गोंड सा.देह	274/1	1.034	0.097
37	श्रवण व. टेनू जाति मेहरा सा.देह	304/4	0.403	0.403
	योग		33.611	20.159

(2) चूंकि खैरी लघु जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्स्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलतः के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-0008-अ-82-2023-24-पू-अर्जन-सोनाघाटी-7942

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पतिकर और फारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 18 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	सोनाघाटी	0.180	इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.में.)	अर्जित रकबा(हे.में.)
1	2	3	4	5
1	रामनाथ व. रामदुलारे सा. बैतूल भूमिस्वामी	111/1/1/1	0.296	0.045
2	शोभनादेवी पति कृष्णमुरारी सा. बैतूल भूमिस्वामी	111/2/1/1/1	0.025	0.025
3	देवाराज व. कृष्णमुरारी सा. बैतूल भूमिस्वामी	111/2/1/1/2	0.024	0.024
4	सत्यजीत व. कृष्णमुरारी सा. बैतूल भूमिस्वामी	111/2/1/1/3	0.024	0.024
5	रामनाथ व. रामदुलारे सा. बैतूल भूमिस्वामी	88/1	0.243	0.010
6	बैना बे. श्यामराव, संतोष, सुगन, ईमन, सुशीला व. श्यामराव, अनिता बे. अजाबराव, वर्षा, हेमा पिता अजाबराव सा. देह भूमिस्वामी	85/1	0.240	0.020
7	अमरनाथ व. अमरजीत पोपली सा. बैतूल गंज भूमिस्वामी	120	0.089	0.004
8	राजेन्द्रकुमार व. सीताराग सा. देह भूमिस्वामी	75/6	0.323	0.026
9	सरस्वती पति बरजोरसिंह सा. बैतूल भूमिस्वामी	75/104	0.019	0.002
	योग	9	1.283	0.180

(2) चूंकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के इस क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिधिपट्टि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 18 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रथमगत भूमि का मकसत (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, फलेदार एवं सचिवित्वाधिकार

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-12670 मु. अ.नं. प्र.क्र.01-अ-82-24

हरदा, दिनांक 6 सितम्बर 2024

प्र.क्र. 01 अ-82 वर्ष 2022-23 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-16 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिनों की समाप्ति में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकार में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाता है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्थिति की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए उपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला :- हरदा
(ख) तहसील :- हडिया
(ग) ग्राम :- भमोरी प.ड.नं. 28
(घ) प्लॉट नं. :- 9.977 है.

खसरा नम्बर (1)	कुल अधिगत रकबा (हेक्टर/गैर गै.) (2)	भूमि का प्रकार (3)
2/1/1	0.705	निजी भूमि
2/1/2	0.077	निजी भूमि
2/1/3	0.077	निजी भूमि
2/1/4	0.174	निजी भूमि
2/1/5	0.128	निजी भूमि
3	2.172	निजी भूमि
4/1	3.359	निजी भूमि
4/2	0.809	निजी भूमि
5/1	2.571	निजी भूमि
8/1	0.244	निजी भूमि
	9.977 है.	

(2) हडिया बैराज परियोजना के अंतर्गत एफ.टी.एल. वैशज, पावर हाउस एवं सिंचन चार्ज के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

(3) भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

उक्त उद्घोषणा जिले की वेबसाइट www.harada.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-9840 दि.31-2024

सिवनी, दिनांक 2 सितम्बर 2024

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बरेला पटवारी हलका नं. 20 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसीर जिला सिवनी में कुल 0.40 हे. निजी भूमि अधिष्ठाित है, अर्जित झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) को रेलवे मार्ग से कोयले को परिवहन के लिए रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु सामाजिक समघात मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र बहुशाखीय समूह दत्त द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन क्या विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सामाजिक समाघात रिपोर्ट का सार इस प्रकार है-

1. स्थापित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का परिवहन हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया है। यह परियोजना विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्थापित क्षमता से विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
2. रेलवे लाईन के निर्माण से विद्युत संयंत्र को कोयले की उपलब्धता सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगी जिससे संयंत्र स्थापित क्षमता पर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा।

झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) की रेलवे लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रेलवे लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपखंडों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला, पो. अतरिया, तहसील घंसीर, जिला सिवनी (म.प्र.) से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

- (1) ग्राम का नाम - बरेला, प.सं. - 20 रा.नि.मं. - कहानी, तहसील - घंसीर जिला सिवनी
- (2) अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल - 0.40 हे.

क्र.	खेती/संख्या	स्थानित का प्रकार	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल का संख्या हे. म.	हितबद्ध व्यक्ति या नाम और पता	समाप				दृष्टा		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किल्ला	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	684/2	भू-स्थानी	अर्जित	0.40	भगोहर पिट खेजु, जगुना पिट खेजु, बुयारु पिट खेजु, जाति गोंड ग्राम बरेला तहसील घंसीर सिवनी	झाबुआ पावर लिमिटेड	राजकीय नाला	सामाजिक नाला	सामाजिक नाला	-	-	-	-
योग				0.40		-	-	-	-	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) ग्राम बरेला, पो. अतरिया, तहसील घंसीर, जिला सिवनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) ग्राम बरेला, पो. अतरिया, तहसील घंसीर, जिला सिवनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/दिकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन से 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किया जा सकेगा।

सं.-5641 अ.पू.अ. 2024

भूमि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बिनेकी कला पटवारी हल्का नं. 21 सानिम, कहानी तहसील घंसीर जिला सिवनी में कुल 1.35 हे. निजी भूमि अपेक्षित है, अर्थात् झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) जो रेल मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु सनाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र बहुशाखीय समूह दल द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन तथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सनाजिक समाघात रिपोर्ट का सार इस प्रकार है-

1. स्थापित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का परिवहन हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया है। यह परियोजना विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्थापित क्षमता से विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
2. रेलवे लाईन के निर्माण से विद्युत संयंत्र को कोयले की उपलब्धता सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगी जिससे संयंत्र स्थापित क्षमता पर विद्युत उत्पादन कर राज्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा

झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) की रेलवे लाईन परियोजना में किसी भी मुद्दे को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। संलग्न अनुसूचि के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रेलवे लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपधारा के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित शितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला, पो. अतरिया, तहसील घंसीर, जिला सिवनी (म.प्र.) से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करत है।

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नांकित है-

- (1) ग्राम नं. ग्राम-बिनेकी कला, पटव. -24 सानिम. - कहानी, तहसील - घंसीर जिला सिवनी
- (2) वर्णन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.35 हे.

क्र. सं.	निरीक्षण सं.	स्थान का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र है	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष	संरचनाएं		
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		कि.मी.	संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113/2	सू-स्थान	असिंचित	1.35	लक्ष्मी मिता गोविंदी जाति गौड ग्राम बिनेकी कला तहसील घंसीर सिवनी	पूर्व बाई. जे. भूमि	झाबुआ पावर लिमि. की भूमि	दुर्गा बाई. की भूमि	अद्याय सिंह की भूमि	-	-	-	-
योग				1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्का प्लान का निरीक्षण आयोग/अनुविभागीय अधिकारी राजसव घंसीर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्का प्लान का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) ग्राम बरेला, पो. अतरिया, तहसील घंसीर जिला सिवनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अर्थों में कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संभवतः नहीं करेगा या कोई भी संभवतः नहीं होने देगा अर्थात् कय/विकय आदि नहीं करेगा; या ऐसी भूमि पर कोई विलक्षण सृष्टि नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

राज्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजसूक्ति जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प.प्र. -403-भू-अर्जन-प.प्र. -182-अ-82-2024 25

देवास, दिनांक 0 सितम्बर 2024

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -01 में वर्णित भूमि की राज्य शासन को हड़िया बैराज परियोजना के अंतर्गत एफ.टी.एल. बैराज, पावर हाउस एवं रिचव यार्ड के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। चूंकि परियोजना प्रबंधक नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23 भोपाल द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र.शासन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-04/2020/सत्ताईस-1 भोपाल दिनांक 06 अगस्त 2021 द्वारा प्रदाय कि गई है एवं हड़िया बैराज सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर.पी स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक EC23B003MP179692 फाईल नं. 8745/2023 दिनांक 01/09/2023 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबद जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 72 ग्रामों की लगभग 35000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमियों का अर्जन किया जाना है।

1. परियोजना का नाम :- हड़िया बैराज सिंचाई परियोजना
2. भूमि का विवरण :-
- 1 जिला :- देवास
- 2 तहसील :- खारोवाँ
- 3 ग्राम का नाम :- कुण्डगाँव खुर्द
- 4 प.ह.नं. :- 64
- 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 1.3600 हेक्टेयर

:- अनुसूची -01 :-

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	123	भूस्वामी	ग्रामी भूमि	0.4700	रमेशचन्द्र पिता दक्कीराम जाति कलोता निवासी-कुण्डगाँव खुर्द
2	125	भूस्वामी	ग्रामी भूमि	0.3700	रामदेव पिता दक्कीराम जाति कलोता निवासी-कुण्डगाँव खुर्द
3	126	भूस्वामी	ग्रामी भूमि	0.2100	श्री श्यामलाल पिता सीताराम निवासी-कुण्डगाँव खुर्द
4	217/1	भूस्वामी	ग्रामी भूमि	0.1300	रामशंकर पिता जगदीश जाति विशनोई निवासी-कुण्डगाँव खुर्द

स.कं.	शर्त नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हे.)	द्वितीय व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5	217/2	भूस्वामी	कृषि भूमि	0.1300	कंचनशर्मा गणेश उपासकर जाति चिरनोई निवासी-कुण्डगीच शूर्य
			योग	1.9600	

भूमि से संबंधित नगसा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर देवास में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खालेगाँव में किसी भी कार्य विचारा को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

सूचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि को स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए धारा-12 के अंतर्गत लागू उपबंधों के तहत प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कच/दिक्क आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई गिल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

उक्त अधिसूचना जिले की वेबसाइट www.dewas.nic.in पर देखा जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषभ शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन जनरल मैजिस्ट्रेट

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक 0008/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची-1 के खाने (3) में वर्णित भूमि एवं मकान की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

-: अनुसूची - 1 :-					
भूमि/संपत्ति का वर्णन					
जिला	राजसूत/गांव	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग गीटर	धारा 12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
1	2	3	4	5	
सीहोर	श्यामपुर/भरहेडी	भूमि - 46540 , 272.57 वर्ग मकान	फार्महासन यंत्री जल संसाधन सभाया नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से दूध प्रभावित हेतु गू-वर्जन	
-: अनुसूची - 2 :-					
स.क्र.	नाम स्वामी, पिरा का नाम, जाति वाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.गे	अर्जित रकबा (निजी) हे.गे	रियासत
1	2	3	4	5	6
1	उर्मिजा देवा केशरसिंह ४टी राहुल रवीना आ केशरसिंह जाति मीना पता: श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहताकरप्रभेय	3/3/1	0.368	0.030	
2	रशिता बाई पितः तफलसिंह जाति मीना पता: सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/2	0.631	0.370	
		8/4	0.413	0.080	
		1E/3	0.303	0.070	
3	अजय सिंह पितः जगन्नाथ जाति मीना पता: सीहोर मध्य प्रदेशभूमि स्वामी	41/2	0.041	0.010	
		49/2	0.299	0.299	
4	फाहीरान पितः कलूरान जाति मीना पता: सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/5/1	0.150	0.150	
		8/2/1	0.108	0.108	

5	लक्ष्मीनारायण पिता छोटाराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 रमणीबाई पिता छोटाराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 कवीलाबाई पिता छोटाराम जाति मैना पता गिजली श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुगन्धाई पिता छोटाराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 1/4	8/3	0.413	0.057	
6	नुरमो पुत्री पुत्री विरानसुख धन्नु आ फराराम बुधराव आ मनीराम जाति चमार पता दिवारी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/1	0.550	0.500	
7	सुगन्धाई बेदा राजू कार्तिक नाथ कुमल नाथ पुत्र राजू कुमल नाथ पलक नाथ पुत्रिया राजू नाथ पता मियालगेर तहसील हुजूर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/3	0.747	0.129	
		16/2,1/1	0.392	0.730	
		3/3/2	0.627	0.020	
8	निर्मलाबाई बेदा दीनदयाल जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विनास पुत्र दीनदयाल जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विजय पुत्र दीनदयाल जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3	52/3	0.391	0.060	
9	रामबाबू पिता जगनप्रसाद जाति मैना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/2/2	0.007	0.390	
10	अमप्रकाश पिता गंगाराम जाति मीना पता दिवारी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/2/1	0.348	0.166	
		46/4	0.340	0.165	
11	निवेश पिता भगवानसिंह जाति मैना पता दिवारी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/1/7	0.052	0.035	
		46/3/1	0.045	0.025	
12	रमणीबाई पत्नी जगनप्रसाद जाति मैना पता दिवारी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/1	0.113	0.010	

13	प्रेमलता मेवा हेमराज जाति मीना पता मरहेटी रघुमपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सतिना ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना पता मरहेटी रघुमपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 विकास ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना पता मरहेटी रघुमपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सतिना ना बा पुत्री हेमराज जाति मीना पता मरहेटी रघुमपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4	46/1/2	0.323	0.120	
14	प्रेमलता मेवा हेमराज सचिन विकास सतिना पिता हेमराज जाति मीना पता मरहेटी रघुमपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2/1	0.085	0.035	
15	तेजसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/1	2.607	0.627	
16	यूनस खां पिता जवाहर खां जाति मेकली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	182/98/1	0.385	0.085	
17	रामरघुन हेमसिंह पिता हरिप्रसाद देवतीबाई मुलाबाई पुत्री हरिप्रसाद जाति देशवासी पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	112	6.993	0.220	
18	शानोपाल पिता गोखान जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/4,185 /115/9,185/ 115/10	0.203	0.135	
19	गंगारज पिता गोतीलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2/4	0.854	0.854	
20	गोरेयणबाई रानी लीलाकेशन जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/3,185 /115/9,185/ 115/10	1.215	0.290	
21	शानोपाल पिता गोतीलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/5,185 /115/9,185/ 115/10	1.420	0.330	
22	सार्धकेशन पिता गंगेराज जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/6,185 /115/9,185/ 115/10	1.420	0.160	
23	केशनलाल पिता गंगेराज जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2/1	0.924	0.500	
24	प्रेमसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	183/120/1	0.609	0.580	
		184/120/1	1.606	1.050	
25	नरवतीबाई मेवा सुरेश जाति नाई पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/1	0.595	0.160	

26	श्रीसुशीम पिता नयी खां जाति रोहती पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/6	0.526	0.526	
		128/9	0.499	0.498	
27	मोसादिक पिता नयी खां जाति नेवारी पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/8	1.011	1.011	
		128/10	0.514	0.450	
		128/10/2	0.405	0.405	
28	नंगुसिंह पिता अन्नासिंह जाति राजगुहा पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 लाटकुंवरबाई देवा गनोहरसिंह आजादसिंह पिता गनोहरसिंह कमलेशबाई रीताबाई पुत्री गनोहरसिंह जाति राजगुहा पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	140/1/1/2	0.980	0.900	
29	कलाबाई देवा देवकर जाति मोई पता अछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/1	0.405	0.405	
30	त्रेनबाई पत्नी शोबेशम जाति कुडनी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/2	0.558	0.558	
31	बभूलाल पिता नुनालाल जाति सभार पता निगासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/3	1.011	0.310	
32	लाटसिंह राकेश पिता बाभूलाल देवकुंवर पुत्री बाभूलाल जाति मीना पता मरहेती श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/1 16/1	1.741	0.370	
33	लखनलाल पिता हरिसिंह जाति मीना पता निवारी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 सधेशदास पिता अह जाति मीना पता निवारी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	52/5	0.251	0.160	
		46/11	0.350	0.200	
34	जगन्नाथ पिता नुनालाल जाति अमर पता मरहेती श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/8	1.113	0.550	
35	बाबुन सिंह पिता शारदा सिंह जाति गुजर पता निवारी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/2	0.291	0.200	
36	रीतादेवी पत्नी शंकरलाल जाति अमर पता अछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/4	0.749	0.690	
37	रशीद खां पिता घोस खां जाति मेवारी पता काठराबाद सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/5	0.789	0.789	
38	दीनसिंह पिता अट्टलाल जाति कुडनी पता निवारी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/7	0.829	0.225	

39	राजेश पिता भगवानसिंह जाति गीना पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2/3	0.053	0.055	
		46/3/2	0.045	0.025	
40	अनिल पिता भगवानसिंह जाति गीना पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2/4	0.057	0.025	
		46/3/3	0.040	0.025	
41	शुभिता बाई पत्नी तारसिंह जाति गीना पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/4	0.247	0.161	
42	सरिता बाई पत्नी राजसिंह जाति गीना पत्ता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/1	0.606	0.254	
43	जयसिंह पिता रामदयाल जाति गीना पत्ता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3, बनेसिंह पिता रामदयाल जाति गीना पत्ता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/5, प्रीतम सिंह पिता रामदयाल जाति गीना पत्ता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3	175/41/1	0.113	0.113	
44	दादाभाई बेच कमल सिंह जाति गीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 ताराबाई पुत्री कमल सिंह जाति गीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 ठाकुर प्रसाद पुत्र कमल सिंह जाति गीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 रामबाबू पुत्र कमल सिंह जाति गीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4	175/41/2	0.113	0.113	
45	गणू पिता बच्चूलाल जाति जगत पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/21/2	0.433	0.433	
46	धापूबाई पति बेच मदीप्रसाद जाति जगत पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	181/40	0.486	0.486	
47	ज्ञान सिंह पिता गिरीलाल जाति जगत पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/5	0.560	0.530	
48	कुमेर सिंह पिता मंगीलाल जाति जगत पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/9	0.560	0.560	

49	धामुबाई देवा बहीप्रसाद जाति चमार पता नरहेली श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/8	0.560	0.560	
50	रूप सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/6	0.560	0.540	
51	गूजडू पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/7	0.560	0.570	
52	आत्मारुम पिता दुर्गाप्रसाद जाति मेहतर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/10	0.560	0.560	
53	श्यामलाल पिता गहनलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/11	0.560	0.560	
54	रविस्वरूप पिता जगन्नाथ जाति चमार पता गरडेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/12	0.560	0.560	
55	राजाराम पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/13	0.560	0.560	
56	भाग सिंह पिता रामकिशन जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/14	0.560	0.560	
57	कामता पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/15	0.560	0.560	
58	बहीप्रसाद पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता नरहेली श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/16	0.560	0.560	
59	कमल पिता गंगवती जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/18	0.560	0.530	
60	प्रथमी सिंह पिता नन्तूलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/19	0.560	0.560	
61	बालचन्द्र पिता बरदू जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/20	0.560	0.560	

62	सोमबाई देवा शाहीरथ शिव पुत्र मजीरथ गैतबाई कैलाशबाई सुगनाबाई सुनीलबाई पुत्रिया भागीरथ जाति नगर पत्ता मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/21	0.560	0.070	
63	कालूराम पिता मिश्रीलाल जाति चमार पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/22	0.560	0.560	
64	सोश पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/23	0.560	0.560	
65	रामसिंह पिता हरिप्रसाद जाति चमार पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/17	0.560	0.030	
66	मुकेश पिता जमनप्रसाद जाति मीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/1	0.328	0.070	
67	सरिताबाई देवा तखत सिंह जाति मीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 अनिल पुत्र तखत सिंह जाति मीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुनील पुत्र तखत सिंह जाति मीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रवि पुत्र तखत सिंह जाति मीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 राज पुत्र तखत सिंह जाति मीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुमनबाई पिता तखत सिंह जाति मीना पत्ता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6	8/6	0.552	0.520	

65	रामकली बेवा श्रीकृष्ण जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 कैलाश पिता श्रीकृष्ण जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 राजन पिता श्रीकृष्ण जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 रामपत पिता श्रीकृष्ण जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 दिलीप पिता श्रीकृष्ण जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 सुंदरलाल पिता श्रीकृष्ण जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 गीताबाई पिता श्रीकृष्ण जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 जयपाल मंदू सवित पिता जगदीश कृष्णबाई बेवा जगदीश जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8	5/7	0.555	0.140	
69	रामकूल पिता लीलाकृष्ण जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/8	0.405	0.200	
70	हनुमंत सिंह जकरथ सिंह हेमराज सिंह आ रबू सिंह बधामी बाई शिप्रा बाई तुनी रबू सिंह जाति मीना पता नि. ग्राम भूमि स्वामी आइस्तांतरीय	3/2/1	1.606	0.310	
71	जकरथ सिंह पिता रबू सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी आइस्तांतरीय	3/2/2	0.567	0.240	
72	रमेश पिता परमसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी.	37/5	0.024	0.020	
		41/5	0.020	0.005	
73	विश्रामसिंह पिता मांगीलाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37/4	0.024	0.010	
		41/5	0.056	0.005	
74	नवल सिंह पिता जगन्नाथ पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/3	0.030	0.010	
75	अनर सिंह पिता जगन्नाथ जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/4	0.040	0.012	

76	मुकेश पिता पर्यतरिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/7	0.036	0.005	
77	सीनाबाई बेधा दिनेश अमोल नाबालिक शिवानो नाबालिक अ दिनेश जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/2	0.607	0.350	
		52/2/6	0.080	0.050	
78	विश्वसिंह पिता प्रदुलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/5	0.210	0.160	
		52/2/1	0.069	0.050	
79	हारकानसाद पिता कुंजीलाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	62/2/5	0.081	0.050	
80	शान्ति बई पत्नी जयन्नाथ जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/1/9	0.906	0.550	
81	रेखाबाई बेजा बेना रामगोपाल राजय ना बा प्रदोन ना बा आ रामगोपाल सोनु ना बा काजल ना बा पुत्री रामगोपाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2/9	0.607	0.100	
82	हरिचरण पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/1,185/115/9,185/115/10	1.425	0.750	
83	छोटेशन पिता गनपत जाति कुडमी पता निवासी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 गोकलप्रसाद पिता गनपत जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	115/3/2/1	2.345	0.900	
		115/4/1	0.500	0.050	
84	रमेश पुत्र श्रीकेशन जाति कुडमी पता निवासी आछारोई भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/2/2/1, 115/9,185/115/10	0.782	0.360	
		115/4/2/2	0.166	0.090	
85	धर्मद पुत्र श्रीकेशन जाति कुडमी पता निवासी आछारोई भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/2/2/2, 115/9,185/115/10	0.782	0.090	
		115/4/2/2	0.167	0.020	

86	फूलसिंह पुत्र श्रीकिशन जाति कुड़मी पता निवासी आछापोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश गृणि रवागी	115/4/2/3	0.166	0.010	
87	रामनारायण पिता रामप्रसाद जाति कुड़मी पता आछापोही सीहोर मध्य प्रदेश गृणि रवागी	114/1	1.847	1.340	
88	रामसिंह पिता मंवरलाल जाति कुड़मी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114/2	0.491	0.540	
89	सुनील पिता रामप्रसाद जाति कुड़मी पता आछापोही सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114/4	1.845	0.040	
90	हेमराव पिता मदनलाल जाति कुड़मी पता मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश गृणि रवागी	114/5	0.530	0.080	
91	अब्दुल अली पिता समद खॉ जाति सेवती पता सीहोर मध्य प्रदेश गृणि रवागी	101/2/3	2.606	1.020	
92	हिरदेश पिता श्यामलाल जाति कुड़मी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/5,125,126	0.623	0.100	
93	गायत्रीबाई पत्नी रामय्याल जाति कुड़मी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि रवागी	124/8,125,126	0.789	0.100	
94	जगदीश पिता लीलकिशन जाति कुड़मी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/17,175,126	0.607	0.030	
95	जनानाथ आ नन्दरान छि 25 पैसे रामरत्न आ लक्ष्मिकेशन छि 25 पैसे दीपसिंह आ मन्मथलाल छि 25 पैसे रामनौनाल आ गंगाराम छि 25 पैसे जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम चरनाल भूमि स्वामी	124/18,125,126	0.263	0.120	
96	रामरवरूप पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश गृणि रवागी	128/3	0.202	0.207	
		128/19	1.011	0.080	
97	रमदयाल पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश गृणि रवागी	128/12/1	0.226	0.130	
		140/1/2/2/1	0.114	0.100	
98	दौलतसिंह पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/12/2	0.227	0.080	
		140/1/2/2/2	0.113	0.100	
99	परवतसिंह पिता रमदयाल जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश गृणि रवागी	128/13	0.453	0.060	
100	मोशहोद पिता नर्मदोज जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/17	0.186	0.020	

101	हेमसिंह पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पत्ता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/18	1.011	0.580	
102	प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पत्ता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 राजेन्द्र पिता शंकरलाल जाति चमार पत्ता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुनील पिता शंकरलाल जाति चमार पत्ता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 अनिल पिता शंकरलाल जाति चमार पत्ता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4	128/20	0.607	0.550	
103	दीपककुमार पिता रामरत्न जाति देशवाली पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/21	0.405	0.405	
104	ओमप्रकाश पुत्र हरिहराज जाति नाई पत्ता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/22/1	0.780	0.580	
105	गोपीलाल पिता मिश्रीलाल जाति तेली पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/22/2	0.189	0.180	
106	श्यामलाल पिता लक्ष्मण जाति गुजर पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/23	0.293	0.180	
107	विहमसिंह पिता निर्मय सिंह जाति गुजर पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुनेरसिंह पिता निर्मय सिंह जाति गुजर पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 बबलू पिता निर्मय सिंह जाति गुजर पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3	128/24	0.291	0.200	
108	बद्रीप्रसाद पिता कमलसिंह जाति गुजर निवासी पत्ता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/25	0.291	0.210	
109	प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पत्ता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/26	1.011	0.190	
110	राजेश्वर पिता बालीराम जाति जाहू पत्ता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	131/2	1.214	0.450	
111	सुवर्णसिंह पिता रामलाल जाति गुजर पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1/2/3	0.226	0.195	
112	जगदीशसिंह पिता अमर सिंह जाति गुजर पत्ता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1/2/4	0.417	0.260	

113	बनेसिंह पुत्र गंगादाग जाति गूजर पता भरहेटी इयागपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1/2/1/1	0.455	0.360	
114	मेहरवानसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता भरहेटी इयागपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1/2/1/2	0.455	0.360	
115	दीपसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/3	0.412	0.300	
116	सुरजसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/4	0.413	0.285	
117	जखनलाल पिता बट्टूलाल जाति जन्त्य पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/24/3	0.220	0.220	
118	इस्माईलखॉं पिता रसूलखॉं जाति भेवाही पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	182/98/4	1.619	1.329	
119	नरेंद्रसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता आजरोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 महेन्द्रसिंह पिता मवरलाल जाति राजपूत पता आजरोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	184/2,12/3	1.647	0.700	
120	रामकृष्णबाई पत्नी गोरेलाल जाति कुड़मी पता भरहेटी इयागपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/4	1.519	1.120	
121	रागकलीबाई पत्नी गोवल प्रसाद पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/5	0.558	0.530	
122	कौशल्याबाई पति वामदासदाद गोरेबाबाई पति लीलाकिशन गोताबाई पति मालाप्रसाद विनला पति राधेश्याम जाति कुड़मी पता नं. 30/3 रोड़ी भूमि स्वामी	185/115/6	1.121	0.700	
123	रागकिशन पुत्र मूत्या जाति नमर पता भरहेटी इयागपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/7	1.517	0.450	
124	रवि पिता हेमसिंह जाति देरावाली पता मेरुपुरा इयागपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 दीपक पति रामसरूप जाति देशवली पता मेरुपुरा इयागपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	185/9 115	0.405	0.405	
कुल योग :-		149	91.964	46.646	

निजी भूमि पर स्थित मकान								
सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम/पता	खसरा नम्बर	मकान का प्रकार	लगाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भवन स्वामी नाम	टिप्पणियाँ
1	मे संदिह पित्त नवीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 भो सलीम पित्त नवीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 मो शाहिद पित्त नवीखा जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 रफीक नौ पुत्री नवीखा जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 जाहिदा बी पुत्री नवीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 शरजादी नौ पुत्री नवीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8	182/98/3 में 3	गहना मकान छत आर सी. सी. भूतल	12.85	8.9	113.18	गोपारिक पित्त नदी खां जाति मेवाती	1. भवन का स्थानित 2. अधिदेहारी द्वारा दी गई सहायता के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में लया है। 2. अज्ञित भूमि का मुआयजा पूर्ण में नू अर्ज- प्र.क्र. 14/21 82/ 2019-20 में परित्त अगस्त दिनांक 09.05 2022 में निर्धारित किया जा चुका है। 3. उक्त भवन में भवन स्वामी अस्थाई रूप में नियोजित है। 4. अस्थाई नियोजित होकर वर्तमान में एन. 182/98/3/2 होकर कार्यपालन मंत्री उक्त संसाधन संयोजन नवीखां जाति मेवाती के नाम पर है।
			गहना मकान छत आर सी. सी. भूतल	3.85	4.65	17.90		
			पक्का मकान छत आर सी. सी. प्रथम तल	4.10	4.35	17.84		
			खुला टीन रोड	11.45	7.45	85.30		
			पशु रोड टीन	9.00	3.95	35.55		
			शौचालय	2.20	1.5	3.30		
				कुल योग:-	272.97			

1. भूमि के नक्शे (प्लान)-आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरान्त धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

राज्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अहायक, कलेक्टर एवं पतेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 3 सितंबर, 2024

क्र. भू अर्जन-2024-7371-रा. प्र. क्र. 0001-अ-82-2024-25.-बूटि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि विस्तार सचै क्रमांक 12 के विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के लगबंदों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनियमित भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलसंगत सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, गोजाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं उद्योग-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाप्ता निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक रुझावितकरण और सामाजिक-अर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित, नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं शान्ति स्थापना हेतु,	11.810 हे.

अनुसूची (2)

(1) भूमि का विवरण -				
सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	80	कार्यपालन गंदा,	औद्योगिक क्षेत्र	
2.	89	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम	
3.	90	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के	
4.	91	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	81/1	0.500	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
6.	82/2	0.100	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
7.	84	0.110	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
8.	85/1	0.270	उज्जैन	विस्तारीकरण हेतु,
9.	86	0.170		
10.	87	0.240		
11.	81/2	0.900		
12.	82/1	0.220		
13.	83	0.140		
14.	85/2	0.130		
15.	92	0.180		
16.	93/1	1.150		
17.	93/2	1.000		
18.	93/3/1	0.900		
19.	93/3/2	0.100		
20.	94/1	0.200		
21.	94/2	0.600		
22.	94/3	1.000		
23.	94/4/1/1	0.100		
24.	94/4/1/2	0.400		
25.	94/4/2	0.500		
26.	94/5/1	0.800		
27.	94/5/2	0.200		
योग		17.810		

(2) अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन वध उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर फिर भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (प्रायोग) कार्यालय में देखा जा सकता है।

ए. भू अर्जन-2024-7372-रा. प्र. क्र. 0007-अ 82 2024 25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिसूचित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका संप्रदायिक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नलिखित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आरव्य की सूचना दी जाती है।

कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनियमित भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा। अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य सरकार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (द) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करेगा है।

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, गौपल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम-जनता के व्यापक एवं दुःसहनी जिलों से है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निवर्तन किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोहाहेतु में है, साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :

अनुसूची (1)

विवरण	अंकित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र सज्जन हेतु.	90.570 हे.

अनुसूची (2)

(1) भूमि का विवरण		(2) उज्जैन		(3) सज्जन (ग्रामीण)		(4) रैनपुर इंतखेड़ी		(5) 90.570 हेक्टर	
क्र.	सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	88/1/1/1	0.410	कार्यनालन यंत्री.	औद्योगिक क्षेत्र					
2.	88/1/1/2	1.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम					
3.	88/1/2/1	0.800	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के					
4.	88/1/2/2	1.000	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.					
5.	88/2/1	0.200							
6.	88/2/2	0.400							
7.	90/1/1	0.740							
8.	90/1/2	1.000							
9.	90/2/1	0.250							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	90/2/2	0.800	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
11.	91	0.690	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
12.	95	2.520	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
13.	96	0.890	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
14.	98	1.220		
15.	99	1.690		
16.	100/1	2.800		
17.	100/2	2.010		
18.	101	1.920		
19.	102/1	1.340		
20.	102/2	1.340		
21.	103/1	1.080		
22.	103/2	2.490		
23.	104/1	0.120		
24.	104/2	0.790		
25.	104/3	0.790		
26.	106/1	0.600		
27.	106/2	1.400		
28.	107	0.770		
29.	108/1	0.500		
30.	108/2	1.140		
31.	106/3	0.560		
32.	109/1	5.690		
33.	109/2	1.100		
34.	109/3/1	0.400		
35.	109/3/2	0.400		
36.	110/1	0.200		
37.	110/2/1	0.590		
38.	110/2/2	0.290		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39.	110/3/1	0.020	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
40.	110/3/2	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
41.	110/4/1	0.110	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
42.	110/4/2	0.090	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
43.	111	0.930		
44.	112/1/1	1.500		
45.	112/1/2	1.500		
46.	112/2	1.270		
47.	112/3	1.700		
48.	112/4/1	0.670		
49.	112/4/2	0.200		
50.	112/5	1.200		
51.	113	2.510		
52.	114/1	2.400		
53.	114/2/1	0.200		
54.	114/2/2/1	1.200		
55.	114/2/2/2	2.890		
56.	116/1	2.720		
57.	116/2	0.110		
58.	117/1/1	0.700		
59.	117/1/2	0.700		
60.	117/2	0.700		
61.	118/1/1	0.120		
62.	118/1/2	0.230		
63.	118/2	0.350		
64.	118/3	0.360		
65.	118/4	0.360		
66.	119	0.810		
67.	120/1	0.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68.	120/7	0.050	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
69.	121	0.310	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
70.	122	0.360	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
71.	123/1	0.080	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
72.	123/2	0.440		
73.	124	0.360		
74.	125	1.590		
75.	126	2.420		
76.	127/1	0.080		
77.	127/2	0.750		
78.	127/3	0.500		
79.	127/4	0.540		
80.	127/5	0.200		
81.	128/1	0.120		
82.	128/2	0.160		
83.	128/3/1	0.410		
84.	128/3/2	0.400		
85.	129/1	0.470		
86.	129/2	0.420		
87.	129/3	0.780		
88.	130/1	0.450		
89.	130/2	1.020		
90.	131	0.640		
91.	132	1.640		
92.	133/1/1	0.180		
93.	133/1/2	0.180		
94.	133/2	0.700		
95.	134	0.660		
96.	135/1	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
97.	135/2	0.500	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
98.	135/3	0.400	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
99.	135/4	0.200	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
100.	135/5	0.290	उज्जैन	विस्तारीकरण हेतु
101.	136	1.240		
102.	137/1	0.480		
103.	137/2	0.200		
104.	137/3	0.300		
105.	137/4	0.300		
106.	138	0.210		
107.	139	0.250		
108.	140/1/1	0.100		
109.	140/1/2	0.770		
110.	140/2/1/1	0.100		
111.	140/2/1/2	0.100		
112.	140/2/2	0.100		
113.	141/1	0.570		
114.	141/3	0.570		
	कुल रकम	90.570		

(2) अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन तथा उपरोक्त इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के कार्यालय (कार्यालय, कलेक्टर की नू-उज्जैन शाखा) आक्षेप यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (मान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.-भू-अर्जन 2024-7373-रा. प्र. क्र. 0003 अ 82 2024-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्गित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता मढ़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास्तव और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनवर्धित भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय परा भूमि पर कोई विवर्तनम सृजित नहीं

द्वारा राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विभाग उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, गोंडाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समतुल्य निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन यू अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा किया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना को कि लोकहित में है, साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक को नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
विक्रम उद्योगपुरी लि. गिरेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं सामाजिक उत्थान हेतु,	22.62 है.

अनुसूची (2)

(1) भूमि का विवरण -

(क) जिला	: उज्जैन
(ख) पंचशाल	: उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	: दिपलौदा द्वाराकाधीश
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	: 22.62 हेक्टेयर.

क्र.	सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	208	0.500	कार्यपालन यंत्रों,	औद्योगिक क्षेत्र
2.	217	0.500	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	218	0.670	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
4.	221/1	1.700	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु,
5.	221/2	1.400		
6.	221/3	0.530		
7.	221/4	0.530		
8.	221/11	0.500		
9.	221/12	0.500		
10.	221/13	0.500		
11.	221/14	0.500		
12.	221/15	0.500		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	221 / 16	0.500	कार्यपालन यंत्री,	कार्यपालन यंत्री,
14.	221 / 7	0.500	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
15.	209 / 1	1.220	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि., जिला
16.	209 / 2	0.400	उज्जैन	उज्जैन
17.	210 / 1	2.810		
18.	210 / 2	1.000		
19.	211	2.280		
20.	214	0.460		
21.	216	0.580		
22.	212	0.080		
23.	213	0.800		
24.	215	0.800		
25.	219 / 1 / 1	0.300		
26.	219 / 1 / 2 / 1	0.320		
27.	220 / 1 / 1	0.270		
28.	219 / 1 / 2 / 2	0.180		
29.	220 / 1 / 2	0.110		
30.	219 / 1 / 2 / 3	0.320		
31.	220 / 1 / 3	0.270		
32.	219 / 2 / 1	0.310		
33.	220 / 2 / 1	0.180		
34.	219 / 2 / 2	0.320		
35.	220 / 2 / 2	0.180		
36.	221 / 6	0.800		
	कुल रकबा	22.62		

(2) अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी प्रकृत व्यक्त द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के सामक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों, यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-गु-अर्जन 2024-7374-रा. प्र. क्र. 0004-अ-52-2024 25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिभूति हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन फुवॉसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उनी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अर्थात् कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अर्थात् कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम-जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समावात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन गु-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के अर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोचलित में है साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :

अनुसूची (1)

विवरण	उल्लेखित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं सामग्र उन्नयन हेतु	31.550 हे.

अनुसूची (2)

क्र.	सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकम (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1) भूमि का विवरण -				
	(क) जिला	:	उज्जैन	
	(ख) तहसील	:	उज्जैन (ग्रामीण)	
	(ग) ग्राम	:	मुंजाखेड़ी	
	(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:	31.550 हेक्टेयर	
1.	1/1	0.150	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
2.	1/2	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	2/1	0.800	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि., के
4.	2/2	0.150	उज्जैन	विस्तारीकरण हेतु
5.	3	0.500		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	4/1	0.050	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
7.	4/2	0.300	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
8.	4/3	0.130	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
9.	5	0.050	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
10.	6	0.400		
11.	7	0.330		
12.	8/1	0.170		
13.	8/2	1.210		
14.	9/1	0.100		
15.	9/2	0.190		
16.	33/1	0.020		
17.	33/2	0.460		
18.	33/3	0.150		
19.	33/4	0.060		
20.	35	0.420		
21.	37/1	1.520		
22.	37/2	0.180		
23.	38/1	0.170		
24.	38/2	0.480		
25.	38/3	0.090		
26.	39/1	0.780		
27.	39/2	0.500		
28.	40/1	0.120		
29.	40/2	0.250		
30.	47	0.150		
31.	43	0.110		
32.	44	1.530		
33.	45	0.050		
34.	46	0.120		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	47	0.070	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
36.	48	0.020	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
37.	49	0.800	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
38.	54	0.660	उज्जैन,	विस्तारीकरण हेतु,
39.	55	1.090		
40.	56/1	0.070		
41.	56/2	0.060		
42.	56/3	0.080		
43.	56/4	0.060		
44.	57/1	1.030		
45.	57/2	1.040		
46.	59	0.800		
47.	60	0.800		
48.	61/1	0.500		
49.	61/2	0.300		
50.	67/1	0.240		
51.	67/2	0.300		
52.	67/3	0.140		
53.	67/4	0.570		
54.	67/5	0.560		
55.	41/1	0.500		
56.	41/2	0.100		
57.	53	0.100		
58.	68/1	0.180		
59.	68/2	0.200		
60.	68/3	0.200		
61.	68/4	0.200		
62.	64	0.870		
63.	71	0.760		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	72/-	0.310	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
65.	72/2	0.620	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
66.	75/1	0.800	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
67.	75/2/1	0.200	उज्जैन	विस्तारीकरण हेतु
68.	75/2/2	0.050		
69.	10/1	0.750		
70.	10/2	0.600		
71.	11	0.40		
72.	13/1	1.220		
73.	13/2	0.110		
74.	13/3	0.210		
75.	76/1	0.260		
76.	76/2/1	0.260		
77.	76/2/2/1/1	0.080		
78.	76/2/2/1/2	0.120		
79.	76/2/2/2	0.100		
	कुल रकम	31.550		

(2) अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन क्या उपरोक्त इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा शूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आवेदनों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (मान) अनुविभागीय अधिकारी (र.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन 2024-7375-रा. प्र. क्र. 0305 अ 62-2024-25.-द्वारे, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित शूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में लचित प्रतिकर और पर्यवेक्षण का अधिवार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार शमी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुर हो जाने तक अधिसूचना में विनियमित भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उक्त भूमि पर कोई विल्लंगन सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (1) में उल्लेखित अधिवारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 धार 11 की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश

शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं काम चलापता के व्यय एवं दूरगामी हितों से है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक समाधान निर्धारण किया गया, जिसका नूल्यांकन भू-अर्जन, अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सड़क योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकासात्मक और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोफंडिस में है, साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होने प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति अपरिहार्य नहीं है :-

अनुरूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तार हेतु औद्योगिक विकास एवं सड़क चलापन हेतु,	46.760 हे.

अनुसूची (2)

(1) भूमि का विवरण -

(क) जिला	:	उज्जैन
(ख) तहसील	:	उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	:	गण्डी
(घ) निम्नी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:	46.760 हेक्टेयर.

क्र.	सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	198	1.210	कार्यपालन संजी.	औद्योगिक क्षेत्र
2.	200	0.370	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	198	0.100	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
4.	197	0.560	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
5.	196	0.580		
6.	195 / 1	0.630		
7.	235 / 2	0.590		
8.	235 / 1	0.600		
9.	234	1.180		
10.	233 / 2	0.790		
11.	233 / 1	0.380		
12.	232	0.400		
13.	231 / 2	1.000		
14.	203 / 3	0.600		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	203/2	0.680	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
16.	203/1/2	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
17.	203/1/1/2	0.100	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
18.	203/1/1/1	0.480	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
19.	202/3	0.500		
20.	202/2	0.510		
21.	202/1	1.010		
27.	201	2.090		
23.	229/1	0.690		
24.	230	2.090		
25.	220	0.830		
26.	221	0.250		
27.	222	0.220		
28.	218	0.230		
29.	217	0.230		
30.	216	0.220		
31.	229/2/2	0.500		
32.	229/2/1	0.180		
33.	229/3	0.680		
34.	228	0.110		
35.	227	0.100		
36.	226	0.100		
37.	225	0.780		
38.	224	0.390		
39.	223	0.400		
40.	215	0.340		
41.	214	0.300		
42.	213	0.310		
43.	208	0.290		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	207	0.180	करुततुतुतु सुतुतु,	ओओतुतु सुतु
45.	208	0.110	ओओतुतुतुतु वलतुतु	ओओतुतुतुतु वलतुतु
46.	205	0.290	ओओतुतुतुतु लल, तलल	ओओतुतुतुतु लल, कु
47.	204/2/2	0.330	ओओतुतु	वलसुतुतुतुतु सुतु
48.	204/2/1	0.330		
49.	204/1	0.340		
50.	208	0.290		
51.	210	0.300		
52.	211/2	0.110		
53.	211/1	0.110		
54.	212/1/3	0.410		
55.	212/1/2	0.410		
56.	212/1/1	0.420		
57.	212/4	0.410		
58.	258	0.870		
59.	259/1	0.590		
60.	259/2	0.100		
61.	261/1	0.100		
62.	262/2	0.140		
63.	279/1	0.220		
64.	279/2	0.860		
65.	279/3	0.200		
66.	280/1	1.700		
67.	280/2	0.400		
68.	281	1.900		
69.	282/1	0.470		
70.	282/2	0.800		
71.	282/3	0.800		
72.	283	0.940		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73.	284	0.460	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
74.	285	0.460	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
75.	286	0.470	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
76.	287	0.520	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
77.	288 / 1	0.840		
78.	288 / 2	0.380		
79.	288 / 3	0.650		
80.	289	1.870		
81.	290 / 1	0.670		
82.	290 / 2	0.600		
83.	290 / 3	0.200		
84.	295 / 1	0.180		
85.	295 / 2	0.700		
86.	295 / 3	0.840		
87.	260	0.240		
कुल रकबा		46.760		

(2) अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन वशा उपबंधित इस सूचन की तारीख से 80 (एठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में फ्लेक्टर के रासद (कार्यालय, फ्लेक्टर को भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (र.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू अर्जन-2024-7376-रा. प्र. क्र. 0002-अ अ 2024 25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अभियन्त हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सचे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्जन्मस्थापन में उचित प्रतिकार और नारदाशिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन व्यवसाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विज्ञानम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी जो उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है. जो मध्यप्रदेश.

शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, नेपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाचार निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है, साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होगा प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रसारण की निष्पत्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण	उक्ति की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु	38.81 हे.
औद्योगिक विकास एवं समाज उत्थरण हेतु.	

अनुसूची (2)

(1) भूमि का विवरण —

(क) जिला	:	उज्जैन
(ख) तहसील	:	उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	:	कड़वा
(घ) निजी भूमि का आंशिक कुल क्षेत्रफल	:	38.810 हेक्टर.

क्र.	सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकम (हेक्टे. में)	धारा 17 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	452	2.700	कार्यपालन यंत्रों.	औद्योगिक क्षेत्र
2.	453	0.740	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	460/1	0.750	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
4.	480/2	0.090	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
5.	460/3	0.040		
6.	461	0.410		
7.	462	0.600		
8.	463	0.600		
9.	464	1.520		
10.	465	0.570		
11.	466	0.900		
12.	467/1	1.420		
13.	487/2	2.700		
14.	468	2.500		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	469	0.870	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
16.	470	4.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
17.	471	2.540	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
18.	472	0.580	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु,
19.	473	1.150		
20.	474	0.470		
21.	475	0.240		
22.	476	0.350		
23.	477	0.300		
24.	478	0.610		
25.	479	0.790		
26.	480/1	0.710		
27.	480/2	0.750		
28.	480/3	0.750		
29.	481/1	1.540		
30.	481/2	1.100		
31.	482	4.040		
32.	431/1	0.490		
33.	431/2	0.480		
34.	441/1	0.190		
35.	441/2	0.180		
36.	458	0.630		
कुल रकबा		38.910		

(2) अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उल्लेखित द्वारा सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में फ्लेक्टर के माध्यम (कार्यालय, फ्लेक्टर की भू अर्जन शाखा) जादोपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है।

ल. भू अर्जन-2024-7377-रा. प्र. क्र. 0006 अ 82-2024-25.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिराफा शर्मा क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 को उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विव्हाग सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

इस कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारोत्तरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, गंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं उद्योग जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाधार निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा किया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. राज्य ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक को नियुक्ति आवश्यक नहीं है :

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समाज उन्नयन हेतु.	231.078 हे.

अनुसूची (2)

क्र.	सर्वे नम्बर	भूमि का विवरण	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(क)	(3)	(4)	(5)
		(क) जिला		उज्जैन	
		(ख) तहसील		उज्जैन (ग्रामीण)	
		(ग) ग्राम		नखर	
		(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल		231.078 हेक्टेयर.	
1.	56		0.250	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
2.	57		0.420	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	61		1.320	उद्योगपुरी लि. जिला	उद्योगपुरी लि. के
4.	62		1.340	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
5.	64		1.510		
6.	65		1.710		
7.	66		2.950		
8.	68		1.120		
9.	70		1.400		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	71	0.820	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
11.	72	1.190	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
12.	73/1	0.820	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
13.	73/2	0.600	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु,
14.	78	2.150		
15.	488	1.130		
16.	490	1.120		
17.	508	0.610		
18.	509	0.180		
19.	510	0.180		
20.	511	0.790		
21.	512	0.630		
22.	513	0.700		
23.	515	1.250		
24.	521	2.790		
25.	523	2.270		
26.	484/1	0.880		
27.	488/2	0.200		
28.	491/1	1.120		
29.	481/2	0.030		
30.	491/3	0.010		
31.	507/1	0.410		
32.	507/2	0.200		
33.	514/1	0.400		
34.	514/2	0.270		
35.	516/1	2.620		
36.	516/2	0.970		
37.	516/3	0.770		
38.	517/1	0.720		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39.	517 / 2	1.690	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
40.	518 / 1	1.980	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
41.	518 / 2	1.980	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
42.	518 / 3	1.980	उज्जैन	विस्तारीकरण हेतु
43.	52 / 1	0.380		
44.	52 / 7	0.380		
45.	520 / 1	0.140		
46.	520 / 2	0.150		
47.	520 / 3	0.150		
48.	520 / 4	0.150		
49.	522 / 1	0.930		
50.	522 / 2	0.820		
51.	53 / 1	0.830		
52.	53 / 2 / 1	0.420		
53.	53 / 2 / 2	0.420		
54.	53 / 3	0.840		
55.	53 / 4	0.830		
56.	54 / 1	1.000		
57.	54 / 2	1.000		
58.	59 / 1	1.480		
59.	59 / 2	1.480		
60.	59 / 3	1.480		
61.	59 / 4	1.480		
62.	60 / 1	1.400		
63.	60 / 2	0.080		
64.	65 / 1920	1.540		
65.	68 / 1930	0.840		
66.	69 / 1	0.520		
67.	69 / 2	1.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68.	41/1	0.260	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
69.	41/2	0.360	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
70.	42/1	1.090	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
71.	43	1.120	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
72.	44/1	0.660		
73.	44/2	0.290		
74.	44/3	0.640		
75.	45/1/1/1	0.400		
76.	45/1/1/2	0.200		
77.	45/2/2	0.080		
78.	45/2/3	0.210		
79.	46/1	0.200		
80.	47/1/1	0.100		
81.	47/1/2	0.350		
82.	47/2	0.100		
83.	47/3	0.420		
84.	48/1	0.580		
85.	48/2	0.260		
86.	48/3	0.170		
87.	49	2.090		
88.	77/1	0.520		
89.	77/2	0.200		
90.	80/1/1	0.410		
91.	80/1/2	0.130		
92.	80/1/3	0.090		
93.	80/2	0.800		
94.	81/1	1.040		
95.	81/2/1	0.953		
96.	81/2/2	0.465		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
97.	81/3	1.020	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
98.	81/4	1.020	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
99.	288/1	0.520	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
100.	288/2	0.520	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
101.	225/1	1.000		
102.	228/2	0.000		
103.	229/1	2.000		
104.	229/2/1	0.640		
105.	229/2/2	0.100		
106.	229/3	0.740		
107.	230/1	1.050		
108.	230/2	0.550		
109.	230/3	0.500		
110.	230/4	1.050		
111.	230/5	0.640		
112.	230/6	0.400		
113.	231	0.830		
114.	232/1	0.960		
115.	232/2/1	0.300		
116.	232/2/2	0.300		
117.	233/1/1	0.290		
118.	233/1/2	0.330		
119.	233/2	0.200		
120.	233/3	0.400		
121.	234	1.470		
122.	235/1	0.520		
123.	235/2	0.590		
124.	236	1.040		
125.	237	0.830		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
126.	238 / 1	0.400	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
127.	238 / 2	0.810	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
128.	239 / 1 / 1	0.270	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
129.	239 / 1 / 2	0.730	उज्जैन,	विस्तारीकरण हेतु,
130.	239 / 2	0.360		
131.	240	0.110		
132.	241 / 1	0.520		
133.	241 / 2	0.520		
134.	242	0.850		
135.	243 / 1	0.920		
136.	243 / 2	0.500		
137.	243 / 3	0.260		
138.	244 / 1	0.980		
139.	244 / 2	0.980		
140.	245	1.070		
141.	246 / 1	0.780		
142.	246 / 2 / 1	0.520		
143.	246 / 2 / 2	0.480		
144.	247 / 1 / 1	0.350		
145.	247 / 1 / 2	0.290		
146.	247 / 2 / 2	0.650		
147.	247 / 2 / 3	0.310		
148.	247 / 4	0.050		
149.	248 / 1 / 2	0.100		
150.	248 / 1 / 3	0.140		
151.	248 / 2	0.100		
152.	248 / 4	0.020		
153.	249 / 1	0.340		
154.	249 / 2	0.310		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
155.	250 / 1	0.410	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
156.	250 / 2	0.370	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
157.	250 / 3	0.300	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
158.	251 / 1	0.400	उज्जैन	विस्तारीकरण हेतु,
159.	251 / 2	0.400		
160.	252	0.800		
161.	253	0.620		
162.	254	0.620		
163.	255	0.800		
164.	256	0.760		
165.	257	0.790		
166.	258	0.790		
167.	259	1.920		
168.	260	1.920		
169.	261	4.840		
170.	262 / 1	0.300		
171.	262 / 2	1.190		
172.	263	1.040		
173.	264 / 1	2.000		
174.	264 / 2	2.000		
175.	264 / 3	2.000		
176.	265	0.620		
177.	266	0.620		
178.	267 / 1	0.400		
179.	267 / 2	0.030		
180.	267 / 3	0.390		
181.	267 / 4	0.180		
182.	268	0.410		
183.	269	0.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
184.	270	0.210	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
185.	271	0.420	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
186.	272	0.420	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
187.	273	0.620	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
188.	274	0.630		
189.	275 / 1	0.580		
190.	275 / 2	1.210		
191.	276 / 1	0.170		
192.	276 / 2	1.210		
193.	276 / 3	0.170		
194.	277 / 1	1.090		
195.	277 / 2	0.520		
196.	278	0.450		
197.	279 / 1	0.380		
198.	279 / 2	0.280		
199.	280	0.880		
200.	283 / 1	0.850		
201.	283 / 2	2.840		
202.	283 / 3	0.520		
203.	284 / 1	0.510		
204.	284 / 2	1.050		
205.	284 / 3	0.280		
206.	287 / 1	1.290		
207.	287 / 2	0.490		
208.	289	1.040		
209.	347	0.320		
210.	348	0.350		
211.	349	0.630		
212.	350	0.350		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
213.	351	0.970	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
214.	352 / 1	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
215.	352 / 1 / 2	0.080	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
216.	352 / 2	0.400	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
217.	353 / 1 / 1	0.180		
218.	353 / 1 / 2 / 1	0.020		
219.	353 / 1 / 2 / 2	0.030		
220.	353 / 1 / 2 / 3	0.030		
221.	353 / 2 / 1	0.110		
222.	353 / 2 / 2	0.170		
223.	353 / 2 / 3	0.170		
224.	354 / 1	0.420		
225.	354 / 2 / 1	0.240		
226.	354 / 2 / 2 / 1	0.060		
227.	354 / 2 / 2 / 2	0.040		
228.	354 / 2 / 2 / 3	0.020		
229.	354 / 3 / 1	0.160		
230.	354 / 3 / 2	0.150		
231.	354 / 3 / 3	0.050		
232.	356	1.820		
233.	357 / 1	0.250		
234.	357 / 2	0.510		
235.	358 / 1	0.210		
236.	358 / 2	0.210		
237.	358 / 3	0.210		
238.	358 / 4 / 1	0.750		
239.	358 / 4 / 2	0.470		
240.	359 / 1	0.940		
241.	359 / 2	0.740		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
242.	360	1.860	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
243.	361 / 1	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
244.	361 / 2	0.200	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
245.	361 / 3 / 1	0.310	सज्जन,	विस्तारीकरण हेतु,
246.	361 / 3 / 2	0.520		
247.	361 / 4	0.830		
248.	361 / 5 / 1	0.150		
249.	361 / 5 / 2	0.250		
250.	362 / 1	0.130		
251.	362 / 2	0.710		
252.	363 / 1	0.870		
253.	363 / 2	0.870		
254.	364	0.960		
255.	365	0.900		
256.	366	1.130		
257.	367	0.970		
258.	368 / 1	0.680		
259.	368 / 2	0.330		
260.	369	0.850		
261.	370	1.130		
262.	371 / 1	1.100		
263.	371 / 2	0.440		
264.	371 / 3	0.100		
265.	372	0.150		
266.	373	0.180		
267.	374	0.280		
268.	375	0.200		
269.	376	0.200		
270.	377	0.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
271.	380 / 1	0.610	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
272.	380 / 2	0.620	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
273.	380 / 3	0.170	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. कं
274.	381 / 1	0.300	उज्जैन	विस्तारीकरण हेतु,
275.	381 / 2	0.480		
276.	381 / 3	0.380		
277.	381 / 4	0.040		
278.	382 / 1	0.580		
279.	382 / 2	0.020		
280.	383 / 1	0.920		
281.	463 / 1	0.150		
282.	463 / 2	0.200		
283.	463 / 3	1.400		
284.	464	1.750		
285.	473 / 1	0.030		
286.	473 / 2	0.030		
287.	474	1.470		
288.	475	0.530		
289.	476	1.190		
290.	477	0.080		
291.	478	0.050		
292.	479 / 1	0.220		
293.	479 / 2	0.040		
294.	480	0.080		
295.	481	0.350		
296.	482 / 1	0.690		
297.	482 / 2	0.380		
298.	482 / 3	0.170		
299.	483 / 1	0.300		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
300.	483 / 2	0.420	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
301.	483 / 3	0.130	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
302.	484	0.400	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
303.	485	2.600	उज्जैन,	विस्तारीकरण हेतु,
304.	486	0.580		
305.	497 / 1	0.140		
306.	497 / 2	0.140		
307.	497 / 3	0.140		
308.	498 / 1	0.920		
309.	498 / 2	0.140		
310.	498 / 3	0.140		
311.	499	0.140		
312.	500	0.170		
313.	501	1.250		
314.	502 / 1	0.270		
315.	502 / 2	1.120		
316.	502 / 3	0.170		
317.	502 / 4	0.500		
318.	503 / 1	0.100		
319.	503 / 2	0.200		
320.	503 / 3	1.180		
321.	504 / 1	0.040		
322.	504 / 2	1.180		
323.	549 / 1 / 1	0.690		
324.	549 / 1 / 2	0.400		
325.	549 / 2	0.020		
326.	549 / 3	0.180		
327.	560 / 1	0.020		
328.	560 / 2	1.090		
329.	560 / 3	0.180		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
330.	561/1	0.360	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
331.	561/2	0.180	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
332.	561/3	0.360	उद्योगपुरी लि., जिला	उद्योगपुरी लि. के
333.	562	0.140	उज्जैन.	विस्तारीकरण हेतु.
334.	563	0.620		
335.	565/1	0.380		
336.	565/2	0.380		
337.	566	1.050		
338.	540	0.780		
339.	547/1	0.550		
340.	547/2	0.700		
341.	547/3	0.200		
342.	548	1.020		
343.	550/1	0.270		
344.	550/2	0.270		
345.	564/1	0.210		
346.	564/2	0.210		
347.	505/1	0.420		
348.	505/2	0.530		
349.	505/3	0.930		
350.	290	1.250		
351.	291	1.300		
352.	355/1	0.260		
353.	355/2	1.200		
	कुल एकता	231.078		

(2) अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपरोक्त इत सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की शू अर्जन शाखा) आपत्तियाँ यावे लोई हो लाईल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (श.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्य प्रदेश के राजपत्र के नाम से यथा उपरोक्त अनुसार.

नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया,
जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश**

घट्टिया, दिनांक 8 सितम्बर 2024

प्रारूप-1147

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. भू.-अर्जन-2024-1147 ज. क्र. 0001-अ-82 2024-25-अ.प.एच, राज्य सरकार को लोफाहेला में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कानून अथवा कानून के अंतर्गत परियोजना के अंतर्गत कानून नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जामलपुर, तहसील उज्जैन से ग्राम सिगावदा, तहसील घट्टिया तक काल निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन बोर्ड, जल संसाधन संरक्षण, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए।

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (ऽ) के उपयोग के अधिकारों का अर्जन, अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 रा.नु. 2013) की धारा 3 की उपधारा (ऽ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इच्छित दिनांक के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	घट्टिया	ग्राम सिगावदा	327	0.23
		पटवारी हल्का	328/2	0.22
		क्रमांक 24	328 /1	0.14
			331 /1	0.60
			331 /2	0.48
			344	0.03
			343	0.88
			342/1/1	0.11
			342 /1/2	0.01
			342/2	0.74
			345	0.36
			349	0.27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			340	0.64
			338 / 2	0.03
			373	0.32
			383 / 1	0.68
			383 / 2	0.20
			382 / 1	0.80
			382 / 2	0.36
			384 / 1	0.08
			384 / 2	0.15
			384 / 3	0.23
			386 / 1	0.05
			386 / 2	0.75
			387 / 1	0.20
			387 / 2	0.28
			329 / 2	0.10
			328 / 3	0.28
			332	0.10
			337	0.14
			339	0.40
			361	0.02
			388 / 1	0.38
			388	0.10
			407	0.12
			376 / 2	0.45
			330	0.24
			341	0.87
			350	3.30
			379	0.15
			378 / 1	0.40
			378 / 2	1.77
			381	0.35
			385	0.40
		कुल योग	44	18.48

प्रारूप- "ख"

[नियम 5 का उपनिर्णय (2) देखिए]

क्र.-सू-अर्जन-2024-1148-ए. क्र. 0003-अ-87-2024-25.-उत्तर, राज्य सरकार को ज्ञेय है कि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि काहू बाधदर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के अंतर्गत काहू नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगवदा, तहसील घटिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन विभाग, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.

और, उत्तर, राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एसा भूमि में, जिसमें उक्त निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

उत्तर, मध्यप्रदेश भूमिगत पट्टप्लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, तलमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आराध की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितरहित है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी है, इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में राक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (एचएस्ट), घटिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में अधीन प्रेषित करेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक	उत्तर क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	घटिया	ग्राम-अम्बोदिया	4	0.25
		पटवारी हल्का	75	0.47
		क्रमांक 24	74	0.02
			72	0.16
			71	0.57
			77	0.57
			69	1.47
			68/1	1.70
			68/2	2.40
			76	0.54
			79	0.16
			70	0.47
			86/1	0.40
			86/2	1.60
			86/3	0.61
			67	1.77
			68	0.46

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			59	0.16
			87	0.47
			90	0.96
			89	0.43
			52	1.64
			45	0.06
			41	0.81
			53	0.20
			40	0.35
			39	0.25
			38	1.20
			37	1.01
			35	0.32
			42	0.62
			36	0.06
			228/1	0.59
			228/2	0.87
			229/1	0.60
			317/1/1	0.10
			316/1	0.24
			316/3	0.10
			298/1	0.15
			298/2	0.18
			298/3	0.08
			299	0.24
			296/1/1	0.20
			296/1/2	0.10
			296/2/1	0.63
			296/2/2	0.50
			297	0.84
			295/2/1	0.31
			295/2/2	0.06
			294/2	0.54
			293	1.72
			292/1	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			292/2/1	0.52
			292/2/2	0.48
			292/3	0.26
			292/4	0.26
			291	0.19
			278	0.07
			278/2	0.04
			277/1	0.14
			277/2	0.34
			277/3	0.29
			294/1	0.05
			51/1	0.04
			66/1	0.09
			76	2.66
			57	0.19
			56	1.00
			91	0.19
			60	0.23
			61	4.42
			92/1	0.73
			84	0.36
			55	0.35
			54	0.40
			229/2	1.18
			287	1.10
			316/2	0.11
			81	0.25
			308	0.05
			2	0.22
			82	0.52
			145	0.10
			275	0.13
			405	0.25
		कुल योग	85	47.21

प्रारूप- "ख"

[नियम 5 का उपनिधम (2) देखिए]

क्र.-मू-अर्जन-2024-1149-प्र. क्र. 0002-अ-82-2024-25.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्सन क्लोज्ड डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जगालपुरा, तहसील लज्जैन से ग्राम सिंगवदा, तहसील घटिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन मंत्री, जल संसाधन संभाग, लज्जैन, जिला लज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुशूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा व्रतन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुशूची में, वर्णित भूमि में डिपबद्ध है, उस तारीख से जिरफो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इफ्तौरा दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घटिया, जिला लज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेंगे :-

अनुशूची

जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी संख्या क्रमांक	लसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिटे अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लज्जैन	घटिया	ग्राम बड़वई	126/2	0.55
		पटवारी हल्का	128/3/1	0.19
		क्रमांक 26	126/3/2	0.05
			162	0.76
			163	0.11
			164	0.19
			127/2	0.72
			161/1	0.42
			161/2	0.23
			160/1	0.23
			169/1	0.40
			159/3	0.70
			159/2/1	0.93
			159/2/2	0.36
			158/2	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			171/1	0.17
			172/1	0.41
			174	0.14
			310	0.09
			311/1	0.06
			291/1	0.03
			281/2/1	0.015
			291/2/2	0.015
			291/3	0.03
			282	0.11
			284	0.09
			287	0.02
			288	0.11
			289	0.28
			301	0.10
			302	0.04
			303	0.05
			304	0.06
			305	0.08
			306/1	1.12
			306/2	0.55
			300	0.08
			308	0.30
			267	0.14
			279/1	1.01
			279/3	1.00
			276/1/1	0.70
			276/1/2	0.18
			268	0.12
			273/1	1.16
			275/1	0.25
			274/2	0.24
			274/1	0.03
			271	0.59
			269	2.19
			247	1.36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			248	0.94
			246/1	1.10
			242/1	2.13
			249	0.61
			270/1	0.47
			245/1	0.30
			243	0.04
			239	0.25
			240	0.55
			346/1	0.16
			125	0.34
			169/2	0.31
			157	0.10
			173	0.25
			170	0.47
			171/2	0.16
			172/2	0.13
			169/2	0.02
			311/2	0.21
			289	0.10
			280	0.03
			166/2	0.02
			309	0.08
			279/2	0.08
			275/2	0.07
			276/2	0.15
			273/2	0.05
			277	0.14
			288	0.10
			241	0.70
			245/2	0.08
			323	0.45
			346/2	0.07
		कुल योग	84	29.36

राजेश्वर करण्डे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

आयुष विभाग

कल्याण भवन, क्रमांक 3, चतुर्थ दल, गंगालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2024

क्र. 5-15-2010-एक-उनसठ, —ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स १९८५ के नियम 152 तथा नियम 67 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उक्त नियम के खण्ड VIA, VIIA, IXA, XII, XIV, XV, XVI, XVIIA, XVII, XVIII एवं XIX (जहां तक इनका संबंध आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी औषधियों तथा कॉस्मेटिक्स से है) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15-2010-1-उनसठ, दिनांक 13 जुलाई 2017 को अधिक्रमित करते हुए, एतद्वारा, डॉ. हिम्मत सिंह डाबर, प्रभारी औषधि निरीक्षक, संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licensing Authority) नियुक्त करता है।

No. P 5-15-2010 1 LIX.—In exercise of the powers conferred by Rule 152 and 67A of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, for the purpose of the parts VIA, VIIA, IXA, XII, XIV, XV, XVI, XVIIA, XVII, XVIII and XIX (upto the extent to which these are related to Ayurved, Siddha, Unani and Homoeopathic drugs and cosmetics) of the said rules the State Government, superseding the previous notification issued vide No. P 5-15-2010-1-LIX, dated 13th July 2017, hereby appoints Dr. Himmat Singh Dawar, Drug Inspector in charge, Directorate of Ayush, Madhya Pradesh as Licensing Authority (Indian System of Medicine and Homoeopathy) for Madhya Pradesh State.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना देवडा, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, कल्याण भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्रमांक एफ-1/5/5/0001/2024-1-10 :: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 101 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन वन विभाग अंतर्गत स्थाननामों की अनुसूची में दी गई विशिष्टियों के अनुसार संविदा के पदों पर निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:-

अनुसूची-एफ

विभागध्यक्ष का नाम- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बत प्रमुख

अनुसूची-दो

संविदा पदों का चिन्हांकन

श्रेणी	पदनाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	चिन्हांकित पद /संख्या एवं संख्या				योग (215 1817)	टिप्पणियाँ
			दृष्टि अक्षिप्त एवं कम दृष्टि (1.5%)	बूढ़े और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिति है, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बीनापन,एसिड अटेक पीडित, मरकुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
तृतीय श्रेणी	जी.आई. एस. विशेषज्ञ	09	-	01	-	-	01	संविदा
चतुर्थ श्रेणी	चीफोफर	07	-	-	01	-	01	संविदा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किशोर कुमार कान्नाडे, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक/ 1671 /2196109/2024/वत्त-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्राक्खान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड रामगिरखुर्द में N 24°24'16.08" से N 24°24'31.84" उत्तर अक्षांश तथा E 77°22'38.66" से E 77°25'53.52" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - गुना
वनमंडल - गुना

तहसील - आरोन
वन परिक्षेत्र - आरोन

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	(क्षेत्रफल) हेक्टेयर	
1	रामगिर खुर्द	रामगिर खुर्द	शासकीय भूमि	92/1/2,	10.000	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के गुनारा क्र. 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम-प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	10.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

- (क) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक (1) 6-एमपीबी063/2023-बीएचओ दिनांक 22.10.2024 (2) 6-एमपीबी064/2023-बीएचओ दिनांक 20.06.2024 एवं (3) क्रं/6-एमपीबी065/2023-बीएचओ दिनांक 08.01.2024 ने अभिरोपित शर्तों के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना, मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना गुना जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु में प्रभावित 8.705 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 10.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक/521/नजूल/रा.

नि. 2023-24 गुना, दिनांक 27.06.2023 से हस्तांतरिता अथवा नामांतरिता किये जाने के कारण।

2. 'अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर रुक्म राजेश्व अधिकारी, नायब तहसीलदार आरोन के प्रतिवेदन क्रमंक निरंक दिनांक 11.03.2003 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नांशुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव

गोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. 1671-2221931-2024 दरु 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना क्र. 1671-2221931-2024-परा-3, दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्र विचार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव

Bhopal, the 12th September 2024

No./ 1671 /2196109/2024/X-3.-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Rangir khurd lies between N 24°24'16.08" to N 24°24'31.84" North Latitude and E 77°22'38.66" to E 77°25'53.52" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Guna
Forest Division: - Guna

Tahsil :- Aron
Forest Range : - Aron

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Rangir khurd	Rangir khurd	Government Land	92/1/2	10.000	North- Artificial forest boundary from pillar no. 1 to 2 of the proposed protected forest block. East- Artificial forest boundary from pillar no. 2 to 3 of the proposed protected forest block. South- Artificial forest boundary from pillar no. 3 to 4 of the proposed protected forest block. West- Artificial forest boundary from pillar no. 4 to 1 of the proposed protected forest block.
				Total	10.000	

(A) Reason for publication of notification

- (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and climate change, Government of India, New Delhi letter number (i) 6-MPB063/2023-BHO dated 22.10.2024 (ii) 6-MPB064/2023-BHO dated 20.06.2024 and (iii) 6-MPB065/2023-BHO dated 08.01.2024 and in lieu of 8.705 hectare of forest land affected in the sanctioned project of General Manager, Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit, Project Implementation unit Guna, Madhya Pradesh "Laying of underground pipeline in Rajghat group water supply scheme under Jal Jivan Mission in Guna district", the above mentioned non forest land of 10.000 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest

Department by Collector Guna order No. 521 / नजूल / रा.नि. 2023-24 Dated 27.06.2023 of 11.000 hectare transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil.

(B) The Khusara wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated 11.05.2003 of competent revenue officer, Naib Tehsildar Aron are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ATUL KUMAR MISJRA, Secy.

गोपल, दिनांक 12 सितंबर 2024

क्रमांक 1673 / 2221965 / 2024 / एस-3-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा रागय-समय पर संशोधित/अभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी शीते में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - गुना
वनमंडल - गुना

तहसील - गुना
वन परिक्षेत्र - गुना दक्षिण

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मय	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	निर्मयगढ़ पहाड़ 'ए'	बजरगढ़	शासकीय वन विभाग म.प्र. शासन	95872	8.8000	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 14 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
2	निर्मयगढ़ पहाड़ 'बी'	बजरगढ़	शासकीय वन विभाग म.प्र. शासन	95873	14.0000	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
कुल योग					22.8000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 007/2023-बीएचओ दिनांक 06.09.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुरार महाप्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना "आरोन राधौगढ़ कया विदोसिया मार्ग के उन्नयन कार्य" हेतु में प्रमादिता 22.729 हेक्टेयर वनभूमि के एवंज में प्राप्त 22.800 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति बनीकरण के उद्देश्व से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक/606/नजूल/रा.नि./22-23 एवं आदेश क्रमांक/603/नजूल/रा.नि./22-23 दिनांक 08.06.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण — निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक 07.08.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

1. व्यक्तिगत अधिकार: — उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार: — उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क. 1673-2221965-2024-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1673-2221965-2024 दस-3, दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव

Bhopal, the 12th September 2024

No. 17673 /2196100/2024/X-3.- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Guna
Forest Division: - Guna

Tahsil :- GUNA
Forest Range : - Guna South

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present kind of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Nirbhayagarh Pahad "A"	Bajrangarh	Government Land Forest Department M.P.	9150/03	8.800	North- Artificial forest boundary from Pillar no. 1 to 2 of proposed protected forest block. East- Artificial forest boundary from Pillar no. 2 to 7 of proposed protected forest block. South- Artificial forest boundary from Pillar no. 7 to 9 of proposed protected forest block. West- Artificial forest boundary from Pillar no. 9 to 14 and pillar no. 1 of proposed protected forest block.
2	Nirbhayagarh Pahad "B"	Bajrangarh	Government Land Forest Department M.P.	938/2	14.000	North- Artificial forest boundary from Pillar no. 1 to 3 of proposed protected forest block. East- Artificial forest boundary from Pillar no. 3 to 4 of proposed protected forest block. South- Artificial forest boundary from Pillar no. 4 to 5 of proposed protected forest block. West- Artificial forest boundary from Pillar no. 5 to 1 of proposed protected forest block.
Total					22.800	

(A) Reason for publication of Notification

- (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter no. 6-MPR0607/2023-B110 dated 06.09.2023 in lieu of 22.729 hectare of forest land affected in sanctioned project Road upgradation work from Aron to Rajbhoggarh via Bidoliya of General Manager, Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited District Guna, the above mentioned Non Forest Land of 22.800 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Guna order number 606/कवू/रा.नि./22-23 and order number 603/कवू/रा.नि./22-23 dated 08.06.2023.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no. Nil dated 07.08.2022 of Tehsildar Guna are as under.

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

बोम्बे, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक / 1675 / आर-2196822 / 2024 / एर-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/सफबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-22°00'56.05 से N-22°00'34.13 उत्तर अक्षांश तथा E-80°22'14.98" से E-80°21'41.65" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - बालाघाट

वनमंडल - उत्तर बालाघाट (सा.)

तहसील - परसवाड़ा

वन परिक्षेत्र - उत्तर उकवा (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	गौनाड़ोल	गौनाड़ोला	बड़े झर क जंगल	8/2	30.000	उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक कृत्रिम वनसीमा दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 17 तक कृत्रिम वनसीमा पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 05 तक कृत्रिम वनसीमा
				योग	30.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

(1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6-MPRD30/2023-BHO दिनांक 13.02.2024 में अधिरोपित शर्त अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. 1 बालाघाट की स्वीकृत मार्ग निर्माण परियोजना भैंसवाही से जल्दीडांड, रकबा 9.812 हेक्टेयर।

(2) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/657/R-1328500/2023 /10-3 दिनांक 27 मार्च 2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. 1 बालाघाट की स्वीकृत मार्ग निर्माण परियोजना पितकौना रो दड़केश मार्ग, रकबा 4.455 हेक्टेयर।

उपरोक्त 02 प्रकरणों में प्रभावित कुल रकबा 14.367 हेक्टेयर वनभूमि के एब्ज में प्राप्त कुल 30.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट के संशोधित जादेश क्रमांक रा.प्र.क्र. 0013/अ-59 वर्ष 2022-23 दिनांक 05.04.2023 को हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

(3) अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायाब तहसीलदार उकवा (फरसवाड़ा) के द्वारा अमिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उ देशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. 1675-आर-2196822-2024-दरा-3- भारत के राज्यपाल के अनुसूचि 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1675 आर-2196822-2024 दस 3, दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकटित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

Bhopal, the 12th September 2024

No./ 1675 /R-2196822/2024/ X-3.-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-22°00'56.05 to N-22°00'34.13 North Latitude and E-80°22'14.98" to E-80°21'41.65" East Longitude.

SCHEDULE**District** :- Balaghat**Tahsil** :- Paraswada**Forest Division** :- North Balaghat (T)**Forest Range** :- North Ukwa (T)

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Gaurujhola	Gaunujhola	Bade Jhad ka Jungle	8/2	30.000	North - Artificial forest boundary from pillar number 5 to 10 of proposed protected forest block. East - Artificial forest boundary pillar number 10 to 13 proposed protected forest block. South - Artificial forest boundary pillar number 13 to 17 of proposed protected forest block. West - Artificial boundary pillar number 17 to 5 of proposed protected forest block.
Total					30.000	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Regional Office Bhopal, letter number 6-MPR030/2023-BHO dated 13.02.2024 and in lieu of the 9.912 ha. forest area affected in sanctioned project "Road construction from Bhainswahi to Jaldiland" of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, Project Implementation unit number-1, Balaghat.

2. In accordance with the condition laid down in the Madhya Pradesh Government, Forest Department, Vaitali Bhawan Mantralaya, Bhopal letter number 657/R-1328500/2023/10-3 dated 27.03.2024 and in lieu of the 4.455 ha. forest area affected in sanctioned project "Road construction from Pitkora to Dadkusa" of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-1 Balaghat.

In lieu of total 14.367 ha. forest area affected in above two project, the land mentioned in the schedule above 30.000 hectare transferred or routed in favour of Madhya Pradesh, Forest Department by collector Balaghat order no. 0012/A-59 year 2022-23 Date 05.04.2023 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reason - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report of Deputy Tehsildar Ukwai (Paraswada) are as Under

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

गोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक / 1678 / 2186743 / 2024 / पश-3. भारतीय का अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड गोंडीवाडोना "द" 21°30'08.30" से 21°30'14.64" उत्तर अक्षांश तथा 76°47'24.64" से 76°47'32.60" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- पन्डुर्ग

वनमण्डल - दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल

वाहसील - सीसर

वन परिक्षेत्र - कन्हान

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	गोंडीवाडोना "द"	गोंडीवाडोना	गैर वनभूमि	76/2 (5)	2.55	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड खापाकरीमवार 'अ' के मुनारा क्रमांक 267/1 से 265/1 तक वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड खापाकरीमवार 'अ' के मुनारा 265/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से संरक्षित वनखण्ड खापाकरीमवार 'अ' के मुनारा क्रमांक 267/1 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग	2.55	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (i) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8/34/2021-FC दिनांक 21.04.2022 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड जिला-शहडोल, मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना विक्रम कोल ब्लॉक ओपन/भूमिगत कोयला उत्खनन में प्रभावित रकबा 151.095 हेक्टेयर वन भूमि के एदज में प्राप्त कुल 2.55 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार साँसर के प्रकरण आदेश क्रमांक/113/अ-6/2024-25 दिनांक 12.06.2024 के अनुसार रिजर्व भूमि से शासकीय वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार साँसर के प्रतिपेदन क्रमांक 113/अ-6/2024-25 दिनांक 12.06.2024 के अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. 1675 -21966743-2024-वस 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड (3) के अनुसार मैं, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1675 आर-21966743-2024-वस 3, दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव

Bhopal, the 12th September 2024

No./1675 /2196743/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Gondivadhona "D" lies between 21°30'08.30" to 21°30'14.64" North Latitude and 78°47'24.64" to 78°47'32.60" East Longitude.

SCHEDULE

District - Panchhat
 Forest Division - South Chhindwara Division
 Tahsil - Sausar
 Forest Range - Kanhan

S. No	Name of Block, Forest	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (hectares)	Details of Land Included	
						North - Forest boundary from pillar No. 267/1 to 265/1 of block Khapakarwar 'A', protected forest block	South - Artificial forest boundary from pillar no. 3 to 4 of the proposed protected forest block
1	Gorhi wadma 'D'	wadhwa	Non forest Land	752 (S)	2.55	2.55	North - Forest boundary from pillar No. 267/1 to 265/1 of block Khapakarwar 'A', protected forest block East - Artificial forest boundary from pillar 265/1 of protected forest block Khapakarwar 'A' in pillar no. 3 of proposed protected forest block. South - Artificial forest boundary from pillar no. 3 to 4 of the proposed protected forest block. West - Artificial forest boundary from pillar no. 4 of proposed protected forest block to pillar No. 267/1 of protected forest block Khapakarwar 'A'.
				Total	2.55	2.55	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. (i) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India's letter No. 8/34/2021-FC dated 21-04-2024 and in lieu of 151.095 hectare of forest land affected in Vikram Coal Block Open/Underground Coal Mining Project of M/s Birla Corporation Limited, District Shahdol, Madhya Pradesh, the non forest land of 2.55 hectare mutated in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. 113/38-6/2024-25 dated 12-06-2024 of Court of Naib Tehsildar, Sausar for the purpose of compensatory afforestation.
 2. Details of other Reasons - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per order No. 113/38-6/2024-25 dated 12-06-2024 of Court of Naib Tehsildar Sausar are as under.

1. Individual Rights :- There are no individuals right on the said land.

2. Community Rights :- There are no Communities right on the said land

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ATTN: KUMAR MISHRA, Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2024—आश्विन 5, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. ई-5-562-आवएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे (1989), महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का एक्स-इंडिया अर्गित अवकाश (दिनांक 14, 15, 16, 17 एवं 21, 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मा. अ. प्र.) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अपर मुख्य सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे, महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

4665

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024

क्रमांक/ 1698 /2196038/2024/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्राक्खान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - बालाघाट

वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)

तहसील - वारासिवनी

वन परिक्षेत्र - वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	बकेरा (अ)	बकेरा	छोटे झाड़ का जंगल	2/1/2	6.216	उत्तर- आरक्षित वनखण्ड बकेरा के मुनारा क्र. 4 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 8 तक कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से मुनारा क्र. 12 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 13 से आरक्षित वनखण्ड बकेरा की वनसीमा लाईन तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड बकेरा की वनसीमा लाईन से मुनारा क्र. 5 से 4 तक वनसीमा।
				73/2/2	3.722	
2.	बकेरा (ब)	बकेरा	छोटे झाड़ का जंगल	88/1/1/2	7.000	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक और मुनारा क्र. 2 से आरक्षित वनखण्ड बघोली के कक्ष क्र. 540 के मुनारा क्र. 17 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड बघोली मुनारा क्र. 17 से मुनारा क्र. 13 तक की वनसीमा। दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड बघोली मुनारा क्र. 13 से मुनारा क्र. 3 एवं 4 तक की कृत्रिम वनसीमा लाईन। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 6 तक और मुनारा क्र. 6 से 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
कुल योग					16.938	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (i) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6- एमपीआर 023/2023-बीएचओ/1/80827 दिनांक 29.08.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रिद्वान्यन इकाई क्रमांक-1, 2 बालाघाट, जिला बालाघाट की स्वीकृत परियोजना कि.मी 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपारकला तक मार्ग निर्माण के प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155398/2022 में प्रभावित वनभूमि 6.705 हेक्टेयर।

(ii) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एमपीबी 033/2023-बीएचओ/ दिनांक 07.11.2023 से स्वीकृत परियोजना टेमनी से टाटीघार ब्याया केरादेही तक मार्ग निर्माण के प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156162/2022 में प्रभावित वनभूमि 1.275 हेक्टेयर।

इस प्रकार उपरोक्त दो प्रकरणों में प्रभावित कुल 7.980 हे० वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.938 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्गित भूमि को सतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0031/अ-59 वर्ष 22-23 दिनांक 05.12.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 14.03.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार वारासिबनी, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव।

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024

क्र.-1698-2196038-2024-दस-3.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-1698-2196038-2024-दस-3, दिनांक 20 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव।

Bhopal, the 20th September 2024

No./1698/2196038/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Balaghat
Forest Block: - South Balaghat (T)

Tahsil :- Waraseoni
Forest Range :- Waraseoni (T)

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Bakera (A)	Bakera	Chhote Jhad ka Jungle	2/1/2	6.216	North- Artificial forest boundary from Pillar No. 4 of Reserved Forest Block Bakera to Pillar No. 1 to Pillar No. 8 of Proposed Forest Block. East - Artificial forest boundary from Pillar No. 8 to Pillar No. 12 of Proposed Forest Block.
				73/2/2	3.722	

						South- Artificial forest boundary from Pillar No. 12 to 13 of Proposed Forest Block to the forest boundary line of Reserved Forest Block Bakera. West - Forest boundary from the forest boundary line of Reserved Forest Block Bakera to Pillar No. 5 to 4.
2.	Bakera (B)	Bakera	Government Land (Chhote Jhad ka Jungle)	88/1/1 /2	7,000	North - Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 2 of the proposed protected forest block and from Pillar No. 2 to Pillar No. 17 of compartment No. 540 of reserved forest block Bagholi. East - Forest boundary from Pillar No. 17 to Pillar No. 13 of reserved forest block Bagholi. South - Artificial forest boundary line from Pillar No. 13 of reserved forest block Bagholi to Pillar No. 3 and 4. West - Artificial forest boundary from Pillar No. 4 to 6 and Pillar No. 6 to 1 of the proposed protected forest block.
Total					16.938	

(A) Reason for publication of notification :-

1. (i) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India's letter No. 6-MPB 023/2023-BHO/I/80827 dated 29-08-2024, and in lieu of 6.705 hectare of forest land affected in sanctioned project "road construction from KM 45 of T 02 to Kattiparkala, proposal no. FP/MP/Road/155398/2022 of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-I Balaghat, district Balaghat

(ii) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India's letter No. 6-MPB 033/2023-BHO dated 07-11-2023 and in lieu of 1.275 ha. forest land affected in sanctioned project "Road construction Temni to Tattidhar Via Keradehi" proposal no. FP/MP/Road/156162/2022 of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-1, 2 Balaghat, District Balaghat

In lieu of total 7.980 ha. forest area affected in the above two project, the non forest land of 16.938 hectare as mentioned in the schedule above, transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 0031/A-59 year 22-23 dated 05.12.2022 and amended order date 14-03-2024 of Collector Balaghat for the purpose of Compartmentensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Compartmententent Revenue officer report of Tahsildar- Waraseoni, District- Balaghat are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्रमांक/ PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला- सतना

वनमण्डल- सतना

तहसील- मझगवां

वन परिक्षेत्र- बरौंधा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	बरह-अ	बरह	निजी भूमि	10/1/1	1.229	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से संरक्षित वनखण्ड मुडियादेव के मुनारा क्रमांक 38 तक कृत्रिम वनसीमा एवं संरक्षित वनखण्ड मुडियादेव के मुनारा क्रमांक 35 की वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड मुडियादेव के मुनारा क्रमांक 35 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 13 की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 17 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				10/2	1.991	
				13	0.085	
				14	0.174	
				15/2	1.729	
				16/2/1	1.324	
				16/2/2	1.509	
योग					8.041 हेक्टेयर	

2	बरह-ब	बरह	निजी भूमि	23/1	1.214	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 11 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 22 तक कृत्रिम वन सीमा।
				23/2/1/1	2.563	
				23/2/1/2	1.215	
				23/2/1/3	1.215	
				23/2/2/2	4.050	
				28/1	1.214	
				67/1	6.070	
				69/2/2	8.093	
योग				25.634	हेक्टेयर	
कुल योग				33.675	हेक्टेयर	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/8-34/2021-FC दिनांक 21.04.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार वनमण्डल दक्षिण शहडोल के रकबा 142.075 हेक्टेयर व्यवहृत वन भूमि की स्वीकृत परियोजना मेसर्स बिरला कापरिशन लिमिटेड, सतना में प्रभावित 142.075 हेक्टेयर वनभूमि के एयज में अनुसूची में वर्णित 33.675 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में नायब तहसीलदार वृत्त बरौधा, तहसील मझगवां, जिला- सतना के राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र प्र.क्र./640/अ-6/2023/202324 दिनांक 13.06.2024 से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार वृत्त बरौधा, तहसील मझगवां, जिला- सतना के राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र प्र.क्र./640/अ-6/2023/202324 दिनांक 13.06.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्रमांक/PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड

(3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 27th September 2024

No./PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(xvi of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communication in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District :- Satna

Tehsil- Majhgawan

Forest Division:- Satna

Range- Baraundha

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	khasra No.	Area (Hectare)		
1	Barha -A	Barha	Private Land	10/1/1	1.229	North- Artificial forest boundary from pillar No. 17 of the proposed protected forest division to pillar No. 38 of the protected forest division Mudiyaev and forest boundary of pillar No. 35 of the protected forest division Mudiyaev. East- Artificial forest boundary from pillar No. 35 of protected forest block Mudiyaev to pillar No. 1 of proposed protected forest block. South- Artificial forest boundary of pillar No. 1 to 13 of the proposed protected forest block. West- Artificial forest boundary from pillar No. 13 to pillar No. 17 of the proposed protected forest block.	
				10/2	1.991		
				13	0.085		
				14	0.174		
				15/2	1.729		
				16/2/1	1.324		
				16/2/2	1.509		
Total					8.041	Hactare	
2	Barha -B	Barha	Private Land	23/1	1.214	North- Artificial forest block Boundary from pillar number 22 to 1 of proposed protected forest Block. East - Artificial forest block boundary from pillar number 1 to 9 of proposed protected forest Block. South- Artificial forest block boundary from pillar number 9 to 11 of proposed protected forest Block. West- Artificial forest block boundary from pillar number 11 to 22 of proposed protected forest Block.	
				23/2/1/1	2.563		
				23/2/1/2	1.215		
				23/2/1/3	1.215		
				23/2/2/2	4.050		
				28/1	1.214		
				67/1	6.070		
69/2/2	8.093						
Total					25.634	Hactare	
Grand Total					33.675	Hactare	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter No. 8-34/2021-FC Date 21/04/2022 in lieu of 142.075 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Coal Mining M/s Birla Corporation Limited, the above mentioned Non Forest Land of mentioned in the schedule 33.675 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 640/A-6/2023-24 dated 13-06-2024 Nayab Tehsildar, Circle Baraundha, Tehsil Majhgawan, District- Satna for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No 640/A-6/2023-24 dated 13-06-2024 of Nayab Tehsildar, Circle Baraundha are as under:-

- Individual Rights- There are no individual rights on the said land.
- Community Rights- There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्रमांक/ PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF Part(1) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को ध्यान में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक की वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित / सम्प्रेषित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23° 20' 59.27" से 23° 21' 38.22" N उत्तरअक्षांश तथा 81° 53' 11.73" से 81° 53' 49.29" पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है,

अनुसूची

जिला-इन्दौर

तहसील - जैजपुर

वनखण्ड-दक्षिण वनखण्ड इन्दौर

वन परिच्छेद-कैशवाही

अ. क्र.	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का नं.	भूमि का वर्तमान भूद.	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर)	
1.	महोरा (1)	ग्राम का नाम- छिन्मारा पटवारी हल्का नं-गोडिनभूडा (43)	निजी भूमि से वन विभाग को हस्तांतरित	1 2/2 का भाग 2/3/3 का भाग 2/3/4 का भाग 4/1 का भाग 4/2 का भाग 7/2/1 का भाग 7/2/2 का भाग 9/2 का भाग 10/1 का भाग 10/2 का भाग 11/2 का भाग 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 39/1 का भाग 39/2 का भाग 40/1 का भाग 41/1 का भाग 41/2/2 का	3.076 1.376 1.659 1.659 0.547 0.547 0.364 0.365 3.988 0.045 0.190 3.237 0.648 0.599 0.077 0.514 0.210 0.522 0.077 0.129 0.368 0.142 0.040 4.727 4.047 4.856 4.346 2.025	उत्तर:- आरक्षित वनखण्ड महोरा के मुनारा क्रमांक 724 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 72 से होते हुए मुनारा क्रमांक 152 तक कृत्रिम वन सीमा एवं मुनारा क्रमांक 152 से आरक्षित वनखण्ड महोरा के मुनारा क्रमांक 722 तक वन सीमा। पूर्व:- आरक्षित वनखण्ड महोरा के मुनारा क्रमांक 722 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 तक कृत्रिम वनसीमा एवं मुनारा क्रमांक 6 से आरक्षित वनखण्ड महोरा के मुनारा क्र. 721 तक वन सीमा से होते हुए प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 25 तक कृत्रिम वनसीमा एवं आरक्षित वनखण्ड महोरा के मुनारा क्र. 720 के निकटतम मिलान बिंदु पर प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के नवनिर्मित मुनारा क्रमांक 26 तक वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से मुनारा क्र. 67 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 67 से मुनारा क्र. 71 तक कृत्रिम वन सीमा से होते हुए आरक्षित वनखण्ड महोरा के मुनारा क्रमांक 724 तक वन सीमा। अन्तर्सूचक सीमा:- 1. पंच क्र. 01 :- खसरा क्रमांक 177 की निजी

				भूमि का सीमाएँ- (घड़ी की घाल की दिशा में)	
			44	0.433	उत्तर :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 78/1 से मुनारा क्रमांक 78/2 तक कृत्रिम वन सीमा।
			45	2.310	पश्चिम:- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 78/2 से मुनारा क्रमांक 78/3 तक कृत्रिम वन सीमा।
			46	0.849	दक्षिण :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 78/3 से मुनारा क्रमांक 78/4 तक कृत्रिम वन सीमा।
			47	0.324	पूर्व :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 78/4 से मुनारा क्रमांक 78/5 तक कृत्रिम वन सीमा।
			49/1 का भाग	0.704	उत्तर :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 78/5 से मुनारा क्रमांक 78/6 तक कृत्रिम वन सीमा।
			49/2 का भाग	1.619	पश्चिम :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 78/6 से मुनारा क्रमांक 78/7 तक कृत्रिम वन सीमा।
			53	1.428	2. पैथ ड. 02 :- खसरा क्रमांक 5051 एवं 52 की निजी भूमि की सीमाएँ- (घड़ी की घाल की दिशा में)
			54	0.251	उत्तर :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 41/12 से मुनारा क्रमांक 41/1 तक कृत्रिम वन सीमा।
			55/2 का भाग	0.218	पश्चिम:- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 41/1 से मुनारा क्रमांक 41/4 तक कृत्रिम वन सीमा।
			56	1.616	दक्षिण :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 41/4 से मुनारा क्रमांक 41/8 तक कृत्रिम वन सीमा।
			62/1 का भाग	4.452	पूर्व :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 41/8 से मुनारा क्रमांक 41/12 तक कृत्रिम वन सीमा।
			62/2 का भाग	1.672	
		योग	40 किरा खसरा	55.811	

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 8/34/2021-FC दिनांक 21.04.2022 से सैद्धांतिक अधिरोपित शर्त के अनुसार मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहजोल जिला म.प्र. की स्वीकृत परियोजना विज्ञान कोल ब्लॉक ओपन/पूजित कोयला उत्खनन में कुल प्रभावित रकबा 142.075 हेक्टेयर वनभूमि एवं 9.020 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 151.095 हेक्टेयर के एवज में प्राप्त कुल 114.372 हे. निजी भूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 55.811 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति कर्तव्य के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में मंत्रालय तहसीलदार जैतपुर का आदेश क्रमांक 307/ अ-6/2021-22 दिनांक 23.06.2022 के अनुसार दिनांक 31.07.2022 को निजी भूमि से शासकीय वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - :निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार जैतपुर के प्रतिवेदन क्रमांक 307/A-6/2021-22 दिनांक 23.06.2022 एवं दिनांक 31.07.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्रमांक/PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF-Part(1) :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF-Part(1) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 14th November 2024

No./PCCF/7/0060/2024-FLR-PCCF-Part(1) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°20'59.27" N to 23° 21' 38.22" N North Latitude and 81° 53' 11.73" E to 81° 53' 49.29" E East Longitude .

SCHEDULE

District: -Shahdol

Tehsil: - Jaitpur

Forest Division: - South Shahdol

Forest Range: -Keshwahi

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Ha)	
1	Mahora (1)	Chhinmar, Godinbuda (43)	Transferred from Private Land to Forest Department	1	3.076	North - Artificial forest boundary from Pillar number 724 of reserved forest block Mahora via Pillar number 72 of proposed protected forest block to Pillar number 152 and forest boundary from Pillar number 152 to Pillar number 722 of reserved forest block Mahora. East - Artificial forest boundary from Pillar number 722 of reserved forest block Mahora to Pillar number 6 of proposed protected forest block and Artificial forest boundary from Pillar number 6 to Pillar number 721 of reserved forest block Mahora, through the forest boundary till Pillar number 25 of the proposed protected forest block. Forest boundary up to newly constructed Pillar No. 26 of the proposed protected forest block at the nearest matching point of Pillar No.-720 of reserved forest block Mahora. South - Artificial forest boundary from the Pillar Number 26 to Pillar Number
				2/2 Part	1.376	
				2/3/3 Part	1.659	
				2/3/4 Part	1.659	
				4/1 Part	0.547	
				4/2 Part	0.547	
				7/2/1 Part	0.364	
				7/2/2 Part	0.365	
				9/2 Part	3.998	
				10/1 Part	0.045	
				10/2 Part	0.190	
				11/2 Part	3.237	
				12	0.648	
				13	0.599	
				14	0.077	
				15	0.514	
				16	0.210	
				17	0.522	
				18	0.077	
19	0.129					

				20	0.368	67 of the proposed protected forest block.
				21	0.142	
				22	0.040	
				39/1 Part	4.727	
				39/2 Part	4.047	
				40/1 Part	4.856	
				41/1 Part	4.346	
				41/2/2 Part	2.025	
				44	0.433	
				45	2.310	West –Artificial forest boundary from Pillar No. 67 to Pillar No. 71 via forest boundary up to Pillar No. 724 of Reserved Forest Division Mahora.
						Internal Boundary :-
				46	0.849	1. PENCH No. 1:- Boundaries of private land of Khasra number 177 - (anti-clockwise direction)
				47	0.324	North :- artificial forest boundary From Pillar number 78/1 to Pillar number 78/2 of the proposed protected forest block.
				49/1 Part	0.704	West:- artificial forest boundary From From Pillar Number 78/2 to Pillar Number 78/3 of the proposed protected forest block.
						South:- artificial forest boundary From From Pillar Number 78/3 to Pillar Number 78/8 of

					the proposed protected forest block.	
				49/2 Part	1.619	East:- artificial forest boundary From From Pillar Number 78/8 to Pillar Number 78/1 of the proposed protected forest block.
				53	1,428	2. PENCH No. 2:- Boundaries of private land of Khasra number 50, 51 and 52 - (anti-clockwise direction)
				54	0.251	North :- artificial forest boundary From Pillar number 41/12 to Pillar number 41/1 of the proposed protected forest block.
				55/2 Part	0.218	West:- artificial forest boundary From From Pillar Number 41/1 to Pillar Number 41/4 of the proposed protected forest block.
				56	1.161	South:- artificial forest boundary From From Pillar Number 41/4 to Pillar Number 41/8 of the proposed protected forest block.
				62/1 Part	4.452	East:- artificial forest boundary From From Pillar Number 41/8 to Pillar Number 41/12 of the proposed protected forest block.
				62/2 Part	1.672	
				40 Parcel	55.811	

A. Reason for Publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8/34/2021-FC dated 21.04.2022 principal approval/stage 1 approval the forest 142.075 hectare of affected forest land 9.020 ha. Revenue forest land total 151.095 ha. Under the sanctioned project of Bikram coal Block open cost and underground coal mining project of M/s Birla Corporation Limited Shahdol, out of 114.372 ha. obtained forest land, the above mentioned Non Forest Land of 55.811 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by order No. 307/A-6/2021-22 Dated 23.06.2022 to and Dated 31.07.2022 of TehasildarJaitpur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per the Report No 307/A-6/2021-22 Dated 23.06.2022 to and Dated 31.07.2022 of Tehasildar Jaitpur are as under.

1. Individual Rights- No Individual Rights are on above land
2. Community Rights- No Community Rights are on above land

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्रमांक PCCF/7/0133/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

FORM-II
(for the projects other than Linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Shahdol
P.O. Shahdol (M.P.)

No. RM/FRA/2020/792

Dated - 09 OCTOBER 2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest & Climate Change (MoEF&CC), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF&CC issued guidelines on the submission of evidences for having initiated and completed the process of settlements of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **9.020** hectare of revenue forest land proposed to be diverted in favour of **M/s. Birla Corporation Limited, Bikram Coal Block, Shahdol** for diversion of forest land for underground and opencast mine of coal in Shahdol district falls within jurisdiction of Gopalpur & Bartara village(s) in Burhar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **9.020** hectare (Bartara 5.506 hectare & Gopalpur 3.514 hectare) of revenue forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **A1** to **A2** annexure **B** ; and annexure **C** .
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications; in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Gopalpur & Bartara** village(s) is enclosed as annexure **A1** to annexure **A2** .
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encls: As above.

Signature

Satendra Singh

09/10/2020

(Dr. Satendra Singh)
Collector, Shahdol

District - Shahdol (M.P.)
शहडोल (म.प्र.)

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh,
Office of the District Collector, Shahdol
P.O. Shahdol (M.P.)

No. 7059

Dated: 26/09/2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 142.075 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of M/s. Birla Corporation Limited, Bikram Coal Block, Shahdol for diversion of forest land for underground and opencast mining of coal in Shahdol district falls within jurisdiction of Gopalpur & Bartara village(s) in Burtar tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 142.075 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure "A1" to "A2" annexure "B" and Annexure "C".
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Gopalpur & Bartara village(s) is enclosed as annexure "A1" to annexure "A2".
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (f) (e) of the FRA

Encls: As above.

- (i) Annexure- "A1" - Gram Sabha village Gopalpur.
- (ii) Annexure- "A2" - Gram Sabha village Bartara.
- (iii) Annexure- "B" - Block Level Committee.
- (iv) Annexure- "C" - District Level Committee.

Signature

(Dr. Ashok Kumar Bhargava)
Collector, Shahdol
District, Shahdol (M.P.)
SHAHDOL (M.P.)

AGENCY COPY	
	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 02-09-2024	
Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537900
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, KolkataKolkata
Amount(in Rs)	32502485/-
<p>Amount in Words :Three Crore Twenty-Five Lakh Two Thousand Four Hundred and Eighty-Five Rupees Only</p>	
<p>NEFT/RTGS to be made as per following details;</p>	
Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537900 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

BANK COPY	
	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 02-09-2024	
Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537900
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, Kolkata Kolkata
Amount(in Rs)	32502485/-
<p>Amount in Words :Three Crore Twenty-Five Lakh Two Thousand Four Hundred and Eighty-Five Rupees Only</p>	
<p>NEFT/RTGS to be made as per following details;</p>	
Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537900 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

TED (11902) [Know More](#)

You are here: / Reports / Query By Account

Query By Account

e-PayOrder Number CRG0589328**Debit Status** Success

27-05-2024

MADHYA PRADESH CAMPA

Twenty Two Lakhs Seventy Two Thousand Thirty 22,72,035.00

Five only

00000030015285306

CAG, KOLKATTA

PUJA JAIN

Maker

"CRG0589328"

Nitesh Soni

Authorizer 1

SNEHA BOGHANI

Authorizer 2

Actual Debit Amount 22,72,035.00**Commission** 0.00**Counterfoil Description** Bikram Coal**Transaction Type** RTGS Fund Transfer**GSTIN Number** --[Click here to view credit and debit account details](#)

You can only enquire the status of transactions through the 'Query by Account' and 'Query by echeque' option under Reports tab. For authorisation please use the 'View Inbox'/'Bulk e-cheque Inbox' under 'Manage Transactions'.

- If your corporate has opted for a separate commission transaction for Interbank Transactions, although the echeque displays the consolidated amount, the commission will be initiated as a separate transaction only (EOD or per Txn as per the mandate of your corporate)
- For NEFT multiple credit transactions, by default the echeque displays the consolidated amount. The commission will be initiated as a separate transaction for each NEFT debit by default or at EOD as per the mandate of your corporate.





Birla Corporation Limited

Corporate Office:
T. Shakespeare Sarani,
A.C. Market (2nd Flr), Kolkata 700 071
P. 033 6605 3300-02
F. +91 033 2268 4426
E. coordinator@birlacorp.com

BCL/Bikram/PCCF/23-24/02

29th August 2023

To

The Principal Chief Conservator of Forest,
(Land Management) and Nodal Office (FC ACT),
Satpura Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh

Reference:

1. DFO Shahdol Letter bearing no. मा.चि./2022/3924 dt.01.06.2022.
2. DFO Rewa Letter bearing no. मा.चि./4405 dt.19.05.2022.
3. Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023.

Sub: Payment of CA Scheme amount for Bikram Coal Mines.

Dear Sir,

We write with reference to letter bearing no. मा.चि./2022/3924 dt.01.06.2022 and मा.चि./4405 dt.19.05.2022 issued by respective DFO of Shahdol and Rewa for payment of INR 4,37,22,200/- i.e INR 2,13,85,100/- + INR 2,23,37,100/- toward CA scheme amount into the Madhya Pradesh CAMPA Account for Bikram Coal Mines.

We hereby submit the CA Scheme payment (RTGS) detail of **INR 4, 37,22,200/- (Indian Rupees Four Crore Thirty Seven Lac Twenty Two Thousand Two Hundred One only)** against the generated Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023 into the Madhya Pradesh CAMPA Account raised for Bikram Coal Mines.

Your Sincerely,

For Birla Corporation Limited

(Authorised Signatory)

Name: Bhupendra Singh Chaudhary

Designation: Vice President (Mines)

Enclosure:

1. Copy of Challan Application No. 5849537792 dt.23.08.2023
2. CA Scheme Payment (RTGS) detail

CC:

1. DFO & CCF (South), Shahdol (MP)
2. DFO & CCF, Rewa (MP)

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-08-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537792
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, KolkataKolkata
Amount(in Rs)	43722200/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Seven Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537792 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-08-2023

Agency Name.	COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Application No.	5849537792
MoEF/SG File No.	8-34/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Birla Building, 9/1 R.N.Mukherjee Road, Kolkata Kolkata
Amount(in Rs)	43722200/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Seven Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765849537792 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India
P1 +91 22 4343 5400
P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(i)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 01 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (i) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that the legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:13:10 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(ii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 02 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (ii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that the forest land will be taken only after the required non-forest land shall be handed over to forest department by the BCL.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
14:52:08 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

Annexure B(ii)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(iii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 03 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (iii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajasthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that we shall pay the additional amount of NPV, if so determined by the Hon'ble Supreme Court of India.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
12:48:28 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F: 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(iv)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 04 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (iv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that the R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

**Bhupendra
Singh
Chaudhary** Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:10:35 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(v)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 05 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (v) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that fencing, protection and regeneration of the safety zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease] and shall be done at the project cost within three years and maintained thereafter as per approved working plan of the State Govt.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary
Digitally signed
by Bhupendra
Singh Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:02:41 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India
P1 +91 22 4343 5400
P2 +91 22 2204 3615

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 06 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (vi) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhupal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajasthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake BCL either himself or through the State Forest Department shall undertake that afforestation on degraded forest land, at project cost, one and half time in extent to the area used for safety zone.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

**Bhupendra
Singh
Chaudhary** Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:06:48 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(vii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 07 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (vii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhupal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajasthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that after the ceasing of mining operation we shall re-grass the mining area which may be disturbed due to mining activity and restore the land to a common condition which will be fit for growth of fodder, flora, fauna, etc.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
15:49:28 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872

**PROPOSAL FOR MITIGATIVE MEASURES TO
MINIMISE SOIL EROSION, CHOKING OF
STREAM BY CONSTRUCTION OF CHECK
DAMS AND RETENTION TOE WALLS TO
ARREST SLIDING DOWN OF THE
EXCAVATED MATERIAL**

FOR

BIKRAM COAL MINE
(UNDERGROUND & OPENCAST)
(CAPACITY: 0.36 MILLION TONNES PER ANNUM,
ML AREA: 239 HECTARE)
AT
VILLAGE: BARTARA AND GOPALPUR,
DISTRICT: SHAHDOL, MADHYA PRADESH

Project Proponent:



BIRLA CORPORATION LTD.

Industry House, 2nd Floor, 159, Churchgate Reclamation,
Mumbai City-400020, Maharashtra

Phone: +91 22 4343 5400 / 2204 8467; Fax: +91 22 2204 3615

E-mail: sandeep.jain@birlacorp.com; Website : <https://www.birlacorporation.com>

**Prepared in compliance to point no. Viii (a) & (c) of section B of
Stage-I Forest Clearance under the Forest Act, 1980 received vide
F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022**

Issue 1 Rev. 0 (UID No. 202303002) March 2023

Prepared by:



Estb. 1983

MIN MEC CONSULTANCY PVT. LTD.

A-121, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi – 110 030

Ph : 91-11-29532236, 29535891; 29532568, Web site: <http://www.minmec.com>

Email: mining@minmec.com; minmec@gmail.com



An ISO 9001:2015
approved company

CONTENTS

Sl. No.	Description	Page No.
1.0	Introduction	1
2.0	Need for Study	1
2.1	The importance and necessity of Top Soil management for minimisation of soil erosion	2
2.2	Importance & Necessity of Check Dams	2
2.3	Need/ Importance of Toe Walls	3
2.4	Need of stabilisation of dumps	3
3.0	Mining in lease area	4
3.1	Impact of mining in lease area on Soil	5
4.0	Present scenario in core zone	6
4.1	OB Dumps in Core zone Area	6
4.2	Rainfall Characteristics	6
4.3	Soil quality	7
4.4	Top Soil Removal and Use	12
4.5	Erosion Potential and Sediment load based on Slope	12
4.6	Drainage Pattern Outside ML Area	14
5.0	Proposal for top soil management and stabilisation of over burden dumps in project area & soil conservation in study area	15
6.0	Procedure adopted for top soil management and stabilisation of over burden dumps	17
6.1	Top Soil Removal and Use	17
6.2	Geo-textiles Coco-Filter for Sedimentation Control	18
6.3	Reclamation Plan for minimisation of soil erosion	20
6.4	Post plantation care	22
7.0	Procedure for construction of Retaining Walls	22
7.1	Brief details of the Retaining Walls (app)	22
7.2	Proposed Cross section of Toe wall	23
7.3	Consolidated Map of Areas where Top Soil Management for minimising Soil Erosion is required within Mine Lease area	26
8.0	Proposal for Construction of Check dam	26
8.1	Materials	30
8.2	Maintenance	30
9.0	Budgetary provision and implementation schedule	30

LIST OF TABLES

Table No.	Particulars	Page No.
Table 1:	Post mine closure land use	5
Table 2:	Year/ stage wise quantities of hard OB & Top Soil	5
Table 3:	Average monthly temperature, relative humidity and rainfall (IMD Station, Umaria)	6
Table 4:	Soil sampling stations	7
Table 5:	Soil analysis result	12
Table 6:	Sediment load (Tonne)	13
Table 7:	Water bodies in the study area	14
Table 8:	Observed locations for check dam construction	15
Table 9:	Details of top soil removal & use (million cum)	18
Table 10:	Requirement of plants (year/stage wise and location wise)	21

LIST OF FIGURES

Fig No.	Particulars	Page No.
Fig 1:	Consolidated areas where samples of soil were taken in the study area	8
Fig 2:	Location of Soil Sampling Stations (May, 2020)	11
Fig 3:	Location of soil sampling stations (June, 2022)	11
Fig 4:	Drainage map	16
Fig 5:	Coco Filter	19
Fig 6:	Application of coco filters for controlling soil erosion on slopes	20
Fig 7:	Cross-section of Toe wall	23
Fig 8:	Locations of dump sites around which toe walls will be constructed	26
Fig 9:	Cross section of proposed check dam	28
Fig 10:	Location of proposed check dams on Google Earth	28
Fig 11:	Location of proposed check dams on toposheet	29

PROPOSAL FOR MITIGATIVE MEASURES TO MINIMISE SOIL EROSION, CHOKING OF STREAM BY CONSTRUCTION OF CHECK DAMS AND RETENTION TOE WALLS TO ARREST SLIDING DOWN OF THE EXCAVATED MATERIAL

1.0 INTRODUCTION

Bikram Coal Mine represents the northern contiguous area of the Karkati Sector of the Sohagpur Coalfield. The area of the block is 239 ha lying in villages Bartara and Gopalpur of Tehsil Burhar, District Shahdol, Madhya Pradesh. The Mine Lease area is 239 ha. Project Area is also same i.e. 239 ha. It is located approximately 7 km SW of Burhar town, in the western part of Sohagpur Coalfield, in Shahdol district of Madhya Pradesh. The coal will be extracted by both opencast and underground method. The mine lease has total forest area of 151.095 ha out of which 142.075 ha is Reserved Forest and about 9.020 ha is Revenue Forest.

The Coal block was allocated to M/s Birla Corporation Limited on 12th August 2008, and post de-allocated as per order of Hon'ble Supreme Court of India in 2014, reallocated vide vesting order no. NA-104/ 1/2019-NA, dated 10th February 2020 by Ministry of Coal for supply of coal to its integrated cement & captive power plants, through the auction process under section 6 of the Coal Mines (Special Provisions), Act 2015.

2.0 NEED FOR STUDY

M/s Birla Corporation Limited (BCL) has obtained an Environmental Clearance for Birla Coal Mine vide MOEF&CC letter no. IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) dated 20.05.2022. The forest diversion under section 2 (ii) of Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 151.095 ha of forest land for non-forestry purposes was initiated & revived vide proposal no. FP/MP/MIN/49537/2020 dated 09/09/2020. After consideration of the proposal made by the Bikram Coal Mine, the MoEF&CC, Government of India accorded Stage-I under the Forest Act, 1980 vide F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022. There are several conditions to be complied and compliance is to be fulfilled for the Stage-II approval.

In context of above, the sub-point (b) of point no. VIII (a) & (b) of B section of Forest Clearance Letter (vide File No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022) states that "Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams if available the vicinity of mining area shall be prepared and implemented" and "*Construction of check dams, retention toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour*". Hence, the need for preparation of a report for Soil Conservation and report on dumping of overburden and its toe wall has been envisaged.

2.1 The importance and necessity of Top Soil management for minimisation of soil erosion

The most important natural resources on the earth is soil. Most of the life depends on it as it's a direct and indirect source of their survival. Plants obtain nutrients from them while animals are dependent on them. Topsoil is the uppermost and outermost layer of soil. It's usually the first 6-8 inches of dirt, but it can vary depending on the area. Stripping, stockpiling, and reusing topsoil prior to disturbance while undertaking different kinds of projects is essential for proper reclamation of disturbed areas.¹ The importance of topsoil is in follows:

- Topsoil contains the essential microorganisms, nutrients, organic matter (microbes, plant and animal detritus, nutrients, manures, sludge, leaves, stalks, and other substances synthesized by soil microbes), and physical characteristics necessary to grow and sustain permanent vegetation.
- Due to the presence of nutrients, the topsoil becomes very fertile which is very useful for agriculture purposes also.
- Soil organic matter, with carbon as its main component, is crucial to soil health and fertility, water infiltration and retention as well as food production.²
- Topsoil as a major carbon storage system, play a crucial role in conserving and restoring soils and are essential for both sustainable agriculture and climate change mitigation.
- The water is cleaned by topsoil as the water percolates through it and also is the habitat of many organisms.

2.2 Importance & Necessity of Check Dams

A **check dam** is a small, sometimes temporary, dam constructed across a swale, drainage ditch, or waterway to counteract erosion by reducing water flow velocity. Check dams can be either temporary (during construction) or permanent. It is a device constructed of angular or crushed stone, crushed concrete, gravel bags, fiber rolls, or other prefabricated products placed across a natural or man-made channel or ditch. Check dams are typically, though not always, implemented in a system of several dams situated at regular intervals across the area of interest.

Need for check dams arises due to following:

¹<https://apps.itd.idaho.gov/apps/env/BMP/PDF%20Files%20for%20BMP/Chapter%205/PC33%20%20Topsoil%20Management.pdf> - accessed on 21.06.2022

² <https://www.anaadifoundation.org/blog/ecology/why-our-topsoil-should-be-our-top-priority/> - accessed on 21.06.2022

- Check dams reduce scour and channel erosion by reducing flow velocity and encouraging sediment settlement by reducing the effective slope of the channel.
- Runoff water runs through and spills over the top of check dams and continues along the drainage way or swale. Check dams in a channel or ditch placed in series along gradients act like terraces. The primary purpose is to prevent channel erosion. It may be effective in removing large and dense particulates. The removal efficiency is typically less than 80%.³

2.3 Need/ Importance of Toe Walls

Retaining Walls are usually built to hold back soil mass. It's a structure that holds or retains soil behind it. There are many types of materials that can be used to create retaining walls like concrete blocks, poured concrete, treated timbers, rocks or boulders. To retain soil at a slope which is greater than it would naturally assume, usually at a vertical or near vertical position⁴. However, for aesthetic landscaping purposed retaining walls can also be constructed.

There are several types of retaining wall that can be used such as Gravity retaining wall, Cantilever retaining walls, Counter-fort retaining wall, Buttressed retaining wall, Sheet pile retaining wall, Bored pile retaining wall, Anchored retaining wall.

The main criteria behind the design of the retaining wall are to counter the downward slope movement of back filled soil by gravity. The lateral pressure developed behind the wall depends on the angle of internal friction & cohesive strength of retained materials. The lateral pressure can also be liquid (hydro-static pressure), and pressure from any type of back-fill material like sand, granular material, fly ash, etc. A proper drainage system is to be provided to reduce the hydro-static pressure⁵.

2.4 Need of stabilisation of dumps

Merely providing a toe wall is not enough. It is also necessary to undertake measures on the dump to ensure that it remains stable and does not erode excessively, slide or collapse. Hence, stabilisation of dumps is also necessary.

Mining companies are making higher and higher waste dumps for best utilization of land space. It is an important engineering aspect of an opencast mine because of its economic impact on production operations and safety to mine, machine and personnel. Steep slopes are favourable for economic reasons while low slopes angles are favoured for stability reasons. Any

³<https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/egle/Documents/Programs/WRD/NPS/Tech/BMP/bmp-check-dam.pdf?rev=d467e378185649d1bf2b540498670c1e> - accessed on 24.06.2022

⁴ <https://www.slideshare.net/snehacoutinho/retaining-walls-51775738> - accessed on 25.06.2022

⁵ <https://vincivilworld.com/2020/11/19/types-of-retaining-walls-materials-features-uses/> - accessed on 25.06.2022

compromise between these two options sometimes results in dump slope failures.

Stability of waste dump is mainly related to the design of slopes as well as the waste dump material properties. The factor of safety is thus dependent on the type and nature of the waste dump material as well as water content. To ensure dump stability from the geotechnical angle, slope stability study shall be carried out by the Company in due course and the dump construction shall be carried out as per the prescribed angles of slope for benches and the entire dump. The action of changes in pore pressure due to saturation of the dump during rainfall is also studied as a part of geotechnical stability.

This proposal shall restrict itself to the measures for stabilisation of the upper layer of the dump, which is exposed to natural elements such as rain water and high winds, which cause its erosion and consequently higher suspended solids in both rain water run off and air, respectively. The excess suspended solids in rain water lead to excess siltation in the downstream natural drains and therefore, the retaining toe wall with proper drainage system acts as the first activity for mitigation followed by check dams in the natural stream. In order to ensure that both the toe wall and check dams can function well, minimisation of erosion through soil stabilisation measures plays a major role.

3.0 MINING IN LEASE AREA

Out of 239 ha ML area, 141.43 ha land i.e. 59.17% will be disturbed by excavation till the end of life of OC mine. The featureless rolling topography and a thick soil cover in and around Bikram Block have completely masked the surface manifestation of the structural elements. Bikram Block being located in the central part of the Amlai-Burhar sub-basin of Sohagpur Coalfield is mainly covered by thin cover of soil and alluvium, ranging in thickness from 1.75 m to 8.55 m. The strata being soft, the depth of the weathering ranges between 8.35 m to 31.85 m below the surface. The total quantity of OB has been estimated as 36.81 Mcum, which includes 0.71 Mcum Top soil. Rock exposures are largely confined to seasonal nala sections.

To achieve 0.36 MTPA of coal production and to extract coal as much as possible, it is proposed to adopt both opencast method as well as underground mining method on three-shift basis. For open cast operation the top soil will have to be removed first with the help of 0.9 to 1.2 m³ hydraulic excavator in conjunction with 10T truck.

Out of the total project area of 239 ha, there will be two temporary surface dumps over 9.67 & 2 ha which will be rehandled and backfilled during the course of the mining. The maximum height of the surface OB dumps will be 35 m & 20 m, respectively, above the ground level. The entire land coming within lease hold area of coal mine is 239 ha which will be utilized for mining and ancillary activities. Top soil dump of 1.68 ha shall also be temporary in

nature and will be reused for plantation. The details for during Mining and post mine closure land use is given in **Table 1**.

TABLE 1: POST MINE CLOSURE LAND USE

Sl. No.	Type	Total Area
1.	Excavation/Quarry Area:	118.6
	(a) Backfilled areas	79.53
	(b)Excavated Void	39.07
2.	External Dump	0.00*
4.	Infrastructure including magazine	3.7***
5.	Road	3
6.	Water reservoir (settling pond)	0.60
7.	Green belt (including 7.5 m safety zone)	15.53
8.	Top soil dump	0**
9.	Undisturbed	97.57
	Total	239

Note: *11.67 ha was on mineral bearing area, rehandled & backfilled by 10th year

** 1.68 ha was temporarily stored on area that was later excavated and backfilled

*** maximum during life of mine shall be 6.7 ha

Source: BCL's ADS reply vide letter no. BCL/EC/Bikram/08/22 dated 26.03.2022 to MOEF&CC during environmental clearance process

3.1 Impact of mining in lease area on Soil

The impact of due to solid waste generation (**top soil and overburden**) from the mine will be as follows:

- a) **Top Soil:** The total topsoil generated will be 0.71 Mcum during the life of the mine. Allocated storage area will be 1.68 ha. The year wise cumulative generation of the top soil can be seen in **Table 2**. Displacement of soil will lead to the loss of its fertility if proper management is not adopted. In the process of displacement, sustainability of soil as a plant growth medium gets affected due to change in the soil structure by excavation and dumping, leaching out of nutrients due to rain, erosion due to both wind and water and loss of characteristics when required to be stored over long periods of time. In case, no mitigation measures are taken, top soil and/ or its sustainability of soil as a plant growth medium will be lost.
- b) **Overburden:** The total quantity of pure hard OB generation (excluding top soil) has been estimated as 36.10 Mcum. The year/ stage wise waste generation of Hard OB & Top Soil is given in **Table 2**.

TABLE 2: YEAR/ STAGE WISE QUANTITIES OF HARD OB & TOP SOIL

Year	Excavated area (Ha.)	Topsoil generated (Mcum.)	Pure OB generated (Mcum.)	Total waste generated	
				Progressive (Mcum.)	Cumulative (Mcum.)
1 st year	7.67	0.05	1.78	1.83	1.83
2 nd year	12.53	0.08	3.00	3.08	4.91
3 rd year	7.10	0.04	1.98	2.02	6.93

Year	Excavated area (Ha.)	Topsoil generated (Mcum.)	Pure OB generated (Mcum.)	Total waste generated	
				Progressive (Mcum.)	Cumulative (Mcum.)
4 th year	7.04	0.04	1.81	1.85	8.78
5 th year	7.20	0.04	1.80	1.84	10.62
Conceptual (23 yr.)	77.06	0.46	25.73	26.19	36.81
Total	118.60	0.71	36.10	36.81	36.81

Source:- Table 14.15 of Approved Mining Plan, March 2011

4.0 PRESENT SCENARIO IN CORE ZONE

4.1 OB Dumps in Core zone Area

The core zone is a virgin area at present and the mining is proposed to commence on obtaining all requisite permissions.

4.2 Rainfall Characteristics

An understanding of the rainfall intensity and duration is useful for the design of runoff control and drainage systems. In the absence of on-site specific intensity data, the calculation for drainage system, siltation and any other pertinent parameters will be based upon the long term rainfall data obtained from the nearest IMD Station at Umaria.

Although the mean annual precipitation in the region can go upto 1190 mm and the maximum 24 hour total rainfall of 365.3 mm has been recorded 19/08/1923, the challenge lies in establishing the intensity/ duration relationship that will allow definition of peak discharge values. Because the 24 hour rainfall event will comprise both high intensity short-duration storms and low intensity long-duration events, detailed information of which is not available, it becomes further challenging to make the calculations. The average intensity for the aforementioned 365.3 mm/day event is 15.2 mm/h. It is most unlikely that this rainfall event occurred at a constant intensity and that there were one or more high intensity events embedded in 24 hour period. In the absence of real intensity data, annual data as given in **Table 3** has been considered along with assumptions given in **Section 4.5**.

The month wise average maximum and minimum temperature, average monthly relative humidity at 08:30 hrs & 17:30 hrs and yearly total rainfall (mm), recorded at IMD station Umaria, have been furnished in **Table 3**.

TABLE 3: AVERAGE MONTHLY TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY AND RAINFALL (IMD STATION, UMARIA)

Months	Temperature °C		Relative humidity in %		Mean Rainfall	
	Min	Max	8.30 hrs	17.30 hrs	Rain (mm)	Rainy Days
January	7.70	25.10	81	55	20.3	1.9
February	10.40	28.10	71	47	20.0	1.8
March	15.30	33.60	56	34	13.0	1.1
April	20.50	38.90	43	29	8.2	0.9

Months	Temperature °C		Relative humidity in %		Mean Rainfall	
	Min	Max	8.30 hrs	17.30 hrs	Rain (mm)	Rainy Days
May	24.40	41.50	42	29	10.6	1.2
June	24.30	38.30	61	50	133.2	6.5
July	22.10	31.80	83	76	306.4	15
August	21.30	30.40	87	81	372.6	15.7
September	20.80	31.30	83	76	247.6	9.9
October	16.70	31.50	76	61	40.4	2.1
November	11.20	28.90	75	56	6.8	0.7
December	7.00	26.30	78	54	10.9	0.8
Average	16.81	32.14	70	54	Total = 1190	Total = 57.6

(Source: Climatological Normals, IMD Umariya, Madhya Pradesh)

From **Table 3**, it can be seen that, June to September are the months of heaviest rainfall with 89% of the rainfall occurring in these months, while in rest of months it is low. The annual rainfall varies from the lowest value of 6.8 mm in November to 372.6 mm in August. The annual average being 1190 mm.

4.3 Soil quality

Erosion is dependent on several factors including the nature of the soil, which is existing in the area where erosion is anticipated. Top soil samples were collected from eight locations- two from existing project site and six from study area during May 2020 and additional eight location in mine lease area during June 2022. The location of soil sampling stations are given in **Table 4** and shown in **Fig 2 & 3**.

TABLE 4: SOIL SAMPLING STATIONS

Station No.	Location	Distance, km & Direction	Present Land use	Proposed land use
Soil Samples collected during May 2020				
1	Core zone near Bartara village	Core zone	Agriculture	No change
2	Core zone near Gopalpur	Core Zone	Agricultural	No change
3	Chauradih village	1.5, NW	Agriculture	No change
4	Dhanpuri village	1.5, ENE	Barren Land	No change
5	Naugama village	1.8, S	Agriculture	No change
6	Karkati village	0.9, S	Barren Land	No change
7	Burhar village	3.2, NE	Barren Land	No change
8	Singhpur village	5.3, WNW	Agricultural	No change
Soil Samples collected during June 2022				
1	Gopalpur Village (under proposed Green Belt 7.5m)	Core zone	Agricultural	Green Belt
2	Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed undisturbed forest area)	Core zone	Forest	Undisturbed
3	Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)	Core zone	Forest	Open cast pit
4	Gopalpur Village (Dump Site 1)	Core zone	Agricultural	Dump
5	Burhar RF (under proposed open	Core zone	Forest	Open cast pit

Station No.	Location	Distance, km & Direction	Present Land use	Proposed land use
	cast pit area)			
6	Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)	Core zone	Agricultural	Open cast pit
7	Burhar RF near Bartara village (under proposed open cast pit area)	Core zone	Forest	Open cast pit
8	Burhar RF near Bartara Village (under proposed 50 m green belt area)	Core zone	Forest	Green Belt

The soil sampling at above locations can be seen in Fig 1.

FIG 1: CONSOLIDATED AREAS WHERE SAMPLES OF SOIL WERE TAKEN IN THE STUDY AREA



	
Naugama	Karkati
	
Burhar	Near Singhpur
Soil sample collected in June 2022	
	
Gopalpur Village (under proposed Green Belt 7.5m)	Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed undisturbed forest area)

	
<p>Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)</p>	<p>Gopalpur Village (Dump Site 1)</p>
	
<p>Burhar RF (under proposed open cast pit area)</p>	<p>Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)</p>
	
<p>Burhar RF near Bartara village (under proposed open cast pit area)</p>	<p>Burhar RF near Bartara Village (under proposed 50 m green belt area)</p>

Methodology

Soil samples were collected from a depth of 15 cm, 30 cm and 45 cm by digging a pit at the appropriate location with the help of a spade and a 'Khurpi'. The excavated soil from each location was mixed thoroughly and

about 1 kg of mixed sample was collected. The sample was packed in a polyethylene bag, sealed and brought to the laboratory.

After drawing sample for moisture content, the remaining sample was air dried for few days. For chemical characteristics, air-dried sample was ground in an agate mortar with the help of a wooden hammer and passed through a 2-mm (10-mesh) sieve. The coarser materials were rejected and the sieved material was sampled by the standard 'cone and quartering' method. Characterization of soil sample was performed by adopting methods prescribed under relevant parts of IS:2720, "Indian Standard Methods of Test for Soils".

FIG 2: LOCATION OF SOIL SAMPLING STATIONS (MAY, 2020)



FIG 3: LOCATION OF SOIL SAMPLING STATIONS (JUNE, 2022)



Results

The analysis results of soil quality of the study area is summarised in **Table 5** and given in detail in **Annexure XII**.

TABLE 5: SOIL ANALYSIS RESULT

Parameters	Unit	Result
Textural Classification		Fine to medium grained sand
pH		4.6-6.9
Electrical Conductivity	µS/cm	18.6-142.2
CaCO ₃	% by mass	2.0-6.5
Specific Gravity		2.05-2.67
Moisture	% by mass	0.596-15.363
Organic Carbon	% by mass	0.14-0.67
Organic Matter	% by mass	0.24-1.50
Phosphorous as P ₂ O ₅	mg/kg	0.38-5.43
Nitrate-Nitrogen	mg/kg	0.2-6.2
Sodium	kg/ha	96.32-278.88
Potassium	kg/ha	74-596
Calcium ²⁺	me/100gm soil	1.4-9.4
Magnesium ²⁺	me/100gm soil	0.4-2.2

Source: Test Report no. MMS/06-2020/19 & MMS/06-2020/19A dated 03.06.2020 and Test Report no. MMS/06-22/39 & MMS/06-22/39 dated 17.06.2022 by Min Mec R&D Laboratory, Delhi

Interpretation

Particle size analysis shows that the texture of the soil is of fine to medium grained sand. pH has been observed to slight acidic to neutral and electrical conductivity normal in nature. The soil is deficient in phosphorus, calcium and nitrogen at all locations.

4.4 Top Soil Removal and Use

As on date, no top soil has been removed for mining purpose.

4.5 Erosion Potential and Sediment load based on Slope

The quantum of sediment load carried by water depends upon the magnitude of flow, rainfall intensity, nature of formation, vegetation cover and slope. The adverse impact caused due to movement of sediment and land degradation need to be managed. To draw mitigation plan the quantum of sediment needs to be estimated on account of mining activity. The standard method for estimation of water erosion and sediment removal is by universal equation developed by U.S. Dept. of Agriculture, which is as under.

$$A = RKLSCP$$

Where

- A = Average annual soil loss tonnes/ ha
- R = rainfall-runoff erosivity factor* = $81.5 + 0.38R_n$ (in mm/ha.hr)
 (where, R_n = Rainfall range from 340 mm to 3500 mm)
- K = Soil erodibility factor, in this case**
- LS = slope length and steepness factor in m/m***
- C = cover management factor#
- P = support practice factor##

* Considering the rainfall 1190 mm/ year recorded at IMD Umaria for the period 1981-2010, rainfall-runoff erosivity factor calculated as 571.7 MJ-mm/ha.hr.

** The soil erodibility factor is 0.05 (for Loamy Sand with OM<2% as per Table no 13.3, Page no 349 of Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming by Kumares C. Sinha, Samuel Labi).

*** The slope length steepness factor has been taken as 11.564 (as per Table of LS values for freshly prepared construction and other highly disturbed soil with little or no cover) since the dump bench slope is 57.80% with base width 34.6 m (top width 10 m) and height 20 m.

Cover management factor has been considered as 0.05 as perennial grass will be planted. Without grass, it would be 1.0 i.e. in absence of control measure.

Whereas, support practice factor 0.9 has been considered as the surface of the dump will be rough, irregular, having track movement in all direction. When in loose condition, it would rise to 1.0 (without control measure).

The dump are the main source of generation of sediment load in mining industry. The sediment has been worked out based on aforesaid method and given in **Table 6**, with and without control measures.

TABLE 6: SEDIMENT LOAD (TONNE)

Source	Area, ha	Average annual soil loss, tonnes/Hectare		Total annual soil loss, tonnes	
		Without CM	With CM	Without CM	With CM
Surface dump	11.67	691.7	31.1	8072.6	363.7
Top soil dump	1.68	691.7	31.1	1162.1	52.3
Total				9234.7	416

Thus, with mitigation measures on the dump slope, the erosion will reduce by 22.2 times. In the course of mining when the dump slope will be matured it will be fully covered with coir mat and plantation there by the sediment load from the dump will be nil.

Furthermore, the erosion that will still occur will be captured by garland drain with baffle walls. They shall be provided along the dump which will carry water to the rain water harvesting tank where sediment will settle down most of the time (when meeting retention time), except when sufficient time does not elapse during high rains.

The sediment load will be dredged and disposed in the OB dump. Coir matting will be done on inactive part of the dump gradually and to cover fully after total dump becomes in active which will help zero silt load from the dump.

4.6 Drainage Pattern Outside ML Area

There are a number of nalas present in the study area. When the mine becomes operational, the erosion that will take place from the dump area, can directly or indirectly lead to increase in siltation in the downstream nalas. Surpha nala, Baisaha nala, Kathaha nala and Utaila nala controls the drainage of west portion of the study area and joins to fall into the Son river at a distance of 12 km in North direction from the project. Nargara nala, Bagaiha nala and Gahiradhara nala are present in the eastern portion of the study area and join the Son river at a distance of 8.9 km in North East direction. Besides this, several water pond and nala are present in the study area. The topography and drainage map of core and buffer area is shown in **Fig 4**.

The river and streams found in study area are given in **Table 7**.

TABLE 7: WATER BODIES IN THE STUDY AREA

Sl. No.	Name of the river	Distance w.r.t. mine	Direction w.r.t. mine
1.	Son river	8.9 km	NE
2.	Baisaha nala	1.5 km	SW
3.	Surpha nala	2.7 km	W
4.	Nargara nala	1.7 km	SE
5.	Bagaiha nala	4.1 km	SE
6.	Belha nala	5.3 km	E
7.	Barua Nala	3.4 km	SW
8.	Kathaha nala	5.2 km	W
9.	Utaila nala	4.5 km	WNW
10.	Gohita Nala	5.6 km	SW
11.	Gahiradhara nala	4.9 km	SE
12.	Chirdaha Nala	9.2 km	NW
13.	Jamumba nala	1.9 km	N
14.	Kasai nala	5.7 km	NE
15.	Ram Sagar	6.4 km	SE
16.	Garjar Talav	2.8 km	S
17.	Hutiha Talav	5.3 km	SSE
18.	Ragha Pond	6.4 km	WNW
19.	Semra Dam	4.7 km	N

Sl. No.	Name of the river	Distance w.r.t. mine	Direction w.r.t. mine
20.	Bhuti Talav	2.8 km	NE

Field visit findings: There is no stream flowing in the mining lease area. In the study area there are three location have been observed where the check dams can be constructed. The information of the same is given **Table 8**.

TABLE 8: OBSERVED LOCATIONS FOR CHECK DAM CONSTRUCTION

Sl. No.	Stream/ nala with location	Width of stream/ nala (m)	Depth of water observed (m)
1.	Nala near Charadih	4	0.3
2.	Baisaha nala near Majhiyar	10	1.5
3.	Nala near Jamuniha	15.2	7.6

Location of the above is seen in **Fig 4**.

5.0 PROPOSAL FOR TOP SOIL MANAGEMENT AND STABILISATION OF OVER BURDEN DUMPS IN PROJECT AREA & SOIL CONSERVATION IN STUDY AREA


Stabilisation of Over Burden Dumps

As per the approved mine plan, OB will be dumped in the external and internal dumping area at the natural angle of response to avoid sliding of OB. The dumps will be properly compacted and planted as soon as ultimate height is achieved. Water channels will be planned with intermediate, muck arresting pits so as to prevent any accumulation of water and erosion of dumps. The overall gradient of the dump shall not be more than 28°. A systematic study will be commissioned to study the various slope stability parameters to reach at the optimum slope angle during mine operation period.

In addition to the above, following activities shall be carried out in the project area that will have an impact on the dump stabilisation:

- a. The sludge removed periodically from the septic tanks in the mining area would be organic in nature. The organic matter will be composted and used as manure for the plantation to be carried out on the dumps.
- b. The silt and soil sludge in settling ponds will be periodically removed and disposed in the overburden dump area.
- c. The municipal solid waste comprises of (i) organic, (ii) inorganic or recyclable and (iii) non-biodegradable components. The waste shall be segregated at source and the organic component shall be composted at the designated site within the project area. The composted matter will be used as manure in plantation in dump.

FIG 4: DRAINAGE MAP



- d. One of the major criterion for dump management is proper drainage of the working. Water management is of critical importance in the control of erosion, sediment generation, and slope stability. Therefore, following measures shall be undertaken:
- Peripheral bunds will be erected on the outer edge of the abandoned benches before reclamation so that the soil is not carried away by storm water.
 - A water gradient of about 1 in 100 will be kept at every bench towards inside of the bench to prevent formation of gullies in the bench slopes causing serious erosion.
 - Stone pitching will be made at suitable location to regulate water flow and prevent soil erosion.
 - Construction of garland drains around freshly excavated and dumped areas so that flow of water with loose material is prevented. The mine water will be passed through settling ponds prior to discharge.
 - Any areas with loose debris within the lease hold will be planted.
 - Check dams can be constructed on the first order streams, on stretched outside project area. These checkdams will minimise solids from mining activities from washing into the larger rivers.
 - Geotextiles or plantation will be used to stabilise the dumps and backfill to minimise soil erosion.

Outside mine lease area i.e. in study area

- Guide local villagers to participate in Soil Health Management (SHM) scheme under National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA). SHM aims at promoting location as well as crop specific sustainable soil health management and judicious application of fertilizers.
- Under SHM, establishment of soil testing labs in one of the components which are mainly located at district / block level. Therefore, the Ministry of Agriculture supports establishment of village level soil testing projects with the objective of employment generation for rural youth and to improve timeline in analysis of soil samples. The Company will guide the local youth to participate in such programs.

6.0 PROCEDURE ADOPTED FOR TOP SOIL MANAGEMENT AND STABILISATION OF OVER BURDEN DUMPS

6.1 Top Soil Removal and Use

About 0.71 Mcum of topsoil will have to be handled from areas to be excavated. Topsoil will be kept over an area of 1.68 Ha. The height of the

stacks will be kept less than 3 m. Extra generation of top soil will be utilised in two ways, part of the surplus top soil will be used for reclamation annually, whereas the rest will be stacked at pit head temporarily for consecutive laying over backfilling. Usually about 0.5 m thick layer of topsoil will be laid for afforestation. Topsoil availability and utilisation are shown in **Table 9**.

TABLE 9: DETAILS OF TOP SOIL REMOVAL & USE (MILLION CUM)

End of year	Top soil available	Topsoil utilised	Topsoil stack
1	0.05	0.02	0.03
2	0.08	0.05	0.03
3	0.04	0.03	0.01
4	0.04	0.03	0.01
5	0.04	0.03	0.01
Conceptual (23 rd)	0.46	0.46	0
TOTAL	0.71	0.62	0.09

6.2 Geo-textiles Coco-Filter for Sedimentation Control

Geo-textiles act as a reinforcing element to the soil matrix helping to provide a stronger structural material. A geo-textile must be able to transfer its strength to the soil it is reinforcing. It must maintain that strength for maximum effectiveness and allow water to easily pass through while filtering out fine materials that can weaken the soil. Because of this, the most important performance criteria for geo-textile reinforcement are grab strength, elongation, tear, and mass⁶. The function of geo-textiles are separation, filtration, drainage, reinforcement and protection.

In mining lease area, geo-textiles will be used in association with the soil. Coco-Filter and Geo-textiles are designed and developed to find an appropriate solution to the severe ecological problems. Coco-filter and geo-textiles are revolutionary eco products used as a structural and rooting mechanism for bioengineered systems. These filters can be used to provide filtration, perimeter protection, settling, reduction in water velocity/erosive forces and habitat protection.

Once installed, Coco Filters act to collect sediment and slow surface water movement and enable the establishment of vegetation. It will provide sufficient protection for the vegetation to grow into the embankments and take over the long term stabilization.

Coco Filters are the cost effective eco friendly alternative techniques. Coconut Fibres decompose naturally making them perfect for use in environmentally sensitive areas.

⁶ <https://www.iwtcargoguard.com/functions-geotextiles-soil-stabilization/> - accessed on 27.06.2022

FIG 5: COCO FILTER



Coco Filters



Vegetated Coco Filters

Specification

Product - Coco Filter

Material - 100% Coconut Fibre

Diameter - 30cm

Length - 3m

Netting – Polymer

Staking rate - 4 - 6 stakes per Coco Filter

Life Expectancy - 4-6 years depending upon the surrounding environment

Advantages

- The Coco Filters are an economical, durable and biodegradable material.
- Great for use in catch basin protection, keeping unwanted pollutants from entering into sewer systems.
- Coco Filters will collect silt and sediment and slow water velocity whilst reducing erosion.
- A perfect cost effective bio-engineering product for natural water management.

Cost Benefit:

- Coco filter cost can be recovered instantly as it will retain the precious ore contained silt in the mining areas which can fetch a good market value.
- Providing sustainable ecological cost effective solution to the problems related to water pollution which will affect the health of the mankind.
- Low Capital Investment and Maintenance free.
- Eco Compatible and meeting the requirement of regulatory authorities.
- Best Eco Restoration Technique for improving the quality of water in compare with other product and technique.

- This will help in improving the water holding capacity in the water courses, which will also save the de-silting cost of costly lake ponds and reservoirs.
- This technique could be a preventive measure as Silt & Sedimentation movement into the river leads to flood which will cause loss of precious life, property, crops etc. which cannot be assessable.

FIG 6: APPLICATION OF COCO FILTERS FOR CONTROLLING SOIL EROSION ON SLOPES



6.3 Reclamation Plan for minimisation of soil erosion

Reclamation is the process by which derelict or highly degraded lands are returned to productivity, and by which some measures of biotic function and productivity is restored. Long term mine spoil reclamation requires the establishment of stable nutrient cycles from plant growth and microbial processes⁷.

Reclamation of external surface OB dumps as well as top soil dump will also eventually take place. Reclamation Plan in an area of 99.363 ha, comprises of 79.53 ha of internal/ backfilled dump, 11.67 ha surface dump, 0.2 ha magazine, 0.6 ha water reservoir, 3.5 ha facility and 15.53 ha green belt.

The following points shall be taken for reclamation:

- The general choices of flora species will be site-specific that include herbs, grasses, shrubs, tree species (native). The species proposed are Sal, Mahua, Gulmohar, Neem, Siris, Acacia, Casuarina, Mango, China rose, Kaner, etc.
- Procurement of good quality seeds is the foremost requirement for carrying out any plantation programme.
- Planting can be done by various means:
 - **Seedlings:** Seedling planting is most often used to establish trees, or shrub species.
 - **Bulbils:** Species such as Agave can be propagated through bulbils.

⁷ https://www.researchgate.net/publication/342831801_A_HANDBOOK_ON_MINE_RECLAMATION - accessed on 27.06.2022

- **Slip/culms/clumps/rootstock:** The species such as grasses can be planted through slips, culms, clumps, rootstock etc⁸.

Biological restoration needs certain techniques for faster reclamation of any degraded land or any polluting areas of mining, OB dumps, as the growth of the plant is hampered due to lack of water, basic nutrients like nitrogen, phosphorous and potassium and maintenance. The best cost effective and performance oriented solution for this problem is to grow the plant to the maximum extent in nurseries and once it sustains on its own the same could be planted in the degraded land along with the bag without disturbing the root system. The plant mortality is always higher due to lack of watering and maintenance in any mining OB dumps. This technique will be cost effective and economical as watering and maintenance cost will be saved and it will also enhance the survival rate of the plants.

A plantation program over life of mine has been planned in a phase wise manner. The plantation shall be started from first year of mining and till conceptual period and about 248408 nos. trees shall be planted. The total plantation till the end of life of mine, shall be done on 99.363 ha. The stage wise cumulative plantation are tabulated in **Table 10**.

**TABLE 10: REQUIREMENT OF PLANTS
(YEAR/STAGE WISE AND LOCATION WISE)**

Mine stages	Cumulative year wise biological restoration, (area in hectare)										Nos. of trees @ 2500 per ha	Cumulative Budget, Rs. Lakh
	Backfilled area	Surface dump	Top soil Dump	Maga-zine	Roads	Water reservoir (settling pond)	Facility	Green belt	Undisturbed	Total		
1 st year	0		0	0	0	0	0	10	0	10	25000	75
2 nd year	0	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	27.2	68000	174.825
3 rd year	7.64	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	34.84	87100	213.025
4 th year	11.17	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	38.37	95925	230.675
5 th year	16.52	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	43.72	109300	257.425
10 th Year	32.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	48.05	120125	337.425
15 th year	48.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	64.05	160125	417.425
20 th year	64.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	80.05	200125	497.425
End of mine	79.53	0	0	0	0	0	0	15.53	0	95.063	237658	572.49
PMC	79.53	0	0	0.2	0	0.6	3.5	15.53	0	99.363	248408	593.99

Source: *BCL's ADS reply vide letter no. BCL/EC/Bikram/08/22 dated 26.03.2022 to MOEF&CC during environmental clearance process*

The point wise reclamation plan is discussed below:

1. The post mine closure land use of project area shows that all the disturbed areas will be reclaimed before abandoning the mine except the voids of 39.07 ha having depth 60 m, left at the end of the mining operations.

⁸https://www.researchgate.net/publication/342831801_A_HANDBOOK_ON_MINE_RECLAMATION - accessed on 27.06.2022

2. Transportation and unloading of top soil at green belt or reclamation site will be undertaken. It will be levelled before plantation. It will be preferred to bring topsoil directly from the freshly excavated area to extract maximum benefit.
3. It is proposed to lay about 0.5-1m thick layer of top soil during leveling. In case of OB dumps, after leveling by the dozers, topsoil will be laid over it for reclamation. In case the soil is not adequate, the deficiency will be made up from the top soil stack. Reclamation programme will be done simultaneously with mining.

Whole of the excavated area is proposed to be developed into a picnic spot due to the formation of water body created as a result of the left out void. The water body will be used for irrigation, watering the forest at earlier stages and it will also attract avifauna.

6.4 Post plantation care


The plantation care is very important to make sure that the plants survive for most of the days. The funds for maintaining the plants for the first five years after the plantation may be kept. Many steps will be taken immediately after planting the seedlings, such as daily watering on plants, manuring on soil, spraying insecticides on leaves if it's infected by insects, etc. Replacement by fresh saplings will also be taken in case of uprooting and destroying of diseased and dead plants. Regular monitoring on survival rate and remedial action shall be taken in well organized manner.

7.0 PROCEDURE FOR CONSTRUCTION OF RETAINING WALLS

The project involves diversion of 151.095 ha of forest land for industrial purposes.

7.1 Brief details of the Retaining Walls (app)

Examples of toe walls constructed for stopping the sliding down of waste dump in other mines are shown below in figures given below:



Source: Noamundi Mine Iron Mine Tata steel limited




At South Kaliapani Mine, retaining wall & garland drains are built to take care of run-off water, arrest silt & sediment flows from OB/mineral dumps. The water so diverted is put to use for watering the mine area & Greenbelt development. (Source: Orissa Mining Corporation). The above are shown as a reference to aid the project proponent to prepare similar toe walls.

7.2 Proposed Cross section of Toe wall

For the given project, a cross section for the toe walls for both Dump 1 & Dump 2 are proposed in **Fig 7**.

FIG 7: CROSS-SECTION OF TOE WALL



Dimensions of toe wall for dump-1, dump-2 and top soil dump


Type	:	Gravity toe wall of Boulders
Height above ground level	:	1.75 m
Base width	:	4 m (1+1.5+1.5 m)
Top width	:	1.5 m
Stem thickness at bottom	:	0.75 m
Length	:	1668 m (dump-1), 573 m (dump -2), 558 m (Top soil dump)

The drainage channel that has to be constructed along the toe wall should take into account the following:

➤ Drainage channel design:

Parameter	OB Dump 1	OB Dump 2	Top soil Dump
Area, m ² (A)	96700	20000	16800
Rainfall (R), m, max in 24 hrs	0.365	0.365	0.365
Design peak run off, cum/day	35295	7300	6132
Design peak run off, lps	408.5	84.5	71.0
Section of garland drain:	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal
Drain top width	1 m	1 m	1 m
Drain bottom width	0.4 m	0.4 m	0.4 m
Drain free board	0.4 m	0.4 m	0.4 m
Drain side slope	1in 0.5	1in 0.5	1in 0.5
Drain hydraulic gradient	1 in 100	1 in 100	1 in 100
Drain capacity as per Manning's formula	814 lps	814 lps	814 lps

Therefore, the following section will be suitable for the toe wall drain based on Mannings formula:

Shape of Channel	Trapezoidal			= 2.00 m/m or 1 in 0.5
Dimensions				
Width (W)	0.4 m			
Depth (D)	0.6 m			
Side Slopes (G)	200 %			
Hydraulic Gradient (S)	1 %		= 0.01 m/m or 1 in 100	
Roughness Coefficient (n)	0.02			
$Q = \left\{ \frac{1}{n} + \left(\frac{A}{P} \right)^{2/3} + S^{1/2} \right\} A$				
Results				
Velocity (v)	1.94 m/s			
Flow (Q)	814 l/s			= 0.8 m ³ /s

- Design has to be done for an artificial drain for stormwater management.
- The design has to ensure that drain carries the design storm flows without overtopping, carry those flows without being excessively eroded, and are economically constructed and maintained.
- Design of trapezoidal channel has been chosen
- Flow will be under gravity
- The mining plan and EIA report has stated the garland drain to be 1 m X 1 m in size.
- Hence, Manning equation for open channel has been chosen to check the section adequacy of the 1 m X 1 m section
 - Identify all hydrology issues that are required to achieve the objective of the system.
 - Avoid right-angle bends in drains.
 - Avoid abrupt changes in drain gradient unless there is compensation in drain geometry.

- The uncontrolled discharge to 'natural surface' is to be avoided as this will simply put pressure on the system somewhere else. What was controlled channeled flow suddenly becomes uncontrolled overland flow.
- Suspended sediment contained in discharge will be deposited on the floor of the drain with reductions in velocity caused by a change in geometry or a reduction in gradient.
- Out of the various types of drainage channel configurations available (trapezoidal, triangular, parabolic), the trapezoidal channel is recommended because it is easier to maintain and are more tolerant of hydraulic variations.

7.3 Consolidated Map of Areas where Top Soil Management for minimising Soil Erosion is required within Mine Lease area

As described earlier, for minimisation of soil erosion Geo-textile Coco filter shall be used during dumping of top soil and OB, additionally Toe walls will be constructed around the dump site which will help in retaining dumped soil at its position. The locations of the dump sites within mine lease area are shown in **Fig 8**.

FIG 8: LOCATION PLAN SHOWING OB AND TOP SOIL DUMPS




8.0 PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF CHECK DAM

As per the topography of the study area two Nalas have been identified in the buffer zone wherein two checkdams will be constructed to arrest eroded soil carried by run off water during monsoon season. The details of nala are given below:

Location & Details of Nalas

Proposed Check Dam 1	Proposed Check Dam 2								
Location	Location								
Nala near Chauradih	Nala near Jamuniha								
Latitude & Longitude	Latitude & Longitude								
Latitude: 23°11'43.86"	Latitude: 23°12'57.408"								
Longitude: 81°27'42.024"	Longitude: 81°29'7.812"								
Photographs	Photographs								
									
EXISTING NALA DIMENSIONS	EXISTING NALA DIMENSIONS								
Width of Nala: 4 m Depth of Nala: 1.2 m Depth of water level in Nala: 0.3 m Depth of nala is uniform at all width at study point.	Width of Nala: 15.2 m Depth of Nala: 7.6 m Depth of Water Table: <table border="1" data-bbox="874 1339 1481 1599"> <thead> <tr> <th>Depth of Jamuniha Nala at various points (m)</th> <th>Depth of water level measured in nala (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 to 3.8</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>3.8 to 11.4</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>11.4 to 15.2</td> <td>0.6</td> </tr> </tbody> </table>	Depth of Jamuniha Nala at various points (m)	Depth of water level measured in nala (m)	0 to 3.8	0.6	3.8 to 11.4	0.9	11.4 to 15.2	0.6
Depth of Jamuniha Nala at various points (m)	Depth of water level measured in nala (m)								
0 to 3.8	0.6								
3.8 to 11.4	0.9								
11.4 to 15.2	0.6								
PROPOSED CHECK DAM DIMENSIONS:	PROPOSED CHECK DAM DIMENSIONS:								
Length across stream: 6 m Height(H): 1 m Base width (L): 0.67 m (consider 0.67 x H)* Thickness of base(D): 0.1 m (consider 0.1 x H)* Width of toe(B): 0.33 m (consider 0.33 L)* Stem thickness at the top(T): 0.25 m (minimum)* Stem thickness at the bottom(B): 0.1 m (consider 0.1 x H)*	Length: 18.2 m Height(H): 1 m Base width (L): 0.67 m (consider 0.67 x H)* Thickness of base(D): 0.1 m (consider 0.5 x H)* Width of toe(B): 0.33 m (consider 0.33 L)* Stem thickness at the top(T): 0.25 m (minimum)* Stem thickness at the bottom(B): 0.1 m (consider 0.1 x H)*								

FIG 9: CROSS SECTION OF PROPOSED CHECK DAM



*Design basis source:
<https://www.thestructuralworld.com/2019/03/04/design-of-retaining-wall/>

Location of check dams is given in **Fig 10** and **Fig 11**.

FIG 10: LOCATION OF PROPOSED CHECK DAMS ON GOOGLE EARTH




FIG 11: LOCATION OF PROPOSED CHECK DAMS ON TOPOSHEET



8.1 Materials

Materials and design may vary according to need and conditions. The other materials such as Gravel bags, prefabricated synthetic products are other options according to availability. However, in this case, crushed or angular aggregate (stone or crushed concrete) within cement underlain with geotextile is proposed.

8.2 Maintenance

Check dams should be inspected weekly before commencement of monsoon and during monsoon. Washouts, sidecutting, undercutting, scouring, and deteriorating gravel bags should be repaired immediately. If erosion occurs between check dams, install a protective channel liner (riprap, mulch blanket, etc.), or additional check dams.

9.0 BUDGETARY PROVISION AND IMPLEMENTATION SCHEDULE

(a) Budget Provision for Check Dam to capture eroded soil and prevent choking of streams

Total expected cost for check dams: 6 lakh + 6 lakh = 12 lakh

Implementation Schedule: Construction time will be one month.

(b) Budget Provision for Toe Wall to prevent sliding of dump

- Cost per running meter: Rs. 1,000
- Total cost for toe walls around Dump-1: Rs. 5,73,000
- Total cost for toe walls around Dump-2: Rs. 16,68,000
- Total cost of construction : Rs. 22,41,000

Implementation Schedule: Before the commencement of dumping top soil and OB.

(c) Geotextiles on overburden dump and top soil dumps to minimise soil erosion, sliding of dump and choking of streams:

Sl. No.	Land use at different stage of mine	Area (ha)					
		1 st year	2 nd year	3 rd year	4 th year	5 th year	End of mine
1.	Surface dump	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	Rehandled & removes
2.	Top soil Dump	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	Rehandled & removed
	Total	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	-

Sl. No.	Land use at different stage of mine	Area (ha)					End of mine
		1 st year	2 nd year	3 rd year	4 th year	5 th year	
	% area under geotextiles at any time	10%	15%	15%	15%	15%	-
	Total Cost (@Rs. 1.5 lakhs/ ha)	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	

Grand Total = Rs. 14 lakhs

(d) Budget for Plantation and Green Belt Development

Sl. No.	Particulars	No. of equip./ items	Unit cost, Rs. lakhs	Total cost, Rs. lakhs
1.	Green belt area (Hectare)	15.53	3.00	46.59
2.	Plantation on backfill (300 Rs./plant x 1500 plants / ha over 79.53 Ha.)	79.530	4.50	357.89
3.	Nursery development for supply of plants	LS	15.00	15.00
	Total Cost			419.48

**PROPOSAL FOR PLANTING ADEQUATE DROUGHT
HARDY PLANT SPECIES AND SOWING OF SEEDS
TO ARREST SOIL EROSION**

FOR

BIKRAM COAL MINE

(UNDERGROUND & OPENCAST)

**(CAPACITY: 0.36 MILLION TONNES PER ANNUM,
ML AREA: 239 HECTARE)**

AT

**VILLAGE: BARTARA AND GOPALPUR,
DISTRICT: SHAHDOL, MADHYA PRADESH**

Project Proponent:



BIRLA CORPORATION LTD.

Industry House, 2nd Floor, 159, Churchgate Reclamation,
Mumbai City-400020, Maharashtra

Phone: +91 22 4343 5400 / 2204 8467; Fax: +91 22 2204 3615

E-mail: sandeep.jain@birlacorp.com; Website : <https://www.birlacorporation.com>

**Prepared in compliance to point no. VIII(b) of section B of Stage-I
Forest Clearance under the Forest Act, 1980 received vide
F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022**

Issue 1 Rev. 0 (UID No. 202302002) February 2023

Prepared by:



Estb. 1983

MIN MEC CONSULTANCY PVT. LTD.

A-121, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi – 110 030
Ph : 91-11-29532236, 29535891; 29532568, Web site: <http://www.minmec.com>

Email: mining@minmec.com; minmec@gmail.com



An ISO 9001:2015
approved company

CONTENTS

Sl. No.	Description	Page No.
1.0	Introduction	1
1.1	Need for Study	1
2.0	Requirement of species	1
2.1	Soil erosion prevention	2
2.2	Hardiness	2
2.3	Need for plantation of drought hardy plantation	4
2.4	Importance of Soil Moisture Conservation	6
3.0	Mining in lease area, present status of soil & flora and impacts	7
3.1	Mining	7
3.2	Status of upper strata & top soil within mine lease	7
3.3	Soil sampling within core zone area	7
3.4	Impact of mining in lease area on top soil	10
3.5	Present scenario of Flora in mine lease	11
3.6	Impact of mining in lease area on Flora	13
4.0	Management to control issues caused by the Mining in ML Area	14
4.1	Proposed plantation within mine lease area	15
4.2	Selection of species	16
4.3	Plantation process including sowing of seeds	20
4.4	Post plantation care	20
4.5	Soil moisture conservation measures	20
5.0	Budgetary provision	21

LIST OF TABLES

Table No.	Particulars	Page No.
Table 1:	Soil sampling stations	7
Table 2:	Results of soil samples	10
Table 3:	Flora species found within mine lease area	11
Table 4:	Requirement of plants (year/stage wise and location wise)	15
Table 5:	Species proposed for plantation	16
Table 6:	Budget for greenbelt and plantation	21

LIST OF FIGURES

Fig No.	Particulars	Page No.
Fig 1:	Drought map of the country	5
Fig 2:	Location of soil sampling stations	8
Fig 3:	Mine stage at the conceptual stage showing proposed plantation	19

PLANTING ADEQUATE DROUGHT HARDY PLANT SPECIES AND SOWING OF SEEDS TO ARREST SOIL EROSION

1.0 INTRODUCTION

Bikram Coal Mine represents the northern contiguous area of the Karkati Sector of the Sohagpur Coalfield. The area of the block is 239 ha lying in villages Bartara and Gopalpur of Tehsil Burhar, District Shahdol, Madhya Pradesh. The Mine Lease area is 239 Ha. Project Area is also same i.e. 239 ha. It is located approximately 7 km SW of Burhar town, in the western part of Sohagpur Coalfield, in Shahdol district of Madhya Pradesh. It covers an area of 239 ha for extraction of coal by opencast and underground method. The coal will be extracted by both opencast and underground method. The mine lease has total forest area of 151.095 ha out of which 142.075 ha is Reserved Forest and about 9.020 ha is Revenue Forest.

The Coal block was allocated to M/s Birla Corporation Limited on 12th August 2008, and post de-allocated as per order of Hon'ble Supreme Court of India in 2014, reallocated vide vesting order no. NA-104/ 1/2019-NA, dated 10th February 2020 by Ministry of Coal for supply of coal to its integrated cement & captive power plants, through the auction process under section 6 of the Coal Mines (Special Provisions), Act 2015.

1.1 Need for Study

M/s Birla Corporation Limited (BCL) has obtained an Environmental Clearance for Birla Coal Mine vide MOEF&CC letter no. IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) dated 20.05.2022. The forest diversion under section 2 (ii) of Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 151.095 ha of forest land for non-forestry purposes was initiated & revived vide proposal no. FP/MP/MIN/49537/2020 dated 09/09/2020. After consideration of the proposal made by the Bikram Coal Mine, the MoEF&CC, Government of India accorded Stage-I under the Forest Act, 1980 vide F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022. There are several conditions to be complied and compliance is to be fulfilled for the Stage-II approval.

In context of above, the sub-point (b) of point no. VIII (b) of B section of Forest Clearance Letter (vide File No. 8-34/2021-FC dates 21.04.2022) states that "*Planting of adequate draught hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion*". Hence, the need to prepare a report on plantation of draught hardy species and sowing of seeds to arrest soil erosion has been envisaged.

2.0 REQUIREMENT OF SPECIES

As per the requirement of the sub-point (b) of point no. VIII (b) of B section of Forest Clearance Letter (vide File No. 8-34/2021-FC dates 21.04.2022),

plant species needs to be draught hardy plant and also capable of arresting soil erosion. Both these aspects are discussed below.

2.1 Soil erosion prevention

Soil erosion is a process which occurs gradually in which the upper layer of soil is moved by different agents like water, wind, and mass movement. The action of these agents removes the most fertile top layer of soil and is called soil erosion. Human activities like deforestation enhance soil erosion, which in turn lead to deterioration of soil quality and adversely affects the ecosystems.

Planting trees and plants reduces soil erosion through following mechanisms:

- 1) Trees reduce the effect of erosion agents using their root systems and foliage.
- 2) Large canopies of trees reducing the impact of rain falling onto the ground since the water moves down the leaves and branches and is gradually absorbed into the soil instead of forcefully hitting the ground. This reduces the amount of soil that is washed away with the rain.
- 3) Large canopies also tend to limit winds, which in turn limit the amount of soil erosion that can occur due to high winds.
- 4) Transpiration prevents the soil from getting too wet and heavy, thereby, preventing runoff by helping the roots to bind the soil into place.
- 5) Trees have thick and widespread root systems that branch into fine filaments and create a network. The network of roots helps to stabilize the soil around the tree and holds the soil in place.
- 6) The root and foliage system of trees, thus, reduces run-off of nutrients and soil sediment around it.
- 7) Tree roots reduce soil compaction and also improve the drainage of the soil.

Thus, an afforestation program involving planting of trees can help arrest soil erosion and give various other ecosystem benefits.

2.2 Hardiness

Hardiness of plants is described as their ability to survive in adverse growing conditions. Usually this is based on adversity in climatic conditions. Thus, the measurement of hardiness of plant is in terms of its ability to tolerate cold, heat, drought, flooding, or wind. The geographic location (longitude, latitude and elevation) determine the hardiness of a native species. The various types of hardiness are briefly described below:

- 1) **Cold hardiness**- this exists in temperate latitudes which relates to the ability of the plant to tolerate cold and is generally measured by the lowest temperature a plant can withstand.
- 2) **Heat tolerance** - this is the ability of the plant tolerate heat. Usually when plants are engineered to be heat tolerant, then they can grow and produce economic yield under high temperatures. There are different physiological mechanisms that attribute heat tolerance to the plant such as heat tolerant metabolism indicated by higher photosynthetic rates, stay-green, and membrane thermo-stability, or heat avoidance as indicated by canopy temperature depression.
- 3) **Flood tolerance** - flooding creates composite and complex stress in plants known as either submergence stress or waterlogging stress or hypoxia or anoxia depending on the depth of the flooding. Morphological and metabolic adaptations to the stress include endurance of complete submergence for 14-16 days, hypoxia adaptation causing molecular level changes in metabolism pathways, internode elongation under flooded conditions enabling plants to outgrow floodwaters, reduced root hydraulic conductivity, reduced root hydraulic conductivity, etc¹.
- 4) **Wind tolerance**- Wind not only causes mechanical stress, but also makes the plant colder and dryer. Plants may evolutionally adapt to wind by becoming smaller (to avoid wind) or bigger (to resist the wind). Physiologically, the mechanical force also causes a cascade of signals in the living plant.
- 5) **Drought tolerance**- In nature or crop fields, water is required for plant growth. When plants do not receive adequate rainfall or irrigation, there is dehydration stress, which can reduce growth. Absence of rainfall or irrigation for a period of time sufficient to deplete soil moisture and cause dehydration in plant tissues can be referred to as drought. Generally three strategies can help a plant to handle dehydration stress- avoidance, tolerance and escape described as follows:

Strategy	Basis	Trait
Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> ● environmental factor is excluded from the plant tissues 	<ul style="list-style-type: none"> ● reducing water loss ("water savers", e.g. by thick leaf epicuticular wax, leaf rolling, leaf posture) or ● maintaining water uptake ("water spenders", e.g. by growing deeper roots).

¹ SOURCE: SUBMERGENCE AND WATERLOGGING STRESS IN PLANTS: A REVIEW HIGHLIGHTING RESEARCH OPPORTUNITIES AND UNDERSTUDIED ASPECTS, FUKAO ET.AL.FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 2019 (ACCESSIBLE AT [HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/ARTICLES/PMC6439527/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6439527/), 25.01.2023)

Strategy	Basis	Trait
Tolerance	<ul style="list-style-type: none"> ● environmental factor enters the plant tissues but the tissues survive 	<ul style="list-style-type: none"> ● maintaining turgor pressure under reduced soil water potential to make osmotic adjustment.
Escape	<ul style="list-style-type: none"> ● plant uses previous optimal conditions to develop vigor ● plant species being able to recuperate after brief drought periods. 	<ul style="list-style-type: none"> ● proper timing of life-cycle, resulting in the completion of the most sensitive developmental stages while water is abundant,

2.3 Need for plantation of drought hardy plantation


With respect to rainfall, Shahdol district experiences a temperate climate characterized by a hot summer, well distributed rainfall during the south-west monsoon season and mild winter. The south-west monsoon or rainy season continues from middle of June to September when south west monsoon is active while October and November months constitute post- monsoon or retreating monsoon season. The climate of Shahdol District, as calculated by Thornthwaite Precipitation Effectiveness Method, is humid climate with forest type vegetation. The normal rainfall of Shahdol district is 1131.4 mm.

As per rainfall statistics, frequency of occurrence of Normal drought in the area is 25% and that of Mild drought is also 25% while occurrence of severe droughts in the area is only 5 % i.e. on an average there is a possibility of occurrence of a normal or mild drought once in every seven years, while that of severe droughts is once in every 20 years. The area does not experience any most severe drought as per CGWB. (Source : http://cgwb.gov.in/District_Profile/MP/Shahdol.pdf)

Probabilities of moderate and severe drought during 1901-2000 for Shahdol district, where the project falls has been estimated as 15% for moderate drought and 0% for severe drought as per Mapping of Drought Areas over India by National Climate Centre, IMD, Pune.

The drought map of the country with the location of the project superimposed on it is given in **Fig 1**.

FIG 1: DROUGHT MAP OF THE COUNTRY




Source: *Manual for Drought Management, Dept. Of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare GOI*

The drought frequency based on the above map is in the range of 5-8 years.

Thus, there is need for plantation of drought hardy plantation.

India is divided into fifteen agro climatic zones as shown below:



Interpretation of above The project falls in Zone 7 which is the Eastern Plateau and Hill Region.

Hence, species that are suitable for this region based on agro climatic map (**Fig 1**) as well as having drought tolerance and having a root system that aids in arresting soil erosion based on (i) the naturally found native species in the lease area (see Table 1) and (ii) the “Guidelines for Developing Greenbelts” by CPCB, March 2000 have been studied for this region to choose suitable species as listed in Table 3 later.

2.4 Importance of Soil Moisture Conservation

The main objective of soil moisture conservation is to minimize the amount of water lost from the soils through evaporation (water loss directly from the soil) and transpiration (water loss occurring through the plants) – or combined, the evapotranspiration. Preserving soil moisture is important means to maintain the necessary water for agricultural production, helps minimize irrigation needs of the crops and also for growth of trees in non agricultural areas. This is especially important in areas where rainwater

and/or groundwater resources for irrigation are scarce or decreasing due to climate change or other causes².

Hence, in context of plantation of drought resistant species, it also becomes necessary to focus on soil moisture conservation.

3.0 MINING IN LEASE AREA, PRESENT STATUS OF SOIL & FLORA AND IMPACTS

3.1 Mining

Out of 239 ha ML area, 141.43 ha land i.e. 59.17% will be disturbed by excavation till the end of life of OC mine. The total quantity of OB has been estimated as 36.81 Mcum, which includes 0.71 Mcum Top soil. To achieve 0.36 MTPA of coal production and to extract coal as much as possible, it is proposed to adopt both opencast method as well as underground mining method on three-shift basis. For open cast operation the top soil will have to be removed first with the help of 0.9 to 1.2 m³ hydraulic Excavator in conjunction with 10 T truck.

3.2 Status of upper strata & top soil within mine lease

Bikram Block being located in the central part of the Amlai-Burhar sub-basin of Sohagpur Coalfield is mainly covered by thin cover of soil and alluvium, ranging in thickness from 1.75 m to 8.55 m. The strata being soft, the depth of the weathering ranges between 8.35 m to 31.85 m below the surface. Rock exposures are largely confined to seasonal nala sections.

3.3 Soil sampling within core zone area

Top soil samples were collected from eight locations in core zone area i.e. Gopalpur and Bartara Village. The location of soil sampling stations are given in **Table 1** and **Fig. 2**.

TABLE 1: SOIL SAMPLING STATIONS

Station No.	Location	Coordinates
S1	Gopalpur Village (under proposed Green Belt 7.5m)	81°30'58.908"E & 23°11'16.32"N
S2	Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed undisturbed forest area)	81°30'53.376"E & 23°11'21.006"N
S3	Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)	81°30'42.294"E & 23°11'22.524"N
S4	Gopalpur Village (Dump Site 1)	81°30'24.486"E & 23°11'20.028"N

²

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/soil_moisture_conservation_techniques_0.pdf accessed on 31.01.2023

Station No.	Location	Coordinates
S5	Burhar RF (under proposed open cast pit area)	81°30'4.716"E & 23°11'9.738"N
S6	Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)	81°29'57.582"E & 23°11'21.408"N
S7	Burhar RF near Bartara village (under proposed open cast pit area)	81°29'43.902"E & 23°11'8.82"N
S8	Burhar RF near Bartara Village (under proposed 50 m green belt area)	81°29'31.422"E & 23°11'10.944"N







FIG 2: LOCATION OF SOIL SAMPLING STATIONS



Methodology of sample collection: Soil samples were collected by digging a pit of 30 cm depth at the appropriate location with the help of a spade and a 'Khurpi'. The excavated soil from each location was mixed thoroughly and about 1 kg of mixed sample was collected by 'Cone & Quartering method'. The sample was packed in a polyethylene bag, sealed and brought to the laboratory where the moisture content was estimated.

The soil sample collection locations photographs are given below:



	
<p>S3 : Burhar RF near Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)</p>	<p>S4 : Gopalpur Village (Dump Site 1)</p>
	
<p>S5. Burhar RF (under proposed open cast pit area)</p>	<p>S6. Gopalpur Village (under proposed open cast pit area)</p>
	
<p>S7. Burhar RF near Bartara village (under proposed open cast pit area)</p>	<p>S8. Burhar RF near Bartara Village (under proposed 50 m green belt area)</p>

The soil moisture found under natural conditions has been given in Table 2. The moisture content in all the soil samples varies from 0.596 to 4.529 indicating it is a dry soil.

TABLE 2: RESULTS OF SOIL SAMPLES

Station No.	Samples	Moisture Content (% by mass)
S1	Gopalpur (under proposed 7.5 m Green belt area)	3.64
S2	Gopalpur (in Sangwan Forest)	1.163
S3	Gopalpur (under proposed pit area)	0.596
S4	Gopalpur (under proposed Dump-1 area)	3.546
S5	Gopalpur (under proposed pit)	2.779
S6	Gopalpur (under proposed Dump-2 area)	4.529
S7	Gopalpur (under proposed pit area)	2.151
S8	Bartara (under proposed 50 m Green belt area)	3.874

3.4 Impact of mining in lease area on top soil

The total mine lease area is 239 Ha, out of which about 135.06 Ha i.e. 56.5% land will be disturbed. So 43.5% land will remain undisturbed. Out of 239 ha ML area, 118.6 ha land i.e. 49.62% will be disturbed by excavation till the end of life of OC mine. However, concurrent backfilling will be done from 2nd year onwards of mining operation. Till the 23rd year, 79.53 ha out of total excavated area 118.6 ha i.e 67.05% land will backfilled by internal dumping & rehandling of external surface dump (which will be created during 1 year of operation). The disturbed area within ML will comprise of excavated land, external surface dumps, area occupied by infrastructure, roads, settling pond etc.

When the surface gets disturbed, it will become prone to soil erosion. Soil erosion can occur at:

- 1) Open cast mine at exposed mine faces and benches
- 2) Overburden dump - on the unstabilised portions or those without any plantation
- 3) Top soil dump- on the unstabilised portions or those without any plantation
- 4) Haul roads
- 5) Freshly laid top soil on reclaimed areas or in green belt area will get eroded if rainfall occurs before the

The total topsoil generated will be 0.71 Mcum during the life of the Bikram Coal Mine. Displacement of soil will lead to the loss of its fertility if proper management is not adopted. Long storage of top soil can also render it infertile. In the process of displacement, sustainability of soil as a plant growth medium gets affected due to change in the soil structure by

excavation and dumping, leaching out of nutrients due to rain, erosion due to both wind and water and loss of characteristics when required to be stored over long periods of time.

3.5 Present scenario of Flora in mine lease

In the mine lease of Bikram Coal Mine, the floral species were identified through secondary sources and field visit. The list of flora found in the core zone is given in **Table 3**.

TABLE 3: FLORA SPECIES FOUND WITHIN MINE LEASE AREA

Sl. No.	Botanical Name	Common Name	Family
a.	Trees		
1.	<i>Acacia auriculiformis</i>	Australian wattle	Mimosaceae
2.	<i>Acacia leucophloea</i>	Riunja	Mimosaceae
3.	<i>Acacia nilotica</i>	Babool	Mimosaceae
4.	<i>Aegle marmelos</i>	Bel	Rutaceae
5.	<i>Ailanthus excelsa</i>	Mahanim	Simaroubaceae
6.	<i>Albizia lebeck</i>	Kala siris	Mimosaceae
7.	<i>Annona squamosa</i>	Sharifa	Annonaceae
8.	<i>Anogeissus latifolia</i>	Dhawda	Combretaceae
9.	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Kathal	Moraceae
10.	<i>Azadirachta indica</i>	Neem	Meliaceae
11.	<i>Bauhinia variegata</i>	Kachnar	Caesalpiniaceae
12.	<i>Buchanania lanzan</i>	Achar	Anacardiaceae
13.	<i>Butea monosperma</i>	Palas	Papilionaceae
14.	<i>Cassia fistula</i>	Amaltas	Caesalpiniaceae
15.	<i>Dalbergia paniculata</i>	Dhobin	Papilionaceae
16.	<i>Dalbergia sissoo</i>	Sissoo	Papilionaceae
17.	<i>Diospyros melanoxylon</i>	Tendu	Ebenaceae
18.	<i>Eucalyptus hybrid</i>	Nilgiri	Myrtaceae
19.	<i>Ficus benghalensis</i>	Bargad	Moraceae
20.	<i>Ficus infectoria</i>	Parak	Moraceae
21.	<i>Ficus religiosa</i>	Peepal	Moraceae
22.	<i>Gmelina arborea</i>	Gamari	Verbinaceae
23.	<i>Lagerstroemia parviflora</i>	Senha	Lythraceae
24.	<i>Lannea grandis</i>	Gunja	Anacardiaceae
25.	<i>Madhuca latifolia</i>	Mahua	Sapotaceae
26.	<i>Mangifera indica</i>	Aam	Anacardiaceae

Sl. No.	Botanical Name	Common Name	Family
27.	<i>Melia azedarach</i>	Bakain	Meliaceae
28.	<i>Mitragyna parviflora</i>	Mundi	Rubiaceae
29.	<i>Moringa oleifera</i>	Sahjan	Moringaceae
30.	<i>Pithecellobium dulce</i>	Jangli jalebee	Mimosaceae
31.	<i>Pongamia glabra</i>	Karanz	Papilionaceae
32.	<i>Psidium guajava</i>	Amrud	Myrtaceae
33.	<i>Schleichera oleosa</i>	Kusum	Sapindaceae
34.	<i>Shorea robusta</i>	Sarai/ Sal	Dipterocarpaceae
35.	<i>Syzygium cumini</i>	Jamun	Myrtaceae
36.	<i>Tamarindus indica</i>	Imli	Caesalpiniaceae
37.	<i>Terminalia arjuna</i>	Arjun	Combretaceae
38.	<i>Terminalia bellerica</i>	Bahera	Combretaceae
39.	<i>Terminalia tomentosa</i>	Saja	Combretaceae
40.	<i>Zizyphus jujube</i>	Ber	Rhamnaceae
b.	Shrubs		
1.	<i>Calotropis gigantia</i>	Aak	Asclepiadaceae
2.	<i>Cassia alata</i>	Candle-Stick tree	Caesalpiniaceae
3.	<i>Cassia tora</i>	Tarota	Caesalpiniaceae
4.	<i>Datura metel</i>	Dhaturo	Solanaceae
5.	<i>Gardenia gummifera</i>	Kuddu	Rubiaceae
6.	<i>Holarrhena antidysenterica</i>	Karchi, Dudhi	Apocynaceae
7.	<i>Ipomoea carnea</i>	Hedge glory	Convolvulaceae
8.	<i>Jatropha curcas</i>	Ratanjot	Euphorbiaceae
9.	<i>Lantana camara</i>	Rajmunia	Verbenaceae
10.	<i>Leucas aspera</i>	Gopha	Labiatae
11.	<i>Ocimum gratissimum</i>	Banatulsi	Labiatae
12.	<i>Phoenix acaulis</i>	Chhind	Palmae
13.	<i>Ricinus communis</i>	Arand	Euphorbiaceae
14.	<i>Woodfordia fruticosa</i>	Dhawai	Lythraceae
15.	<i>Xanthium strumarium</i>	Godaria	Asteraceae
c.	Herbs		
1.	<i>Achyranthus aspera</i>	Chirchira	Amaranthaceae
2.	<i>Amaranthus spinosus</i>	chaullii	Amaranthaceae
3.	<i>Euphorbia hirta</i>	Dudhi bel	Euphorbiaceae
4.	<i>Oscimum sanctum</i>	Tulsi	Labiatae

Sl. No.	Botanical Name	Common Name	Family
5.	<i>Solanum nigrum</i>	Bhatkadrana	Solanaceae
d.	Climbers		
1.	<i>Asparagus racemosus</i>	Shatavari	Liliaceae
2.	<i>Butea superba</i>	Palasbel	Papilionaceae
3.	<i>Dioscorea bulbifera</i>	Kand	Dioscoreaceae
4.	<i>Zizyphus oenoplia</i>	Makor	Rhamnaceae
e.	Grasses		
1.	<i>Bambusa arundinacea</i>	Kanta bans	Poaceae
2.	<i>Cymbopogon martini</i>	Rusa ghans	Poaceae
3.	<i>Cynodon dactylon</i>	Doob	Poaceae
4.	<i>Dendrocalamus strictus</i>	Bans	Poaceae
5.	<i>Heteropogon contortus</i>	Kushal	Poaceae
6.	<i>Themeda quadrivulvis</i>	Ghonad	Poaceae
f.	Parasite		
1.	<i>Cuscuta reflexa</i>	Amarbel	Cuscutaceae
g.	Epiphyte		
1.	<i>Vanda roxburghii</i>	Banda	Loranthaceae
h.	Hydrophytes		
1.	<i>Nelumbo nucifera</i>	Lotus	Nelumbonaceae
2.	<i>Nymphaea stellata</i>	Water lily	Nymphaeaceae

In addition to the above survey in the core zone, buffer zone was also surveyed and 67 types of species of Trees were identified. The common species are Sarai (*Shorea robusta*), Salai (*Boswellia serrata*), Saja (*Terminalia tomentosa*), Kusum (*Schleichera oleosa*), Tendu (*Diospyrus melanoxylon*), Achar (*Buchanania lanzan*), etc. Bans (*Dendro calamus strictus*) are also seen in some of the areas.

There are various waterbodies present in study area. Apart from study of terrestrial flora, the study was also taken for aquatic plants of the study area. Some are free floating or submerged and some are marshy habitats. The three water bodies in the different sides of core zone is not proposed to be disturbed.

3.6 Impact of mining in lease area on Flora

Ecological impact from open cast mining result from generation of pollutants both in air and water. Further excavation of soil causes damage to its structure and composition. The adverse impact of proposed mining activity

will cause Loss of vegetation by excavation and dumping thereby affecting the species for which such vegetation was the host.

4.0 MANAGEMENT TO CONTROL ISSUES CAUSED BY THE MINING IN ML AREA

- (i) **Compensatory afforestation:** As per the application made for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area, encumbrance free 144.89 Ha of land has been purchased, on which compensatory plantation shall be done equivalent to trees that shall be removed for mining purpose.
- (ii) **Reclamation plantation:** The other measures for management of ecology will comprise of mainly of plantation for rehabilitation. Once the simultaneous backfilling of mine void commences from 2nd year, the reclamation process over the backfilled area will also commence. Reclamation of external surface OB dumps as well as top soil dump will also eventually take place. Reclamation Plan in an area of 91.42 ha, comprising of 1.68 ha of top soil dump, 79.53 ha of internal/ backfilled dump, 15.53 ha green belt and 2.0 ha of facility.
- (iii) **Plantation program of mine:** A plantation program over life of mine has been planned in a phase wise manner. The plantation shall be started from first year of mining and till conceptual period and about 248408 nos. trees shall be planted. The total plantation till the end of life of mine, shall be done on 99.363 ha.
- (iv) **Management of external dumps to minimise erosion:**
- Retaining walls (with gabion, concrete or local stone) will be provided, wherever required, to support the benches or any loose material and also to arrest sliding of loose debris.
 - Garland drains along the retaining walls or along bench contours leading to settling tank will be provided around the OB dump to arrest any particles from the dump area from being carried away by the rain water.
 - The bench levels will be provided with water gradient against the general pit slope to decrease the speed of storm water and prevent its uncontrolled descent.
 - Special local stone paved chutes and channels will be provided wherever required, to allow controlled descent of water
 - Gullies formed, if any, on side of the benches shall be provided with check dams of local stone or sand filled bags.
 - The inactive dump slopes will be planted with bushes, grass, shrubs and trees to prevent soil erosion after applying topsoil.

4.1 Proposed plantation within mine lease area

Plantation in peripheral greenbelt (7.5m), along the sides of haul roads (outside quarry area or working dumps) and other vacant/ undisturbed areas will be developed by planting hardy species.

The stage wise cumulative plantation are tabulated in **Table 4**.

TABLE 4: REQUIREMENT OF PLANTS (YEAR/STAGE WISE AND LOCATION WISE)

Mine stages	Cumulative year wise biological restoration, (area in hectare)										Nos. of trees @ 2500 per ha	Cumulative Budget, Rs. Lakh
	Backfilled area	Surface dump	Top soil Dump	Maga-zine	Roads	Water reservoir (settling pond)	Facility	Green belt	Undisturbed	Total		
1 st year	0		0	0	0	0	0	10	0	10	25000	75
2 nd year	0	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	27.2	68000	174.825
3 rd year	7.64	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	34.84	87100	213.025
4 th year	11.17	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	38.37	95925	230.675
5 th year	16.52	11.67	0	0	0	0	0	15.53	0	43.72	109300	257.425
10 th Year	32.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	48.05	120125	337.425
15 th year	48.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	64.05	160125	417.425
20 th year	64.52	0	0	0	0	0	0	15.53	0	80.05	200125	497.425
End of mine	79.53	0	0	0	0	0	0	15.53	0	95.063	237658	572.49
PMC	79.53	0	0	0.2	0	0.6	3.5	15.53	0	99.363	248408	593.99

Source: BCL's ADS reply vide letter no. BCL/EC/Bikram/08/22 dated 26.03.2022 to MOEF&CC during environmental clearance process

To fulfill the requirements of nursery plants, a nursery will be established at the site. During peak requirements, additional plants will be transported from Govt. / Forest nurseries, located around the area. The common species used for plantation in the region are Sal, Mahua, Gulmohar, Neem, Siris, Acacia, Casuarina, Mango, China rose, Kaner, etc.

The following **objectives** will be kept while planning for plantation :

- To compensate the damage for vegetation due to opencast and underground mining.
- To prevent the spread of fugitive dust generated due to mining and other activities in ML area.
- To attenuate noise generated by the activities in mine.
- To reduce soil erosion.
- To increase the green cover of the region green belt development and afforestation will be carried inside the mining lease area. To control effective soil erosion progressive Green Belt will be developed and plantation will be done in and around the mining area. Progressive green belt development and plantation in the available areas will be carried out in a phase-wise manner till end of the mine life. Saplings

will be planted at the rate of 2500 trees/ha in external/internal dumps and in other areas. Plantation will commence there from the initial years of excavation and plantation will be expanded in such areas in progressive stages.

4.2 Selection of species

Hence, species that are suitable for this region based on agro climatic map (Fig 1) as well as having drought tolerance and having a root system that aids in arresting soil erosion based on (i) the naturally found native species in the lease area (see Table 1) and (ii) the “Guidelines for Developing Greenbelts” by CPCB, March 2000 have been studied for this region to choose suitable species as listed in Table 5.

TABLE 5: SPECIES PROPOSED FOR PLANTATION

Sl. No.	Botanical Name	Common Name	Family
a. Trees			
1.	<i>Aegle marmelos</i>	Bel	Rutaceae
2.	<i>Ailanthus excelsa</i>	Mahanim	Simaroubaceae
3.	<i>Albizia lebeck</i>	Kala siris	Mimosaceae
4.	<i>Anogeissus latifolia</i>	Dhawda	Combretaceae
5.	<i>Azadirachta indica</i>	Neem	Meliaceae
6.	<i>Butea monosperma</i>	Palas	Papilionaceae
7.	<i>Cassia fistula</i>	Amaltas	Caesalpiaceae
8.	<i>Dalbergia sissoo</i>	Sissoo	Papilionaceae
9.	<i>Diospyros melanoxylon</i>	Tendu	Ebenaceae
10.	<i>Ficus benghalensis</i>	Bargad	Moraceae
11.	<i>Ficus religiosa</i>	Peepal	Moraceae
12.	<i>Madhuca latifolia</i>	Mahua	Sapotaceae
13.	<i>Mangifera indica</i>	Aam	Anacardiaceae
14.	<i>Pongamia glabra</i>	Karanz	Papilionaceae
15.	<i>Psidium guajava</i>	Amrud	Myrtaceae
16.	<i>Schleichera oleosa</i>	Kusum	Sapindaceae
17.	<i>Shorea robusta</i>	Sarai/ Sal	Dipterocarpaceae
18.	<i>Syzygium cumini</i>	Jamun	Myrtaceae
19.	<i>Tamarindus indica</i>	Imli	Caesalpiaceae
20.	<i>Terminalia arjuna</i>	Arjun	Combretaceae
21.	<i>Terminalia bellerica</i>	Bahera	Combretaceae
22.	<i>Zizyphus jujube</i>	Ber	Rhamnaceae
b. Shrubs			
1.	<i>Calotropis gigantia</i>	Aak	Asclepiadaceae
2.	<i>Datura metel</i>	Dhaturo	Solanaceae

Sl. No.	Botanical Name	Common Name	Family
3.	<i>Ipomoea carnea</i>	Hedge glory	Convolvulaceae
4.	<i>Jatropha curcas</i>	Ratanjot	Euphorbiaceae
5.	<i>Ocimum gratissimum</i>	Banatulsi	Labiatae
6.	<i>Lantana camara</i>	Rajmunia	Verbenaceae
c. Herbs			
1.	<i>Euphorbia hirta</i>	Dudhi bel	Euphorbiaceae
2.	<i>Oscimum sanctum</i>	Tulsi	Labiatae
3.	<i>Solanum nigrum</i>	Bhatkadrana	Solanaceae
d. Climbers			
1.	<i>Asparagus racemosus</i>	Shatavari	Liliaceae
2.	<i>Butea superba</i>	Palasbel	Papilionaceae
3.	<i>Dioscorea bulbifera</i>	Kand	Dioscoreaceae


Drought resistant species of specific interest are:

- 1. Aloe vera:** Aloe Vera is a succulent plant species and naturally survived in arid and semi-arid conditions. It also thrives in tropical climates. The plant has thick and fleshy leaves for storing water. As much as Aloe Vera primarily thrives in hot and dry areas, it can also survive in grasslands and the coastal regions. It is mainly grown for both agricultural and medicinal purposes. Aloe Vera is also among the most known drought-tolerant plants in the contemporary world owing to its medicinal value and used as a key ingredient in various products like body oils, hair shampoo, bathing soaps, detergents, and pharmaceutical gels just to mention a few. Studies, for example, have shown that Aloe Vera gel can help to limit the growth of harmful bacteria on fruits and vegetables, it can reduce inflammation, and boost the body's immunity. It is also aids digestion by relieving constipation, prevents sunburn, and can heal wounds.
- 2. Agaves:** The plant has thick leaves for water storage and deep roots for absorbing water deep below the soil surface. These are the features that make agaves drought tolerant and enables them to grow without much care. Their flowers, leaves, and stalks of the agave are edible. The sap of the agave also produces the agave nectar used as a sweetener and a substitute for sugar. It is also used in the lubrication process and can be distilled to manufacture tequila.
- 3. Bougainvillea:** Bougainvillea is an evergreen thorny ornamental bush. It can also be cultivated in coastal regions because of its tolerance to salty water. It is a colorful plant associated with pink, purple, red, and magenta which makes it an excellent houseplant that can also be grown on walls, hanging baskets, and along fences. It is very easy to grow and maintain.

4. **Sage:** This is a perennial, drought-resistant herb mainly used for healing purposes. It grows best when there is abundant sunshine and it has been reported that overwatering can kill the plant. Aside from Sage's healing purposes, it has many other uses such as purification because of its antimicrobial agents that fight harmful bacteria. Sage also helps elevate moods by dispelling negative energy. In addition, it is also used in aromatherapy with it being an air freshener by producing a divine fragrance.
5. **Cactus:** Cactus is a xerophytic succulent plant that uses its entire plant structure and cells for water storage. Owing to its plant structure, cactus requires very little water to thrive and can survive in very dry areas such as the desert. The plant has one of the best adaptive survival mechanisms for even desert areas that makes it an amazing drought tolerant plant – it has sharp thorns as leaves, succulent stem covered in wax to prevent loss of water, and it shrinks during the dry season to use the reserved water. It can, therefore, be grown in pots and survive with minimal care. Cactus produce big beautiful flowers and brightly colored fruits that can be a source of food to birds, insects, and mammals. Species of cactus such as dragon fruit and the prickly pear are safe for human consumption.
6. **Geranium:** Geranium is also an amazing drought tolerant herbaceous long-living shrub. It can flourish in areas with very low rainfall and high heat levels, which means it requires little watering. The geranium oil has a sweet aroma that elevates mood.
7. **Sisal:** Sisal is a succulent plant which can grow almost everywhere across the world. The plant can survive in dry and hot climates very well and will require little water or rainfall to survive. It is a beautiful plant for outdoors as it creates a natural aesthetic impression. Sisal can be used to produce fiber for the making of rope, carpets, cloth, and slippers because of its durability and elasticity.
8. **Euphorbia :** is an amazing drought tolerant plant that can be a good choice for borders or indoor potted plant depending on the plant species. The plant does not require special attention and can go without water for a long time. It produces poisonous milky latex that causes severe skin irritation and might cause blindness. It can, however, be used in the treatment of ulcers.

Phase-wise plantation activities on the OB dumps and excavated / mined out areas are dealt in the progressive mine closure plan. The figure for the mine closure plan in which green belt and plantation are shown in **Fig 3**. It is proposed to take the extensive plantation of varieties on the dump slopes for stabilization and moisture conservation.

FIG 3: MINE STAGE AT THE CONCEPTUAL STAGE SHOWING PROPOSED PLANTATION



4.3 Plantation process including sowing of seeds

Plantation can be undertaken in any of the following manners:

1) **Seed balls or** seed bombs are seeds that have been wrapped in soil matter and then dried. The soil matter is often a mixture of clay and compost. The seed is, therefore, pre-planted and can be sown by depositing the seed ball anywhere as long as the species can survive there. The wrapping mixture keeps the seed safe until it can properly germinate. Seed balls are self-sufficient and can survive more than two months without water. Seed balls are resistant to environmental stress and remain dormant till favourable conditions. In India seed balls are made from cow dung, clay, red soil, cow urine and seeds. Cow dung and cow urine act as natural compost, which prevent the seed balls from microbial attacks. It is planned to make seed balls ready before monsoon arrives. Things can change with such innovative ideas and we can restructure our ecosystem biodiversity as well

2) **Sapling plantation** : Saplings are planted based on the soil texture and native species of the area. Check the availability of native species in the nursery, their age and height. Generally the ideal height is 60 to 80 centimeters. Preferably, species should be selected which have ethano botanical importance. Remove debris and weeds from the area where plantation is to be carried out. It is to be ensured that water is available for the plants in vicinity of area. Then dig the earth to a depth of about 1 metre and put half the earth back into the pit and spread it uniformly to make the soil loose. Mix remaining soil with manure/fertilizer and put the remaining soil back into the pit and spread it uniformly. To plant the tree, dig a small pit on the mound with a trowel, remove the root bag in which the plant was growing, and gently place the plant in the pit. Level the soil outside gently around the stem of the plant. Care shall be taken for its survival till at least 3 years. Make a wires mesh protector around the saplings so that they are not eaten by the stray animals.

4.4 Post plantation care

The plantation care is very important to make sure that the plants survive for most of the days. The funds for maintaining the plants for the first five years after the plantation may be kept. Many steps will be taken immediately after planting the seedlings, such as daily watering on plants, manuring on soil, spraying insecticides on leaves if it's infected by insects, etc.

Replacement by fresh saplings will also be taken in case of uprooting and destroying of diseased and dead plants. Regular monitoring on survival rate and remedial action shall be taken in well organized manner.

4.5 Soil moisture conservation measures

The soil moisture conservation measures have to be implemented at the following locations:

- 1) Proposed afforestation area in eastern side of the project

- 2) Proposed 50 m green belt at the western side of the project
- 3) Proposed 7.5 m green belt area on the periphery of the mine lease
- 4) Dump 1
- 5) Dump 2

All the above locations can be seen in Fig 1 earlier.

These measures, aimed at minimising soil moisture loss, will include³ :

- **Spreading manure** or compost over the soil – this minimizes evapotranspiration and also provides valuable nutrients to the soil through processes of decomposition
- **Mulching** – mulch is a layer of organic (or inorganic) material that is placed on the root zone of the plants. Examples of mulch materials include straw, wood chips, peat. Mulching will be suited for this area due to its medium rainfall areas.
- **Green manuring** – growing of plant materials with the sole purpose of adding to the soil for improved organic matter and nutrients. The improved soil quality then also improves water retention capacity.
- **Deep tillage** – suited for some areas and soils, deep tillage can help increase porosity and permeability of the soil to increase its water absorption capacity.
- Mixed trees and interplanting - cultivating a combination of trees and shrubs with different planting times and different length of growth periods.
- Rainwater harvesting at mine site to minimize runoff and collect water for use on site.

5.0 BUDGETARY PROVISION

The budget for plantation and green belt development has already been made a part of the environment management plan during environment clearance as shown in Table 6 and the same shall be implemented.

TABLE 6: BUDGET FOR GREENBELT AND PLANTATION

Sl. No.	Description	No. of equip./ items	Unit cost, Rs. lakhs	Total cost, Rs. lakhs
A.	CAPITAL EXPENDITURE			
1.	Green belt area (Hectare)	15.53	3.00	46.59
2.	Plantation on dumps (300 Rs./plant x 1500 plants / ha over 79.53 Ha.)	79.530	4.50	357.89
3.	Nursery development for	LS	15.00	15.00

³ Source: <https://www.ctc-n.org/technologies/soil-moisture-conservation-techniques> accessed 31.01.2023

Sl. No.	Description	No. of equip./ items	Unit cost, Rs. lakhs	Total cost, Rs. lakhs
	supply of plants			
	TOTAL			419.48
B.	RECURRING EXPENDITURE			
1.	Maintenance of Plantation & green belt development including soil moisture conservation measures			40.80



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(ix)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 09 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (ix) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajasthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that the period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co – terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Mineral (Development & Regulation) Act, 1957, or Rules framed there under.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

**Bhupendra
Singh
Chaudhary** Digitally signed
by Bhupendra
Singh Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:00:11 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(x)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 10 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (x) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhupal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajasthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that we shall ensure that the dumping of Over Burden (OB) shall be carried out as per the Reclamation plan of approved mining plan.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
14:17:45 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Impact Assessment Division)

To,

The AVP
COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED
Industry House, 2nd Floor, 159, Churchgate Reclamation, Mumbai, Mumbai
City, Maharashtra-400020

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the Ministry vide proposal number IA/MP/CMIN/185753/2020 dated 21 Jan 2022. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

- | | |
|--|--|
| 1. EC Identification No. | EC22A042MP160150 |
| 2. File No. | IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) |
| 3. Project Type | New |
| 4. Category | A |
| 5. Project/Activity including Schedule No. | 1(a) Mining of minerals |
| 6. Name of Project | Bikram Coal Mine (ML Area: 239 Ha), for 0.36 MTPA Coal Production by Opencast & Underground Coal Mining at Tehsil - Burhar, District - Shahdol, M.P. |
| 7. Name of Company/Organization | COAL MINE BIRLA CORPORATION LIMITED |
| 8. Location of Project | Madhya Pradesh |
| 9. TOR Date | 16 Dec 2020 |

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 20/05/2022

(e-signed)
Lalit Bokolia
Scientist F
IA - (Coal Mining sector)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environment Single-Window Hub)



File No IA-J-11015/23/2020-IA-II(M)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Impact Assessment Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jorbagh Road, N Delhi - 3
Email: lk.bokolia@nic.in Tel: 01120819417

Dated: 20th May, 2022

To

The Joint President
M/s Birla Corporation Ltd.,
2nd Floor, Industry House, 159, Churchgate Reclamation,
H.T. Parekh Marg, Maharshi Karve Road,
Mumbai - 400020 (Maharashtra)
Email: sandeep.jain@birlacorp.com

Sub: Bikram Opencast cum Underground Coal Mine with production capacity of 0.36 MTPA in an ML Area of 239 Ha by M/s Birla Corporation Limited located at Villages Bartara and Gopalpur, Tehsil Burhar, District Shahdol (Madhya Pradesh) - For Environmental Clearance-reg

Sir,

This has reference to your online proposal No. IA/MP/CMIN/185753/2020 dated 21st January, 2022, submitted to this Ministry for grant of Environmental Clearance (EC) in terms of the provisions of the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 under the Environment (Protection) Act, 1986 for Bikram Opencast cum Underground Coal Mine with production capacity of 0.36 MTPA in an ML Area of 239 Ha by M/s Birla Corporation Limited located at Villages Bartara and Gopalpur, Tehsil Burhar, District Shahdol (Madhya Pradesh).

2. The proposal was considered by the sectoral Expert Appraisal Committee (EAC) in its 26th meeting held on 18th February, 2022 and 29th EAC meeting held on 25 - 26 April, 2022. The details of the project, as per the documents submitted by the project proponent, and also as informed during the meeting, are reported to be as under: -

- (i) The project area is covered under Survey of India Toposheet No 64 E/12 and 64E/8 and is bound by the geographical coordinate's ranging from Latitude 23°11'04"N to 23°11'32" N and Longitudes 81°28'42" E to 81°31'02" E.
- (ii) Coal linkage of the project is proposed for captive use for Company's Own Integrated Cement & Power Plants located at Satna (Madhya Pradesh) and/or Chanderia (Rajasthan) and other plants of the company with provision of partial sale.
- (iii) Project does not fall in any Critically Polluted Area (CPA), where the MoEF&CC's vide its OM dated 13th January, 2010 has imposed moratorium on grant of environment clearance.
- (iv) Employment generation, employment to 701 persons (305 for opencast & 396 for underground mine) persons will be provided from the project.
- (v) The project is reported to be beneficial in terms of employment opportunities (direct as well

as indirect), Infrastructure & other social development, and overall development of area and country etc.

- (vi) This is a greenfield project. Environmental clearance is yet to be issued under EIA Notification 2006 and amendment made thereunder, for 0.36 MTPA coal production by opencast and underground coal mine in mine lease area of 239 ha.
- (vii) Standard Terms of Reference of the project was granted by Ministry on 16.12.2020.
- (viii) Total mining lease area as per block allotment is 239 ha. Mining Plan (Including Progressive Mine Closure Plan) has been approved by the Ministry of Coal, Government of India on 18.04.2011.
- (ix) The land usage pattern of the project is as follows:

Pre-mining land use details (Area in Ha)

Sl. No.	Land use	Within ML area (ha)	Outside ML area (ha)	Total (Ha)
1.	Agricultural Land	76.841	0.00	76.841
2.	Forest land	151.095*	0.00	151.095
3.	Waste land	4.167	0.00	4.167
4.	Grazing land	-	-	-
5.	Surface Water Bodies	-	-	-
6.	Settlements	-	-	-
7.	Other			
	• (Pond, Road, School etc. (Govt. Land))	6.521	0.00	6.521
	• Boundary (Merh)	0.376	0.00	0.376
	Total	239	0.00	239

Note-(Revenue forest 9.020 ha+ Reserved Forest 142.075 ha)*

Post Mining:

No.	Land use during Mining	Land Use (Ha)				
		Plantation	Water Body	Public Use	Undisturbed	Total
1.	External OB Dump	0	0	0	0	0*
2.	Topsoil dump	3	0	0	0	3
3.	Excavation	79.53	39.07	0	0	118.6
4.	Roads	0	0	3	0	3
5.	Built-up areas	2.00 ²	0	0	0	2.00
6.	Green belt	6.89	0	0	0	6.89
7.	Safety Zone	-	-	-	-	-

8.	Undisturbed Area	0	0	0	103.91	103.91
9.	Surface water reservoir	0	1.60	0	0	1.60

Note: *11.8 ha was on mineral bearing area, re handled & backfilled by 10th year

Facilities area

- (x) Total geological reserve reported in the mine lease area is 22.016 MT and 18.078 MT are mineable reserve. Out of total mineable reserve of 18.078 MT, 9.85 MT are available for extraction. Percent of extraction is 45 %.
- (xi) The annual production of the mine is proposed as maximum 0.36 MTPA, out of which opencast mining will be carried out for 23 years @ 0.16 MTPA and underground mining for 33 years @ 0.2 MTPA.
- (xii) Seven coal seams with thickness ranging from 0.90 m to 4.0 m are workable. Grade of coal is D/G7, stripping ratio 9.8:1, while gradient is 0 to 6 degree.
- (xiii) Method of mining operation is envisaged by both opencast by shovel dumper with hydraulic excavator as well as underground method by bord and pillar method.
- (xiv) Life of mine is 33 years.
- (xv) The project has one temporary surface OB dumps inside lease in an area of 11.8 ha with 50 m height and 1.78 Mm³ of OB. At the end of OC mining operation after 23 years internal OB in an area of 79.53 ha with 36.09 Mm³ of OB backfilling is envisaged in the project.
- (xvi) Total quarry area (in opencast) is 118.60 ha out of which backfilling will be done in 79.53 ha while final mine void will be created in an area of 39.07 ha with a depth of 60 m. Backfilled quarry area of 79.53 ha shall be reclaimed with plantation. Final mine void will be converted into water body.
- (xvii) Transportation of coal has been proposed by Tippers from OC pit to the pit head stockpile. The coal from UG mine will be brought out by conveyors and lead to a surface bunker/ stockpile. From surface, coal will be transported by road or road cum rail to company's own plants.
- (xviii) Reclamation Plan in an area of 91.42 ha, comprising of 3.0 ha of top soil dump, 79.53 ha of internal dump/ backfilled dump, 6.89 ha green belt and 2.0 ha of facilities.
- (xix) 151.095 ha of forest land has been reported to be involved in the project. Approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 151.095 ha of forest land for non-forestry purposes has been initiated & revived vide proposal no. FP/MP/MIN/49537/2020 dated 09/09/2020 and the proposal is recommended by state Government on 20.12.2021 and the proposal is under process at MoEF&CC, New Delhi.
- (xx) There are no National Parks, Wildlife Sanctuaries and Eco-Sensitive Zones fall within 10 km boundary of the project.
- (xxi) Wildlife conservation plan for schedule – I species has been submitted for seeking comments from the CWLW of the State Govt. vide letter no. BCL/Bikram/FC/06/21, dated 03.04.2021. Comments from CWLW is awaited.
- (xxii) The ground water level has been reported to be varying between 2.2 to 13.0 m during pre-monsoon and between 1.75 m to 10 m during post-monsoon. Total water requirement for the project is 234 KLD (potable water 34 KLD & industrial water 200 KLD).
- (xxiii) NOC for ground water abstraction has been obtained vide NOC no. CGWA/NOC/MIN/ORIG/2021/12093 issued on 17/06/2021.

- (xxiv) Public hearing for the project of 0.36 MTPA capacity in an area of 239 ha was conducted on 29.09.2021 at Govt. Middle School, Gopalpur, Village - Gopalpur, Tehsil Burhar District Shahdol, Madhya Pradesh under the Chairmanship of Addl. District Magistrate, Shahdol. Major issues raised in the public hearing include employment opportunity, provision of health care, drinking water & education, infrastructure development, pollution control measures, etc. Appropriate action to address the issues raised in the Public hearing have already been proposed to be taken are as submitted with basic information sheet.
- (xxv) Consent to Establish (CTE) shall be obtained after issuance of environmental clearance.
- (xxvi) Not any River/nalla (perennial) is flowing within boundary of lease. Thus, no nala diversion is proposed.
- (xxvii) Regular monitoring of ambient air quality shall be carried out on fortnightly basis. The documented report shall be submitted to Regional Officer, MPPCB, Member Secretary, MPPCB and also to MoEF&CC along with half yearly EC compliance report.
- (xxviii) No court cases, violation cases are pending against the project of the PP.
- (xxix) The project does not involve violation of the EIA Notification, 2006 and amendment issued there under. The coal production from the mine has not been started.
- (xxx) The project involves approximately 358 project affected families. Detailed survey are underway and data may get updated. R&R of the PAPs will be done as per Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015.
- (xxxi) Total cost of the project as on date is about Rs. 289.45 Crores. Cost of production is Rs 2479 per tonne., CSR cost will be 2% of the average profit of three years as per Companies Act, R&R cost will be as per the R&R Plan. Capital and recurring Environment Management Cost is Rs. 15.40 crore (capital) and Rs. 5.62 Crore per year (recurring).
- (xxxii) Past Production details comparison with existing EC- Not applicable since project is yet to be implemented and no coal production has been there in the past.

4. The proposal was considered by the sectoral Expert Appraisal Committee (EAC) in 29th EAC meeting held on 25 – 26 April, 2022. and recommended for grant of Environment Clearance. Based on recommendations of the EAC, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change hereby accords approval to Bikram Opencast cum Underground Coal Mine with production capacity of 0.36 MTPA in an ML Area of 239 Ha by M/s Birla Corporation Limited in Villages Bartara and Gopalpur, Tehsil Burhar, District Shahdol (Madhya Pradesh), under the provisions of Environment Impact Assessment Notification, 2006 and subsequent amendments/circulars thereto subject to the compliance of the following terms & conditions / specific conditions for environmental safeguards as stated below:-

- (i) PP to obtain the CTO for 0.36 MTPA capacity after grant of EC.
- (ii) Coal Transportation by Road route is permitted for 5 years and further transportation shall be conducted only through railway siding. PP to submit the action taken and proof of consultation with railway in this regard to IRO, MoEF&CC in six monthly reports.
- (iii) PP shall focus on tree plantation along the area proposed by PP far from North to west to South direction near the dump 2 and before the habitation & in the east direction too for 100 mts with miyawaki technique. A detailed action plan with budgetary provision should be submitted within 6 months to IRO. Areal images in this regard should be submitted in six monthly reports to IRO as a proof.

- (iv) 1.59 ha forest land can only be used to accommodate the overburden quantity. Out of 1.59 ha, 0.75 ha land comes under revenue forest where not a single tree is present. Thus, only 0.84 ha of forest land may be considered to be disturbed. While reclamation the plantation to be carried out at 1.59 ha with proper maintenance, before handling
- (v) PP to undertake the recruitment of a full-fledged qualified manpower with Environmental Engineer/Env. Science degree background in Environment Management Cell etc at coal mining site for compliance of EC conditions.
- (vi) PP to fulfill all the commitment made to address the public hearing issued in time bound manner as committed vide letter BCL/EC/ Bikram/08/22 dated 26.03.2022 and a progressive report to be furnished to IRO with every six monthly compliance report
- (vii) PP shall comply to its letter Refer no. BCL/EC/ bikram/11/22 dated 26th April, 2022 submitted for Sal nursery development by June, 2022, Installation of Solar Power plant of 1 MWH in 5 years, Road side plantation in consultation with gram panchayat which should be initiated by June, 2022, development of haul road by March, 2023 instead of December 2023. PP to maintain the topped haul road properly to minimized the dust emission.
- (viii) PP to develop pucca roads connecting to State Highway by seeking consent from the panchayat with widening of roads especially roads inter linking the villages within the study area of 10 km radius buffer zone. A record of it to be submitted to the respective IRO in six monthly compliance reports. All along the road tree plantation of about 20-30 mts shall be maintained.
- (ix) PP to furnish the record (audited) of actual budgetary expenditure for EMP in respect of capital cost of Rs. 22.83 crores & Recurring cost of Rs. 7.49 Crore per year.
- (x) PP to monitor the water quality of the ground water and surface water body located within the core zone and 5 km radius from the periphery of the mine boundary as per procedure laid down by CPCB.
- (xi) PP to install 1 more continuous ambient air quality monitoring stations at suitable locations preferably village side with consultation of SPCB. The real time data so generated shall be uploaded on company website and linked it with website of CPCB & SPCB. In addition, data should also be displayed digitally at entry and exit gate of mine lease area for public display.
- (xii) PP shall develop 2 water harvesting pond near the villages of suitable area as suggested by EAC in consultation with Gram Panchayat within 1 year.
- (xiii) PP shall deploy atleast 5 number of fog canons with 40 mts throw for mitigation of fugitive dust during mining operations within six months.
- (xiv) PP to plant additional 100,000 plants with three tier plantation along the haul Roads, if not completed, and identified areas with consent to the gram panchayat within one year and plant for remaining within 1 year for their proper growth.
- (xv) PP to install solar lights along the road used for transportation of minerals to avoid the accidents at night and also seek its maintenance. PP is asked to also identify the rural areas for installation of solar light with its maintenance within the study area of 10 km radius buffer zone within one year
- (xvi) Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular and Periodical medical examination of the workers engaged in the Project and maintain records accordingly; also, Occupational health check-ups for workers having some ailments like BP, diabetes, habitual smoking, etc. shall be undertaken once in six months and necessary remedial/preventive measures taken accordingly. The Recommendations of National Institute for ensuring good occupational environment for mine workers shall be

implemented. The prevention measure for burns, malaria and provision of anti-snake venom including all other paramedical safeguards may be ensured before initiating the mining activities

- (xvii) Persons of nearby villages shall be given training on livelihood and skill development to make them employable with its proper records
- (xviii) The illumination and sound at night at project sites disturb the villages in respect of both human and animal population. Consequent sleeping disorders and stress may affect the health in the villages located close to mining operations. Habitations have a right for darkness and minimal noise levels at night. PPs must ensure that the biological clock of the villages is not disturbed; by orienting the floodlights/ masks away from the villagers and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day light/night hours
- (xix) PP shall pay to farmers of agricultural land if there is any loss due to pollution found by concerned District Commissioner as per extent rules or norms.
- (xx) PP should establish in house (at project site) environment laboratory for measurement of environment parameter with respect to air quality and water (surface and ground). A dedicated team to oversee environment management shall be setup which should comprise of Environment Engineers, Laboratory chemist and staff for monitoring of air, water quality parameters on routine basis. Any non-compliance or infringement should be reported to the concerned authority.
- (xxi) Hon'ble Supreme Court in an Writ Petition(s) Civil No. 114/2014, Common Cause vs Union of India & Ors vide its judgement dated 8th January, 2020 has directed the Union of India to impose a condition in the mining lease and a similar condition in the environmental clearance and the mining plan to the effect that the mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Compliance of this condition after the mining activity is over at the cost of the mining lease holders/Project Proponent". The implementation report of the above said condition shall be sent to the Regional Office of the MoEF&CC

4.1 The grant of environmental clearance is further subject to compliance of the Standard EC conditions as under:

(a) Statutory compliance

- (i) The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.
- (ii) The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
- (iii) The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan/Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report (in case of the presence of schedule-I species in the study area).

(iv) The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.

(v) The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority.

(vi) Solid/hazardous waste generated in the mines needs to be addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016/Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016.

(vii) The Environmental clearance shall be subject to orders of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Courts, NGT and any other Court of Law, from time to time, and as applicable to the project

(b) Air quality monitoring and preservation

(i) Continuous ambient air quality monitoring stations as prescribed in the statute be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂ and NO_x. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the State Pollution Control Board. Online ambient air quality monitoring stations may also be installed in addition to the regular monitoring stations as per the requirement and/or in consultation with the SPCB. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc to be carried out at least once in six months.

(ii) The Ambient Air Quality monitoring in the core zone shall be carried out to ensure the Coal Industry Standards notified vide GSR 742 (E) dated 25th September, 2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. Data on ambient air quality and heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr and other monitoring data shall be regularly reported to the Ministry/Regional Office and to the CPCB/SPCB.

(iii) Transportation of coal, to the extent permitted by road, shall be carried out by covered trucks/conveyors. Effective control measures such as regular water/mist sprinkling/rain gun etc shall be carried out in critical areas prone to air pollution (with higher values of PM₁₀/PM_{2.5}) such as haul road, loading/unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled regularly. It shall be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central/State Pollution Control Board.

(iv) The transportation of coal shall be carried out as per the provisions and route envisaged in the approved Mining Plan or environment monitoring plan. Transportation of the coal through the existing road passing through any village shall be avoided. In case, it is proposed to construct a 'bypass' road, it should be so constructed so that the impact of sound, dust and accidents could be appropriately mitigated.

(v) Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. All the vehicles engaged in mining and allied activities shall operate only after obtaining 'PUC' certificate from the authorized pollution testing centres.

(vi) Coal stock pile/crusher/feeder and breaker material transfer points shall invariably be provided with dust suppression system. Belt-conveyors shall be fully covered to avoid air borne

dust. Side cladding all along the conveyor gantry should be made to avoid air borne dust. Drills shall be wet operated or fitted with dust extractors.

(vii) Coal handling plant shall be operated with effective control measures w.r.t. various environmental parameters. Environmental friendly sustainable technology should be implemented for mitigating such parameters.

(viii) Major approach roads shall be black topped and properly maintained

(c) Water quality monitoring and preservation

(i) The effluent discharge (mine waste water, workshop effluent) shall be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974 Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25th September, 2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board.

(ii) The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-IA.11 (M) dated 27th May, 2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for its compliance.

(iii) Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the mine lease area by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operations. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to MOEFCC/RO.

(iv) Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.

(v) Ground water, excluding mine water, shall not be used for mining operations. Rainwater harvesting shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources.

(vi) Catch and/or garland drains and siltation ponds in adequate numbers and appropriate size shall be constructed around the mine working, coal heaps & OB dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the river and water bodies. Further, dump material shall be properly consolidated/ compacted and accumulation of water over dumps shall be avoided by providing adequate channels for flow of silt into the drains. The drains/ ponds so constructed shall be regularly de-silted particularly before onset of monsoon and maintained properly. Sump capacity should provide adequate retention period to allow proper settling of silt material. The water so collected in the sump shall be utilised for dust suppression and green belt development and other industrial use. Dimension of the retaining wall constructed, if any, at the toe of the OB dumps within the mine to check run-off and siltation should be based on the rainfall data. The plantation of native species to be made between toe of the dump and adjacent field/habitation/water bodies.

(vii) Adequate groundwater recharge measures shall be taken up for augmentation of ground water. The project authorities shall meet water requirement of nearby village(s) after due treatment conforming to the specific requirement (standards).

(viii) Industrial waste water generated from CHP, workshop and other waste water, shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the standards prescribed under Water Act 1974 and Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time. Adequate ETP /STP needs to be provided.

(ix) The water pumped out from the mine, after siltation, shall be utilized for industrial purpose viz. watering the mine area, roads, green belt development etc. The drains shall be regularly desilted particularly after monsoon and maintained properly.

(x) The surface drainage plan including surface water conservation plan for the area of influence affected by the said mining operations, considering the presence of river/rivulet/pond/lake etc, shall be prepared and implemented by the project proponent. The surface drainage plan and/or any diversion of natural water courses shall be as per the approved Mining Plan/EIA/EMP report and with due approval of the concerned State/GoI Authority. The construction of embankment to prevent any danger against inrush of surface water into the mine should be as per the approved Mining Plan and as per the permission of DGMS or any other authority as prescribed by the law.

(xi) The project proponent shall take all precautionary measures to ensure riverine/riparian ecosystem in and around the coal mine up to a distance of 5 km. A riverine/riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the irrigation / water resource department in the state government.

(xii) The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/nallah flowing near or adjacent to the mine. The embankment constructed along the river/nallah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on the river front side, stabilized with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of mine inundation.

(xiii) Garland drains (of suitable size, gradient and length) around the critical areas i.e. mine shaft and low lying areas, shall be designed keeping at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the mine sites. The sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material of the surface runoff

(xiv) The water pumped out from the mine, after siltation, shall be utilized for industrial purpose viz. watering the mine area, roads, green belt development etc. The drains shall be regularly desilted particularly after monsoon and maintained properly.

(d) Noise and Vibration monitoring and prevention

(i) Adequate measures shall be taken for control of noise levels as per Noise Pollution Rules, 2016 in the work environment. Workers engaged in blasting and drilling operations, operation of

HEMM, etc shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs in conformity with the prescribed norms and guidelines in this regard. Adequate awareness programme for users to be conducted. Progress in usage of such accessories to be monitored.

(ii) Controlled blasting techniques shall be practiced in order to mitigate ground vibrations, fly rocks, noise and air blast etc., as per the guidelines prescribed by the DGMS.

(iii) The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the mine premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.

(e) Mining Plan

(i) Mining shall be carried out under strict adherence to provisions of the Mines Act 1952 and subordinate legislations made there-under as applicable.

(ii) Mining shall be carried out as per the approved mining plan (including Mine Closure Plan) abiding by mining laws related to coal mining and the relevant circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS).

(iii) No mining activity shall be carried out in forest land without obtaining Forestry Clearance as per Forest (Conservation) Act, 1980 and also adhering to The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 read with provisions of Indian Forest Act, 1927.

(iv) Underground work place environmental conditions shall be rendered ergonomic and air breathable with adequate illumination in conformance with DGMS standards.

(v) No change in mining method *i.e.* UG to OC, calendar programme and scope of work shall be made without obtaining prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC).

(vi) Efforts should be made to reduce energy and fuel consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

(f) Land reclamation

(i) Digital Survey of entire lease hold area/core zone using Satellite Remote Sensing survey shall be carried out at least once in three years for monitoring land use pattern and report in 1:50,000 scale or as notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change(MOEFCC) from time to time shall be submitted to MOEFCC/Regional Office (RO).

(ii) The final mine void depth should preferably be as per the approved Mine Closure Plan, and in case it exceeds 40 m, adequate engineering interventions shall be provided for sustenance of aquatic life therein. The remaining area shall be backfilled and covered with thick and alive top soil. Post-mining land be rendered usable for agricultural/forestry purposes and shall be diverted. Further action will be treated as specified in the guidelines for Preparation of Mine Closure Plan issued by the Ministry of Coal dated 27th August, 2009 and subsequent amendments.

(iii) The entire excavated area, backfilling, external OB dumping (including top soil) and afforestation plan shall be in conformity with the "during mining"/"post mining" land-use pattern, which is an integral part of the approved Mining Plan and the EIA/EMP submitted to this Ministry. Progressive compliance status vis-a-vis the post mining land use pattern shall be submitted to the MOEFCC/RO.

(iv) Fly ash shall be used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine as per provisions contained in clause (i) and (ii) of subparagraph (8) of fly ash notification issued vide SO 2804 (E) dated 3rd November, 2009 as amended from time to time. Efforts shall be made to utilize gypsum generated from Flue Gas Desulfurization (FGD), if any, along with fly ash for external dump of overburden, backfilling of mines. Compliance report shall be submitted to Regional Office of MoEF&CC, CPCB and SPCB.

(v) Further, it may be ensured that as per the time schedule specified in mine closure plan it should remain live till the point of utilization. The topsoil shall temporarily be stored at earmarked site(s) only and shall not be kept unutilized. The top soil shall be used for land reclamation and plantation purposes. Active OB dumps shall be stabilised with native grass species to prevent erosion and surface run off. The other overburden dumps shall be vegetated with native flora species. The excavated area shall be backfilled and afforested in line with the approved Mine Closure Plan. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self-sustaining. Compliance status shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/ Regional Office.

(vi) The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

(vii) Post-mining land be rendered usable for agricultural/forestry purposes and shall be handed over to the respective State Government, as specified in the Guidelines for Preparation of Mine Closure Plan, issued by the Ministry of Coal dated 27th August, 2009 and subsequent amendments.

(viii) Regular monitoring of subsidence movement on the surface over and around the working areas and its impact on natural drainage pattern, water bodies, vegetation, structure, roads and surroundings shall be continued till movement ceases completely. In case of observation of any high rate of subsidence beyond the limit prescribed, appropriate effective mitigation measures shall be taken to avoid loss of life and materials. Cracks should be effectively plugged in with ballast and clay soil/suitable material.

(ix) Fly ash shall be used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine as per provisions contained in clause (i) and (ii) of subparagraph (8) of fly ash notification issued vide SO 2804 (E) dated 3rd November, 2009 as amended from time to time. Efforts shall be made to utilize gypsum generated from Flue Gas Desulfurization (FGD), if any, alongwith fly ash for external dump of overburden, backfilling or stowing of mines. Compliance report shall be submitted to Regional Office of MoEF&CC, CPCB and SPCB.

47

- (x) A separate team for subsidence monitoring and surface mitigation measures shall be constituted and continuous monitoring & implementation of mitigation measures be carried out.
- (xi) Thorough inspection of the mine lease area for any cracks developed at the surface due to mining activities below ground shall be carried out to prevent inrush of water in the mine.
- (xii) Native tree species shall be selected and planted over areas affected by subsidence.
- (xiii) The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

(g) Green Belt

- (i) The project proponent shall take all precautionary measures during mining operation for conservation and protection of endangered/endemic flora/fauna, if any, spotted/reported in the study area. The Action plan in this regard, if any, shall be prepared and implemented in consultation with the State Forest and Wildlife Department.
- (ii) Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 m shall be developed all along the mine lease area as soon as possible. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

(h) Public hearing and Human health issues

- (i) Adequate illumination shall be ensured in all mine locations (as per DGMS standards) and monitored weekly. The report on the same shall be submitted to this ministry & its RO on six-monthly basis.
- (ii) The project proponent shall undertake occupational health survey for initial and periodical medical examination of the personnel engaged in the project and maintain records accordingly as per the provisions of the Mines Rules, 1955 and DGMS circulars. Besides regular periodic health check-up, 20% of the personnel identified from workforce engaged in active mining operations shall be subjected to health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any, as amended time to time.
- (iii) Personnel (including outsourced employees) working in core zone shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
- (iv) Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks/measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.

17

(v) The project proponent shall follow the mitigation measures provided in this Ministry's OM No.Z-11013/5712014-IA.II (M) dated 29th October, 2014, titled 'Impact of mining activities on habitations-issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations and villages are surrounded by the mine lease area'.

(vi) Skill training as per safety norms specified by DGMS shall be provided to all workmen including the outsourcing employees to ensure high safety standards in mines.

(vii) Effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated, a sufficient supply of drinking water for all the persons employed.

(i) Corporate Environment Responsibility

(i) The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders.

(ii) A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

(iii) Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

(iv) Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

(j) Miscellaneous

(i) The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

(ii) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

(iii) The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

15

- (iv) The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- (v) The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- (vi) The project proponent shall follow the mitigation measures provided in this Ministry's OM No.Z-11013/5712014-IA.II (M) dated 29th October, 2014, titled 'Impact of mining activities on habitations-issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations and villages are surrounded by the mine lease area'.
- (vii) The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.
- (viii) The project authorities shall inform to the Regional Office of the MOEFCC regarding commencement of mining operations.
- (ix) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
- (x) The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- (xi) No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.
- (xii) Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- (xiii) The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- (xiv) The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- (xv) The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
- (xvi) The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with

47

their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

5. The proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report and also that during presentation to the EAC. All the commitments made on the issues raised during public hearing shall also be implemented in letter and spirit.

6. The proponent shall obtain all necessary clearances/approvals that may be required before the start of the project. The Ministry or any other competent authority may stipulate any further condition for environmental protection. The Ministry or any other competent authority may stipulate any further condition for environmental protection.

7. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

8. The coal company/project proponent shall be liable to pay the compensation against the illegal mining, if any, and as raised by the respective State Governments at any point of time, in terms of the orders dated 2nd August, 2017 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.114/2014 in the matter of 'Common Cause Vs Union of India & others.

9. The concerned State Government shall ensure no mining operations to commence till the entire compensation for illegal mining, if any, is paid by the project proponent through their respective Department of Mining & Geology, in strict compliance of the judgment of Hon'ble Supreme Court.

10. This environmental clearance shall not be operational till such time the project proponent complies with the above said judgment of Hon'ble Supreme Court, as applicable, and other statutory requirements.

This issue with approval of the competent Authority.


(Lalit Bokolia)
Director

Copy to:

1. The Secretary, Ministry of Coal, Shastri Bhawan, New Delhi
2. The Secretary, Department of Environment & Forests, Government of Madhya Pradesh, Secretariat, Bhopal.
3. Principal Chief Conservator of Forests, Head of Forest Force, Madhya Pradesh Forest Department, Satpuda Bhawan, 1st Floor, Bhopal.
4. The Chairman, Central Ground Water Authority, Ministry of Jal Shakti, Jamnagar House, 18/11, Man Singh Road Area, New Delhi, Delhi 110001
5. The District Collector, Shahdol, Government of Madhya Pradesh
6. Monitoring File/Guard File/Record File. 8. PARIVESH Portal


(Lalit Bokolia)
Director



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India
P1 +91 22 4343 5400
P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 12 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhupal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajasthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that no labour camp shall be established on the forest land and we shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
14:15:27 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xiii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 13/24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xiii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "***Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited***" do hereby undertake that the boundary of the mining lease shall be demarcated on ground at the project cost after the execution of ***Mining Lease Deed of Bikram Coal Mine***, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
14:12:33 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India
P1 +91 22 4343 5400
P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xiv)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 14 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xiv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
16:40:01 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xv)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 15 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that there will be no damage to the flora and fauna of the adjoining area.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra Singh Chaudhary
Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
14:01:46 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xvi)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 16 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xvi) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that the sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by us to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:56:27 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F: 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India
P1 +91 22 4343 5400
P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xvii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 17 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xvii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that the layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:54:01 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xviii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 18 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xviii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "***Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited***" do hereby undertake that no additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:51:44 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872

PROPOSAL FOR ALTERNATE HABITAT/ HOME FOR THE AVIFAUNA

FOR

BIKRAM COAL MINE

(UNDERGROUND & OPENCAST)

(CAPACITY: 0.36 MILLION TONNES PER ANNUM,
ML AREA: 239 HECTARE)

AT

VILLAGE: BARTARA AND GOPALPUR,
DISTRICT: SHAHDOL, MADHYA PRADESH

Project Proponent:



BIRLA CORPORATION LTD.

Industry House, 2nd Floor, 159, Churchgate Reclamation,
Mumbai City-400020, Maharashtra

Phone: +91 22 4343 5400 / 2204 8467; Fax: +91 22 2204 3615

E-mail: sandeep.jain@birlacorp.com; Website : <https://www.birlacorporation.com>

**Prepared in compliance to point no. XIX of section B of Stage-I
Forest Clearance under the Forest Act, 1980 received vide
F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022**

Issue 1 Rev. 0 (UID No. 202302001) February 2023

Prepared by:



Estb. 1983

MIN MEC CONSULTANCY PVT. LTD.

A-121, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi – 110 030
Ph : 91-11-29532236, 29535891; 29532568, Web site: <http://www.minmec.com>

Email: mining@minmec.com; minmec@gmail.com



An ISO 9001:2015
approved company

CONTENTS

Sl. No.	Description	Page No.
1.0	Introduction	1
2.0	Need for study	1
3.0	Need for avi-fauna, their importance & necessity of bird nesting	2
4.0	Mining in lease area and its impact	2
5.0	Present scenario of Flora and Avi-Fauna in core zone	3
6.0	Species wise identification of nesting preferences	6
7.0	Proposal for construction of artificial bird nests	17
7.1	Artificial bird nesting	17
7.2	Materials to be used for artificial bird nesting	18
7.3	Steps to place artificial nesting	20
8.0	Budgetary provisions	22

LIST OF TABLES

Table No.	Particulars	Page No.
Table 1:	Flora species found within mine lease area	3
Table 2:	Avi fauna species found within mine lease area	6
Table 3:	Number of faunal groups reported in the study area	6
Table 4:	Data sheet for types of bird species, flora species in core zone area	7
Table 5:	Proposed the data sheet for artificial bird nesting to be maintained	22
Table 6:	Cost for the development of alternate habitat/ home for the avifauna	22

LIST OF FIGURES

Fig No.	Particulars	Page No.
Fig 1:	Sample for artificial nest box for Birds	18
Fig 2:	Construction of a nest box from a single wood sheet	20
Fig 3:	Consolidated map of areas where habitation development/ nesting for avifauna is proposed within mine lease area	21

PROPOSAL FOR ALTERNATE HABITAT/HOME FOR THE AVIFAUNA

1.0 INTRODUCTION

Bikram Coal Mine represents the northern contiguous area of the Karkati Sector of the Sohagpur Coalfield. The area of the block is 239 ha lying in villages Bartara and Gopalpur of Tehsil Burhar, District Shahdol, Madhya Pradesh. The Mine Lease area is 239 ha. Project Area is also same i.e. 239 ha. It is located approximately 7 km SW of Burhar town, in the western part of Sohagpur Coalfield, in Shahdol district of Madhya Pradesh. The coal will be extracted by both opencast and underground method. The mine lease has total forest area of 151.095 ha out of which 142.075 ha is Reserved Forest and about 9.020 ha is Revenue Forest.

The Coal block was allocated to M/s Birla Corporation Limited on 12th August 2008, and post de-allocated as per order of Hon'ble Supreme Court of India in 2014, reallocated vide vesting order no. NA-104/ 1/2019-NA, dated 10th February 2020 by Ministry of Coal for supply of coal to its integrated cement & captive power plants, through the auction process under section 6 of the Coal Mines (Special Provisions), Act 2015.

2.0 NEED FOR STUDY

M/s Birla Corporation Limited (BCL) has obtained an Environmental Clearance for Birla Coal Mine vide MOEF&CC letter no. IA-J-11015/23/2020-IA-II(M) dated 20.05.2022. The forest diversion under section 2 (ii) of Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 151.095 ha of forest land for non-forestry purposes was initiated & revived vide proposal no. FP/MP/MIN/49537/2020 dated 09/09/2020. After consideration of the proposal made by the Bikram Coal Mine, the MoEF&CC, Government of India accorded Stage-I under the Forest Act, 1980 vide F.No. 8-34/2021-FC dated 21.04.2022. There are several conditions to be complied and compliance is to be fulfilled for the Stage-II approval.

In context of the above, the point no. XIX of section B of Forest Clearance Letter states that *"The user agency in consultation with the State Govt. shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project"*.

Therefore, the need for preparation of report for avifauna habitation has been envisaged with special reference to bird species, flora species, site selection for bird, etc.

3.0 NEED FOR AVI-FAUNA, THEIR IMPORTANCE & NECESSITY OF BIRD NESTING

Birds are the important species of ecosystem. They play a vital role in controlling pests, acting as pollinators and maintaining island ecology. They are known for the construction of different types of nests for their habitation. A bird nest is a place and structure where birds lay their eggs, incubate them, and rear the nestlings. A bird nest can be a simple depression on the ground or an elaborate hanging dome, all of which protect the eggs and young from the elements and detection by predators. The nests are species specific. Not all birds build nests for their habitation, some lay eggs on the grounds while others lay eggs in the nest of other birds. Nests are widely used for breeding. Various types of construction materials are found in nest building such as human hairs, twigs, woods, plastics, dropped feathers of birds, synthetic materials, etc.

In order to mate successfully, lay eggs, incubate and then produce a new generation of birds, each bird species is having an appropriate scheme of nest construction or shelter use.

Bird nests also provide optimal conditions for a rich and diverse community of mainly invertebrates, who use nests as a foraging site, shelter, hiding place and reproduction and overwintering site. It is one of the essential requirements for reproduction and provides significant clues to find out ecological relationship of a bird species.

Nest building is permanent behaviour record of a bird species (frozen behaviour). Since ancient time the nest building in birds especially nests of crow (*Carvov splendance*) was correlated with the onset of monsoon rain and quantity of rain in a particular year in India¹.

4.0 MINING IN LEASE AREA AND ITS IMPACT

Out of 239 ha ML area, 141.43 ha land i.e. 59.17% will be disturbed by excavation till the end of life of OC mine. The pre-mining land records of project area shows 151.095 Ha out of total block area is covered by forest (Revenue + Reserved Forest). The project area contains 142.075 ha of reserve forests of Sal and falls under the Burhar Range of Shahdol Forest Division. Of this, part of the area will be excavated due to opencast mining to the extent of 99.23 Ha. The core zone is virgin land where mining proposed is to be carried out.

The adverse impact of proposed mining activity in core zone will cause:

¹ SOURCE:

[HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/340661176_NESTS_AND_NEST_MATERIALS_OF_BIRDS_IN_SRTM_UNIVERSITY_AREA_AT_NANDED_MAHARASHTRA_STATE-ARTICLE_ON_NESTS_AND_NEST_MATERIALS_OF_BIRDS_IN_SRTM_UNIVERSITY_AREA_AT_NANDED_MAHARASHTRA_STATE-ACCESSED_ON_18.06.2022](https://www.researchgate.net/publication/340661176_NESTS_AND_NEST_MATERIALS_OF_BIRDS_IN_SRTM_UNIVERSITY_AREA_AT_NANDED_MAHARASHTRA_STATE-ARTICLE_ON_NESTS_AND_NEST_MATERIALS_OF_BIRDS_IN_SRTM_UNIVERSITY_AREA_AT_NANDED_MAHARASHTRA_STATE-ACCESSED_ON_18.06.2022)

- Disturbance to the natural vegetation in the core zone area include trees, shrubs, herbs, etc. As the mine is part of the Burhar range of Shaldol Division, most common plant species of Burhar Reserved Forest are *Madhuca latifolia* (Mahua) and *Shorea robusta* (Sal). Besides this, other common flora of core zone includes *Terminalia tomentosa* (Saja), *Schleichera oleosa* (Kusum), *Diospyrus melanoxylon* (Tendu), *Buchanania lanzan* (Achar), *Anogeissus latifolia* (Dhawda), *Syzygium cumini* (Jamun), *Butea monosperma* (Palas) etc. Due to the removal of these trees caused by the mining in core zone area, the dependent fauna will be disturbed and displaced.
- Movement of species away from mining lease area due to noise, vibration and light.
- Disturbance to birds and animals due to bright light and unusual noise during operation activity.
- Loss of vegetation by excavation and dumping thereby affecting the species for which such vegetation was the host. The forest area falling under open cast mining area shall be disturbed. Local people are likely to be dependent on this forest for fodder, fuel wood, timber, etc. Due to the proposed mining activities in core zone area, loss of forest area will likely to occur.

5.0 PRESENT SCENARIO OF FLORA AND AVI-FAUNA IN CORE ZONE

In the core zone i.e. within the core zone of Bikram Coal Mine the floral and avi faunal species were identified through secondary sources and field visit. The list of flora found in the core zone is given in **Table 1**.

TABLE 1: FLORA SPECIES FOUND WITHIN MINE LEASE AREA

Sl. No.	Botanical Name	Common Name	Family
a.	Trees		
1.	<i>Acacia auriculiformis</i>	Australian wattle	Mimosaceae
2.	<i>Acacia leucophloea</i>	Riunja	Mimosaceae
3.	<i>Acacia nilotica</i>	Babool	Mimosaceae
4.	<i>Aegle marmelos</i>	Bel	Rutaceae
5.	<i>Ailanthus excelsa</i>	Mahanim	Simaroubaceae
6.	<i>Albizia lebeck</i>	Kala siris	Mimosaceae
7.	<i>Annona squamosa</i>	Sharifa	Annonaceae
8.	<i>Anogeissus latifolia</i>	Dhawda	Combretaceae
9.	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Kathal	Moraceae
10.	<i>Azadirachta indica</i>	Neem	Meliaceae
11.	<i>Bauhinia variegata</i>	Kachnar	Caesalpiniaceae
12.	<i>Buchanania lanzan</i>	Achar	Anacardiaceae
13.	<i>Butea monosperma</i>	Palas	Papilionaceae
14.	<i>Cassia fistula</i>	Amaltas	Caesalpiniaceae
15.	<i>Dalbergia paniculata</i>	Dhobin	Papilionaceae

Sl. No.	Botanical Name	Common Name	Family
16.	<i>Dalbergia sissoo</i>	Sissoo	Papilionaceae
17.	<i>Diospyros melanoxylon</i>	Tendu	Ebenaceae
18.	<i>Eucalyptus hybrid</i>	Nilgiri	Myrtaceae
19.	<i>Ficus benghalensis</i>	Bargad	Moraceae
20.	<i>Ficus infectoria</i>	Parak	Moraceae
21.	<i>Ficus religiosa</i>	Peepal	Moraceae
22.	<i>Gmelina arborea</i>	Gamari	Verbinaceae
23.	<i>Lagerstroemia parviflora</i>	Senha	Lythraceae
24.	<i>Lannea grandis</i>	Gunja	Anacardiaceae
25.	<i>Madhuca latifolia</i>	Mahua	Sapotaceae
26.	<i>Mangifera indica</i>	Aam	Anacardiaceae
27.	<i>Melia azedarach</i>	Bakain	Meliaceae
28.	<i>Mitragyna parviflora</i>	Mundi	Rubiaceae
29.	<i>Moringa oleifera</i>	Sahjan	Moringaceae
30.	<i>Pithecellobium dulce</i>	Jangli jalebee	Mimosaceae
31.	<i>Pongamia glabra</i>	Karanz	Papilionaceae
32.	<i>Psidium guajava</i>	Amrud	Myrtaceae
33.	<i>Schleichera oleosa</i>	Kusum	Sapindaceae
34.	<i>Shorea robusta</i>	Sarai/ Sal	Dipterocarpaceae
35.	<i>Syzygium cumini</i>	Jamun	Myrtaceae
36.	<i>Tamarindus indica</i>	Imli	Caesalpiniaceae
37.	<i>Terminalia arjuna</i>	Arjun	Combretaceae
38.	<i>Terminalia bellerica</i>	Bahera	Combretaceae
39.	<i>Terminalia tomentosa</i>	Saja	Combretaceae
40.	<i>Zizyphus jujube</i>	Ber	Rhamnaceae
b.	Shrubs		
1.	<i>Calotropis gigantea</i>	Aak	Asclepiadaceae
2.	<i>Cassia alata</i>	Candle-stick tree	Caesalpiniaceae
3.	<i>Cassia tora</i>	Tarota	Caesalpiniaceae
4.	<i>Datura metel</i>	Dhaturo	Solanaceae
5.	<i>Gardenia gummifera</i>	Kuddu	Rubiaceae
6.	<i>Holarrhena antidysenterica</i>	Karchi, Dudhi	Apocynaceae
7.	<i>Ipomoea carnea</i>	Hedge glory	Convolvulaceae
8.	<i>Jatropha curcas</i>	Ratanjot	Euphorbiaceae
9.	<i>Lantana camara</i>	Rajmunia	Verbenaceae
10.	<i>Leucas aspera</i>	Gopha	Labiatae
11.	<i>Ocimum gratissimum</i>	Banatulsi	Labiatae
12.	<i>Phoenix acaulis</i>	Chhind	Palmae
13.	<i>Ricinus communis</i>	Arand	Euphorbiaceae
14.	<i>Woodfordia fruticosa</i>	Dhawai	Lythraceae
15.	<i>Xanthium strumarium</i>	Godaria	Asteraceae

Sl. No.	Botanical Name	Common Name	Family
c. Herbs			
1.	<i>Achyranthus aspera</i>	Chirchira	Amaranthaceae
2.	<i>Amaranthus spinosus</i>	chaulii	Amaranthaceae
3.	<i>Euphorbia hirta</i>	Dudhi bel	Euphorbiaceae
4.	<i>Oscimum sanctum</i>	Tulsi	Labiatae
5.	<i>Solanum nigrum</i>	Bhatkadrana	Solanaceae
d. Climbers			
1.	<i>Asparagus racemosus</i>	Shatavari	Liliaceae
2.	<i>Butea superba</i>	Palasbel	Papilionaceae
3.	<i>Dioscorea bulbifera</i>	Kand	Dioscoreaceae
4.	<i>Zizyphus oenoplia</i>	Makor	Rhamnaceae
e. Grasses			
1.	<i>Bambusa arundinacea</i>	Kanta bans	Poaceae
2.	<i>Cymbopogon martini</i>	Rusa ghans	Poaceae
3.	<i>Cynodon dactylon</i>	Doob	Poaceae
4.	<i>Dendrocalamus strictus</i>	Bans	Poaceae
5.	<i>Heteropogon contortus</i>	Kushal	Poaceae
6.	<i>Themeda quadrivulvis</i>	Ghonad	Poaceae
f. Parasite			
7.	<i>Cuscuta reflexa</i>	Amarbel	Cuscutaceae
g. Epiphyte			
8.	<i>Vanda roxburghii</i>	Banda	Loranthaceae
h. Hydrophytes			
9.	<i>Nelumbo nucifera</i>	Lotus	Nelumbonaceae
10.	<i>Nymphaea stellata</i>	Water lily	Nymphaeaceae

Source: List of species of flora and fauna vetted by DFO based on primary survey

In addition to the above survey in the core zone, buffer zone was also surveyed and 67 types of species of Trees were identified. The common species are Sarai (*Shorea robusta*), Salai (*Boswellia serrata*), Saja (*Terminalia tomentosa*), Kusum (*Schleichera oleosa*), Tendu (*Diospyrus melanoxylon*), Achar (*Buchanania lanzan*), etc. Bans (*Dendro calamus strictus*) are also seen in some of the areas. There are various waterbodies present in study area. Apart from study of terrestrial flora, the study was also taken for aquatic plants of the study area. Some are free floating or submerged and some are marshy habitats. The three water bodies in the different sides of core zone is not proposed to be disturbed.

The common avifauna found in the core zone includes house crow, rock pigeon, common myna, spotted dove, owl, etc. could be seen. A total of 18 species of birds were recorded in the core zone area during the survey. The list avifauna species are given in **Table 2**.

TABLE 2: AVI FAUNA SPECIES FOUND WITHIN MINE LEASE AREA

Sl. No.	Scientific Name	Common Name	Family
a.	Aves		
1.	Acridotheres fuscus	Jungle myna	Sturnidae
2.	Acridotheres tristis	Myna	Sturnidae
3.	Ardea ceineria	Grey heron	Ardeidae
4.	Dinopium benghalensis	Golden backed woodpecker	Picidae
5.	Bubo bubo	Owl	Strigidae
6.	Bubulcus ibis	Cattle egret	Ardeidae
7.	Columba livia	Blue rock pigeon	Columbidae
8.	Coracias bengalensis	Indian roller	Coraciidae
9.	Corvus splendens	House crow	Corvidae
10.	Coturnix coturnix	Common quail	Phasianidae
11.	Cuculus varius	Common Hawk-cuckoo	Cuculidae
12.	Francolinus pondicerianus	Grey partridge	Phasianidae
13.	Gallus gallus	Jungle fowl	Phasianidae
14.	Milvus migrans	Black kite	Accipitridae
15.	Motacilla caspica	Grey waig tail	Motacillidae
16.	Passer domesticus	House sparrow	Passerinae
17.	Perdica asiatica	Grey quail	Phasianidae
18.	Psittacula krameri	Roseringed parakeet	Psittacidae

Source: List of species of flora and fauna vetted by DFO based on primary survey

In addition to above, different faunal groups are present in the study area (10 km radius), the numbers of species of which are given in **Table 3**.



TABLE 3: NUMBER OF FAUNAL GROUPS REPORTED IN THE STUDY AREA

Faunal groups	No. of Species
Birds	60
Mammals	12
Reptiles	22
Fishes	11

6.0 SPECIES WISE IDENTIFICATION OF NESTING PREFERENCES

After identification of the species of avifauna, their nesting preferences were collated from various secondary sources and have been summarised in **Table 4**. This will serve as a basis for the subsequent plan for bird nesting in the simultaneously rehabilitated areas within the mine as the mine activities progress.

TABLE 4: DATA SHEET FOR TYPES OF BIRD SPECIES, FLORA SPECIES IN CORE ZONE AREA


Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
1.	<i>Acridotheres fuscus</i>	Jungle myna	April to July	Secondary cavity nesters, use both holes in trees and in man-made constructions such as walls, embankments, and houses from 2 to 6 metres above the ground ²	Local tree species	Nest in a hole of a tree/ nest box	 3
2.	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Indian Myna	April to June	hollow-nesting species; that is, it nests and breeds in protected hollows found either naturally in trees or artificially on buildings (for example, recessed windowsills or low eaves) ⁴	Local tree species	Hollow-nesting / nest box	 5

² Source: Jha, Aniruddha (2001). "Competition between jungle myna *Acridotheres fuscus* and lesser golden backed woodpecker *Dinopium benghalense* for a nest hole". *Journal of the Bombay Natural History Society*. 98: 115 accessed on 07.07.2022

³ Source: <https://www.naturemagnified.com/2011/04/jungle-myna-nesting.html> accessed on 7.7.2022

⁴ Source: Bomford, M.; Sinclair, Ron (2002). "Australian research on bird pests: impact, management and future directions" (PDF). *Emu*. **102**: 35.



⁵ Source: <https://itsnature.org/air/birds-air/common-myna/> accessed on 07.07.2022

Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
3.	<i>Ardea cineria</i>	Grey heron	February to June	Nest n colonies known as "heronries:. Usually in high trees close to water body. Other sites include low trees and shrubs, reed beds, and rocky ledges. The same nest is used year after year until blown down. ⁶	Near water bodies	Cup shaped nest. Nest starts as a small platform of sticks but expands into a bulky nest as more material is added in subsequent years. It may be lined with smaller twigs, strands of root, dead grasses, and in reed beds, it is built from dead reeds. The male usually collects the material, while the female constructs the nest. ⁷	 ⁸

⁶ "Grey herons". AvianWeb. Archived from the original on 2016-03-24. Retrieved 18 October 2015

⁷ "Grey herons". AvianWeb. Archived from the original on 2016-03-24. Retrieved 18 October 2015.

⁸ Picture by Neil Philips, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_Herons_%28Ardea_cinerea%29_-2_on_nest.jpg accessed on 7.7.2022



Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
4.	<i>Dinopium benghalensis</i>	Golden backed woodpecker	February to July	The nest hole is usually excavated by the birds and has a horizontal entrance and descends into a cavity. Sometimes birds may usurp the nest holes of other birds Nests have also been noted in mud embankments ⁹	Mostly Tree trunks	Large hole in tree trunk	 ¹⁰
5.	<i>Bubo bubo</i>	Owl		Many owls simply nest in holes, called cavities or hollows, in trees. These tree cavities occur naturally, but are often created by woodpeckers. ¹¹	Local Tree species	Cavity in tree trunk/ nest box	 ¹²

⁹ Source: Santharam, V (1998). "Nest usurpation in Woodpeckers". J. Bombay Nat. Hist. Soc. **95** (2): 344–345

¹⁰ Photo by Sagar Adhurya, <https://bdwb.wildwingsindia.in/share.php?id=B6VeBiPiPiDibex26> accessed on 7.7.2022

¹¹ Source: <https://www.owlresearchinstitute.org/owls-1> accessed on 7.7.2022

¹² Photo by Robert Cohen, https://www.stltoday.com/news/local/metro/signs-of-spring-forest-park-owlets-attract-fans-followers/article_1b8b8d93-fe41-5169-99ac-c8a6643fab9.html accessed on 24.06.2022

Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
6.	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle egret	Onset of monsoon in May	nests in colonies are often found around bodies of water and usually found in woodlands near lakes or rivers, in swamps, or on small inland or coastal islands, and are sometimes shared with other wetland birds, such as herons, egrets, etc. ¹³	Shrubs near water body	Cup shaped nest The nest is a small, untidy platform of sticks in a tree or shrub constructed by both parents cattle egret ¹⁴	 15
7.	<i>Columba livia</i>	Blue rock pigeon	All years provided climate conditions allow ¹⁶	Anywhere	anywhere	Cup shaped nest They select one stick and bring it back to build their nests. The nest of these birds can be found along building ledges, rafters, beams, under bridges or inside barns ¹⁷	 18

¹³ Source: Telfair II, Raymond C. (2006). Poole, A. (ed.). "Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)". *The Birds of North America Online*. Ithaca: Cornell Lab of Ornithology. doi:10.2173/bna.113. Archived from the original on 17 May 2008



¹⁴ Source: Telfair II, Raymond C. (2006). Poole, A. (ed.). "Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)". *The Birds of North America Online*. Ithaca: Cornell Lab of Ornithology. doi:10.2173/bna.113. Archived from the original on 17 May 2008

¹⁵ Photo by Forest & Kim Starr, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_030628-0097_Neonotonia_wightii.jpg accessed on 24.06.2022

¹⁶ Source: <https://www.wild-bird-watching.com/Pigeons.html> accessed on 7.7.2022

¹⁷ Source: <https://www.wild-bird-watching.com/Pigeons.html> accessed on 7.7.2022

¹⁸ Source: <https://www.wild-bird-watching.com/Pigeons.html> accessed on 7.7.2022



Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
8.	<i>Coracias bengalensis</i>	Indian roller	March to June	The nest site is usually an existing hole in a tree, a dead palm or building but may also be a hole in a mud bank. The hole may be excavated completely in soft material such as rotten wood. A thin mat of feathers, straw or grass is placed at the bottom of the cavity ¹⁹	Trees and shrubs	Cavity in tree trunk/ nest box	 20
9.	<i>Corvus splendens</i>	House crow		At least some trees in the local environment seem to be necessary for successful breeding although house crows occasionally nest on telephone towers. It lays 3–5 eggs in a typical stick nest, and occasionally there are several nests in the same tree ²¹ .	Any Tree species	Cup shaped nest	 22

¹⁹ ed. (1985). "Coracias benghalensis Indian roller". Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol. IV: Terns to Woodpeckers. Oxford: Oxford University Press. pp. 778–783

²⁰ Photo by Ckatke, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_roller_playing_hide_and_seek.jpg accessed on 7.7.2022



²¹ Source: Lamba, B.S. 1963. The nidification of some common Indian birds. Part I. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 60:121-133

²² Source: <https://pixabay.com/photos/crow-bird-indian-house-crow-391145/> accessed on 24.06.2022

Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
10.	<i>Coturnix coturnix</i>	Common quail	May to August	builds a nest of twigs and leaves lined grass and places it on or slightly above ground, typically in a bush surrounded by tall grass	Tall grass areas/ some bushes	Cup shaped nest	 23
11.	<i>Cuculus varius</i>	Common hawk-cuckoo	March to June	Brood parasite - prefers nest of babblers & laughing thrushes	Not applicable	Not applicable	 24

²³ Source: <https://what-when-how.com/birds/common-quail-birds/> accessed on 7.7.2022



²⁴ Photo by J.M Garg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Hawk_Cuckoo_%28Cuculus_varius%29_in_Hyderabad_W2_IMG_8920.jpg accessed on 7.7.2022

Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
12.	<i>Francolinus pondicerianus</i>	Gray partridge	-	Hens lay up to twenty eggs in a ground nest. The nest is usually in the margin of a cereal field, most commonly winter wheat. Usually seen foraging on bare or low grass covered ground in scrub, they are inhabitants of dry, open grass and thorny-scrub country, commonly found on the outskirts of villages. ²⁵	Grass or ground surface	Cup shaped nest	 ²⁶
13.	<i>Gallus gallus</i>	Jungle fowl	-	Shallow depression on the ground	On ground	Cup shaped nest	 ²⁷

²⁵ Source: <https://www.ranthambhoreguides.com/birds/grey-francolinpartridge> accessed on 7.7.2022

²⁶ Source: <https://www.ranthambhoreguides.com/birds/grey-francolinpartridge> accessed on 7.7.2022

²⁷ Photo by JJ Harrison, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallus_gallus_female_-_Kaeng_Krachan.jpg accessed on 7.7.2022



Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
14.	<i>Milvus migrans</i>	Black kite	Mainly January and February	They nest singly or in loose groups. The nests are built on tree branches, cliff ledges, or buildings and may be reused in subsequent years ²⁸	Any tree species	Rough platform of twigs and rags placed in a tree	 ²⁹
15.	<i>Motacilla caspica</i>	Grey wagtail	April to July	The nest is placed near fast running streams or rivers on an embankment between stones and roots. ³⁰	Near water bodies or holes in manmade structures	Cup shaped nest	 ³¹

²⁸ Source: <https://animalia.bio/black-kite> accessed on 7.7.2022

²⁹ Photo taken by Nirajkasar, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Kite_Pune.jpg accessed on 7.7.2022

³⁰ Rasmussen PC; Anderton, JC (2005). Birds of South Asia: The Ripley Guide. Volume 2. Smithsonian Institution & Lynx Edicions. p. 312

³¹ Source: <https://animalia.bio/grey-wagtail> accessed on 7.7.2022


Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
16.	<i>Passer domesticus</i>	House sparrow	April to August	Nest sites are varied, though cavities are preferred. Nests are most frequently built in the eaves and other crevices of houses. Holes in cliffs and banks, and tree hollows, are also used ³²	Local tree species	Cup shaped nest/ nest box	 33
17.	<i>Perdica asiatica</i>	Grey quail	-	builds a nest of twigs and leaves lined with rootlets and grass and places it 1 to 3 m (3.3 to 9.8 ft) above ground, typically in a bush surrounded by tall grass ³⁴	Grass area	tall grass areas (at least 8 to 10 inches [20–25 centimeters] high) and some brush cover	 35

³² Source: Indykiewicz, Piotr (1990). "Nest-sites and nests of House Sparrow [*Passer domesticus* (L.)] in an urban environment". In Pinowski, J.; Summers-Smith, J. D. (eds.). *Granivorous birds in the agricultural landscape*. Warszawa: Państwowe Wydawnictom Naukowe. pp. 95–121

³³ Source: <https://avitrol.com/pages/avitrol-for-sparrow-control.html> accessed on 7.7.2022

³⁴ Source: Baptista, L. F., P. W. Trail, H. M. Horblit, G. M. Kirwan, and C. J. Sharpe (2020). Gray-fronted Quail-Dove (*Geotrygon caniceps*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gfqdv.01> retrieved September 19, 2021 accessed on 7.7.2022

³⁵ Source: <https://www.webindia123.com/wildlife/gallery/birds3.htm> accessed on 7.7.2022

Sl. No.	Avi fauna Name (scientific)	Avi fauna Name (common)	Usual Breeding season	Preferred nesting site	Preferred tree/ shrub for nesting	Types of natural nest constructed/ artificial nest preferred	Examples of natural habitat/ nests
18.	<i>Psittacula krameri</i>	Roseringed parakeet	September to December	Secondary cavity nesters, using both holes in trees and in man-made constructions such as walls, embankments, and in houses from 2 to 6 metres above the ground	Local tree species	Nest in a hole of a tree/ nest box	 ³⁶

Hence, it can be seen from the above table that there are four major categories of birds-

- the tree dwellers or passerines,
- the water dwellers or aquatic,
- the ground dwellers and
- the parasitic brooders who will lay an egg in another birds nest and the hatchling to be brought up by that bird.

³⁶ Source: <https://indianbirds.thedynamicnature.com/2016/11/rose-ringed-parakeet-psittacula-krameri.html> accessed on 7.7.2022

7.0 PROPOSAL FOR CONSTRUCTION OF ARTIFICIAL BIRD NESTS

After perusal of the types of nesting places and the nests that various birds prefer, a proposal for artificial bird nesting is described species wise in the subsequent sections.

7.1 Artificial bird nesting

Artificial bird nests refer to bird nests which have been created artificially using materials such as wood, cement, sawdust and other similar material for use by birds during their breeding season in replacement of open nests, tree holes or spaces between rocks found in nature³⁷.

Habitation for avi-fauna in core zone area will be created using the eco-friendly materials in the forest area and human settlements adjoining the forest area being diverted for the project. The artificial nesting will be made based on the bird species, tree species, nest species and nests site selection.

Species wise suggestions for facilitating nesting are described below:

- **Tree dwellers (Zone A, B, C in Fig 3):** Construction nest boxes with large openings and protected from the sun light so that the hatchlings are comfortable. The height of the nest has to be atleast 2-3 m above the reach of humans. Since the mynas are omnivorous, the location of the nests should be at places where there is easier availability of berries, insects, little reptiles, etc.
- **Water dwellers (Zone 1, 2, 3 in Fig 3):** For artificial nesting, the company will facilitate by planting preferred trees next to the water body which has lesser foliage during the breeding season (i.e. between February to June). The environment team member of the project assigned with the job of implementation of the nesting scheme shall scout the areas near the water bodies and check for ample availability of dry sticks that the herons can use for the construction of their nests. And in case the twigs are not adequate, then they shall be collected manually by assigning a few workers and spread near the breeding habitat. This will facilitate the herons to make their nests for conveniently.
- **Ground dwellers (Zone A, B, C in Fig 3):** Tall grasses and areas deemed “safe” from the perspective of the ground dwelling birds such as away from an active path, road, human habitat, predators, etc. Will be developed within the dedicated green belts proposed around the mine periphery. Growing of various varieties of grass of varying heights shall be undertaken, which will serve as the lowest tier of the green belt, protect the soil and also facilitated habitation by ground dwelling birds.

³⁷ file:///C:/Users/User/Downloads/The_Using_Rate_of_Breeding_Birds_by_Artificial_Nes.pdf - accessed on 6.7.2022

In the case of both tree dwellers and ground dwellers, small tanks or water sources shall also be created for them in the targeted areas.

7.2 Materials to be used for artificial bird nesting

In the previous section it has been noted that there will be few birds who will adopt nesting boxes while the rest will not opt for the same. For the later category i.e. those who will not opt for the same, material availability for construction on their own will be ensured so that they do not face difficulties while finding material due to the removal of the natural forest. For the former category, the construction of artificial nest boxes is given below.

The artificial nest box will be constructed as per the size of the bird. The nest box will be constructed from the wood of a single tree, waste construction wood, mud or cement, any material that gives thermal comfort to the occupants, resistant to weather elements and long lasting. Box nests of various sizes such as 20 cm X 20 cm (for smaller passerines), 30 cm X 30 cm (for medium size passerines) and 40 cm X 40 cm (for larger passersines). The hole size will also correspondingly vary from 2" to 4" diameter. In case of species like myna, even larger horizontal slits across the front of the nesting box have been successful.

A typical photograph of a nesting box or alternate dwelling successfully used by tree dwellers is shown in photographs in **Fig 1**.



³⁸ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artificial_nest_box_for_birds_by_Raju_Kasambe_DSC_8039_%281%29_07.jpg - accessed on 7.6.2022

³⁹ Photo by Rakesh Khatri, <https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/world-sparrow-day-making-nests-from-scrap-can-attract-the-bird-to-urban-areas-101647836173823.html> accessed on 7.7.2022

Man made items such as pipes⁴⁰



Waste Construction Wood⁴¹:



Nesting Box with window, platform and chajja⁴² :



Terracotta nest⁴³ :



The typical construction of a box nest from a single wooden sheet has been shown in **Fig 2**. The dimensions shall be varied from species to species and the numbers to be constructed shall be decided after more detailed survey at the actual time of commencement of operation and in consultation with forest department.

⁴⁰ Photo by J. M. Garg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jungle_Myna-_Looking_out_from_its_nest_inside_a_pipe_I_IMG_2413.jpg accessed 07.07.2022

⁴¹ From premises of Min Mec Consultancy Pvt. Ltd.

⁴² From premises of Min Mec Consultancy Pvt. Ltd.

⁴³ a Porch of My Own, http://rockinrsranch.blogspot.com/2011_02_01_archive.html accessed 07.07.2022




FIG 2: CONSTRUCTION OF A NEST BOX FROM A SINGLE WOOD SHEET⁴⁴

7.3 Steps to place artificial nesting


The place for hanging nest boxes will include the existing trees and houses/buildings, proposed buildings that will be constructed for the project and trees that shall be planted as part of safety barrier, green belt and reclamation after they have achieved a sturdy diameter to support the nest and >3 m height. Stand alone 5-6 m poles can be installed with the box nests at > 3 m height or they can be provided with flat tops so that the birds of prey can opt to nest on top.

Some of the proposed areas for placing artificial nests or developing the habitat eco-system to support the native birds within the mine lease area in the first five years are marked in **Fig 3**.

⁴⁴

https://www.researchgate.net/publication/344237792_A_CASE_STUDY_ON_THE_NEST_OCCUPATION_OF_BIRDS_IN_THE_ARTIFICIAL_NEST_BOXES_IN_MIZORAM - A Case Study On The Nest Occupation Of Birds In The Artificial Nest Boxes In Mizoram by H.T. Lalremsanga - accessed on 20.06.2022

FIG 3: CONSOLIDATED MAP OF AREAS WHERE HABITATION DEVELOPMENT/ NESTING FOR AVIFAUNA IS PROPOSED WITHIN MINE LEASE AREA



After establishing the nesting sites, it will be essential to keep a record of the same over a longer time period to determine the success of the nesting program. Hence, the following data are proposed to be collected at the time of establishing the bird nest/ nest site/ boosting a habitat:

1. Location of the artificial nests for the birds (trees/ ground/etc) or natural habitat proposed for augmentation.
2. Height of the artificial nests from the ground onto the tree will be measured with the help of measuring tape.
3. Bird species proposed for nesting in the nest and the actual bird who occupied the nest will be identified, with the help of guide books.
4. Data sheets will be prepared as shown in the **Table 5** and record maintained.

TABLE 5: PROPOSED THE DATA SHEET FOR ARTIFICIAL BIRD NESTING TO BE MAINTAINED⁴⁵

Sl. No.	Location	GPS Coordinates	Type of area (Forest/ human settlement/ water body/ others (please specify))	Bird Species proposed to support	Nesting sites selected/ habitat development supported	Activity was carried out*	Artificial nest orientation (direction w.r.t. North)	Height from the ground, m	Date of installation	Date on which occupation of the nest was observed for first time	Bird species which occupied the nest	Observations (write in detail)

* installation of nest, development of grass, collection of twigs, ground development to encourage ground dwellers, etc

8.0 BUDGETARY PROVISIONS

The total cost for the development of alternate habitat/ home for the avifauna for Bikram Coal Block is given in **Table 6**.

TABLE 6: COST FOR THE DEVELOPMENT OF ALTERNATE HABITAT/ HOME FOR THE AVIFAUNA

Sl. No.	Activity	Nos.	Rate	Total capital cost, Rs.
1	Construction of nest box for passerines	100	500	50,000
2	Recce and installation	100	500	50,000
3	Habitat development near pond for water dweller	3	10,000	30,000

⁴⁵

Adapted from <https://www.researchgate.net/publication/344237792> - A Case Study On The Nest Occupation Of Birds In The Artificial Nest Boxes In Mizoram by H.T. Lalremsanga - accessed on 20.06.2022

Sl. No.	Activity	Nos.	Rate	Total capital cost, Rs.
4	Grass & ground development for ground dwellers	6	10,000	60,000
5	Installation of tall CC/ MS poles for birds of prey	10	5,000	50,000
	TOTAL			2,40,000

The cost of development of suitable tree species which the birds use for feeding such as fruit trees, berry shrubs, etc; for nesting; for roosting are covered in the green belt development plan.



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xix)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 19 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xix) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhupal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajasthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that we shall in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat / home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco – friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
16:45:07 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxi)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 21 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxi) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhupal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajasthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that we shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department only.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:48:57 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President – Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 22 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that we shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
16:49:48 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President – Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India
P1 +91 22 4343 5400
P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxiii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 23 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxiii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that the mining will be done in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the BCL from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Integrated Regional Office of the Ministry.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:46:44 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxiv)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 24 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxiv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that we shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:42:23 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxv)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 25 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxv) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that we shall comply all the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project;

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:39:25 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400

P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxvi)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 26 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxvi) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that Violation of any of the conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:22:23 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872



Birla Corporation Limited

Industry House, 2nd Floor
159 Churchgate Reclamation
Mumbai 400 020 India

P1 +91 22 4343 5400
P2 +91 22 2204 3615

Annexure B(xxvii)

Ref: BCL/Bikram/FC /UT/ 27 /24/25

Date: 19.11.2024

UNDERTAKING

(Against Condition no B (xxvii) of FC Stage-1 FC vide no 8-34/2021, dt. 21.04.2022)

I, Bhupendra Singh Chaudhary S/O Late Bhutal Singh Chaudhary, age 52 yrs and resident of Achhanera Road, Geeta Colony, Bharatpur, Rajsthan, Pin-321001, authorized signatory of "**Bikram Coal Mine of Birla Corporation Limited**" do hereby undertake that any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

Date: 19-11-2024

Place: Shahdol

For Birla Corporation Limited

Bhupendra
Singh
Chaudhary

Digitally signed by
Bhupendra Singh
Chaudhary
Date: 2024.11.19
13:36:12 +05'30'

Bhupendra Singh Chaudhary,
Vice President - Mines
(Authorized Signatory)

-: Registered Office :-

Birla Building, 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001 | CIN : LO1132WB1919PLC003334 | www.birlacorporation.com

P.: 033 666166745/6826 | F : 033 2248 2872